त्रयोदश माला, खंड 3, अंक 19

गुरुवार, 23 दिसम्बर, 1999
2 पौष, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60
Date 18/4/2001

(खण्ड 3 में अंक 11 से 19 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

त्रयोदश माला खंड 3, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)

अंक 19, गुरुवार, 23 दिसम्बर, 1999/2 पौष, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 365	3-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 366 से 380	23-44
अतारांकित प्रश्न संख्या 3584 से 3655 और 3657 से 3769	44-208
सभा पटल पर रखे गए पत्र	209-231
राज्य सभा से सन्देश	231
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	232
याचिका का प्रस्तुतीकरण	232
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	234-236
गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनियों का बड़े पैमाने पर बंद किया जाना	
श्री किरीट सोमैया	234
श्री यशवन्त सिन्हा	234-236
विधेयक पुरःस्थापित	236-237, 249-250
(एक) संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 239 कक, 331 और 333 का संशोधन और नए अनुच्छेद 330क, 332क और 334क का अंतःस्थापन)	236-237
(दो) विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक	249
(तीन) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक	249-250
नियम 377 के अधीन मामले	242-249
(एक) मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	242

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	उड़ीसा के नुआपाडा जिले के कपास उत्पादकों के लिए उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	242-243
(तीन)	जोधपुर जिले में अकाल से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	243
(चार)	देश में तीव्र विकास हेतु लोक सभा संसद-सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला विकास परिषद स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सालखन मुर्मू	243-244
(पांच)	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए इन राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	244
(छह)	पेड़ काटने और इमारती लकड़ी की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध से प्रभावित मेघालय विशेषकर खासी और जयन्तिया पहाड़ियों के लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. आर. किन्डिया	244
(सात)	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निधियों को सीधे ग्राम पंचायतों को दिए जाने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
	श्री टी. गोविन्दन	245
(आठ)	उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में नदियों को गहरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. एस. पी. सिंह बघेल	245
(नौ)	उत्तरी बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ के स्थायी हल के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री नवल किशोर राय	246
(दस)	कोल्हापुर, महाराष्ट्र में मुम्बई उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	246-247
(ग्यारह)	बिहार में गंडक और कोसी परियोजना चरण-II को शीघ्र प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता	
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	247
(बारह)	तमिलनाडु के त्रिची और मनमदुरई के बीच मीटर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता	
	श्री तिरूनावकरसू	247
(तेरह)	बोडोलैंड नामक पृथक राज्य बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	247-248

विषय **कॉलम**

(चौदह) महाराष्ट्र में नासिक जिले के बदाली भूई गांव में मुम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमिगत पार पथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले.. 248

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल में "वेस्ट दिनाजपुर स्पिनिंग मिल" को अर्थक्षम बनाए जाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी.. 248-249

विदाई उल्लेख.. 252-256

श्रीमती सोनिया गांधी.. 252

श्री अटल बिहारी वाजपेयी.. 252-254

अध्यक्ष महोदय.. 255-256

राष्ट्रगीत.. 256

लोक सभा

गुरुवार, 23 दिसम्बर, 1999/2 पौष, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने दो पूर्व आदरणीय सहयोगियों सर्वश्री रामदेनीराम और राम प्यारे पनिका के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री राम देनी राम छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1977 से 1979 तक बिहार के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वे 1957 से 1977 तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने राज्य में उप मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में वे 1990 से 1996 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे।

श्री राम सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने राज्य में विभिन्न संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

पेशे से कृषक श्री रामदेनी राम एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने दलितों, ग्रामीण खेतिहर मजदूरों और विशेष रूप से गरीब बच्चों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया।

श्री रामदेनी राम का निधन 68 वर्ष की आयु में 19 सितम्बर, 1999 को पटना, बिहार में हुआ।

श्री राम प्यारे पनिका 1980 से 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के राबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री पनिका 1962-67 और 1969-74 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वे राज्य सरकार की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे।

एक सक्षम, संसदविद् श्री पनिका अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने सभा में अपने निर्वाचन-क्षेत्र की समस्याओं को उठाने में कोई अवसर नहीं गंवाया।

पेशे से कृषक, श्री पनिका एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने राज्य में विभिन्न संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने दलितों, श्रमिकों व कृषकों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया।

श्री राम प्यारे पनिका का निधन 24 अक्तूबर, 1999 को 64 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक सड़क दुर्घटना में हुआ।

हमें इन सहयोगियों के निधन पर गहरा दुःख है और मुझे आशा है कि सदस्यगण शोक-संतप्त परिवारों को शोक संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्री रामसागर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन का नोटिस दिया है। अतः प्रश्न काल समाप्त करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस डिसएलाऊड कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे क्वश्चन आवर के बाद देखेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसे पहले लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इसे बाद में देखेंगे। कृपया इस बात को समझें कि आपकी सूचना अस्वीकार कर दी गई है।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

भर्ती अभियान के दौरान गोलीबारी

***361. श्री रामजीवन सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान सैन्य बलों में भर्ती की प्रक्रिया के दौरान युवकों पर गोली चलाने की घटनाओं का ब्यौरा क्यां है और इनमें राज्य-वार विशेषकर बिहार में स्थान-वार और तिथिवार कितने लोग मारे गये;

(ख) मृतकों के परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और राज्यों में भविष्य में युवकों की भर्ती सम्बन्धी क्या कार्यक्रम हैं; और

(घ) सैन्य बलों में भर्ती की प्रणाली को सुचारु बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सेना में भर्ती राज्यवार खुले भर्ती मेलों के जरिए की जाती है जबकि नौसेना तथा वायुसेना में भर्ती, अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर पृथक रूप से एक केन्द्रीकृत प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

सेना में भर्ती मेले के दौरान 1998 में गोलीबारी की किसी घटना की कोई सूचना नहीं है। तथापि, 1999 में सिविल पुलिस द्वारा गोलीबारी की तीन घटनाओं की रिपोर्ट मिली है : (1) 16 जुलाई, 1999 को भरतपुर, राजस्थान में जिसमें तीन व्यक्ति मारे गए थे; (2) 17 जुलाई, 1999 को छपरा, बिहार में जिसमें दो व्यक्ति मारे गए थे; और (3) 17 जुलाई, 1999 को दरभंगा, बिहार में जिसमें हलांकि पुलिस की गोलीबारी से कोई व्यक्ति नहीं मारा गया था लेकिन भगदड़ के कारण 23 व्यक्ति पास में ही उमड़ती नदी में डूब गए थे।

सेना में खुले भर्ती मेले के जरिए भर्ती कार्यक्रम को अंतिम रूप राज्य सरकार तथा जिलास्तर पर सिविल प्रशासन के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श करने के बाद तिमाही आधार पर दिया जाता है। सिविल प्राधिकारी भर्ती दल को प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया कराते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि भर्ती मेलों के दौरान कानून और व्यवस्था बनी रहे।

जहां तक भरतपुर की घटना का प्रश्न है, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त घटना के लिए किसी भी अधिकारी को जिम्मेवार नहीं पाया गया था। जहां तक छपरा और दरभंगा की घटनाओं का सम्बन्ध है, यह सूचना है कि राज्य सरकार ने बिहार सरकार के राजस्व बोर्ड के सदस्य द्वारा उक्त घटनाओं की जांच के आदेश दे दिए थे। राज्य सरकार जांच-रिपोर्ट पर विचार कर रही है। राज्य विधान मंडल ने इन दोनों घटनाओं की जांच के लिए अपने सदस्यों की एक समिति भी गठित की है।

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान सरकार ने मारे गए तीन व्यक्तियों के परिवारों को—प्रत्येक को 01 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है। बिहार सरकार ने प्रत्येक मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में 01 लाख रुपए और एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी में चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त किए जाने की घोषणा की है।

सेना की 01 अप्रैल, 1998 से आरंभ की गई मौजूदा भर्ती प्रणाली सुचारु रूप से काम कर रही है। गैर-मिलिटरी स्टेशनों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 16 तारीख को राजस्थान के जयपुर और भरतपुर में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। हालांकि जयपुर का इसमें उल्लेख नहीं है। भरतपुर में गोली चली और तीन व्यक्ति मारे गए। वहां काफी अराजक स्थिति पैदा हुई थी। बिहार के छपरा और दरभंगा जिले में एक दिन के बाद 17 तारीख को नियुक्ति की प्रक्रिया की गई।

महोदय, जयपुर और भरतपुर में तो यह हो सकता है कि अप्रत्याशित भीड़ जिसकी संभावना न तो सेना के पदाधिकारियों को थी और न ही सिविल प्रशासन को थी लेकिन एक दिन के बाद जब यह समाचार सभी जगह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ या रेडियो के द्वारा मालूम हुआ तो 17 तारीख को छपरा और दरभंगा में इतनी भारी भीड़ इकट्ठी हुई। एक दिन पहले घटना घट चुकी थी, भरतपुर में तीन आदमी मारे गये थे तो फिर प्रशासन ने या सेना के लोगों ने क्यों नहीं इसके लिए समुचित व्यवस्था की ?

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री रामजीवन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसलिए पूछ रहा हूं कि जब एक दिन पहले घटना घटी तो उसे देखकर, उसके आलोक में 17 जुलाई को वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सेना के लोगों ने समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की। यह अराजक स्थिति पैदा हुई और जिसके कारण छपरा में तीन से ज्यादा लोग मारे गये ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट का कार्य देश के अनेक हिस्सों में चलता रहता है जिसका नोटिस बहुत पहले से दिया जाता है। इसके लिए जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन दोनों को रैली करने के लिए कुछ सप्ताह पहले, कुछ महीने पहले बाकायदा जानकारी दी जाती है। जिला प्रशासन का यह काम है कि वहां पर जो भी बन्दोबस्त करना है, वह हो जाए। माननीय सदस्य का कहना है कि सेना ने इन्तजाम क्यों नहीं किया। रैली का रिक्रूटमेंट का काम सेना के अधिकारी करते हैं लेकिन सुरक्षा का कार्य जिला प्रशासन का होता है जिसमें सेना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बिहार में रिक्रूटमेंट के कार्य में एक मेजर तैनात था जिसकी पिटाई की गई और उसके बाद वहां पुलिस की गोलियां चलीं। इसलिए इस कांड में सेना को नहीं घसीटना चाहिए। अब जहां तक ये प्रश्न है कि जब 16 जुलाई को भरतपुर में गोलियां चलीं, तो फिर बिहार में रैलियां क्यों रखी गई। इस बारे में मेरा यह कहना है कि भरतपुर की रैली का ऐलान बहुत पहले किया गया था जो 16 को वहां हो गया। उसी तरह बिहार की जो रैली थी, वह दो स्थानों पर हो गई, उसका ऐलान भी पहले से 17 तारीख के लिए किया गया था और वे भी होनी थीं। बिहार की रैली को इसलिए कैंसिल करना कि एक दूसरे प्रदेश में कोई धांधली हुई है, मुझे कोई उचित बात नहीं लगती है।

श्री रामजीवन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस रैली को स्थगित करने के लिए नहीं कहा। मैंने तो यह पूछा कि जब एक दिन पहले इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें तीन लोग मारे गये, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई जबकि छपरा और दरभंगा में काफी संख्या में लोग आ रहे थे। भरतपुर में मात्र 172 लोगों की नियुक्ति थी जबकि 70 हजार से ज्यादा लोग वहां उपस्थित हुए थे। ठीक वही स्थिति छपरा और दरभंगा में थी। इसलिए मैंने कहा कि स्थगित न क.ने की जगह क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की गई क्योंकि झोटवाड़ा और जोधपुर में जो लोग बहाली के लिए आए थे, उनके द्वारा अराजकता की स्थिति पैदा की गई। उनकी तरफ से यह भी शिकायत आई कि कहीं पर बम चला, गोली भी चली। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या इस बात की जांच कराने का प्रयास किया गया कि नियुक्ति के वक्त इस तरह का व्यवधान पैदा किया जाता है, कभी बम भी चलता है, कभी गोलियां भी चलाई जाती हैं, आगजनी भी हुई है। यहां तक कि दो लड़कियों को निर्वस्त्र भी किया गया। क्या इसके पीछे कोई नियोजित षड्यंत्र था, क्या इसकी जांच की गई ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस तरह का...

अध्यक्ष महोदय : बस, आपने सप्लीमेंटरी अच्छा पूछ लिया, माननीय मंत्री जी, क्या सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, इन दोनों मामलों में—राजस्थान सरकार ने अपने प्रदेश में जो कांड हुआ और बिहार सरकार ने उसके प्रदेश में जो कांड हुआ, उसके लिए जांच बैठाई है।

जहां तक बिहार का प्रश्न है, बिहार की असेम्बली में भी इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी को नियुक्त किया है।

श्री रामजीवन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है, मैं तीन प्रश्न पूछ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका एक ही सप्टीमेंटरी है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, अपने लिखित उत्तर के पैरा 6 में माननीय मंत्री ने कहा है, "सेना की 1 अप्रैल, 1998 से आरंभ की गई मौजूदा भर्ती प्रणाली सुचारु रूप से कार्य कर रही है।"

1998 से पूर्व भर्ती प्रणाली क्या थी ? क्या ऐसी घटनाएं पहले भी हुई थीं ? अब बेरोजगारी बढ़ गई है। युवा बड़ी संख्या में सेना में भर्ती के लिए आगे आ रहे हैं और यह एक अच्छी बात है। किन्तु सरकार भर्ती की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत क्यों नहीं करती है ? यदि भर्ती के लिए किसी एक जिले की पहचान की जाती है तो 12 अन्य जिलों के लोग वहां पहुंच जाते हैं। फलतः इस रैली में 130 पदों पर भर्ती के लिए 70,000 युवा पहुंच जाते हैं। यह कहने के बजाए कि यह प्रणाली त्रुटिहीन है मंत्रालय को एक समिति गठन कर एक गहन अध्ययन कराना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। क्या सकार वर्तमा भर्ती प्रणाली के बारे में अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहती है ?

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, एक अप्रैल से जो सिलसिला शुरू हुआ है वह डीसैंट्रलाइजेशन का सिलसिला ही है। पहले रिक्रूटमेंट ऑफिसेज होते थे और उन ऑफिसेज के लोग जाते थे, जब एक जगह पर ही रिक्रूटमेंट करने वाले बैठे हों तो वहां कुछ अनियमितताएं होती थीं, इस प्रकार की शिकायतें आती थीं। एक अप्रैल से डीसैंट्रलाइजेशन इस मायने में हुआ है कि अब जिला स्तर पर रैलीज होती हैं और तीन या चार अलग-अलग केन्द्रों से वहां अधिकारी जाते हैं, किसी एक केन्द्र से नहीं जाते हैं और इस विकेन्द्रीकरण के चलते अधिक नौजवानों को इन रैलीज में हिस्सा लेने के लिए मौका मिलता है। हम यह मानते हैं कि हम लोग आज जो प्रक्रिया चला रहे हैं यह बिल्कुल विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया है, इससे विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया हो नहीं सकती है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि भर्ती के दौरान जो घटना घटी है, उस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, उस घटना में मारे गये युवकों को सरकार ने क्या-क्या रियायतें देने की कोशिश की है तथा भर्ती करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और एन.सी.सी. प्रशिक्षित युवकों की सेना में भर्ती में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भर्ती की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, सेना केवल रिक्रूटमेंट का काम करती है, बाकी इंतजाम वहां राज्य सरकार को करने होते हैं। राज्य सरकार से मेरा मतलब जिला प्रशासन से है। उसमें केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये सारे कांड हो रहे हैं, इसलिए इन्हें रोकने के लिए आपको अधिक बंदोबस्त करने चाहिए, इन्हें कहने के अलावा हम वहां जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं। यह संभव नहीं है।

जहां तक भर्ती करने में एन.सी.सी. के नौजवानों को प्राथमिकता देने की बात है, यह अक्सर हुआ करती है, यह पहले से जारी है। उसमें कोई नई चीज आज करने की जरूरत नहीं है।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कारगिल के पश्चात देशभक्ति से प्रेरित होकर क्या सेना में भर्ती की ओर लोग ज्यादा आकर्षित हुए हैं। क्या पहले आर्मी में भर्ती के लिए कोई निगेटिव ग्रोथ थी तथा ज्यादा युवकों को इसमें आकर्षित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, सेना में भर्ती के लिए कभी निगेटिव ग्रोथ नहीं रही है। लेकिन हम यह मानते हैं कि कारगिल के बाद लोगों के मन में जरूर राष्ट्र प्रेम उभरा था, जिसके कारण सेना के प्रति आकर्षण लोगों में निश्चिततौर से बढ़ा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जहां तक सेना में युवकों को और अधिक आकर्षित करने की बात है, उस पर मेरा कहना है कि जब वर्तमान में ही एक-एक रैली में तीस हजार से पचास हजार युवक आते हैं तो और अधिक आकर्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्या इससे भी अधिक लोग रैली में बुलाए जाएं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष जी, सेना, अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में भर्ती की प्रक्रिया में हमेशा अव्यवस्था, पथराव, घेराव और अनुशासनहीनता की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन जैसा संतोष मोहन देव जी ने कहा, हो सकता है कि गोली चलने की घटना पहली बार हुई। इसके अलावा एक अन्य पहलू भी है – भ्रष्टाचार का, जिसका थोड़ा सा जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया। माननीय मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि भर्ती प्रक्रिया को एक नया रूप दिया गया है और भर्ती का डिसेंट्रलाईजेशन किया गया है। यह ठीक है और इसमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे भर्ती में भ्रष्टाचार, अनियमितता और दूसरी तरह की अव्यवस्थाएं समाप्त हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहले भर्ती की एक प्रक्रिया होती थी जिसमें रेजीमेंटल रिक्रूटमेंट पार्टीज गांवों में जाती थीं और हरेक रेजीमेंट की पार्टी गांवों में जाकर भर्ती करती थी। उसका एक फायदा यह होता था कि वे एकाउंटेबल होती थी और सही आदमियों को चुनती थी और यदि उस पार्टी में किसी के ऊपर भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, तो वह तुरन्त पकड़ा जाता था। मंत्री जी ने जो नई प्रक्रिया अभी लागू करने की बात कही है, मैं कहना चाहता हूं कि वह जमीन पर नहीं उतरी है, वह प्रभावित नहीं हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में तो मैं खासतौर से कह रहा हूं जैसा कि मंत्री जी ने कहा है, इस प्रकार की रैलियां नहीं होती हैं। एक-दो स्थानों पर ही इस प्रकार की भर्ती होती है उसमें भी जो मैडिकल आफीसर वगैरह जाते हैं, उनकी अपनी परेशानियां होती हैं। मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि क्या वे रेजीमेंटल रिक्रूटिंग पार्टीज के कंसैप्ट को दुबारा रिवाइव करेंगे ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आज जो प्रक्रिया चल रही है, वह सबसे उचित प्रक्रिया है। यह कोई एक जगह पर केन्द्रित नहीं है। कार्यालय कोई एक जगह पर नहीं है। एक जगह पर एक ही यूनिट से जाकर लोग रिक्रूटिंग का काम नहीं करते हैं। अलग-अलग स्थानों से अधिकारी आते हैं। रिक्रूट होने के लिए जो जवान वहां आते हैं उनमें से कोई जवान किसी अधिकारी के साथ किसी प्रकार का रिश्ता बनाकर आते हैं, यह संभव नहीं है। इसलिए हम यह मानते हैं कि सारी बातों को ख्याल में रखकर जो प्रक्रिया आज चल रही है, उसी को चालू रखना ठीक होगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, हमारे जिले से सम्बन्धित यह घटना है और जो उत्तर आया है, उसको पढ़कर मैं यह मानकर चलता हूं कि राज्य सरकार ने गलत सूचना दी है। इसलिए मैं खासकर रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान छपरा में 17 जुलाई, 1999 को जो घटना हुई उसकी ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वहां तीन व्यक्ति मरे हैं और जवाब में केवल दो व्यक्ति ही दर्शाए गए हैं। मैं तीनों व्यक्तियों के नाम भी बताना चाहता हूं—1. श्री अनिल कुमार गुप्ता, देवरिया, 2. श्री जितेन्द्र प्रसाद, कोझीपसा और 3. श्री शशि भूषण राय, गोरिया छपरा जिनकी मृत्यु पी.एन.सी.एच. में हुई। बिहार सरकार ने सूचना दी है कि हम मृतक के परिवार को एक-एक लाख रुपए नकद और आश्रितों में से एक को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दे रहे हैं, लेकिन महोदय, अभी तक न तो कोई सरकारी विज्ञप्ति निकली है और न ही राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई बयान अखबारों में आया है कि इस घटना के मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपए और आश्रितों में से एक को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि वे मृतकों के परिवारों को मुआवजा देवे और आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के लिए भारत सरकार अपने स्तर पर कोई कदम उठाए और साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि पहले जब सेना की भर्ती होती थी तो हमेशा पुलिस लाइन में होती थी, लेकिन इस दिन सेना की भर्ती पुलिस लाइन में न होकर, किसी साजिश के तहत स्टेडियम में की गई, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना घटी, इसके क्या कारण हैं और इसके पीछे कौन सी साजिश काम कर रही है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जो जानकारी प्रश्न के उत्तर में दी गई है, वह राज्य सरकार से प्राप्त हुई है और उसके मुताबिक दो लोग मरे बताए गए हैं, लेकिन अब माननीय सदस्य एक और व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, हो सकता है कि तीन मरे हों। राज्य सरकार ने हमें दो व्यक्तियों के मरने की सूचना दी है। जहां तक उनके परिवारों को रोजगार आदि देने की बात है हम समझते हैं कि यह राज्य सरकारों को करना चाहिए। रिक्रूटमेंट

के लिए रैलियों में किसी प्रकार की आपत्ति, संकट या तनाव को लेकर या किसी भी कारण को लेकर कोई घटना हो जाए, कोई हिंसाचार हो, तो उसका दायित्व केन्द्र सरकार पर नहीं आता है और हम समझते हैं कि केन्द्र सरकार इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है। जहां तक माननीय सांसद का पूछना है पुलिस लाइन की बजाय स्टेडियम में रैली करने की बात है और उसमें कोई साजिश की गई, यह बात है, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसको मैं नहीं मानता हूं कि कोई साजिश की गई है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि यह जो 17 जुलाई, 1999 की भर्ती करने की सूचना है यह केन्द्र सरकार की तरफ से प्रदेश सरकारों के चीफ सैक्रेट्रीज को 16 दिसम्बर, 1998 को दी गई थी। उसके बाद स्पेशल सैक्रेट्री को हैडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन से 13 फरवरी को सूचना दी गई। सारे कमिश्नर्स को, डी.आई.जी. और डी.एम. को दानापुर के रिक्रूटिंग सैंटर से पत्र गया। तीन मई को सारन से डी.एम. और एस.पी. को रैली के बारे में बारीकी से सूचना देकर कि वहां सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए, बताया गया। फिर 16 जून को एक और पत्र लिखकर इसी बात को दोहराया गया। 24 जून को सेना के एक अधिकारी ने डी.एम. और एस.पी. से मिलकर इन सब चीजों के बारे में बातें कीं। 8 जुलाई को एस.पी. और डी.एम. को इसका फालोअप एक पत्र गया। 16 जुलाई को यानी रैली के एक दिन पहले राजेन्द्र स्टेडियम में जहां रैली हुई थी, वहां सेना के एक मेजर और अधिकारियों के बीच सारी व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत हुई। इसके बाद अगर जिला प्रशासन अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर पाया तो उसमें हम क्या करें ?

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाथ खड़े किये-किये थक गये हैं लेकिन आप इस तरफ देखते ही नहीं।...*(व्यवधान)*

छावनी बोर्डों के सदस्यों को शक्तियां प्रदान करना

***362. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी बोर्ड के सदस्यों के कर्तव्य और कृत्य क्या-क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उन्हें और अधिक शक्तियां प्रदान करने हेतु क्या कदम दठाए गए हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) छावनी परिषद के सदस्य, एक निकाय के रूप में, सामूहिक रूप से छावनी क्षेत्रों के नगर प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत छावनी परिषद तथा परिषद द्वारा गठित इसकी विभिन्न समितियों/उप-समितियों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। तथापि, छावनी अधिनियम के तहत परिषद के सदस्यों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में कोई विशिष्ट कर्तव्य और कार्यकलाप नहीं सौंपे गए हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए अधिनियम में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि देश में कितनी छावनियां हैं और उन छावनियों में सुविधा देने के लिए जो अनुभवनी सदस्य हैं, उनको शामिल किया गया है या नहीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपने का क्या तरीका है और क्या आप उसमें संशोधन लाने वाले हैं या नहीं ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : देश में कुल 62 केंटोनमैंट हैं। सारे केंटोनमैंट में बाकायदा चुनाव होते हैं जो कि हर पांच साल में होते हैं। जो भी चुनकर आता है, वह उस केंटोनमैंट बोर्ड पर बैठता है। उसके सारे जो निर्णय होते हैं, वे निर्णय बोर्ड की मीटिंग में होते हैं जो कि महीने में अक्सर एक बार हुआ करती है। जहां तक केंटोनमैंट बोर्ड को चलाने की बात है, उसकी जो व्यवस्था है, वह कानूनी व्यवस्था है और आज के दिन वह अपनी जगह पर दुरुस्त है।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, नासिक छावनी में नागरिक सुविधाओं के लिए बहुत कम धनराशि दी गई है। मैं चाहता हूं कि उसे बंगलौर, मुम्बई और पुणे की तरफ सुविधायें प्रदान की जाए।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सुविधाएं केंटोनमैंट में हैं। केंटोनमैंट वह जगह है, जहां पर सेना तैनात है। उनके लिए जो भी सविधाएं हैं, वे सारी सुविधायें सिविलियन विभाग में भले ही न हो लेकिन बिजली, पानी, सड़कें आदि बाकी जो भी चीजें हैं, वे सब वहां पर नियमित रूप से कार्यरत् हैं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : वहां से बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं कि सुविधाएं कम हैं। वहां धनराशि बहुत कम दी गई है।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अगर आपके पास कोई ठोस शिकायत है तो उसे आप हमारे पास भिजवा दीजिए। हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री जी जानते हैं कि आज हर पार्टी और हर सरकार डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पर मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत समितियों की हमारी स्टेट में बहुत निराशाजनक हालत है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे हलके में जालन्धर केंटोनमैंट बोर्ड है, वहां सात मैम्बर्स चुने जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है। वे सेकिण्ड ग्रेड रिप्रेजेण्टेटिव्ज गिने जाते हैं। जो केण्टोनमेंट एक्ट है, उसमें एमेंडमेंट की बहुत जरूरत है। वहां के नागरिक भी सेकिण्ड ग्रेड सिटीजन समझे जाते हैं। मैं समझता हूं कि आर्मी एथॉरिटीज़ का यह फर्ज है कि हर तरह से उनके वैलफेयर का ख्याल रखें। क्या मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे कि ज्यादा पावर्स इलैक्टिड रिप्रेजेण्टेटिव्ज़ को दी जायें, क्या इस पर वे पुनर्विचार करेंगे और जो एक्ट है, उसमें एमेंडमैंट करने पर भी विचार करेंगे ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, समूचे केण्टोनमैंट बोर्ड कानून में संशोधन लाने की बात पिछले कुछ सालों से चल रही है। उसमें अनेक संशोधन तैयार हो गये हैं। उसके बारे में पार्लियामेंट की डिफेंस स्टैंडिंग

कमेटी ने भी अध्ययन किया था और अपनी तरफ से भी कुछ सिफारिशें उसमें बताई थीं। रक्षा विभाग से यह संशोधन बनाकर संसद में भेजने के लिए जब कानून मंत्रालय को भेजा गया तो कानून मंत्रालय की यह राय रही है कि इसमें इतने संशोधन हैं कि अच्छा यह होगा कि एक नया कानून ही बनाया जाये। उस कानून का मशविदा भी तैयार हो रहा है और जैसे ही वह तैयार हो जायेगा तो उसे संसद में हम लाएंगे। जो भी उसमें कमियां हैं, वे कमियां दुरुस्त करने का और उसमें अगर कोई सुधार करना हो तो वह सुधार करने का काम हम लोग इस कानून के तहत कर पाएंगे।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, अभी मंत्री महोदय ने जो ऑन पेपर है या जो कानून में है, उतना बता दिया कि मैम्बर इलेक्टिड होते हैं, पांच साल में उनका चुनाव होता है, लेकिन उन मैम्बर्स को पावर्स कितनी है ? वे मैम्बर्स केवल दिखावे के लिए हैं। मेरा अनुभव यह है कि कैंट के अंदर जो सिविल एरियाज़ हैं, जहां आर्मी रहती है, उसके अन्दर तो इण्टरफियर करने का कोई मतलब ही नहीं है, न होना चाहिए, लेकिन उसके अन्दर जो हजारों लोग सिविल एरियाज में रहते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। वे ऐसा सोचते हैं कि मैंने मैम्बर्स को कह दिया और मैम्बर्स के पास पावर्स होती नहीं है, मैम्बर कुछ नहीं करवा सकता है। मेरा यह कहना है कि वहां के इलेक्टिड व्यक्तियों के अधिकार इतने हों कि सिविल एरियाज़ की समस्याओं का वे समाधान कर सकें। आज उनके पास अधिकार नहीं हैं। अब जितने भी केण्टोनमेंट एरियाज़ हैं, ये बड़े शहरों के साथ ही हैं ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने मैम्बर्स की पावर्स के लिए पूछ लिया न।

श्री मदन लाल खुराना : मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली के अन्दर, जालन्धर के अन्दर, जैसा आपने कहा, सारे इसके साथ में लगे हुए कारपोरेशन के एरियाज हैं। जो कारपोरेशन के मैम्बर्स हैं, उनकी जितनी पावर्स अगर इनकी नहीं होंगी, मैं यह नहीं कहता हूं कि ये मिलिट्री एरियाज़ के अन्दर इण्टरफियर करें, लेकिन जो सिविल एरियाज हैं, जो आज नैग्लेक्टिड हैं, कम से कम उनके चेयरमैन जो हों, जितनी सब कमेटीज़ हैं, उनके चेयरमैन इलेक्टिड व्यक्ति होने चाहिए। अगर केण्टोनमेंट बोर्ड का चेयरमैन मिलिट्री का है तो कम से कम जो सब कमेटीज़ हैं, वे कमेटीज़ बिजली की कमेटी है, सड़क की कमेटी है, वाटर की कमेटी है, इन कमेटीज़ के चेयरमैन अगर इलेक्टिड होंगे, इस तरह का एमेंडमेंट करें ताकि उनको पावर्स मिले और सही मायनों में सिविल एरियाज़ के जो नागरिक हैं, उनको नागरिक सुविधाएं ठीक मिल सकें, इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने बता दिया कि एक तो एक नया कानून ही इसमें हम लोग लाने जा रहे हैं, इसलिए इस सदन के उस कानून के ऊपर विचार करने का मौका मिलेगा और उस समय जो भी उसमें सुधार लाना है, जो भी उसमें दुरुस्ती करनी है, वह भी करने का मौका मिल जायेगा।

श्री मदन लाल खुराना : कानून जल्दी लाइये।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : लेकिन मैं इसके साथ ही यह कहूं कि आज के दिन भी यह बात सही नहीं है कि यहां चुनकर आये हुए लोगों को किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है या वे कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं। असल में जहां तक केण्टोनमेंट बनता है तो केण्टोनमेंट तो मिलिट्री स्टेशन के तौर पर होता है, उसमें सिविलियन इलाका जरूर होता है, क्योंकि काफी जमीन वहां होती है और केण्टोनमेंट में काम करने वाले मिलिट्री के स्टेशन में काम करने वाले जो लोग हैं, वह उसी इलाके में रहा करते हैं और वह सिविल एरिया कहलाता है। उसके कामकाज को देखने के लिए एक अलग कमेटी है, उसके अध्यक्ष कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष जो चुकर आए हैं, वे होते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष होते हैं।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : कैंटोनमेंट बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं, वे सिविल एरिया की देखभाल करने वाली कमेटी के अध्यक्ष हैं। उस कमेटी को उस इलाके के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। जहां कहीं रोकने की बात आती है, जैसे स्वास्थ्य है, उसमें आपत्ति लाने वाली कोई बात उस निर्णय में आती है तो मिलिटरी के जो हैल्थ ऑफिसर हैं, वह टिप्पणी करें कि हैल्थ के मामले को लेकर गड़बड़ी है, तब उसको रोका जाता है, वरना जो फैसला वह कमेटी लेती है, वह अंतिम होता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जब हम कानून लाएंगे, तब यह सदन उस पर विस्तार से चर्चा कर सकता है।

श्री राजेश पायलट : कैंटोनमेंट पर भी सुझाव दिया गया था, खासकर जो स्टेट बोर्डर के पास हैं, सेपरेट मैरिट फैमिली एकॉमोडेशन का प्रस्ताव एक बार चला था। मैं समझता हूं आहिस्ता-आहिस्ता जैसा खुराना जी ने सुझाव दिया, आर्मी कैंटोनमेंट में भी इन्क्रोचमेंट होना शुरू हो जाएगा। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि आर्मी कैंटोनमेंट में भी लैंड को बेच रहे हैं और अलाट कर रहे हैं, यह डिफेंस फोर्सेज के हित में नहीं है। ये जमीनें डिफेंस फोर्सेज के हित में छोड़ी गई थीं। इसमें प्राथमिकता सेना को देनी चाहिए और उस पर अधिकार डिफेंस फोर्सेज का ही रहना चाहिए, तभी कैंटोनमेंट सेफ रह पाएंगे। वरना हमारे ही कुछ भाई लोग वहां झुग्गी-झोंपड़ियां डलवा देंगे और यह कैंटोनमेंट हाथ से निकल जाएगा। जो सेपरेट मैरिड फैमिली एकॉमोडेशन का प्लान है, उसमें आपके मंत्रालय ने क्या प्रगति की है, क्या मंत्री जी इस पर कुछ कहेंगे ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, वैसे यह प्रश्न सेना के लिए जो इंतजाम हो रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है। फैमिली एकॉमोडेशन को बनाने के कार्यक्रम पिछले लम्बे अर्से से चल रहे हैं। उसके लिए विशेष धन आबंटित कराने का कार्य जारी है। उसमें जितना भी काम जितनी भी रफ्तार से होना सम्भव है, वह हो रहा है।

[अनुवाद]

रेल पटरियों को बदलना

+

***363. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल में कितनी रेल पटरियां बदले जाने योग्य हो गई थीं और वर्ष 1997 से अब तक कितनी रेल पटरियां बदली गईं और इन पर कुल कितना खर्च आया;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल कितनी रेल पटरियां बदले जाने योग्य हो गई हैं और अब तक कितनी रेल पटरियां बदली गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए रेल पटरियां बदलने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है;

(घ) क्या भारतीय रेल में रेल पटरियों को बदलने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1.4.1996 से 1.4.1999 के दौरान बड़ी लाइन पर 7810 किलोमीटर रेलपथ और मीटर लाइन—छोटी लाइन पर 4995 किलोमीटर रेलपथ का नवीकरण अपेक्षित हो गया था। 1.4.1997 से 30.11.1999 तक बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन के 7840 किमी. रेलपथ का नवीकरण किया जा चुका है। 1997-98 और 1998-99 के दौरान रेलपथ नवीकरण के काम पर 3608.12 करोड़ रुपए (सकल) का व्यय किया गया है। 1999-2000 के लिए 2000.00 करोड़ रुपए (सकल) का आबंटन किया गया है।

(ख) 1.4.1999 की स्थिति के अनुसार बड़ी लाइन पर 12260 किलोमीटर रेलपथ और मीटर लाइन एवं छोटी लाइन पर 4995 किलोमीटर रेलपथ का नवीकरण करना अपेक्षित था तथा 1999-2000 में और 1160 किलोमीटर रेलपथ नवीकरण के लिए अपेक्षित हो जाने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान नवंबर, 1999 के अंत तक बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन रेलपथ के 1822 किलोमीटर का नवीकरण किया जा चुका है।

(ग) रेलपथ नवीकरण के लक्ष्य बजट प्रक्रिया के दौरान रेलों के योजना आकार के भीतर उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं। नवीकरण की गति आबंटित धनराशि के अनुरूप है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि 10000 से ज्यादा किलोमीटर की पटरियां खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से काफी हादसे हो रहे हैं और उनमें इजाफा हो रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

شری سلطان صلاح الدین اُویسی (حیدر آباد): میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ۱۰۰۰۰ سے زیادہ کلو میٹر کی پٹریاں خراب ہو چکی ہے، جسکی وجہ سے کافی حادثے ہو رہے ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں؟

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, 10000 किलोमीटर नहीं, जो नौवीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें 13922 किलोमीटर ट्रैक रिनुअल का इंतजाम किया है। हम कोशिश करते हैं जहां पायरटी पर ज्यादा जरूरत होती हो, उस काम को पहले करें। इसलिए रेल मंत्रालय अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। साथ ही साथ हमारे पैसे का जो कंस्ट्रेंट है, उसके चलते भी थोड़ा-बहुत विलम्ब होता है।

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन आवेसी : कब तक मुकम्मल करेंगे, कोई तारीख बता दीजिए, क्योंकि आंध्र में इसके चलते ही बड़े वाक्यात हो चुके हैं ?

شری سلطان صلاح الدین اُویسی (حیدر آباد): کب تک مکمل کریں گے، کوئی سن بتا دیجئے، کیونکہ آندھرا میں اسکے چلتے ہی بڑے واقعات ہو چکے ہیں؟

श्री दिग्विजय सिंह : हमारा इरादा है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में ए, बी और सी के जो तीन रूट हैं, उनको पूरा कर सकें। लेकिन योजना आयोग ने जो हमने 19000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा था, पैसे की कमी के कारण उसको घटाकर 13000 किलोमीटर के करीब कर दिया है। जब हम सदन में अपना बजट लाएंगे, उसमें कुछ ज्यादा इंतजाम के लिए आप लोग कहेंगे तो हम उस काम को करेंगे।

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : आप कोई तारीख बताएं कि कब तक करेंगे ?

شری سلطان صلاح الدین اُویسی (حیدر آباد): آپ کوئی تاریخ بتائیں کہ کب تک کریں گے؟

श्री दिग्विजय सिंह : तारीख बताई कि नौवीं पंचवर्षीय योजना जो 1.4.1997 शुरू हुई है, उसमें इंतजाम किया गया है।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे याद है कि 1985 में हमारे पास रेलपथ नवीकरण का काफी पिछला बकाया कार्य था। हमने निर्णय लिया कि लोकप्रिय योजनाएं चलाने व आम लोगों को खुश करने के बजाए जो कुछ भी हमारे पास है उसे समेकित कर पुनर्वास करने का प्रयास किया जाए। रेलवे दल ने कार्य किया और 1989-90 में सारा पिछला बकाया कार्य पूरा कर दिया गया। उस समय केवल वर्तमान बकाया कार्य लम्बित था क्योंकि हर वर्ष रेलपथ नवीकरण का कार्य होता है। इस बीच रेलपथ नवीकरण को पुनः कम प्राथमिकता दी गई। रेलवे के कार्यकरण में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मद है। रेलपथ खंडित नहीं रह सकते हैं। पुराने रेलपथों का नवीकरण करना ही होगा क्योंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा और माल की आवाजाही प्रभावित होती है। मंत्री जी ने हमें व्यय के सकल आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। मुझे याद है कि हम कुल रेल बजट का 22-23 प्रतिशत रेलपथ नवीकरण पर व्यय कर रहे थे ताकि हम इस पिछले बकाया कार्य को कर सकें। मैं जानना चाहता हूं कि बजट में से कितना प्रतिशत रेलपथ नवीकरण के लिए आबंटित किया गया है। क्या रेलपथ नवीकरण के बजट में तेजी से कमी आई है और इस धन को अन्य शीर्षों में लगाया गया है, हो सकता है जो महत्वपूर्ण हों किंतु रेलपथ नवीकरण के समान महत्वपूर्ण न हों क्योंकि यह रेलवे के कार्यकरण के लिए मूलाधार है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : जो श्री सिंधिया ने कहा है मैं उस बात को समझती हूं। यह सत्य है कि जब वे रेल मंत्री थे तो रेलपथ नवीकरण के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया था। किंतु यह भी सच है कि हमारे यहां 80,000 कि.मी. रेलपथ है जिसमें से 61000 किमी. बड़ी लाइन पर है और 19,000 किमी मीटर लाइन और छोटी लाइन पर है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमें कम पैसा मिला। नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी हमें 19,250 किमी रेलपथ के नवीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 13,200 करोड़ो रुपये मिलने थे किंतु अन्ततः हमें 13392 किमी रेलपथ के नवीकरण के लिए धन मिला। इसका कारण योजना परिव्यय का कम होना था इसका कारण पैसा अंयंत्र व्यय करना नहीं था। पूववर्ती सरकारों का निर्णय क्या था ?

वह यह बात थी कि छोटी लाइन, बड़ी लाइन और मीटर लाइन को एक ही प्रकार की लाइन में बदल दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हम इसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

अब मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रतिशत के बारे में बताऊंगी। लाइनों को बदलने के लिए कुल बजट का 15.46 प्रतिशत भाग ही रखा गया है। यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। वर्ष 1999-2000 के लिए 9,7000 करोड़ रुपयों के कुल बजट में से लाइन बदलने के लिए कुल मिलाकर मात्र 2000 करोड़ रुपए (कुल) ही आबंटित किए गए थे। यह 1500 करोड़ के वास्तविक आबंटन का 15.46 प्रतिशत भाग ही है। सुरक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि यदि हमें एक बार ही में पैकेज मिलता है तो हम सभी लाइनों को बदलने में सक्षम होंगे। इस मामले में यात्रियों की सुरक्षा जुड़ी है। यदि लाइनों को बदला नहीं जाता है तो हम यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं सभा से इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए कहता हूं क्योंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा जुड़ी है।

श्री बसुदेव आचार्य : रेल तंत्र की कार्यकुशलता काफी हद तक पटरियों की स्थिति पर निर्भर करती है। 62,000 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन में से 17,279 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन को बदला जाना बाकी है। इसका अर्थ है कि हमारी रेल लाइन के 20 प्रतिशत भाग की कुल उपयोगिता की निर्धारित समय सीमा से समाप्त हो चुकी है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि रेल तंत्र की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए रेल लाइन को बदले जाने के बाकी बचे काम को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? रेल सुधार समिति और न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता में गठित व्यय समीक्षा समिति ने भी सभी पुरानी पड़ चुकी रेल लाइनों को बदलने की सिफारिश की थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, प्रश्न रेल लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में है।

श्री बसुदेव आचार्य : जी हां, महोदय, यह लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या अगले बजट में रेल लाइनों के नवीकरण के लिए पर्याप्त आबंटन किया जाएगा।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) एक ही प्रकार की लाइन किए जाने से सम्बन्धित है। महोदय 12,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च करके लगभग 11,000 करोड़ किलोमीटर से अधिक रेल लाइनों को बदला जा चुका है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि 11,000 किलोमीटर के आमान परिवर्तन पर किए गए पूंजी निवेश से क्या प्रतिफल हासिल हुआ है ?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि सुरक्षा आयोग ने 25,000 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी जोकि अगले पांच वर्षों के लिए रेल पथ के नवीकरण के लिए थी। इसका अर्थ है कि हमें एक साथ 15,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

महोदय, अन्य प्रश्न बड़ी लाइन में परिवर्तन के बारे में था। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमने मीटर लाइन और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम किया तो इसके साथ-साथ उस समय रेल पथ नवीकरण कार्य भी पूरा किया गया। यदि हमें एक बार में पूरा धन मिले तो इसे कर सकते हैं। इसलिए यह धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक रेलवे के आमान परिवर्तन और ट्रेक रिन्यूवल का संबंध है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से हिमाचल में नाममात्र काम हुआ है। मैं उस सदन का सदस्य था और माननीय दिग्विजय सिंह जी भी वहाँ सदस्य थे, तब मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जोगिन्दरनगर, पठानकोट रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि वहाँ जो नैरोगेज है वह बहुत पुराना हो गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा

कि क्या आने वाले समय में सरकार इस बात पर विचार करेगी कि हिमाचल में भी आमान परिवर्तन किया जाए, भले ही जोगिन्दनगर, पठानकोट हो या शिमला, कालका हो।

कुमारी ममता बनर्जी : आपको जानकर खुशी होगी कि हमें मालूम है, हमारे माननीय सदस्य को भी पता है। युनेस्को ने जो हेरिटेन ट्रेन डिक्लेयर की है, वह वर्ल्ड फेमस है, उसमें कालका मेल और दार्जिलिंग भी है। हम उसे डेवलप करने के लिए कोई पैकेज बना रहे हैं। आपने पठानकोट और हिमाचल के बारे में कहा है। हिमाचल अच्छा, सुन्दर और टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, इसलिए इस पर हमारा स्पेशल ध्यान है और आगे भी रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मैं और अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मंत्री महोदय के उत्तर में पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और हम रेल बजट की रेल माँगों पर भी चर्चा करेंगे। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। अब प्रश्न संख्या 364।

इंडियन एयरलाइन्स का यूरोप की उड़ानों के लिए प्रस्ताव

***364. श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने यूरोप आदि के लिए अपनी उड़ानें शुरू करने हेतु अनुमति माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो इंडियन एयरलाइन्स का किन-किन गंतव्य स्थानों तक अपनी उड़ानें शुरू करने का विचार है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा कोई निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने जर्मनी, इटली तथा मानचेस्टर के लिए सेवाएँ प्रचालित करने के संबंध में सिद्धांतरूप में सरकार के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) नई नागर विमानन नीति तैयार करते समय इस मामले पर विचार किया जाएगा कि क्या इंडियन एयरलाइन्स को यूरोप तथा यू. के. के लिए लांग-हॉल मार्गों पर सेवाएँ प्रचालित करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इंडियन एयरलाइंस ने यूरोप आदि के लिए उड़ाने करने हेतु अनुमति मांगी है। यदि हां तो इंडियन एयरलाइंस का किन-किन स्थानों तक उड़ाने करने का भविष्य में विचार है? इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, इस मामले में सरकार द्वारा कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

प्रो. चमन लाल गुप्त : इंडियन एयरलाइंस ने जर्मनी, इटली और मेनचेस्टर के लिए अपनी विमान सेवा शुरू करने के सरकार से सिद्धान्त रूप से अनुमति माँगी थी। नई नागर विमानन नीति तैयार करते समय इस मामले पर विचार जाएगा कि क्या इंडियन एयरलाइन्स को यूरोप तथा यू. के. लिए लाँग-हॉल मार्गों पर अपनी विमान सेवाएँ शुरू करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : सर, इंडियन एयरलाइंस की बढ़ती अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के मद्देनज़र सरकार पुराने जहाजों को बदलने या उनके आधुनिकीकरण के लिए भविष्य में क्या कदम उठाने वाली है? दूसरा, इंडियन एयरलाइंस की अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं में 40 वर्ष पुराने जो विमान हैं उनके परिचालकों को ग्राउंड ड्यूटी पर लेने के सुझाव पर क्या सरकार विचार करेगी ताकि इंडियन एयरलाइंस की अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा तरोताजा दिखे। तीसरा, दिल्ली-औरंगाबाद सेक्टर पर बढ़ते विदेशी पर्यटकों के मद्देनजर सरकारी सेक्टर में कोई बोइंग विमान सेवा शुरू करने का सरकार का प्रस्ताव है। इसके बजाय दिल्ली-औरंगाबाद वाया जोधपुर, उदयपुर यह एयर बस सरकार भविष्य में शुरू करने वाली है या नहीं।

प्रो. चमन लाल गुप्त : यह प्रश्न जो ऑनरेबल मैम्बर ने पूछा है इसके बारे में स्थिति यह है कि इंडियन एयरलाइंस के पास बहुत दूर की उड़ाने भरने के लिए जहाज नहीं हैं। वह जहाज या तो हमें लीज़ पर लेने हैं या खरीदने हैं। खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में सिर्फ इंडियन एयरलाइंस ने यह जानकारी प्राप्त की थी कि क्या हम प्रिंसिपली उनको एलाउ कर सकते हैं। हमने कहा है कि प्रिंसिपली जब तक हमारी सिविल-एवीएशन की पॉलिसी तैयार नहीं होती है तब तक हम कोई भी जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हैं। जहाँ तक इन्होंने बाकी सवाल किए हैं मैं समझता हूँ कि वह जवाब के साथ सम्बद्ध नहीं हैं।

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो जवाब आया कि हम यूरोप में भी इस संबंध में विचार कर रहे हैं, यह हास्यास्पद लगता है। आज भी हिन्दुस्तान के कुछ इलाके विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागपुर, रायपुर और उड़ीसा ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर पूरी तरह से उड़ानें नहीं हैं। अगर कुछ है तो छह-आठ घंटों में आराम से आती हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारी ही पूर्ति नहीं हो पाती है और यहाँ पर पुराने जहाज लगे हुए हैं। जैसा हमारे सदस्य महोदय ने अभी कहा कि टूरिज्म के हिसाब से भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए सरकार इनकी व्यवस्था करे और इनके समय में परिवर्तन करे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि इन सेक्टर्स के बारे में मैम्बरों को बुलाकर सरकार यह निश्चित करे कि वहाँ पर कितने जहाज और कितने समय में दिए जा सकते

हैं। माननीय मंत्री महोदय हम लोगों के साथ इस बारे में मीटिंग करें और ऐसे स्थानों को वरीयता दें। इस संबंध में आप अपना निर्देश मंत्री महोदय को दें।

प्रो. चमन लाल गुप्त : यह बहुत अच्छा सुझाव है तथा इस पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया जाएगा।

श्री पी. सी. थामस : इंडियन एयरलाइंस की सेवाएँ मुख्यतः घरेलू क्षेत्रों में ही चल रही हैं। हमारे पास कोचीन में एक 'डॉमेस्टिक एयरपोर्ट' है जिसे भारत सरकार की सहायता के बगैर ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। इस पूरे विमान पत्तन को लोगों मुख्यतः अनिवासी भारतीयों के योगदान और केरल सरकार द्वारा मिलकर बनाया गया है। यह बहुत ही सुन्दर विमान पत्तन है। इंडियन एयरलाइंस सहित कई एयरलाइनें कोचीन से अपनी विमान सेवाएँ चलाना चाहती हैं। इसे अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित न किए जाने के कारण.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि प्रश्न इंडियन एयरलाइंस विमान सेवा की यूरोप के लिए चलाने से संबंधित है; केरल या किसी अन्य स्थान के लिए नहीं।

श्री पी. सी. थामस : मेरा प्रश्न है...मैंने एक पत्र भी लिखा है...क्या इंडियन एयरलाइंस सहित अन्य एयरलाइनों को, जोकि कोचीन एयरपोर्ट से उड़ानें भरना चाहती हैं, उस विमानपत्तन से यूरोप और अन्य विदेशी राष्ट्रों को उड़ानें भरने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रो. चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, इंडियन एयरलाइंस की तरफ से अभी कोई रिक्वैस्ट नहीं आई है। जैसे ही वह आएगी, हम उस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

डॉ. बी. बी. रमैया : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि वे पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विमान उतरने के लिए पहल कर चुके हैं और उन्हें इटली, जर्मनी और मेनचेस्टर से अनुमति भी मिल गई है जबकि देश में इंडियन एयरलाइंस को बहुत सी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है क्योंकि कई मार्गों पर उड़ानें नियमित रूप से नहीं चलती हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि वे अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को आरम्भ करने से पहले देश के सभी मार्गों पर नियमित रूप से विमान सेवा उपलब्ध कराएँगे?

पर्यटन राजस्व अर्जन का बड़ा स्रोत बन गया है। चीन में पंद्रह से बीस मिलियन पर्यटक जाते हैं जबकि हमारे पास केवल दो मिलियन लोग आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर पर्यटन वायु मार्ग से सम्पर्क और वायु मार्गों पर विमान सेवा को नियमित किए जाने से बहुत हद तक प्रभावित होता है। मैं माननीय मंत्री को सूचित करना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश में भी विजयवाड़ा और अन्य विमानपत्तन तैयार हैं और लोग वायुयानों की कमी के कारण यहाँ से विमान सेवा शुरू नहीं कर पा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वे इन सब में किस प्रकार सुधार करेंगे?

[हिन्दी]

प्रो. चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बहुत ही उत्तम सुझाव है। सभी जानते हैं कि टूरिज्म और सिविल एविएशन का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसे-जैसे देश में टूरिज्म बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सिविल एविएशन की आवश्यकता हर जगह महसूस की जा रही है। हमारी भी यह कोशिश होगी कि देश के अन्दर जितने छोटे स्थान हैं, उनको हवाई जहाज के साथ कनैक्ट करें। इसके लिए छोटे जहाज लेने की जरूरत है। यदि कुछ पैसा यहाँ से मिल जाए तो अच्छा होगा लेकिन डिसइनवैस्टमैन की पॉलिसी के थ्रू हम ऐसे साधन जुटा रहे हैं जिससे छोटे हवाई जहाज हमारे पास आएं जाएँ। उस समय हम माननीय सदस्य को पूरी तरह संतुष्ट कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैं मंत्री महोदय से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं। सामान्यतः इंडियन एयरलाइंस घरेलू क्षेत्रों में उड़ानें भरती है और अब वे कुछ पड़ोसी देशों के लिए भी उड़ाने भर रही है। मैं नहीं जानता एयर इंडिया अपनी मानचेस्टर की उड़ान से क्यों हटना चाहती है। इंडियन एयरलाइंस मानचेस्टर तक उड़ान भरने की अनुमति चाह रही है। इंडियन एयरलाइंस एक घाटे में चलने वाली कम्पनी है और एयर इंडिया भी आजकल भारी घाटे में चल रहा है। वरजिन एटलांटिक एयरलाइंस अब संयुक्त क्षेत्र के उद्यम के लिए आ रही है और अब उन्होंने समझौता किया है।

मेरा प्रश्न है, क्या इंडियन एयरलाइंस, जब वे अच्छा व्यापार कर रही है, जब वे अच्छा मुनाफा कमा रही है और विदेश यूरोप, मानचेस्टर आदि तक उड़ानें भरना चाहती है...घरेलू क्षेत्रों को अन्य निजी एयरलाइनों के लिए छोड़ देंगी। क्या यह उनका छिपा एजेण्डा है कि वे कुछ निजी एयरलाइंस के साथ सम्पर्क स्थापित कर रही हैं और इसी कारण विदेशों तक अपनी विमान सेवा चलाने के लिए अपनी घरेलू विमान सेवा के मार्गों को पूरी तरह निजी एयरलाइनों के लिए छोड़ रही है। आपको मूलभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने पर जोर देना चाहिए। आपको एयर इंडिया के ढाँचे को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रयास किए बिना आप इंडियन एयरलाइंस को विदेशों को ले जाने के मूड में हैं। क्या आपका पूरे घरेलू विमान सेवा क्षेत्र को अन्य निजी एयरलाइनों को छोड़ने की योजना है।

[हिन्दी]

प्रो. चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, इसमें कैबिनेट की स्पैसिफिक डायरैक्शन्स है कि फॉरिन एयरलाइंस को डोमेस्टिक रूट्स पर किसी तरह चलने की इजाज़त नहीं होगी। जहाँ तक इंडियन एयरलाइंस का सवाल है प्रिंसिपली वह चाहते हैं कि उनको एलाऊ किया जाए। यदि उनकी कैपेसिटी देश के अन्दर हवाई जहाज चलाने के बाद बन पाई तो उन्हें इजाजत दी जाएगी। वह भी तब दी जाएगी जब सिविल एविएशन की पालिसी कम्पलीट होगी। इस बारे में किसी तरह का शक करने की गुंजाइश नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : एयर इंडिया ने मानचेस्टर से अपनी उड़ान हटा ली है। एयर इंडिया की उड़ानें मानचेस्टर तक जानी चाहिए।

प्रो. चमन लाल गुप्त : एयर इंडिया ने अपनी उड़ान इसीलिए हटा ली क्योंकि उसे भारी घाटा हो रहा था।

श्री के. मलयसामी : मैं भी वही प्रश्न पूछना चाहता था जो मेरे मित्र ने पूछा। फिर भी अब इसका कोई महत्त्व नहीं रहा गया है।

विमानपत्तनों की धावन पट्टियाँ

+

***365. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभिन्न विमानपत्तनों की धावन पट्टियों के सुधार कार्य की ओर पर्याप्त ध्यान दे रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बहुत से विमानपत्तनों की धावन पट्टियों की हालत खस्ता है जिनसे दुर्घटनाएँ हो सकती हैं;

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष धावन पट्टियों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या विमानचालकों ने भी इस संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों पर रनवेज के विस्तार, सुदृढ़ीकरण तथा सुधार के लिए लगभग 174.11 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

(घ) और (ङ) कुछ पायलटों ने मानसून से पहले मुंबई स्थित मुख्य रनवे की घर्षण गुणांक उपयोगिता के संबंध में चिंता जताई थी। घर्षण गुणांक की जाँच पड़ताल की गई और उसे स्वीकार्य सीमाओं के भीतर ही पाया गया।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण धावन पट्टियों की स्थिति को सुधारने के लिए समय और ध्यान नहीं दे रही है। वास्तव में इसके द्वारा जल्दबाजी में बनाई गई योजना से दिल्ली और अन्यत्र हमारी धावनपट्टियों के स्तर में गिरावट आ रही है। पायलट शिकायत कर रहे हैं और दिल्ली की धावन पट्टी संख्या 27 में वायुयान को उतारने में आपत्तियां कर रहे हैं क्योंकि इसे पूर्णतः सुरक्षित नहीं माना जाता है। इस धावन पट्टी की लम्बाई न केवल धावन पट्टी संख्या 28 से कम है अपितु इसकी सतह को भी बहुत ज्यादा खुरदुरा माना जाता है। क्या सरकार इस धावन पट्टी की दशा को सुधारने के बारे में विचार कर रही है?

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उस संबंध में एक शिकायत मिली है जिसमें पॉयलट एसोसिएशन ने कहा है कि मुम्बई रनवे अप टू दी मार्क नहीं है। यह .34 था। आपने जो सवाल किया है उसके अनुसार इस समय जितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है, उन सबका रनवे और जो उनकी शिकायत थी, उसे दूर करके मेनंटिनेंस लेवल पर न्यू सरफेस बनाया है।

श्रीमती श्यामा सिंह : सर, रनवे 27 और 28 नं, है लेकिन 28 डेंजरस है, एअरक्राफ्ट 28 पर लैंड करती है, जबकि नं, 27 पर लैंड करना चाहिए।

श्री शरद यादव : हमने 8 दिनों में उसको मेनटिनेंस लेवल 4.7 पर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मिनिमम वैल्यूज़ होते हैं, उसके हिसाब, से .34 कर दिया है और जो न्यू सरफेस है...

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, दिल्ली का मेन रनवे सरफेस .45 है और सैकण्डरी रनवे 5.4 है।...*(व्यवधान)*...जो स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार बता रहा हूँ। मुम्बई मेन रनवे 4.6 है और सैकण्डरी रनवे .65 है, चेन्नई मेन रनवे .65 है और सैकण्डरी .65 है।

[अनुवाद]

श्री शंकरसिंह वाघेला : वे संतुष्टिप्रद उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रत्येक बार हमें उन्हें यहाँ पर पूर्व तैयारी करके आने के लिए कहना पड़ता है...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, उससे कई गुना ऊपर है। चाहे अप टू दी मार्क नहीं फिर भी बेहतर किस्म का है। कैप्टन अजित सिंह की एक शिकायत थी जिसे हम लोगों ने दुरुस्त करने का काम किया है। जब हवाई जहाज रनवे पर उतरता है तो वैदर के कारण पानी होता है, वह हवाई जहाज के पहिए के रबड़ पर जम जाता है, उसको हटाने के लिए सारी चीज़ों को किया गया है।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन गाड्डे : महोदय, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा विमानपत्तन के बारे में क्या मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कब तक विजयवाड़ा एयरपोर्ट के रनवे की लम्बाई को बढ़ाया जाएगा और क्या वे इस बात से अवगत हैं कि लम्बे समय से विजयवाड़ा एयरपोर्ट से कोई भी उड़ान नहीं हुई है? यदि हां तो, विजयवाड़ा एयरपोर्ट से उडानें कब आरम्भ होगी?

[हिन्दी]

मध्याह्न 12.00

श्री शरद यादव : यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई एयरपोर्ट के रनवे पर कुछ समय पहले दुर्घटना होते-होते बची थी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए रनवे को आधुनिक बनाने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा जो असुविधा यात्रियों को हुई क्या उसके लिए मंत्री जी खेद व्यक्त करते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय अपना उत्तर सदस्य को भेज सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राइफलों/कारतूसों की खरीद

***366. श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय द्वारा हाल ही में एक ऐसी फर्म से अधिक मूल्य पर राइफलों/कारतूसों की खरीद की गई थी, जिसके पास इन मदों का कारोबार करने हेतु उचित तथा वैध लाइसेंस नहीं है तथा इसके कारण राजकोष को 15.94 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले की जाँच कराई गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा रक्षा संबंधी सामग्रियों की खरीद की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) भारतीय सेना द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की राइफलें तथा गोलियाँ समय-समय पर खरीदी जाती हैं। इस प्रश्न में ऐसी राइफलों/गोलियों अथवा उनकी खरीद के समय का कोई उल्लेख नहीं है जिनके संबंध में सूचना वांछित है। तथापि, प्रश्न के पाठ से ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्न सरकार को हुई 15.94 करोड़ रुपये की हानि के बारे में एक लेखापरीक्षा पैरा में उल्लिखित ए के–47 राइफलों तथा इसकी गोलियों की खरीद से संबंधित हैं, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा मई, 1994 में 01 लाख ए के-47 राइफलों और 5 करोड़ गोलियों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय, रक्षा आर्थिक विभाग, सोफिया, बुल्गारिया गणराज्य और इसके प्रतिनिधि मैसर्स टेराटन, बुल्गारिया के साथ एक संविदा की गई थी। संविदा के अनुसार, भारतीय सेना के परीक्षण हेतु ए के–47 राइफल तथा इसके गोलीबारूद के नमूने बुल्गारियाई फर्म द्वारा अग्रिम तौर पर प्रस्तुत किए जाने थे। इस संबंध में विक्रेता के पक्ष में एक अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बुल्गारिया सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था ताकि विक्रेता भारत में नमूने भेज सके। यह प्रमाणपत्र मुहैया कराए जाने के बाद विक्रेता ने 4 ऐ के-47 राइफलें तथा इनकी 4000 गोलियाँ भेजीं। भारतीय सेना ने परीक्षणों के उपरांत राइफलों तथा गोलीबारूद को स्वीकार्य पाया। संविदा पर कार्रवाई करने तथा सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बुल्गारियाई फर्म को बार-बार लिखा गया किन्तु विक्रेता की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

(2) चूँकि बुल्गारियाई विक्रेता से सामग्री प्राप्त नहीं हो पा रही थी, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने अन्य स्रोतों से खरीद संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी तथा दिनांक 01.06.95 से 5 वर्ष की अवधि के लिए निविदा-प्रस्ताव पेश करने के लिए बुल्गारिया के मैसर्स टेराटन पर प्रतिबंध लगाते हुए अनुदेश जारी कर दिए।

(3) जून, 1995 में दो संविदाएँ, एक 01 लाख ए के-47 राइफलों की खरीद के लिए रोमानिया के मैसर्स रोमटेहनिका के साथ तथा दूसरी 50 मिलियन गोलियों की खरीद के लिए डी. पी. आर कोरिया के मैसर्स कॉमिड के साथ, की गई थी।

(4) रोमानियाई विक्रेता ने राइफलों की आपूर्ति कर दी थी किन्तु कोरियाई विक्रेता ए के-47 राइफल की गोलियों की आपूर्ति करने में विफल रहा।

(5) ए के-47 राइफल की 50 मिलियन गोलियों की खरीद के लिए पुनः कार्रवाई करनी पड़ी और रोमानिया के मैसर्स रोमटेहनिका के साथ दिसंबर, 1996 में एक संविदा की गई। इस संविदा के तहत विक्रेता द्वारा गोलियों की सुपुर्दगी कर दी गई है।

(6) 01 लाख ए के-47 राइफलों तथा 50 मिलियन गोलियों की खरीद के लिए आरंभिक संविदा-मूल्य 10.10 मिलियन अमरीकी डालर था परंतु जिस संविदा-मूल्य के तहत आपूर्ति हुई थी वह 16.47 मिलियन अमरीकी डालर था।

(7) लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ इन राइफलों तथा गोलियों की खरीद पर किए गए अतिरिक्त व्यय के संबंध में है।

(8) लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मुद्दों पर लोक लेखा समिति के विचारार्थ एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत कर दिया गया है।

संविदाएँ क्रियान्वित न होने के मद्देनजर, मैसर्स टेराटन बुल्गारिया पर दिनांक 01.06.1995 से 5 वर्ष की अवधि के लिए निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा फरवरी, 1998 में यह भी निर्णय लिया गया है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की किसी भी फर्म अथवा संगठन के साथ अगले आदेशों तक किसी भी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएँगे। मैसर्स टेराटन, बुल्गारिया तथा मैसर्स कॉमिड, डी. पी. आर. कोरिया पर क्षतिपूर्ति का दावा दायर कर दिया गया है।

अमेरिका और कतर के साथ समझौता

***367. श्री जी. एम. बनातवाला :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया को अमेरिका जाते हुए लंदन से यात्रियों को लेने की अनुमति देने के लिए अमेरिका से बात की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कतर सरकार के साथ 'लैंडिंग राइट्स' संबंधी नए समझौते करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो अतिरिक्त बारम्बारता तथा अतिरिक्त यात्री क्षमताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एअर इंडिया को उड़ानों की संख्या पर कतिपय प्रतिबंधों के अध्यधीन लंदन तथा अमेरिका के बीच सीमित यातायात संबंधी अधिकारों का प्रयोग करने की पहले ही अनुमति है। यद्यपि नवम्बर, 1999 में अमेरिकी प्राधिकारियों के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ताओं के अंतिम दौरे के दौरान भारत की ओर से इन प्रतिबंधों को हटाने संबंधी प्रस्ताव किया गया था, लेकिन कोई सहमति नहीं हो पाई थी।

(ग) और (घ) 10 नवम्बर, 1999 को कतर सरकार के साथ मौजूदा द्विपक्षीय हकदारी में प्रत्येक दिशा में प्रत्येक पक्ष के लिए 1000 सीटें प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 1584 सीटें प्रति सप्ताह करने के विषय में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारतीय वायु सेना में एयर स्क्वाड्रनों की कमी

***368. श्री के. येरननायडू :**
श्री श्रीपाद येसो नाईक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना में एयर स्क्वाड्रनों और पायलटों की काफी समय से कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार युद्धक विंग में पायलटों और अनुरक्षण कार्मिकों और इंजीनियरों के कितने पद रिक्त हैं; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योधी यूनिटों में पायलटों, अनुरक्षण कर्मीदल और इंजीनियरों का संतोषजनक स्तर लगभग शत-प्रतिशत बनाए रखा जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की प्रचालन लागत

***369. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन एक दूसरे के समान है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है;

(ग) दोनों एयरलाइनों के बीच मार्गों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इन निगमों की प्रचालन लागत को न्यूनतम करने और इन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बनाने और व्यावसायिक आधार पर चलाने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस क्रमशः 34 तथा 17 विदेशी गंतव्य स्थलों के लिए उड़ान भरती हैं। केवल सात गंतव्य स्थलों पर ही प्रचालन एक-दूसरे के समान है। सरकार ने दिसम्बर, 1998 में उपलब्ध यातायात अधिकारों का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से अपेक्षित साहचर्य प्रचालन करने के लिए मार्ग-युक्तिकरण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए थे। एयर इंडिया को सभी अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टरों पर सेवाएँ प्रचालित करने के विषय में इंकार-संबंधी प्रथम अधिकार प्राप्त हैं। उक्त दिशानिर्देशनों के आलोक में समय-समय पर एयरलाइन सहयोग संबंधी मुद्दों की समीक्षा की जाती है।

(घ) की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

एअर इंडिया

– अलाभकारी मार्गों में कटौती करके तथा कोर मार्गों पर संकेन्द्रन करके मार्ग युक्तिकरण,

– क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना,

– आय संवर्धन कार्यक्रम का सहारा लेना,

– अलाभकर स्टेशनों के लिए सेवा बंद करना तथा कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में कमी लाना;

– अप्रधानात्मक श्रेणियों में वाह्य भर्ती पर रोक।

इंडियन एयरलाइंस

– विमान-उपयोग में वृद्धि,

– आर्थिक तथा यातायात माँगों के मानदंडों पर क्षमता की तैनाती,

– विपणन प्रोत्साहन

– लागत कटौती संबंधी उपाय यथा विमान अनुरक्षण लागत, ईंधन-प्रबंधन, इंवेंटरी प्रबंधन पर नियंत्रण तथा स्टाफ संबंधी खर्चों पर नियंत्रण।

डी. एम. यू और ई. एम. यू. का उत्पादन

***370. श्री पी. डी. एलानगोवन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल में इस समय ज़ोन-वार कितने डीज़ल मल्टीपल यूनिट और इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट प्रयोग में लाए जा रहे हैं;

(ख) देश में प्रति वर्ष कारखाने-वार कितने डीज़ल मल्टीपल यूनिट और इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिटों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या देश में डी. एम. यू/ई. एम. यू. का उत्पादन वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करता है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) भारतीय रेलों पर इस समय उपयोग में लाए जा रहे इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिटों (ई. एम. यू.) और डीज़ल मल्टीपल यूनिटों (डी. एम. यू.) का ब्यौरा इस प्रकार है :

रेलवे (बड़ी लाइन)	इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट	मुख्य लाइन इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट	डीज़ल मल्टीपल यूनिट
1	2	3	4
मध्य रेलवे	1081	–	15
पूर्व रेलवे	1172	148	18
उत्तर रेलवे	203	130	60
दक्षिण रेलवे	365	–	12
दक्षिण मध्य रेलवे	–	29	63
दक्षिण पूर्व रेलवे	299	61	–
पश्चिम रेलवे	746	129	18
कोंकण रेलवे	–	–	9
मैट्रो रेलवे	144	–	–
जोड़	4010	497	195

रेलवे (बड़ी लाइन)	इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट	मुख्य लाइन इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट	डीज़ल मल्टीपल यूनिट
दक्षिण रेलवे	230	–	–
पश्चिम रेलवे	–	–	3
जोड़	230	–	3

नोट : आँकड़े कोचों की संख्या के हिसाब से हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिटों और डीज़ल मल्टीपल यूनिटों का कारखाने-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	सवारी डिब्बा कारखाना			रेल सवारी डिब्बा कारखाना	बीईएमएल	जैस्सप्स
	ईएमयू	एमईएमयू	डीएमयू	एमईएमयू	ईएमयू	ईएमयू
1996-97	193	108	70	0	9	26
1997-98	164	40	70	12	24	16
1998-99	165	52	60	7	21	27

नोट : आँकड़े कोचों की संख्या के हिसाब से हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी मिलों को सहायता

***371. श्री रामदास आठवले :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता की माँग के राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रतिवर्ष उक्त निधि से किस-किस मिल को सहायता दी गई है;

(ग) क्या इन चीनी मिलों ने इस धनराशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) 1985-86 से आज तक चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण लेने के लिए चीनी यूनिटों से प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) एक सूची विवरण-II में दी गई है जिसमें उन चीनी यूनिटों के नाम दिए गए हैं जिन्हें वर्ष 1996-97 से आज तक आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किए गए हैं और इन यूनिटों द्वारा ऋण की किस्तों का भुगतान करने तथा ऋण के उपयोग की स्थिति और ऋण का उपयोग न करने के कारण जहाँ लागू हैं, दिए गए हैं।

विवरण-I

1985-86 से 1999-2000 (आज की तारीख तक) चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण लेने के लिए प्राप्त हुए आवेदन-पत्र

क्रम संख्या	राज्य	आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11
2.	बिहार	16
3.	गुजरात	09
4.	हरियाणा	04
5.	कर्नाटक	12
6.	महाराष्ट्र	53
7.	मध्य प्रदेश	04
8.	उड़ीसा	01
9.	पंजाब	06
10.	तमिलनाडु	10
11.	उत्तर प्रदेश	89
	कुल	215

विवरण-II

उन चीनी मिलों के नाम जिन्हें वर्ष 1996-97 से 1999-2000 (आज की तारीख तक) के दौरान आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता मंजूर की गई है और ऋण के उपयोग की स्थिति

क्र. सं.	चीनी यूनिट	रिलीज की गई किस्त	उपयोग की स्थिति
वर्ष 1996-97			
1.	मै. श्री कामराज विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि. तालुक कामराज, जिला सूरत, गुजरात	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
2.	मै. दि सरस्वती शुगर मिल्स, यमुनानगर, हरियाणा	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
3.	मै. दि पांडवपुरा एस. एस. के. लि. पांडवपुरा, जिला मांड्या, कर्नाटक	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
4.	मै. श्री पांडुरंग एस. एस. के. लि., श्रीपुर, तालुक मालशिरस, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
5.	मै. बलरामपुर चीनी मिल्स लि. बलरामपुर, जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
6.	मै. रोजा शुगर वर्क्स, रोजा, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
7.	मै. युनाइटेड प्रोविन्सेश शुगर कं. लि., शिवराही, जिला पडरौना उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
8.	मै. डीएसएम शुगर (काशीपुर) लि., काशीपुर, जिला उधमसिंह, नगर उ. प्र.	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
9.	मै. बलरामपुर चीनी मिल्स लि., बभनान, जिला गोण्डा उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
10.	मै. गोविन्द नगर शुगर लि., वाल्टरगंज, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया

क्र. स.	चीनी यूनिट	रिलीज की गई किस्त	उपयोग की स्थिति
वर्ष 1997-98			
1.	मै. सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., गांडेवी, जिला बलसाड, गुजरात	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
2.	मै. दि सरस्वती शुगर मिल्स, यमुनानगर, हरियाणा	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
3.	मै. वाणीविलास को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., हिरियूर, जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक	चीनी मिल के अनुरोध पर 14.8.98 को रद्द कर दी गई।	
4.	मै. उगर शुगर वर्क्स, उगरखुर्द, जिला बेलगाँव, कर्नाटक	मिल ने परियोजना लागत में संशोधन कर दिया है। प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार किया जाना है।	
5.	मै. यशवन्त एस. एस. के. लि., चिन्तामणिनगर थेयुर, हवेली, जिला पुंज, महाराष्ट्र	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
6.	मै. इन्दापुर एस. एस. के लि., महात्मा फुलेनगर, तालुक इन्दापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
7.	मै. अर्जिकयात्रा एस. एस. के. लि., जिला सतारा, महाराष्ट्र	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
8.	मै. विघ्नहर एस. एस. के. लि., निवरुतिनगर, तालुक जुन्नार, जिला पुणे. महाराष्ट्र	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
9.	मै. चन्द्रभागा एस. एस. के. लि., मलदानी, तालुक पंढारपुर, महाराष्ट्र	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
10.	मै. राणा शुगर्स लि., बुटेर सेवियान, बाबा—बकाला जिला अमृतसर, पंजाब	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
11.	मै. खलीलाबाद शुगर्स मिल्स प्रा. लि. खलीलाबाद, जिला बस्ती, उ. प्र.	अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण किस्त रिलीज नहीं की गई।	
12.	मै. गोविन्द शुगर मिल्स लि., ऐरा इस्टेट, जिला लखीमपुर—खीरी, उ. प्र.	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
13.	मै. बजांज हिन्दुस्तान लि., पालियाकलां, जिला लखीमपुर—खीरी, उ. प्र.	किस्त वितरण की प्रक्रिया में है।	
14.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि., गोला गोरखनाथ, जिला लखीमपुर—खीरी, उ. प्र.	—वही—	
15.	मै. बस्ती शुगर मिल्स कं. लि., बस्ती, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
16.	मै. डीएसएम शुगर, रौजागाँव, जिला बारांबकी, उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
17.	मै. सेकसरिया विश्वां शुगर फैक्ट्री लि., बिस्वां, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
18.	मै. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., मनौता, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
19.	मै. सरयू सहकारी चीनी मिल्स लि., बेलरायां, जिला लखीमपुर—खीरी, उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
20.	मै. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सम्पूर्णानगर, जिला लखीमपुर—खीरी, उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया

क्र. स.	चीनी यूनिट	रिलीज की गई किस्त	उपयोग की स्थिति
वर्ष 1998–99			
1.	मै. मोतीलाल पदमपत उद्योग लि., मझौलिया, जिला वेस्ट चम्पारण, बिहार	28.4.99 को पहली रिलीज की गई।	कार्यान्वयनाधीन
2.	मै. हरिनगर शुगर मिल्स लि., हरिनगर, जिला वेस्ट चम्पारण, बिहार	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
3.	मै. रीगा शुगर कं. लि., जिला सीतामढ़ी, बिहार	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
4.	मै. विष्णु शुगर मिल्स लि., गोपालगंज, बिहार	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
5.	मै. औध शुगर मिल्स लि., नरकटियागंज, जिला वेस्ट चम्पारण, बिहार	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
6.	मै. बन्नारी अम्मन शुगर लि., अलायुकोम्बई गाँव, सत्यमंगलम तालुक, तमिलनाडु	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
7.	मै. कनोरिया शुगर एंड मैन्युफैक्चरिंग कं. लि., कैप्टेनगंज, उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
8.	मै. गोविन्द नगर शुगर्स लि., वाल्टरगंज, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
9.	मै. बस्ती शुगर मिल्स, बस्ती, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
10.	मै. आरबीएनएस मिल्स, लक्सर, जिला हरिद्वार, उ. प्र.	27.7.99 को पहली रिलीज की गई	कार्यान्वयनाधीन
11.	मै. तुलसीपुर शुगर कं. लि., तुलसीपुर, जिला बलरामपुर, उ. प्र.	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
12.	मै. के. एम. शुगर मिल्स लि., मोतीनगर, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	7.6.99 को पहली रिलीज की गई	कार्यान्वयनाधीन
13.	मै. सर शादीलाल इन्टरप्राइजेज शामली, जिला मुजफ्फरनगर, उ. प्र.	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
14.	मै. श्री रेनुका शुगर लि., मानोली, जिला बेलगाँव; कर्नाटक	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
15.	मै. मंजारा एस. एस. के. लि., विलासनगर चींचोलीराव (वादी), तालुक/जिला लातुर, महाराष्ट्र	अपेक्षित दस्तावेजों के उपलब्ध न होने के कारण अभी तक रिलीज नहीं की गई।	
16.	मै. श्री वलसाड सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., वलसाड, गुजरात	15.6.99 को पहली रिलीज की गई	कार्यान्वयनाधीन
वर्ष 1999-2000			
1.	मै. ईस्टर्न शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि., मोतीहारी, बिहार	चीनी विकास निधि से मंजूर किए गए ऋण की सरकार समीक्षा कर रही है।	
2.	मै. श्री मारोली विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि.; मारोली, जिला नावासरी, गुजरात	वितरण के लिए अपेक्षित औपचारिकताएँ अभी तक पूरी नहीं की गई हैं।	
3.	मै. दावनगेरे शुगर कं. लि., दावनगेरे, कर्नाटक	—वही—	
4.	मै. बन्नरी अम्मन शुगर्स लि., अलगांची, जिला मैसूर, कर्नाटक	पहली और दूसरी	पूरा उपयोग किया गया
5.	मै. श्री दत्ता एस. एस. के. लि., असुरले—पोर्ले, तालुक पन्हाला, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	वितरण के लिए अपेक्षित औपचारिकताएँ अभी तक पूरी नहीं की गई हैं।	
6.	श्रीगोंडा एस. एस. के. लि., श्रीगोंडा, तालुक श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	—वही—	
7.	एल. एच. शुगर फैक्ट्रीज लि., पीलीभीत, जिला पीलभीत, उत्तर प्रदेश	29.11.99 को स्वीकृत	
8.	गणपति शुगर्स लि., सांगारेड्डी, जिला मेढ़क, आन्ध्र प्रदेश	15.12.99 को स्वीकृत	

टिप्पणी : चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से ऋण दो बराबर किस्तों में वितरित किया जाता है। ऋण मंजूर हो जाने के बाद पहली किस्त का वितरण करने से पहले, चीनी यूनिटों से कई औचारिकताओं/प्रलेखों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। पहली किस्त पूरा उपयोग हो जाने के संबंध में उपयुक्त प्रमाणन के बाद ही दूसरी किस्त रिलीज की जाती है। संबंधित मानीटरिंग एजेंसी अर्थात् आई. एफ. सी. आई./एन. सी. डी. सी. द्वारा ऋण के उपयोग की स्थिति प्रमाणित की जाती है।

[अनुवाद]

सैन्य प्रशिक्षण विनिमय कार्यक्रम

***372. श्री नरेश पुगलिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अमरीका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के साथ सैन्य प्रशिक्षण विनिमय कार्यक्रम निलंबित कर दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अब इन विनिमय कार्यक्रमों को पुनः शुरू कर दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्य कौन से विकल्प खोजे गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के बीच प्रशिक्षण सहयोग, जिसे मई, 1998 में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद स्थगित कर दिया गया था, प्रतिबंधों के आंशिक रूप से हटा लिए जाने के बाद अब पुनः शुरू कर दिया गया है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रशिक्षण सहयोग कार्यक्रम, संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (यू. एस. आई. एम. ई. टी. पी) योजना के तहत है जबकि ब्रिटेन के साथ यह सहयोग यूनाइटेड किंगडम सैन्य प्रशिक्षण सहायता योजना (यू. के. एम. टी. ए. एस) के अंतर्गत है। इस समय, ब्रिटेन तथा अमेरिका के अधिकारी भी वेलिंगटन में रक्षा सेना स्टाफ पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अभी तक आस्ट्रेलिया के साथ प्रशिक्षण सहयोग पुनः शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, आस्ट्रिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

मूलभूत ढांचागत सुविधाएँ

***373. श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के अन्य पर्यटक स्थलों की तुलना में ताज महल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर सड़क, पानी, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के सम्बन्ध में मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए कोई अध्ययन कराया है अथवा कोई योजना बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ग) विश्व के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की मूलभूत ढांचागत सुविधाओं (अवसंरचनात्मक सुविधाओं) के संदर्भ में कोई अध्ययन नहीं कराया गया है और न ही कराए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के नियोजन, संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए पर्यटन मंत्रालय (विभाग) भारत सरकार और यू. एस. नेशनल पार्क सर्विस के मध्य हुए समझौता ज्ञापन की सहायता से आगरा विरासत परियोजना पर एक अध्ययन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ पत्राचार का क्रम जारी रखे हुए आयोग द्वारा की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. आगरा विरासत क्षेत्र समन्वय प्राधिकरण की स्थापना करना।
2. बाह्य वित्तीय सहायता से आगरा हैरिटेज फाउंडेशन की स्थापना।
3. विरासत क्षेत्र के अंतर्गत के स्मारकों की स्थिति, लोगों की जीवन शैली में सुधार तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

सड़कें, जल, विद्युत और परिवहन जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटक परिसरों, मार्गस्थ सुविधाओं जैसी प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों से विचार-विमर्श करके उन्हें प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाना

***374. डा. संजय पासवान :** क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आम जनता में अपारम्परिक ऊर्जा-स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय होने के बावजूद ये उपस्कर आम जनता को उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उपस्करों के वितरण संबंधी विवरण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का राज्यों, विशेषकर बिहार में सौर-ऊर्जा का सुगम वितरण सुनिश्चित करने के लिए किसी योजना पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, आम लोगों के बीच अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत योजनाओं/कार्यक्रमों नामतः राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, बायोमास गैसीफायर प्रदर्शन

कार्यक्रम, बायोमास ब्रिकेटिंग कार्यक्रम, सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम, सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम, सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन और पवन चक्की कार्यक्रम आदि जैसे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इनके अलावा प्रदर्शनियों का आयोजन, बाहरी स्थलों पर प्रचार-कार्य, रेडियो प्रायोजित कार्यक्रमों, टेलीविजन स्पॉट्स/फिल्मों, धारावाहिकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से प्रचार और विज्ञापन जैसे सूचना एवं जनजागरूकता कार्यकलापों के माध्यम से अपारंपरिक ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ख) उन्नत चूल्हों और बायोगैस संयंत्रों जैसी अक्षय ऊर्जा युक्तियाँ विशेष रूप से आम आदमी के लाभ के लिए ही हैं। सरकार की योजनाओं के लाभ और विभिन्न युक्तियाँ देश भर में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा सिक्कम, पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीप समूहों आदि सहित पूर्वोत्तर राज्यों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत सब्सिडी/प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान विभिन्न अक्षय ऊर्जा युक्तियों के लिए कार्यक्रमवार निर्धारित वास्तविक लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियाँ संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित सौर ऊर्जा कार्यक्रमों को बिहार सहित सभी राज्यों में सक्रियता से कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार राज्य में स्थापित की गई सौर ऊर्जा प्रणालियों एवं युक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रमवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियाँ

कार्यक्रम	यूनिट	1996-97		1997-98		1998-99	
		वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियाँ	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियाँ	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियाँ
बायोगैस संयंत्र	सं. लाख में	1.65	1.70	1.75	1.74	1.33	1.5
सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	सं.	2.50	351	300	258	350	302
उन्नत चूल्हा	सं लाख में	25.00	29.60	30	29.3	16	16.8
बायोमास गैसीफायर	मेगावाट	4.00	5.00	6	5.67	2.5	5.77
ऊर्जा पार्क	सं.	72	8	54	54	36	14
सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी	सं.	35,000	50,131	25,000	17,814	25,000	21,315
सौर लालटेन	सं.	10,000	14,971	60,000	46,808	60,000	43,573
सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	कि. वा. पी.	50	84	100	123	100	206
सौर प्रकाशवोल्टीय पंप	सं.	1000	610	1000	528	शून्य	377
सौर जल तापन प्रणालियाँ	मीटर वर्ग संग्राहक क्षेत्र	35,000	40,000	20,000	17,250	25,000	22,181
सौर कुकर	सं.	25,000	26,000	25,000	24,000	25,000	20,000
पवन पंप और हाइब्रिड प्रणालियाँ	सं.	100	98	100	205	200	64
	कि. वा.	10	10	25	24	40	8

विवरण-II

30.11.99 के अनुसार बिहार राज्य में स्थापित की गई प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों का ब्यौरा

क्रम सं.	कार्यक्रम	स्थापित की गई प्रणालियों/युक्तियों की सं.
1.	सौर लालटेन	34,500
2.	घरेलू रोशनी प्रणालियाँ	256
3.	सड़क रोशनी	623
4.	सौर प्रकाशदोल्टीय जल पंपन प्रणालियाँ	118
5.	जल पंपन पवनचक्कियाँ	42
6.	सौर जल तापन प्रणालियाँ	लगभग 2600 वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र
7.	सौर कुकर	लगभग 700

[अनुवाद]

कारगिल की चौकियों का रखरखाव

***375. श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अद्यतन कारगिल संघर्ष को ध्यान में रखते हुए सेना ने वहाँ पर स्थायी सैनिक चौकियाँ बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके लिए यदि कोई कार्य योजना तैयार की गई है तो वह क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से इस संबंध में ब्यौरे देना वांछनीय नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के बफर स्टाक में से अतिरिक्त खाद्यान्नों की बिक्री

***376. श्री नवल किशोर राय :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी गोदामों में गेहूँ और चावल का भंडार निर्धारित बफर स्टाक से अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो सितम्बर, 1999 के दौरान गेहूँ और चावल का कितना भंडार बफर स्टाक से अधिक था;

(ग) बफर स्टाक हेतु गेहूँ और चावल की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या इस अतिरिक्त मात्रा को घरेलू और विदेशी बाजार में बेचने का निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय पूल में 30 सितम्बर, 1999 को बफर स्टाक रखने के मानदंडों की तुलना में चावल और गेहूँ का स्टाक निम्नानुसार है :

(लाख टन में)

जिंस	स्टाक	बफर स्टाक मानदंड	अधिशेष
चावल	88.18	65.00	23.18
गेहूँ	204.05	116.00	88.05

(ग) 9वीं योजनावधि के लिए गेहूँ और चावल हेतु निर्धारित बफर स्टाक का न्यूनतम स्तर निम्नानुसार है :

(लाख टन में)

निम्न तारीख को	चावल	गेहूँ	जोड़
पहली अप्रैल	118.00	40.00	158.00
पहली जुलाई	100.00	143.00	243.00
पहली अक्तूबर	65.00	116.00	181.00
पहली जनवरी	84.00	84.00	168.00

(घ) और (ङ) (i) अच्छी गुणवत्ता का चावल विहित मानदंडों से थोड़ा सा ही अधिक है। निकट भविष्य में घरेलू अथवा विदेशी बाजारों में इसकी बिक्री करने की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

(ii) सरकार के पास केन्द्रीय पूल में गेहूँ का भारी स्टाक है। सभी संभावित उपायों द्वारा पारदर्शी ढंग से इसे निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूँ के मूल्य भारतीय मूल्य से कम से कम 33 % से 50 % सस्ते होने की दृष्टि में वर्तमान आर्थिक लागत पर गेहूँ के निर्यात की संभावनाएँ बहुत कम हैं।

गेहूँ के उठान में तेजी लाने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन प्रक्रिया को उदार बनाया गया है। उदार की गई योजना के अधीन राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियाँ, रोलर फ्लोर मिलें, व्यापारियों/चक्की वालों सहित कोई भी उपभोक्ता भारतीय खाद्य निगम के किसी भी ऐसे डिपो से इस शर्त के अध्यधीन गेहूँ की अपेक्षित मात्रा का उठान कर सकता है कि उठान की जाने वाली मात्रा कम से कम 10 टन हो

और डिपो में गेहूँ का स्टाक उपलब्ध हो। गेहूँ के अंचलवार निर्गम मूल्य भी कम किए गए हैं जो 3.12.1999 से प्रभावी हैं तथा निम्नानुसार हैं :

क्षेत्र/अंचल	निर्गम मूल्य (रुपये/क्विंटल)
उत्तरी अंचल	688
दक्षिणी अंचल	705
पश्चिमी अंचल	697
पूर्वी अंचल	699

गैसल रेल दुर्घटना की जांच

***377. डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 अगस्त, 1999 को गैसल में हुई रेल दुर्घटना की जांच के क्या परिणाम रहे; और

(ख) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त (सीसीआरएस) द्वारा की गई जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट 16.8.1999 को प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात, न्यायिक जांच के लिए अधिसूचना जारी होने पर सीसीआरएस द्वारा की जा रही उपर्युक्त दुर्घटना की जांच का कार्य रोक दिया गया था। सीसीआरएस ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण 'रेल कर्मचारियों की गलती' बताया था। बहरहाल, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की थी।

उपर्युक्त दुर्घटना की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति जी. एन. रे, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एक सदस्यीय जांच समिति के रूप में नियुक्त किया गया है। इस समय, न्यायिक जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद ही जांच का परिणाम पता चल सकेगा।

इस बीच, केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी यह पता लगाने के लिए कि क्या रेल कर्मचारियों की गलती के पीछे कोई आपराधिक मंशा तो नहीं थी, उपर्युक्त दुर्घटना की जांच कर रहा है।

(ख) न्यायिक जांच तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन

***378. डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री राजो सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या और अधिक उपभोक्ता वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार भी आमंत्रित किए हैं;

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में राज्य सरकारों के क्या विचार हैं;

(छ) क्या देश के सुदूरवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में राशन की मात्रा दुगुनी करने की संभावना की जांच करने हेतु सरकार द्वारा कोई उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी; और

(ज) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) सरकार को मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई खामियाँ होने की सूचनाएँ मिल रही थीं, इसलिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि इसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अधिक सस्ती और उपयोगी बनाया जा सके। इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों, नागरिक समितियों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाता है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन और उपभोक्ता वस्तुएँ शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्संरचित करने/सुदृढ़ बनाने के संबंध में राज्यों से उनके विचार जानने हेतु चर्चा शुरू कर दी है। इस संबंध में जनवरी के मध्य से फरवरी, 2000 के मध्य तक क्रमवार 5 आंचलिक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

(छ) और (ज) विगत में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पहलुओं का अध्ययन किया गया है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अंतिम रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। सरकार ने लगभग 2 वर्ष पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएँ अन्यत्र जाने (डाइवर्जन होने) के संबंध में 'टाटा इकानामिक कंसलटेंसी सर्विसेज' से अध्ययन कराया था। इसकी रिपोर्ट पहले ही सरकार के पास मौजूद है। सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कई पहलुओं के संबंध में कई शैक्षिक, पूर्णतया अनुसंधानित निष्कर्ष मौजूद हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के प्रयास में यदि दूसरे अध्ययन की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार इस संबंध में अध्ययन करने और 3-6 महीने की अल्पावधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन करने के संबंध में विचार कर सकती है।

[अनुवाद]

धनराशि जुटाना

*379. **श्री अधीर चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को महंगे हार्डवेयर, जिनकी आवश्यकता रेलगाड़ियों और यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए पड़ती है, को खरीदने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार इन हार्डवेयरों की खरीद करने के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह धनराशि किन स्रोतों से जुटाई जाएगी?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) जी नहीं। जहाँ तक सुरक्षा से संबंधित मदों की खरीद का प्रश्न है, कोई कठिनाई नहीं है। बहरहाल, न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली संरक्षा समीक्षा समिति ने रेलपथ, चलस्टॉक और सिगनल गियरों की गतायु परिसंपत्तियों के बदलाव और नवीकरण का कार्य पूरा न होने की ओर ध्यान दिलाया है और इस बकाया कार्य को पूरा करने के लिए मौजूदा मूल्य पर 15054 करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित है।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए रेलों का विभिन्न प्रकार के उपायों के जरिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने का प्रस्ताव है।

एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स द्वारा सीट क्षमता का उपयोग

*380. **श्री सुशील कुमार शिन्दे :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स अपनी कुल उपलब्ध क्षमता से बहुत कम सीट क्षमता का उपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी कुल क्षमता के प्रतिशत की तुलना में उपयोग में लाई जाने वाली औसत क्षमता कितनी है; और

(ग) इसे बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के दौरान इंडियन एअरलाइन्स तथा एअर इंडिया के औसत सीट गुणक निम्नानुसार थे :

इंडियन एअरलाइन्स	
घरेलू :	64.5 प्रतिशत
अन्तर्राष्ट्रीय	62.3 प्रतिशत
एअर इंडिया	66.9 प्रतिशत

(ग) मार्गों का युक्तिकरण, फ्लाइंग रिटर्नज व फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का सुदृढ़ीकरण, समयबद्ध एवं मार्ग कार्य-निष्पादन की सूक्ष्म मॉनीटरींग और ग्राहक सेवाओं में सुधार आदि जैसे उपाय सीट गुणकों में वृद्धि की दृष्टि के किए गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्य-निष्पादन

3584. **श्री ब्रजमोहन राम :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार आश्वासन योजना, इंदिरा आवास योजना, गरीबी उपशमन योजना और त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के समुचित कार्य-निष्पादन के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और इन योजनाओं के कार्य निष्पादन पर किस तरह निगरानी रखी जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत संघ सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में योजनाओं के समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अलावा इस मंत्रालय ने मैकेनिज्म्स की सहायता से मानीटरिंग की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है जैसे समवर्ती मूल्यांकन, आवधिक रिपोर्टें/विवरणियाँ, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य/जिला/खण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समितियाँ, ग्रामीण विकास के लिए राज्य सचिवों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों का सम्मेलन, विभिन्न समितियों द्वारा समीक्षा।

[अनुवाद]

परियोजना की निगरानी

3585. **श्री राजीव प्रताप रूडी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपार्ट अपने द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु निगरानीकर्त्ता नियुक्त करता है; और

(ख) यदि हाँ, तो निगरानीकर्त्ता की नियुक्ति के लिये क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और कितने ऐसे निगरानीकर्त्ता काम कर रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जी, हाँ।

(ख) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) में निगरानीकर्त्ता होने के लिए 30-65 वर्ष आयु वर्ग के और कपार्ट की विभिन्न योजनाओं के अनुरूप प्रासंगिक योग्यता वाले व्यक्ति को अपने

जीवन वृत्त फार्म के साथ कपार्ट में आवेदन करना होता है। इन फार्मों की नामिका संबंधी समीक्षा समिति द्वारा जांच की जाती है जिसमें कपार्ट मुख्यालयों के सभी मण्डलीय अध्यक्ष और सभी क्षेत्रीय समितियों के सदस्य संयोजक भाग लेते हैं और जिसकी अध्यक्षता निगरानी और मूल्यांकन प्रभाव के प्रभारी उपमहानिदेशक द्वारा की जाती है। समीक्षा के बाद ये विचार के लिए नामिका संबंधी राष्ट्रीय मानक समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

आज की तारीख में कपार्ट में कार्य कर रहे निगरानीकर्त्ताओं की कुल संख्या 396 है।

आर्डर आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण

3586. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रामसागर रावत :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय आर्डर आपूर्तिकर्ता को एन. सी. सी. एफ. और उत्पादकों के साथ पंजीकृत किया गया है अथवा उनके अधिकृत वितरक अथवा डीलर एक विशेष संस्थान के लिए निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक स्थानीय आर्डर आपूर्तिकर्ता सरकारी विभागों को एक ही वस्तु अथवा समान मार्का वस्तु को विभिन्न दरों पर आपूर्ति करते हैं;

(घ) यदि हां, तो सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार की तरह एक ही मार्का के लिए एक ही आपूर्तिकर्ता नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सी. बी. आई. ने एन. सी. सी. एफ. का नामोल्लेख कर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने ब्रांड नाम वाली मदों की आपूर्ति के लिए विभिन्न विनिर्माताओं/वितरकों तथा विक्रेताओं को पंजीकृत किया है। तथापि, जहाँ राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने ऐसी मदों की आपूर्ति के लिए विनिर्माताओं/वितरकों के साथ कोई समझौता नहीं किया है वहां कुछ स्थानीय सप्लायरों को भी आपूर्ति के लिए पंजीकृत किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने किसी संस्था विशेष के लिए किसी वितरक अथवा विक्रेता को पंजीकृत नहीं किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने किसी भी मद विशेष की आपूर्ति के लिए समान शर्तों पर एक से अधिक सप्लायर नियुक्त किए हैं, ताकि केवल एक ही सप्लायर पर निर्भर न रहना पड़े।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को वस्तुओं की आपूर्ति में कुछ अनियमितताओं का आरोप लगाया है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कुछ अधिकारियों तथा सप्लायरों के प्रतिनिधियों के विरुद्ध मार्च, 1999 में एक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की दिल्ली शाखा के दो कर्मचारियों को भी गिरफ्तार (जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया) किया गया था, जिन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

खाद्य भण्डार की उपलब्धता

3587. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूँ की खुला बाजार बिक्री योजना को उदार बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गेहूँ की खुला बाजार बिक्री योजना को उदार बनाने से पहले मूल्य स्थिति तथा केन्द्रीय पूल में खाद्य भंडारों की उपलब्धता की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) जी, हाँ। केन्द्रीय पूल में गेहूं की स्टाक स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात गेहूं की खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) को 1.12.1999 से उदार बनाया गया था और इस योजना के अधीन गेहूं के निर्गम मूल्यों को 3.12.1999 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

जोन	पूर्व के निर्गम मूल्य/प्रति क्विंटल	संशोधित निर्गम मूल्य/प्रति क्विंटल
उत्तरी	690 रुपये	688 रुपये
दक्षिणी	747 रुपये	705 रुपये
पश्चिमी	725 रुपये	690 रुपये
पूर्वी	748 रुपये	699 रुपये

भारतीय खाद्य निगम को किसी भी उपभोक्ता/व्यापारी को मांग पर गेहूं की आपूर्ति करने के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं बशर्ते उठान की गई न्यूनतम मात्रा 10 टन हो और गोदाम विशेष में गेहूं की उपलब्धता हो।

अप्रयुक्त विमानपत्तन

3588. श्री समर चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में फैले अप्रयुक्त विमानपत्तनों के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या त्रिपुरा सरकार ने खोवाई विमानपत्तन की भूमि को सार्वजनिक उपयोग में लाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) त्रिपुरा राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि का उपयोग करने की दृष्टि से खोवाई विमानक्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण करने संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एक नई नागर विमानन नीति तैयार की जा रही है जिसके अनुसार देश भर में फैले परित्यक्त विमानक्षेत्रों से संबंधित मसले को लिखकर भेजा जाएगा।

रेलगाड़ियों की गति

3589. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन रेलगाड़ियों को जिनकी गति अपने गंतव्य स्थान तक गति ब्रॉडगेज पर 55 कि. मी. प्रति घंटा और मीटर गेज पर 45 कि. मी. प्रति घंटा से अधिक है, अनुपूरक प्रभार को उगाहने के प्रयोजन से सुपरफास्ट ट्रेन घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग की उक्त नीति को सभी जोनल रेल कार्यालयों द्वारा वास्तविक भावना से लागू किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गति मानदंड और अधिप्रभार की राशि सभी भारतीय रेलों पर एक समान है। बहरहाल, खंड विशेष पर यातायात के स्वरूप और मांग को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मामले के गुण-दोष के आधार पर छूट दी जाती है।

वस्तुओं का वायदा व्यापार

3590. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायदा व्यापार के अंतर्गत कितनी वस्तुएँ सम्मिलित हैं; और

(ख) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) निम्नलिखित वस्तुओं के भावी सौदा व्यापार की अनुमति दी जाती है :

1. काली मिर्च (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय)
2. हल्दी
3. एरंड बीज
4. एरंड तेल (अंतर्राष्ट्रीय)
5. गुड़
6. आलू
7. हेसियन
8. टाट
9. कपास
10. कॉफी
11. सोयाबीन
12. सोयाबीन का तेल
13. सोयाबीन का आटा

हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित अतिरिक्त वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार की अनुमति देने का निर्णय लिया है :

1. चावल की भूसी, उसका तेल और खली
2. रेपसीड/सरसों, उसका तेल और खली
3. मूंगफली, उसका तेल और खली
4. सूरजमुखी, उसका तेल और खली
5. बिनौला, उसका तेल और खली
6. कोपरा/नारियल, उसका तेल और खली
7. तिल, उसका तेल और खली
8. कुसुम बीज, उसका तेल और खली
9. आर. बी. डी. पामोलीन

(ख) वायदा बाजार आयोग अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ बराबर संपर्क साधे रहता है तथा अपराधियों के खिलाफ राज्य पुलिस मुकदमें चलाती है।

स्कीमों और योजनाओं का मूल्यांकन

3591. श्री विजय संकेश्वर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ग्रामीण विकास की स्कीमों और योजनाओं का क्रियान्वयन के दौरान और पूरा होने के बाद कोई मूल्यांकन करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन स्कीमों के परिणामस्वरूप ग्रामीण जीवन में कितना सुधार हुआ है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों को अनुदान और स्कीमों के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) जी, हां। यह मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वियन, प्रभाव और पहुंच कर अध्ययन करने के लिए उनका समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करता है। अब तक मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित, स्वतंत्र अनुसंधान संस्थाओं की मदद से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के पांच दौर, जवाहर रोजगार योजना के समवर्ती मूल्यांकन के दो दौर और स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण का एक त्वरित मूल्यांकन किया गया है। मंत्रालय ने विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के सम्पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बारह प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी किये हैं। इसके अतिरिक्त, इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना का समवर्ती मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव आकलन अध्ययनों से पता चला है कि इन योजनाओं के फलस्वरूप ग्रामीण जीवन में सर्वांगीण सुधार हुआ है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के पांचवें दौर से यह पता चलता है कि 84.96 प्रतिशत पुराने लाभार्थी परिवारों ने 6400/- रुपए की पिछली गरीबी रेखा पार कर ली है जबकि उनमें से 46.34 प्रतिशत ने 11000/- रुपए की संशोधित गरीबी रेखा को पार कर लिया है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र को योजनाओं के लाभ और अनुदान को सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय ने निगरानी तंत्र की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) आवधिक प्रगति रिपोर्टें/विवरणियाँ।

(2) राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का गहन निरीक्षण।

(3) मंत्रालय की क्षेत्र अधिकारी योजनाएँ।

(4) विभिन्न समितियों द्वारा समीक्षा यथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति।

(5) समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव आकलन अध्ययन।

(6) उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्टें।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम/योजनाओं के कार्यान्वयन को और अधिक कारगर बनाने के लिए राज्य/जिला/ब्लाक स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियाँ बनाने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का कार्य-निष्पादन

3592. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी और 20 जून, 1999 के 'पंजाब केसरी' में 'पर्यटन विकास निगम का होटल डिवीजन डूबता जहाज' और 'भारतीय पर्यटन निगम में कहीं अंकुश नहीं' शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की/किए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कम्पनी की कार्य निष्पत्ति से संबंधित विशेष शिकायतों और सुझावों पर भी भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है।

दिल्ली-भुवनेश्वर वायु मार्ग पर एयर बस सेवा

3593. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली वायु मार्ग पर एयरबस सेवा प्रदान करने के संबंध में कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सेवा को किस तारीख से शुरू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) चूंकि अतिरिक्त ए-320 विमान उपलब्ध नहीं है तथा इस समय भुवनेश्वर पर एक बोइंग विमान से पर्याप्त रूप से सेवा प्रचालित की जा रही है, इसलिए इस समय विमान को बदलने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

वैगनों की आपूर्ति

3594. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेल के तहत वे रेल स्टेशन कौन-कौन से हैं जहां वैगनों को शामिल किया गया है, तथा प्रत्येक स्टेशन द्वारा वैगनों की कितनी मांगें की गई थीं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्टेशन को कितने वैगन की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या देवास, इंदौर, उज्जैन, नागदा तथा रतलाम स्टेशनों द्वारा की गई वैगनों की मांग को पूरा करने में रेल असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में मांगों को पूरा करने हेतु रेल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेलवे ने अप्रैल से नवम्बर 99, की अवधि के दौरान देवास, इन्दौर, उज्जैन, नागदा और रतलाम स्टेशनों से अप्रैल-नवम्बर, 98 की अवधि की दौरान माल डिब्बों की 12751 की तुलना में 17339 माल डिब्बों का संचलन किया है जिसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। रेलें भविष्य में भी मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए पूर्णतया तैयार हैं।

विवरण

(क) और (ख) पश्चिम रेलवे पर 76 बड़ी लाइन तथा 30 मीटर लाइन की साइडिंगों के अलावा बड़ी लाइन के 184 तथा मीटर लाइन के 16 गुड्स शेड हैं। प्रत्येक लदान स्टेशन/साइडिंग पर तीन वर्षों के मांगपत्रों तथा आपूर्तियों से संबंधित आकड़े बहुत अधिक मात्रा में होंगे। पश्चिम रेलवे पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्टेशनों/साइडिंगों के संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

स्टेशन/साइडिंग	कुल लदान 1996-97	31 मार्च, 97 को बकाया	कुल लदान 1997-98	31 मार्च, 98 को बकाया	कुल लदान 1998-99	31 मार्च, 99 को बकाया
पश्चिम रेलवे : बड़ी लाइन						
चंदेरिया	13140	600	8030	–	6205	–
निंबाहेड़ा	11680	–	12045	–	9490	–
जावेद रोड़	12045	–	14235	–	19345	–
संभूपुरा	12410	100	13980	–	14965	158
गांधीधाम	24820	13533	37595	4249	23360	10354
बंगारग्राम	21170	–	14965	100	35770	300
ब्यावर	–	–	7665	–	13140	–
कृंभको	53431	–	60412	–	49686	–
मोरख	32036	–	25365	–	30105	–
साददेवी	15682	–	65085	–	19646	–
लखेरो	9356	–	12336	–	15212	–
बांद्रा	40163	–	38648	–	40732	–
बझवा	14140	–	11890	–	11520	–
भड़ौच	25897	–	27739	–	30723	–
पश्चिम रेलवे : मीटर लाइन						
गांधीधाम	3650	1226	1460	562	2190	1532
पराखी रोड़	14208	–	3420	–	2976	–
भावनगर	8332	152	11706	70	11462	192
चंदेरिया	12045	24	10586	–	14236	48
निंबाहेड़ा	19345	46	16790	–	21170	–
जावेद रोड़	28470	48	31025	–	35770	412
नसीराबाद	8030	–	13505	–	18615	48
संभूपुरा	10585	–	11315	–	12410	120

पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे पर कुल लदान तथा बकाया मांगपत्रों के समग्रतः ब्यौरे भी नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	कुल लदान		वर्ष के अंत में बकाया मांगपत्र	
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1996-97	1012284	444826	22841	8442
1997-98	1162907	374343	7217	6216
1998-99	1221455	343692	17935	7548

पनधारा योजना

3595. श्री रामानन्द सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में पनधारा योजना की स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत जिले में कितने कृत्रिम जलाशय और स्टॉप-डैम बनाए गए हैं और कितनी एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया गया है;

(ग) इस पनधारा योजना के जरिए कितने ग्रामों में जलस्तर को बढ़ाया गया है; और

(घ) राज्य में इस योजना के अंतर्गत चारा-उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सौर कुकर पर राजसहायता

3596. श्री विजय गोयल : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सौर कुकर पर कोई राजसहायता देती है;

(ख) यदि हाँ, प्रत्येक घरेलू सौर कुकर पर कितनी राजसहायता दी जा रही है;

(ग) देश में सौर कुकर की बिक्री का कार्यभार कितनी एजेंसियों को सौंपा गया है; और

(घ) सौर कुकर का उपयोग करने के संबंध में घरेलू क्षेत्र में जागरूकता का स्तर क्या है और इस समय देश में कितने प्रतिशत लोग सौर कुकर का उपयोग कर रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा 1994 से सौर कुकरों पर सीधे कोई भी आर्थिक राजसहायता प्रदान नहीं की जा रही है। इसकी बजाय, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की ब्याज आर्थिक राजसहायता के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था तथा कुछ बैंकों द्वारा अब ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सौर कुकरों से संबंधित विभिन्न संवर्द्धनात्मक कार्यकलापों के लिए राज्य अक्षय ऊर्जा विकास संस्थाओं को अनुदान भी दिए जा रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय आर्थिक राजसहायता को वापस लिए जाने के बाद सौर कुकरों की बिक्री मुख्यतया विनिर्माताओं द्वारा सीधे ही अपने स्वयं के नेटवर्क के माध्यम से की जा रही है। सौर कुकरों के निर्माण और बिक्री में लगभग 30 विनिर्माता शामिल हैं। सौर कुकर की बिक्री बढ़ाने में लगभग 12 राज्य एजेंसियाँ, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन भी संलग्न हैं। इसके अलावा, मंत्रालय की वित्तीय सहायता से विभिन्न शहरों में स्थापित 15 आदित्य सौर दुकानें भी सौर कुकरों सहित अनेक अक्षय ऊर्जा उत्पादों को बेच रही हैं।

(घ) अब तक देश में घरेलू उद्देश्यों के लिए लगभग 480,000 बॉक्स टाइप सौर कुकर बेचे जा चुके हैं। वर्तमान में देश में सौर कुकरों का उपयोग करने वाले लोगों का प्रतिशत परिवारों की संख्या की तुलना में बहुत ही कम है। यह अंशतः इसलिए है कि परिवारों में इनके बारे में जनजागरूकता का स्तर निम्न है। सौर कुकरों के लाभों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय, राज्य नोडल एजेंसियों तथा अन्य निकायों की सहायता से प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, कुकिंग प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से प्रचार एवं जनजागरूकता अभियानों में सहायता कर रहा है। स्व-रोजगार कामगार जो सौर कुकरों को लोकप्रिय बनाएँगे और कुकरों की बिक्री, मरम्मत में सहायता करेंगे, उनकी सहायता के लिए एक योजना इस वर्ष शुरू की गई है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

3597. श्री मानसिंह पटेल :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में खरीदा गया गेहूँ और चावल, पर्याप्त भण्डारण गृह क्षमता के अभाव में खुला पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अगामी रवि फसल के मौसम के पश्चात गेहूँ और चावल के समुचित भण्डारण के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितना खाद्यान्न बर्बाद हुआ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। चावल के स्टाक का भण्डारण खुले में नहीं किया जाता है। तथापि गेहूँ और धान का अस्थाई भण्डारण कवर एंड प्लिंथ (कैप) में किया जाता है जोकि भण्डारण की एक वैज्ञानिक विधि है। भारतीय खाद्य निगम के पास मैक्रो स्तर पर पर्याप्त भण्डारण क्षमता है। 78 प्रतिशत उपयोगिता सहित 40.50 लाख टन के स्टाक के प्रति भारतीय खाद्य निगम के पास 1.11.1999 को स्थिति के अनुसार कैप क्षमता 51.77 लाख टन है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के रबी/खरीफ वसूलियों के भण्डारण के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं। 1.11.1999 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की अपनी भंडारण क्षमता मार्च, 1999 में 233 लाख टन से

बढ़ाकर 245.46 लाख टन कर दी है। वैज्ञानिक तरीकों में स्टाक का परिरक्षण करने के लिए कृन्तक और नमी रहित गोदाम बनाकर और मौसम के उतार-चढ़ाव से कैप (खुले) में रखे गए खाद्यान्नों का बचाव करते हुए उन्हें पोलेथिन कवरों मीनोफिलामेंट जाली, कवर टॉप्स और ऐसी ही वस्तुओं से कवर किया जाता है। नियमित रूप से कीट नियंत्रण उपाय भी किए जाते हैं और रोगनिरोधी और रोगहर उपचार के लिए प्रत्येक भण्डारण स्थान पर रसायन की पर्याप्त मात्रा भी रखी जाती है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम में पर्याप्त भण्डारण क्षमता की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान असामान्य हानियों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

चंडीगढ़-लुधियाना रेल लाइन का निर्माण

3598. श्री पवन कुमार बंसल :
श्री सिमरनजीत सिंह मान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित चंडीगढ़-लुधियाना रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने में देर होने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना के कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप प्रगति की जाएगी। अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

3599. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन में जामनगर-हापा-जामनगर-द्वारका ओखा लाइन पर वर्ग II, III और IV के अधिकारियों के लिए कितने सरकारी क्वार्टर हैं और ये कहाँ-कहाँ स्थित हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1995 से 31 अक्तूबर, 1999 के दौरान कितने सरकारी क्वार्टरों का निर्माण किया गया और उन्हें कर्मचारियों को आवंटित किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान, बिना बारी के आवंटन से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पश्चिमी रेलवे के राजकोट मंडल के जामनगर-हापा और जामनगर-द्वारका-ओखा खंडों के विभिन्न स्थानों पर श्रेणी II, III और IV के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों की संख्या 1281 है।

(ख) 1.1.1995 से 31.10.1999 तक श्रेणी III के लिए 11 यूनिट और श्रेणी IV के लिए 21 यूनिट क्वार्टरों का निर्माण किया गया था। ये सभी क्वार्टर कर्मचारियों को आबंटित किए जा चुके हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अपारम्परिक ऊर्जा के लिए वित्तीय सहायता

3600. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं, आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा के लिए राज्यों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) 31 मार्च, 1999 तक उत्तरी बंगाल में इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) सातवीं, आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) उत्तरी बंगाल क्षेत्र सहित पश्चिम बंगाल राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत की गई प्रगति विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

सातवीं, आठवीं और नौवीं योजनावधि के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के मुख्य कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	7वीं योजना	8वीं योजना	9वीं योजना
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6.52	46.27	18.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.12	22.05	8.14
3.	असम	3.24	3.91	2.19
4.	बिहार	9.88	10.06	3.34
5.	गोवा	0.57	0.80	0.95
6.	गुजरात	35.04	53.15	13.33

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	9.26	12.40	5.10
8.	हिमाचल प्रदेश	11.34	18.08	11.72
9.	जम्मू व कश्मीर	1.73	5.72	2.97
10.	कर्नाटक	18.87	41.90	17.43
11.	केरल	6.05	13.46	3.51
12.	मध्य प्रदेश	15.89	39.26	17.53
13.	महाराष्ट्र	94.07	59.27	14.66
14.	मणिपुर	0.41	2.14	2.19
15.	मेघालय	0.36	2.90	0.89
16.	मिजोरम	0.37	13.14	12.84
17.	नागालैंड	0.19	3.24	0.89
18.	उड़ीसा	13.98	25.81	10.62
19.	पंजाब	10.97	17.48	9.55
20.	राजस्थान	13.74	18.41	8.12
21.	सिक्किम	0.31	4.97	5.95
22.	तमिलनाडु	36.60	37.10	6.92
23.	त्रिपुरा	0.07	1.12	1.59
24.	उत्तर प्रदेश	44.64	116.75	26.89
25.	पश्चिम बंगाल	12.45	23.15	15.04
26.	अंडमान व निकोबार	0.18	0.82	0.22
27	चंडीगढ़	0.39	1.05	0.31
28.	दादर व नगर हवेली	0.03	0.08	0.02
29.	दमन व दीव	0.00	0.02	0.03
30.	दिल्ली	3.07	6.56	0.74
31.	लक्षद्वीप	0.10	0.05	0.57
32.	पांडिचेरी	0.18	0.42	0.16
33.	अन्य	44.13	23.24	11.87

विवरण-II

30.11.99 की स्थिति के अनुसार उत्तरी बंगाल क्षेत्र सहित बंगाल राज्य में स्थापित विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों का ब्यौरा

क्रम सं.	प्रणालियाँ/युक्तियाँ	स्थापित की गई प्रणालियों/युक्तियों की संख्या
1.	बायोगैस संयंत्र	1.54 लाख
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	43 संख्या
3.	उन्नत चूल्हा	25.85 लाख
4.	सौर लालटेन	3188 संख्या
5.	सौर घरेलू रोशनी प्रणालियाँ	6893 संख्या
6.	सड़क रोशनी प्रणालियाँ	1227 संख्या
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	116 किवा. पीक वाले 14 संयंत्र
8.	सौर कुकर	600 संख्या
9.	सौर जल पंप	46 संख्या
10.	ऊर्जा पार्क	5 संख्या
11.	बायोमास गैसीफायर	3 संख्या/1.30 मेगावाट
12.	लघु जल विद्युत	सिद्रापोंग, जुबली, सिंगतम, फाजी, लिटल रंगीत, रिनचिंगटन, खरे खोला, कोल खोला, रूम्समोल और सेदार्स में 7.9 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली 9 परियोजनाएँ

कर मुक्त दुकानों का खोला जाना

3601. श्री जी. एस. बसवराज : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिलहाल किन-किन जगहों पर कर मुक्त दुकानें चल रही हैं;

(ख) क्या आई. टी. डी. सी. विश्व नेता जर्मनी के हनीमन के सहयोग से कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कुछ और कर मुक्त दुकानें खोल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप देश को कितना लाभ होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) फिलहाल, भारत पर्यटन विकास निगम, दिल्ली, मुंबई, चैन्नेई, कलकत्ता, तिरूवनंतपुरम और गोवा के छः अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानें चला रहा है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, कालीकट और वाराणसी के हवाई अड्डों पर नौ नई शुल्क मुक्त दुकानों को खोलने का ठेका दिया है।

(घ) चूंकि शुल्क मुक्त दुकानों का सभी कारोबार विदेशी मुद्रा में होता है अतः नई शुल्क मुक्त दुकानें खोलने से विदेशी मुद्रा से देश लाभान्वित होगा। भारतीय माल की बिक्री से, भारतीय वस्तुओं के आयात और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा।

[हिन्दी]

जोधपुर के लिए दैनिक उड़ान

3602. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-जयपुर-जोधपुर और मुम्बई तक के लिए दैनिक विमान सेवाएं आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इस समय इन स्थानों को निम्नलिखित मार्गों पर प्रचालित उड़ानों के अन्तर्गत लाया जाता है :

इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर

दिल्ली-जयपुर-जोधपुर तथा वापसी (सप्ताह में एक बार)

दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-जैसलमेर-जयपुर-दिल्ली (सप्ताह में तीन बार)

दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-मुंबई तथा वापसी (दैनिक)

मुंबई-उदयपुर-जयपुर तथा वापसी (सप्ताह में तीन बार)

मुंबई-उदयपुर-जोधपुर तथा वापसी (सप्ताह में चार बार)

कलकत्ता-जयपुर-अहमदाबाद-कलकत्ता (सप्ताह में तीन बार)

कलकत्ता-अहमदाबाद-जयपुर-कलकत्ता (सप्ताह में तीन बार)

जेट एयरवेज

दिल्ली-जयपुर तथा वापसी (दैनिक)

दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-मुंबई तथा वापसी (दैनिक)

एयरलाइन आपरेटर उन मार्ग्-संवितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों जिनके अनुसार मार्गों की विशिष्ट श्रेणियों के अन्तर्गत कतिपय न्यूनतम प्रचालनों के सम्बन्ध में व्यवस्था है का अनुपालन करते हुए अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर उक्त स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

टोकनलैस ब्लाक प्रणाली

3603. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सालथा साऊथ सेक्शन के सोनारपुर कैनिंग लाइन में टोकनलैस ब्लॉक प्रणाली अब भी विद्यमान है;

(ख) क्या इस प्रणाली को हटाने के लिए पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक हटाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इस समय पूर्व रेलवे के सोनापुर-केनिंग खंड में एकल लाइन टोकन ब्लॉक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली को टोकन रहित ब्लाक प्रणाली से बदलने के कार्य को पूर्व रेलवे के वर्ष 1999-2000 के अनुमोदित कार्यों की सूची में शामिल कर लिया गया है और इसे दिसम्बर 2000 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है।

यात्री सुविधायें

3604. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान रेलों में यात्री सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि खर्च की गई और 1999-2000 के दौरान कितनी राशि खर्च की जाएगी;

(ख) क्या सरकार का विचार द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए सुविधायें बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 1998-99 के दौरान यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु रेलवे द्वारा 110.74 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। 1999-2000 के दौरान 146.67 करोड़ रु. खर्च किए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) द्वितीय श्रेणी के यात्रियों सहित यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था/विस्तार करना और द्वितीय श्रेणी के शयनयान डिब्बों आदि के अभिकल्प में सुधार करना आदि एक सतत् प्रक्रिया है।

रेलवे का निजीकरण

3605. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सबसे बड़े बुनियादी ढांचागत सुविधा क्षेत्र का निजीकरण और निगमीकरण करने के मुद्दे का अध्ययन और उसकी जांच करने के लिए रेलवे का कोई विशेषज्ञ दल गठित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेलवे में समग्र क्षेत्रीय सुधार के संबंध में नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च के महानिदेशक डा. राकेश मोहन की अध्यक्षता में इस मंत्रालय द्वारा रेलवे पर एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है।

इस विशेषज्ञ दल के गठन की शर्तें निम्नलिखित हैं :

(1) भारतीय रेलवे के विस्तार और उन्नयन कार्यक्रम की वित्तीय आवश्यकताओं के आकलन जिससे रेल परिवहन जैसे साधन का अधिकतम उपयोग हो सके और अर्थव्यवस्था की दर में वृद्धि के अनुरूप यातायात में भी वृद्धि में सहायता मिल सके।

(2) 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुमानित निवेश के लिए धनराशि जुटाने के स्रोत और निधि स्रोतों के आकलन के लिए आवश्यक वित्तीय और नीतिगत उपायों और निवेश की प्राथमिकताओं की पहचान करना।

(3) विकसित देशों में रेल परिवहन सुविधाओं के विकास एवं कार्य संचालन की संरचना और स्वामित्व के नमूनों के अध्ययन एवं भारतीय रेलवे की आवश्यकताओं के मद्देनजर उनकी सिफारिश करना जिससे कि उपरोल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

(4) उपयुक्त विनियमन व्यवस्थाओं की सिफारिश करना जिससे कि प्रणाली का नियमित रूप से विस्तार हो सके, प्रतिस्पर्धा के आवश्यक स्तर में सुधार और उपयोगकर्ता की गुणवत्ता सेवा के अधिकार की सुरक्षा करना।

सबरीमाला की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों हेतु विशेष रेलगाड़ियाँ

3606. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 14 दिसम्बर, 1999 से 16 जनवरी, 2000 तक सबरीमाला की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों हेतु विशेष रेलगाड़ियां चलाए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये रेलगाड़ियां किन-किन स्थानों से चलाई जायेंगी;

(ग) क्या रेलवे द्वारा आंध्र प्रदेश से सबरीमाला हेतु चल रही वर्तमान विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा आंध्र प्रदेश में तीर्थयात्रियों की भीड़-भाड़ से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए आंध्र प्रदेश से चलने वाली गाड़ियों सहित निम्नलिखित विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं :

1. 15.11.99 से 17.1.2000 तक, 647/648 चेन्नै सेंट्रल से कोल्लम (प्रतिदिन)

2. 15.11.99 से 15.1.2000 तक, 649/650 बेंगलूर सिटी से कोट्टायम (सप्ताह में तीन दिन)

3. 14.12.99 से 12.1.2000 तक 723/724 हैदराबाद-कोचिन (साप्ताहिक)

4. 14.12.99 से 16.1.2000 तक 725/726 काकीनाडा टाउन से कोट्टायम (सप्ताह में 2 दिन)

(ग) और (घ) ये गाड़ियां यातायात की अतिरिक्त भीड़-भाड़ की पर्याप्त रूप से निकासी कर रही हैं। सबरीमाला के तीर्थयात्रियों के लिए आंध्र प्रदेश से चलने वाली विशेष गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का आधुनिकीकरण

3607. श्री एस. पी. लेपचा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के भाप के इंजन को डीजल इंजन से बदलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलवे का दार्जिलिंग-हिमालयन रेलवे (डी. एच. आर.) को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। आधुनिकीकरण अभियान में अन्य बातों के साथ-साथ डीजल रेल इंजन शुरू करना और इस खण्ड के लिए तेल से चलने वाला आधुनिक भाप इंजन शामिल है। यूनिस्को ने भी घोषणा की कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 'वर्ल्ड-हेरिटेज साइट' के रूप में जाना जाय। इसे देखते हुए विकासात्मक योजनाओं में उसके गौरवशाली पुरातन सहित इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखा जायेगा।

(ग) और (घ) इस खण्ड पर भाप इंजनों को पूर्णतः बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि इस खण्ड में भाप इंजन पर्यटकों के लिए आकर्षण के केन्द्र हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि पर्यटन आकर्षण को कायम रखने तथा हमारी पुरानी विरासत को भी बनाए रखने के लिए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भाप इंजन द्वारा परिचालित की जाती रहेगी, बहरहाल, परिचालन लागतें और यात्रा समय कम करने के लिए इस खंड पर दो डीजल इंजन शुरू किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

संभरकों द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि

3608. श्री शीश रामसिंह रवि :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. ने संभरकों को अपने प्रत्येक प्रस्ताव के साथ पंजीकरण के लिए 10,000 रु. 'जमानत राशि' के रूप में जमा कराने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये संगठन संभरकों को 'जमानत राशि' पर कोई ब्याज दे रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ स्वायत्त सहकारी संगठन हैं। उनके कारबार तथा रोजाना के कार्यकरण से संबंधित अन्य मामलों के बारे में निर्णय करने के लिए स्वयं के निदेशक मंडल हैं। दोनों संगठनों ने सूचित किया है कि वे सप्लायरों की अधिकृत सप्लायर के रूप में नियुक्ति करने के लिए जमानत के तौर पर उनसे एकबारगी पंजीकरण शुल्क के रूप में 10,000 रु. लेते हैं।

(ख) और (ग) "जमानत की जमा राशि" पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य सप्लायरों को घटिया तथा खराब माल को समय से बदल देने, इन संगठनों को जब भी आवश्यकता हो, स्टॉक को फिर से भरने आदि जैसे अनुबंध संबंधी शर्तों से बांधे रखना है।

कालीकट हवाई अड्डे पर प्रयोक्ता शुल्क

3609. श्री टी. गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में कालीकट हवाई अड्डे पर "प्रयोक्ता शुल्क" लेने के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। मालाबार विमानपत्तन विकास कार्रवाई समिति ने 'उपभोक्ता विकास अतिरिक्त शुल्क' वसूलने के तहत मामले को उठाया है। केरल उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है। मामला इस समय न्यायाधीन है।

कालिन्दी एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी की सुविधा

3610. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली कालिन्दी एक्सप्रेस से प्रथम श्रेणी की सुविधा हटा ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को कालिन्दी एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी सुविधा बहाल करने हेतु रेल यात्रियों और जनप्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) कम लोकप्रियता और गाड़ी के रेक को एयर ब्रेक में परिवर्तित करने के कारण 4023/4024 कालिन्दी एक्सप्रेस से प्रथम श्रेणी का डिब्बा हटा लिया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) फिलहाल, कालिन्दी एक्सप्रेस में पुनः प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रेल फाटक

3611. श्री बब्बन राजभर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सलेमपुर और पियकल रेलवे स्टेशनों के बीच अनवापुर रेल फाटक का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां। 'निक्षेप शर्तों' के आधार पर सलेमपुर और पियकल रेलवे स्टेशनों के बीच अनुवापुर में एक नए चौकीदार वाले समपार की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। रेलवे ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को समपार के निर्माण की लागत के लिए 59.95 लाख रुपये और वार्षिक आवर्ती अनुरक्षण के लिए एक बारगी भुगतान तथा परिचालनिक प्रभार रेलों के पास जमा कराने के लिए पहले ही कह दिया था। यह राशि अभी जमा की जानी है। रेलों के पास अपेक्षित राशि जमा करने के बाद कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

एअर इंडिया के लिये महत्वपूर्ण भागीदार

3612. डा. रमेश चंद तोमर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1999 को 'स्टेट्समैन' में सेन्टर टू फाइन्लाइज स्ट्रैटेजिक पार्टनर फार ए.आई.' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने एअर इंडिया को घाटे से निकालने के लिए उसके महत्वपूर्ण भागीदार के बारे में निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का आयात

3613. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री रामसागर रावत :
श्री महबूब ज़हेदी :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाजन समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को कब तक लागू किया जाएगा;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आयात की गई चीनी की मात्रा कितनी है तथा यह किन-किन देशों से आयात की गई तथा इसकी दरें क्या थीं और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में चीनी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए घरेलू उत्पादन और स्टाक पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान से चीनी आयात किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) चीनी के आयात का अर्थव्यवस्था और घरेलू चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(च) क्या चीनी के आयात में हुए घोटाले के संबंध में कोई जांच की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) श्री बी. बी. महाजन की अध्यक्षता में उच्च शक्तिप्राप्त समिति ने चीनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर 141 सिफारिशें दी हैं। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) मिलों के लिए गन्ना क्षेत्रों का आरक्षण स्थायी आधार पर होना चाहिए।

(2) औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रावधान जारी रहने चाहिए और दो चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर के पिछले स्तर पर बनी रहनी चाहिए।

(3) चीनी का पूर्णतया विनियंत्रण। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की आपूर्ति दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर रोक दी जाए। यदि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की आपूर्ति जारी रखना चाहती है तो वह आवश्यक मात्रा उद्योग अथवा व्यापार से खरीद सकती है। मूल्यों के पूर्णतया विनियंत्रण के पश्चात् भी निर्मुक्तियों पर नियंत्रण जारी रहना चाहिए।

(4) गन्ने के मूल्य सांविधिक गन्ना मूल्य निर्धारण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएं।

इस समिति की उपर्युक्त प्रमुख सिफारिशों में से, सरकार ने अब तक चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने से संबंधित समिति की सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है। यद्यपि महाजन समिति ने कुछ सुधारों के साथ लाइसेंसिंग नीति को जारी रखने की सिफारिश की है, परन्तु सरकार महाजन समिति की इस सिफारिश से सहमत नहीं है और इसने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार महाजन समिति की इस सिफारिश से भी सहमत नहीं है कि दो चीनी इकाइयों के बीच की दूरी को 25 किलोमीटर तक बढ़ाया जाए तथा यह निर्णय लिया है कि 15 मिलोमीटर की वर्तमान दूरी सीमा को जारी रखा जाएगा।

महाजन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों, योजना आयोग और केन्द्र सरकार के अन्य विभागों से परामर्श करके कार्रवाई की जा रही है। समिति की इन सिफारिशों के दूरगामी प्रभाव होंगे। इसलिए, समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ख) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान आयात की गई चीनी की मात्रा देश का नाम, आयातित मात्रा, उनके लागत बीमा भाड़ा मूल्य का ब्यौरा विवरण I और II में संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) मार्च, 1994 से चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। आयात की खुले सामान्य लाइसेंस की मद होते हुए, व्यक्तिगत व्यापारी अथवा निगमित निकाय अपने श्रेष्ठ वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर चीनी आयात करने के लिए मुक्त हैं। चूंकि पाकिस्तान पड़ोसी देश है, इसलिए परिवहन लागत कम है। इस तरह से व्यापारियों को पाकिस्तान से चीनी आयात करना अधिक लाभप्रद होगा। सरकार ने चीनी का कोई आयात नहीं किया है।

(ङ) चीनी के उत्पादन और उपभोग के संदर्भ में चीनी के आयात की मात्रा बहुत अधिक नहीं है जैसा कि पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान चीनी के घरेलू थोक और खुदरा मूल्यों के स्थायी रहने से स्पष्ट होता है जैसा कि विवरण III और IV में दिया गया है।

(च) चीनी का आयात करने में कोई घोटाला नहीं हुआ है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले दो वित्तीय वर्षों में देशवार चीनी का आयात

वित्तीय वर्ष 1997-98

क्रम सं.	देश का नाम	मात्रा (टन में)	ला.बी.भा. मूल्य (करोड़ रु. में)
1.	ब्राजील	1,75,936	235.19
2.	पाकिस्तान	33,226	47.71
3.	फ्रांस	30,291	41.80
4.	यू. ए. ई.	29,333	39.45
5.	थाईलैण्ड	20,600	27.42
6.	साउथ अफ्रीका	16,497	23.14
7.	संयुक्त राज्य अमरीका	14,274	18.81
8.	अन्य	26,748	36.73
9.	कुल	3,46,905	470.25

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता।

वित्तीय वर्ष 1998-99

क्रम सं.	देश का नाम	मात्रा (टन में)	ला.बी.भा. मूल्य (करोड़ रु. में)
1.	पाकिस्तान	5,79,073	726.51
2.	ब्राजील	93,245	113.81
3.	यू. ए. ई.	36,407	46.40
4.	थाईलैण्ड	35,547	39.66
5.	मैक्सिको	34,427	49.28
6.	फ्रांस	32,585	45.03
7.	अन्य	46,407	64.26
8.	कुल	8,57,691	1084.95

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता।

विवरण-II

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चीनी का आयात

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान डी. जी. सी. आई. और एस. कलकत्ता के प्रकाशित आंकड़े अप्रैल से अगस्त, 1999 की अवधि के लिए उपलब्ध है। इस अवधि के दौरान 554.47 करोड़ रुपये मूल्य की 5,59,254 टन चीनी का आयात किया गया।

क्रम सं.	देश का नाम	मात्रा (टन में)	ला.बी.भा. मूल्य (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	थाईलैण्ड	2,00,062	198.44
2.	ब्राजील	1,38,088	133.56
3.	पाकिस्तान	56,295	54.33
4.	चीन गणराज्य	91,517	92.50
5.	अन्य	73,292	75.64
6.	कुल	5,59,254	554.47

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता। (अनन्तिम आँकड़े)

विवरण-III

अप्रैल, 1998 से प्रतिमास खुली बिक्री की चीनी के थोक मूल्य

अप्रैल, 1998 से नवम्बर 1999 तक चार प्रमुख महानगरीय बाजारों— दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में प्रतिमास एस-30 वर्ग की चीनी के थोक मूल्यों की रेंज निम्नलिखित हैं :

(रुपये/क्विंटल)

महीना	दिल्ली	मुम्बई	कलकत्ता	चेन्नई	सभी 4 केन्द्र
1998					
अप्रैल	1460-1470	1425-1441	1520-1590	1473-1513	1425-1590
मई	1470-1476	1510	1570-1615	1473-1563	1470-1615
जून	1470-1550	1440-1490*	1585-1610	1413-1473	1413-1610
जुलाई	1500-1550	1463-1500*	1590-1600	1423-1445	1423-1600
अगस्त	1550-1560	1420-1555*	1590-1625	1368-1423	1368-1625
सितम्बर	1560-1600	1398-1480*	1560-1620	1328-1403	1328-1620
अक्तूबर	1560-1600	1449-1495*	1560-1570	1384-1393	1384-1600
नवम्बर	1560-1570	1420-1498*	1540-1560	1366-1398	1366-1570
दिसम्बर	1565-1570	1420-1490*	1540-1580	1368-1393	1368-1580
1999					
जनवरी	1500-1560	1400-1500*	1575-1600	1378-1383	1378-1600
फरवरी	1500-1560	1400-1505*	1580-1600	1378-1393	1378-1600
मार्च	1550-1560	1415-1500*	1540-1560	1383-1423	1383-1560
अप्रैल	1550	1450-1520*	1540-1580	1403-1503	1403-1580
मई	1550-1585	1442-1500*	1565-1580	1393-1473	1393-1585
जून	1560-1585	1420-1460*	1520-1575	1328-1383	1328-1585
जुलाई	1580	1397-1452*	1510-1520	1348-1358	1348-1580
अगस्त	1580	1403-1460*	1490-1550	1338-1353	1338-1580
सितम्बर	1550-1580	1385-1440*	1550-1620	1333-1348	1333-1620
अक्तूबर	1550-1580	1390-1550*	1550-1590	1326-1413	1326-1590
नवम्बर	1560-1570	1385-1490*	1550-1650	1363-1383	1363-1650

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

* मुम्बई के थोक मूल्य इकनामिक टाइम्स से लिए गए हैं।

विवरण-IV

अप्रैल, 1998 से लेकर माहवार खुली बिक्री की चीनी के खुदरा मूल्य

अप्रैल, 1998 से नवम्बर 1999 तक चार प्रमुख महानगरीय बाजारों—दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में प्रतिमाह चीनी के खुदरा मूल्यों की रेंज निम्नलिखित है :

(रुपये/किलोग्राम)

महीना	दिल्ली	मुम्बई	कलकत्ता	चेन्नई	सभी 4 केन्द्र
1998					
अप्रैल	15.00	15.50	16.50-17.00	15.50	15.00-17.00
मई	15.00-15.50	15.25	16.00-17.00	15.50-15.80	15.00-17.00
जून	15.50-16.50	उ. न.	17.00	15.00-15.50	15.00-17.00
जुलाई	16.00-16.50	उ. न.	17.00	15.00	15.00-17.00
अगस्त	16.00	उ. न.	17.00	15.00-15.20	15.00-17.00
सितम्बर	16.00-17.00	उ. न.	17.00	15.00	15.00-17.00
अक्तूबर	16.25-17.00	उ. न.	17.00	15.00	15.00-17.00
नवम्बर	16.00	उ. न.	17.00	14.50-15.00	14.50-17.00
दिसम्बर	16.00	उ. न.	17.00	14.50	14.50-17.00
1999					
जनवरी	16.00	उ. न.	17.00	14.50	14.50-17.00
फरवरी	16.00	उ. न.	17.00	14.50	14.50-17.00
मार्च	16.00	उ. न.	17.00	14.50	14.50-17.00
अप्रैल	16.00	उ. न.	17.00	15.00-15.50	15.00-17.00
मई	16.00-16.50	उ. न.	17.00	14.60-15.50	14.60-17.00
जून	16.00-16.50	उ. न.	16.50-17.00	14.20-14.60	14.20-17.00
जुलाई	16.00-16.50	उ. न.	16.50-17.00	14.20-14.25	14.20-17.00
अगस्त	16.00-16.50	उ. न.	16.00-16.50	14.00-14.20	14.00-16.60
सितम्बर	16.00-16.50	उ. न.	16.50-17.00	14.00	14.00-17.00
अक्तूबर	16.00-16.50	उ. न.	17.00-17.50	14.00-14.50	14.00-17.50
नवम्बर	16.00-16.50	उ. न.	17.00-17.50	14.25-14.50	14.25-17.50

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

राज्यों द्वारा निधियों का दुरुपयोग

3614. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के वास्ते जारी की गई निधि का दुरुपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सबल प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार ने उपभोक्ता न्यायालयों के आधार-ढांचे को मजबूत करने के लिए 61.80 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया है। इस अनुदान राशि को अभी उपयोग में लाया जा रहा है और भिन्न-भिन्न राज्यों में इसके उपयोग की स्थिति विभिन्न चरणों पर है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि का उपयोग स्कीम की शर्तों के अनुसार करने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्य पूरा होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर यह पता लगाया जाएगा कि धनराशि का उपयोग स्कीम के अनुसार हुआ है या नहीं।

[हिन्दी]

कलकत्ता-रांची-पटना क्षेत्र पर दैनिक उड़ानें

3615. श्री राम टहल चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "कलकत्ता-रांची-पटना" की दैनिक उड़ान पर विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एअरलाइन आपरेटर उस मार्ग-संवितरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों जिनके अनुसार मार्गों की विशिष्ट श्रेणियों के अन्तर्गत कतिपय न्यूनतम प्रचालनों के संबंध में व्यवस्था है, का अनुपालन करते हुए अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर किसी भी मार्ग/स्थान को विमान सेवा से जोड़ने के लिए स्वतंत्र है।

[अनुवाद]

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में आरक्षण में धांधली

3616. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच करने के बाद 12 मई, 1998 को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर न केवल आरक्षण के मामले में धांधली की जा रही थी अपितु यात्रियों के साथ मारपीट भी की गई तथा यात्रियों को चोटें भी आई और तत्पश्चात् उन यात्रियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर झूठा मुकदमा चलाया गया;

(ख) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं। 12.5.98 को डॉ. जे. पी. गौड़ नामक एक यात्री का काउन्टर क्लर्क से झगड़ा हो गया था क्योंकि वह गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित खिड़की से सामान्य टिकट की मांग कर रहा था। रा. रे. पु. गाजियाबाद के पास एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें अपराध मामला सं. 110/98 के तहत डॉ. जे. पी. गौड़ के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 और रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 और 146 के अंतर्गत एक आपराधिक मामला दर्ज दिया गया था।

(ख) रेलवे द्वारा जांच के दौरान काउंटर क्लर्क को सौंपे गए कार्य को ठीक से सम्हालने में कुछ अनियमितताएं पायी गई ; इसके परिणामस्वरूप संबंधित क्लर्क के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

(ग) आरक्षण कार्यालयों में जांच एक सतत प्रक्रिया है और सतर्कता एवं वाणिज्यिक विभागों के प्राधिकारियों सहित विभिन्न प्राधिकारियों इत्यादि द्वारा नियमित रूप से जांचें की जाती हैं और जब कभी कोई कर्मचारी अनियमितता करता हुआ पाया जाता है तब अपराध की गंभीरता के मद्देनजर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को सहायता

3617. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उड़ीसा में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में सहायता और पुनर्वास संबंधी कार्य में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार उनके कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा यूनिटों अर्थात् भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, माझागांव डाक लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ने जगतसिंहपुर जिले के ट्राइटोल और बालीकुडा ब्लॉकों तथा गंजम जिले के छत्रपुर सब-डिवीजन के कादुरू एवं कंडारा अर्जीपल्ली गांवों के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से वस्त्र मदें, खाद्य वस्तुएँ, आश्रय संबंधी मदें और दवाइयां मुहैया करवाकर राहत कार्य शुरू किए। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा मुहैया करवाई गई अद्यतन समेकित राहत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(1)	चावल	17500 कि. ग्रा.
(2)	दाल	2650 कि. ग्रा.
(3)	फ्लैट राइस	3 बोरियां
(4)	फ्राइड दाल	1 बोरी
(5)	तेल	150 लीटर
(6)	आलू	1100 कि. ग्रा.
(7)	प्याज	1311 कि. ग्रा.
(8)	इमली	300 कि. ग्रा.
(9)	पोलीथीन शीट	1500 अदद+3 बंडल
(10)	कंबल	40600 अदद
(11)	साड़ियाँ	120 अदद
(12)	धोतियां	120 अदद
(13)	मिनरल वाटर सैचेट	7500 लीटर
(14)	बैड शीट सफेद	872 अदद
(15)	लालटेन	500 अदद
(16)	बर्तन (एल्यूमीनियम ढेगचियां)	38000 अदद
(17)	माचिस	8 कार्टन
(18)	मोमबत्तियां	13 कार्टन
(19)	पुराने वस्त्र	1 कार्टन+216 बोरियां
(20)	नए वस्त्र	4705 मीटर+400 कि. ग्रा.+41 अदद
(21)	नमक	1000 कि. ग्रा.
(22)	गुड़	500 कि. ग्रा.+3 बोरियां
(23)	पोहा	440 कि. ग्रा.
(24)	चीनी	100 कि. ग्रा.
(25)	प्लास्टिक की प्लेटें/गिलास	500 सैट
(26)	स्टील की प्लेटें	500 अदद
(27)	स्टील के गिलास	500 अदद
(28)	सेफ्टी शूज	152 जोड़े
(29)	बॉयलर स्यूट	100 अदद
(30)	जुराबें	1280 जोड़े

(31)	कोट	25 अदद
(32)	पेंट	20 लीटर वाले 269 ड्रम
(33)	स्कूल की मौजूदा इमारत के लिए ए सी सी शीट की छत	84 अदद
(34)	दवाइयां	
(35)	मैट्रेस सिंगल	372 अदद
(36)	शोलापुरी चादर	490 अदद
(37)	रुई का तकिया	130 अदद
(38)	तकिया का कवर	365 अदद

पंचायती राज के अंतर्गत धनराशि

3618. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिय राज्यों को आबंटित की गई धनराशि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष योजनावार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र को बकाया 86.75 करोड़ रुपयों की शेष राशि को अभी तक मंजूरी नहीं दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) शेष धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) और (ख) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना इस मंत्रालय की प्रमुख योजनाएँ हैं जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियाँ कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। संसाधनों की समस्या ही निधियों की अपर्याप्त उपलब्धता का कारण है।

(ग) ज. ग्रा. स. योजना तथा सु. रो. योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय आबंटन निम्नलिखित हैं :

(रुपये करोड़ में)

योजनाएँ	1997-98	1998-99	1999-2000
ज. ग्रा. स. योजना*	1952.70	2060.00	1689.00
सु. रो. योजना	1970.00	1990.00	2000.77

*ज. ग्रा. स. योजना को पहले जवाहर रोजगार योजना के नाम से जाना जाता था।

(घ) से (च) चालू वर्ष के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 139.12 करोड़ रुपये तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 129.72 करोड़ रुपये के कुल केन्द्रीय आबंटन में से महाराष्ट्र को क्रमशः 69.56 करोड़ रुपये तथा 101.53 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। शेष राशि उपलब्ध निधियों के उपयोग तथा अन्य शर्तों की पूर्ति के आधार पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाएगी।

ग्रामीण विकास योजनाएँ

3619. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्य सरकारों, विशेषतः कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार की अनुमति हेतु ग्रामीण विकास की कई योजनाएँ भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रस्तुत की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनी योजनाओं/परियोजनाओं को प्रतिवर्ष मंजूरी दी गई;

(ग) क्या उन्हें पूरा करने हेतु कोई ग्रामीण विकास कार्य योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ङ) 1999-2000 के दौरान कर्नाटक सरकार से बेलारी, मंगलौर तथा मैसूर जिलों के बारे में पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत तीन परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों को दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति के सामने रखा जायेगा। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके 1999-2000 में प्राथमिकता दी गई है। ये परियोजनाएँ, जिन्हें प्राथमिकता दी गई हैं, गुलबर्गा-I बेलगांव, कोलार, बंगलौर, रायचूर, बीजापुर (झलाग), बीजापुर (इन्डी), धारवाड़, दयानगेरी बीदर, दक्खिन कन्नड तथा हसन हैं। चार प्रस्ताव यानी मांडया-II, गुलबर्गा, चित्रदुर्ग, तथा बेलारी 1997-98 में मंजूर किए गए थे। पांच प्रस्ताव यानी बेलगांव, बेलारी-II, कोलार, तुमकुर-III तथा बीदर 1998-99 में मंजूर किए गए थे।

हवाई अड्डों द्वारा संग्रहित राजस्व

3620. श्री सी. पी. राधाकृष्णन :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 1997-98 और 1998-99 के दौरान प्रत्येक हवाई अड्डे पर पृथकतः कुल कितना राजस्व संग्रहित किया गया?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1996-97 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान प्रत्येक विमानपत्तन पर एकत्रित कुल राजस्व से संबंधित ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान विमानपत्तनों पर एकत्रित राजस्व को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	विमानपत्तनों के नाम	वर्ष 1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन				
1.	मुम्बई	36960.29	40821.62	51329.62
2.	दिल्ली	29565.84	30938.69	40252.69
3.	चेन्नई	12860.91	13465.80	17047.65
4.	कलकत्ता	10852.30	11437.04	13431.27
5.	त्रिवेन्द्रम	2072.79	2468.50	2634.29
अंतर्देशीय विमानपत्तन				
1.	अहमदाबाद	1020.91	1117.49	1354.27
2.	औरंगाबाद	102.37	161.14	179.40
3.	बरोदा	224.27	281.06	403.34
4.	भावनगर	58.05	54.29	64.41
5.	भोपाल	113.51	136.22	148.27
6.	भुज	26.19	28.31	102.45
7.	गोवा	371.47	432.56	551.16
8.	इंदौर	174.90	232.55	247.50
9.	जामनगर	22.02	33.78	34.61
10.	जुहू	704.49	902.26	827.15
11.	नागपुर	328.07	413.84	397.66
12.	पुणे	138.69	314.72	447.54
13.	रायपुर	48.55	52.32	64.79
14.	राजकोट	61.05	70.64	141.34
15.	भुवनेश्वर	167.64	192.25	233.14
16.	पटना	201.02	222.08	224.61
17.	रांची	108.59	92.84	87.18
18.	पोर्ट-ब्लेयर	0.00	14.20	24.63
19.	आगरा	36.29	50.15	48.92
20.	अमृतसर	86.86	124.17	138.99
21.	चंडीगढ़	17.05	24.25	25.98
22.	ग्वालियर	13.64	19.26	22.20
23.	जयपुर	292.81	429.09	476.78
24.	जम्मू	108.34	145.20	186.48
25.	जोधपुर	19.33	35.30	29.73
26.	खजुराहो	55.73	84.32	85.31
27.	कुलु (भुंटर)	26.24	18.88	23.14
28.	लेह	18.11	11.43	30.80
29.	लखनऊ	293.44	387.44	432.60
30.	सफदरजंग	269.42	175.53	238.62
31.	श्रीनगर	124.62	148.30	174.22
32.	उदयपुर	168.05	129.43	129.32
33.	वाराणसी	295.88	322.32	288.47
34.	बंगलौर	1227.68	1446.14	1818.34
35.	कालीकट	690.06	727.60	860.83
36.	कोचीन	284.72	283.10	327.32
37.	कोयम्बटूर	398.67	491.49	597.92
38.	हैदराबाद	1501.97	1617.29	1954.20
39.	मदुरै	148.62	58.30	72.07
40.	मंगलौर	208.38	236.88	295.94
41.	तिरुपति	10.64	22.54	27.39
42.	तिरुचिरापल्ली	54.72	118.07	122.79
43.	विशाखापट्टनम	72.02	95.38	89.95
44.	अगरतला	138.53	108.94	148.38
45.	डिब्रुगढ़ (मोहनबाड़ी)	48.40	82.37	93.90
46.	दीमापुर (लीलाबाड़ी)	34.681	19.36	24.21
47.	गुवाहाटी	527.33	458.62	583.70
48.	इम्फाल	87.94	59.65	92.88
49.	बागडोगरा	102.86	79.41	94.88
50.	जोरहाट	21.01	27.24	28.16
51.	सिल्चर (कुम्भीग्राम)	35.01	24.83	21.32

[हिन्दी]

पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. का विपणन क्षेत्र

3621. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने अब विद्युत, पुलिस, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, अग्निशमन, सीमा-शुल्क आदि के क्षेत्रों में अपनी विमान सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सीमा-शुल्क विभाग निगरानी के उद्देश्य से पहले ही पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के एक हेलीकॉप्टर को प्रयोग में ला रहा है। दिल्ली पुलिस, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, आदि के द्वारा हेलीकॉप्टरों के संभव प्रयोग के संबंध में प्रदर्शन उड़ानें भी कर ली गई हैं।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रागी और ज्वार की आपूर्ति

3622. श्री एच. जी. रामुलू : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कर्नाटक के अनेक ग्रामीण हिस्सों में रागी और ज्वार मुख्य भोजन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रागी और ज्वार की आपूर्ति का निर्णय लिया है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ रागी और ज्वार की अनुमानतः कितनी मात्रा की आवश्यकता है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रागी और ज्वार के बाजार मूल्यों के इसके न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक होने के कारण इनकी वसूली नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय पूल में सामान्यतया रागी और ज्वार का स्टाक नहीं होता है। मोटे अनाजों को रखने की समय-सीमा (शेल्फ-लाइफ) कम होती है और इसलिए वसूली के पश्चात् स्थानीय खाद्य आदतों और पसंद के आधार पर क्षेत्र-वार मांग के अनुसार मोटे अनाजों का वितरण करने के लिए इनका संचय करना मुश्किल हो जाता है। तथापि, किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जब कभी भी कम मात्रा में मोटे अनाजों की वसूली की जाती है तो इनका आबंटन उसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपयोग करने हेतु कर दिया जाता है।

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अंतर्गत की गई गिरफ्तारियां

3623. श्री रामसागर रावत : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मई, 1999 को "पॉयनियर" में "बरनाला नॉट सिविल लैस्स बिग फिश ऑफ ए हुक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गिरफ्तार किए गए लोगों में से कितने लोगों को रिहा किया गया, और इसके क्या कारण थे; और

(ङ) वर्तमान कानून की उन खामियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिनके कारण कालाबाजारिये रिहा किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। नजरबंदी आदेश के खिलाफ श्रीमती रजनीबेन भगत के पक्ष में दिए गए अभ्यावेदन पर राज्य सरकार की पैरावार टिप्पणियों तथा अन्य संगत रिकार्डों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया गया था। मामले में निर्णय विधि मंत्रालय के परामर्श लेने के बाद लिया गया।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) नजरबंद व्यक्ति को चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 तथा भारत के संविधान के तहत अभ्यावेदन देने जैसे कतिपय अधिकार प्राप्त हैं और सरकार उस अभ्यावेदन पर तेजी से विचार करने के लिए बाध्य है।

[हिन्दी]

पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड द्वारा लिये गये ऋण को माफ किया जाना

3624. श्री हरपाल सिंह साथी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड ने सरकार से अपने 200 करोड़ रुपये के ऋण को ब्याज सहित माफ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सरकार द्वारा पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड से वेस्टलैंड तथा डॉफिन हेलीकाप्टरों के आयात के कारण पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड (पी. एच. एच. एल.) की ओर से दावा की गई राशि के अधित्याग संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो सरकार के विचाराधीन है।

सरसों के तेल का उत्पादन

3625. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में सरसों के तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसकी वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में सरसों के तेल की कीमत में वृद्धि के कारणों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमशः 20.6 लाख टन, 14.6 लाख टन और 19.0 लाख टन सरसों के तेल का वार्षिक उत्पादन हुआ है। यह माना जाता है कि तेल का जितना उत्पादन हुआ है, उतनी ही वार्षिक खपत हुई है।

(ख) और (ग) नवम्बर, 1998 से जुलाई, 1999 तक सरसों के तेल के मूल्यों में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति रही है। अगस्त और सितम्बर, 1999 के महीनों में मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई थी। तब से मूल्यों में पुनः गिरावट की प्रवृत्ति रही है। अगस्त और सितम्बर, 1999 के महीनों के दौरान कुछ मूल्य वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई थी :

(i) तिलहन के उत्पादन को धक्का लगने के संबंध में समाचार-पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार।

(ii) पूर्व के महीनों के दौरान जब मूल्य कम थे, तब मुख्यतया अधिक खपत होने के कारण वनस्पति तेल का कम स्टाक होना।

(iii) कमी का मौसम।

(iv) आगामी त्यौहार मौसम के कारण अपेक्षाकृत अधिक मांग।

[अनुवाद]

गुजरात में कम किराए वाले होटल

3626. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में, कम बजट वाले पर्यटकों के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) के होटलों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का गुजरात में 'यात्री निवास' प्रकार के होटल खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की वर्ष 1999-2000 के वार्षिक योजना में गुजरात राज्य में कम बजट के होटल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय वित्तीय सहायतार्थ पर्यटन परियोजनाओं को सम्बद्ध राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात राज्य में यात्री निवास के निर्माण की किसी परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी गयी है।

उत्तर प्रदेश में होटलों और मोटलों का विकास

3627. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों और मोटलों के विकास के लिए कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई; और

(ख) उन होटलों और मोटलों के स्थानवार नाम क्या हैं जिन्हें इस प्रयोजनार्थ चयनित किया गया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के दौरान, मुरादाबाद में मौजूदा मोटेल का बिस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को पहली बार में, 16.34 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई तथा 4.90 लाख रुपये की राशि प्रदान कर दी गई है।

राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके, प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर, प्रत्येक वर्ष, वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। वर्ष 1999-2000 के लिए, मोटेल के निर्माण के लिए कोई परियोजना अभिनिर्धारित नहीं की गई है।

राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन

3628. श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे और कार्यक्रम बनाने हेतु नवम्बर, 1999 में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन मंत्रियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए :

(1) "सहस्त्राब्दि मनाना" और "भारत खोजो वर्ष" ये समारोह वर्ष 2001 की सूर्योदय तक जारी रहेंगे।

(2) सभी राज्य इस अवधि के दौरान, सहस्त्राब्दि के उत्साह को प्रदर्शित करते हुए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

(3) समवर्ती सूची में 'पर्यटन' को रखने के लिए प्रस्ताव के गहन आशय पर बाद में विचार-विमर्श किया जाएगा।

(4) पर्यटन उद्योग में करों को तर्क संगत बनाए जाने की आवश्यकता है और होटल उद्योग और परिवहन सेक्टर दोनों ही में एक समान कर संरचना किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, राज्य सरकारों को वित्त विभागों के साथ विचार-विमर्श करके इस प्रस्ताव पर और अधिक समय की आवश्यकता होगी।

(ग) बिहार, मिजोरम, हरियाणा, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल. सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, पांडिचेरी. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली के पर्यटन मंत्रियों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ने सम्मेलन में भाग लिया।

तमिलनाडु से रेल परियोजनाएं

3629. **डॉ. ए. डी. के. जयशीलन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान मंजूरी हेतु तमिलनाडु से प्राप्त रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) तमिलनाडु में थिरूनेलवेली-तिरूचेन्दूर खंड में आमान परिवर्तन की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) आमान परिवर्तन के काम को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सरकार से प्राप्त हुए रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों तथा इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	परियोजना	मौजूदा स्थिति
1.	मदुरै-रामेश्वरम (आमान परिवर्तन)	यह कार्य 1997-98 के रेल बजट में स्वीकृत कर दिया गया है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य आरंभ किया गया है।
2.	विरुदुनगर-तेनकासी-कोल्लम-तिरुनेलवेल्ली - तिरुच्चेंदूर (आमान परिवर्तन)	यह कार्य 1997-98 के रेल बजट में स्वीकृत कर दिया गया है। कार्य आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है।
3.	विल्लुपुरम-तंजावुर (आमान परिवर्तन)	यह कार्य 1998-99 के रेल बजट में शामिल किया गया है बशर्ते कि स्वीकृतियां प्राप्त हो जाएं। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
4.	सेलम-कुड्डालूर (आमान परिवर्तन)	यह कार्य 1999-2000 के रेल बजट में शामिल किया गया है बशर्ते कि स्वीकृतियां प्राप्त हो जाएं। आवश्यक स्वीकृतिया प्राप्त हो जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
5.	फिलहाल तिरुमलाई और वालचेरी के बीच निष्पादित हो रहे द्रुत परिवहन प्रणाली चरण-II का सेंट थामस माउंट तक विस्तार।	तमिलनाडु सरकार की ओर से राइट्स द्वारा एक व्यावहारिकता अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु में कोल्लम-तिरुनेलवेल्ली-तिरुच्चेंदूर और तेनकासीविरुदुनगर जिसमें तिरुनेलवेल्ली-तिरुच्चेंदूर खंड शामिल है, के आमान परिवर्तन परियोजना के लिए अपेक्षित स्वीकृतिया प्राप्त हो गई हैं और कार्य आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है। आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा और पूरा किया जाएगा।

रेल लाइन का विस्तार

3630. **श्री माधव राजवंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम के बैहटा रेल स्टेशन से रेल लाइन को कामरूप, रोटा मांगालोडी वाया सिपाझार से जोड़ने के लिए किसी प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना का सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है और इसकी मौजूदा स्थिति/प्रगति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्ताव पर विचार और इसका क्रियान्वयन कब किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सीताफल मंडी में ऊपरी पुल का निर्माण

3631. श्री राजैया मल्याला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में सीताफल मंडी, जामिया ओसमानिया रेल फाटक पर बनाए जा रहे ऊपरी पुल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) (क) सीताफलमंडी और जामिया उस्मानिया पर दोनों पुल लागत में हिस्सेदारी के आधार पर पहले ही स्वीकृत कार्य है। हैदराबाद नगर निगम ने सामान्य प्रबंध आरेख बदल दिया था जिसमें कैरिज वे की चौड़ाई 12 मीटर दर्शाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप रेलवे आरेख में संशोधन करना पड़ा। राज्य सरकार को बढ़े हुए कैरिज वे सहित पहुँच मार्गों के लिए विस्तृत आकलन प्रस्तुत करना है।

(ख) सीताफलमंडी में ऊपरी सड़क पुल का लक्ष्य मार्च, 2001 है परन्तु जामिया उस्मानिया में ऊपरी सड़क का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

कोचीन विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

3632. श्री पी. सी. थॉमस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन विमानपत्तन से शुरू की जाने वाली प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी तक शुरू नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोचीन विमानपत्तन से यूरोप, अमरीका और दूसरे देशों से उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) खाड़ी देशों के लिए एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा कोचीन विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित की जा रही हैं जो यूरोप तथा अमेरिका को जोड़ती हैं। इस समय, यूरोप अथवा अमेरिका के लिए कोचीन से सीधी उड़ानें प्रचालित करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बढ़िया किस्म के चावल की सप्लाई

3633. श्री विष्णु पद राय : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वर्तमान में दिए जा रहे आम किस्म के चावल के स्थान पर बढ़िया किस्म के चावल की सप्लाई की जाएगी;

(ख) क्या इस संबंध में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है अथवा अभी की जानी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) उत्तम चावल, अब ग्रेड "ए" चावल, केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर रिलीज किया जाता है। यह मूल्य "साधारण" ग्रेड के चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य से अधिक होता है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, जहां गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को भी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य से अधिक केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर "साधारण" ग्रेड का चावल रिलीज किया जाता है, को छोड़कर "साधारण" ग्रेड का चावल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू उच्च राजसहायताप्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर रिलीज किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर अथवा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए किए गए आवंटन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ग्रेड "ए" अथवा "साधारण" चावल जारी करता है। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के आवंटन की तुलना में "साधारण" ग्रेड का चावल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर ग्रेड "ए" चावल जारी किया जाता है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में हवाई अड्डा स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण

3634. श्री सुरेश चन्देल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जंगल बारासू नामक स्थान पर एक हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पॉयलट प्रशिक्षण केन्द्र

3635. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चीखलीया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पायलट प्रशिक्षण केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या गुजरात में एक पायलट प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) मैसर्स फ्लेमिंगो, एटीपी, अकादमी, राजकोट ने फरवरी, 1999 में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। अकादमी को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा राजकोट में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान चलाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। तथापि अपेक्षित दस्तावेज उनके द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

विवरण

(1) *सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त फ्लाइंग क्लब/स्कूल/संस्थान :*

1. अजन्ता फ्लाइंग क्लब, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
2. अमृतसर एविएशन क्लब अमृतसर (पंजाब)
3. एण्डमान एण्ड निकोबार उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, पोर्ट ब्लेयर
4. आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
5. आसाम फ्लाइंग क्लब, गुवाहाटी (आसाम)
6. बनस्थली विद्यापीठ फ्लाइंग क्लब (राजस्थान)
7. भोपाल शाखा मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब (इन्दौर)
8. बिहार फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थान, पटना (बिहार)
9. मुम्बई फ्लाइंग क्लब, मुम्बई (महाराष्ट्र)
10. कोयम्बतूर एविएशन प्रशिक्षण अकादमी, कोयम्बतूर (तमिलनाडु)
11. दिल्ली फ्लाइंग क्लब (दिल्ली)
12. राजकीय एविएशन प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
13. राजकीय फ्लाइंग प्रशिक्षण स्कूल, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
14. राजकीय फ्लाइंग प्रशिक्षण स्कूल, बंगलौर (कर्नाटक)
15. गुजरात फ्लाइंग क्लब बडोदा (गुजरात)
16. हिसार एविएशन क्लब, हिसार (हरियाणा)
17. जमशेदपुर को-ओपरेटिव फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर (बिहार)
18. करनाल एविएशन क्लब, करनाल (हरियाणा)
19. केरला एविएशन प्रशिक्षण संस्थान तिरुवनन्तपुरम (केरल)
20. लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना (पंजाब)
21. मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
22. मद्रास फ्लाइंग क्लब चेन्नई, (तमिलनाडु)
23. नागपुर फ्लाइंग क्लब नागपुर (महाराष्ट्र)
24. नार्थन इंडिया फ्लाइंग क्लब, जलन्धर कैंट (पंजाब)
25. पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला (पंजाब)
26. पिन्जोर एविएशन क्लब, पिन्जोर (हरियाणा)
27. राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर (राजस्थान)
28. स्टेट सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश फ्लाइंग प्रशिक्षण केन्द्र (एससीएयूपीएफटीसी) लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
29. फैजाबाद ब्रांच औफ एससीएयूपीएफटीसी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
30. कानपुर ब्रांच ऑफ एससीएयूपीएफटीसी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
31. वाराणसी ब्रांच ऑफ एससीएयूपीएफटीसी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

(2) *नागर विमानन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान :*

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज (उत्तर प्रदेश)

(3) *सरकार की आर्थिक सहायता योजना से इतर निजी फ्लाइंग क्लब/स्कूल/संस्थान :*

1. अकादमी ऑफ कश्वेर एविएशन (पी) लिमिटेड, बैलगांव (कर्नाटक)
2. अहमदाबाद एविएशन एकादमी (गुजरात) (बीएटीएल)
3. बंगलौर एरोनॉटिक्स तकनिकी सर्विस प्रा. लि. (कर्नाटक) बंगलौर
4. फ्लाटेक एविएशन अकादमी, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
5. गर्ग एविएशन लि. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
6. ओरियंट फ्लाइंग स्कूल, पांडिचेरी (केन्द्र शासित)
7. राजपूताना एविएशन अकादमी, कोटा (राजस्थान)
8. तनेजा एरोस्पेस एण्ड एविएशन लि., बंगलौर (कर्नाटक)
9. टाटा नगर एविएशन, जमशेदपुर (बिहार)
10. टेटरा एविएशन अकादमी, सेलम, मद्रास (तमिलनाडु)
11. उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाइंग संस्थान प्रा. लि. (रेनाम्ड)
12. फ्रैंक एयरवेज प्रा. लि. (इन्दौर), (मध्य प्रदेश)
13. विंगस एविएशन प्रा. लि. हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

हासन के निकट नए हवाई अड्डे हेतु भूमि

3636. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 1999-2000 के दौरान हासन के निकट एक हवाई अड्डा बनाने और विकसित करने के लिए कोई आवंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का विकास

3637. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मछलीपट्टनम और गडिवाडा रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो 1998-99 के दौरान इन दोनों स्टेशनों में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वी आई पी लांज में एयर कंडीशनर की व्यवस्था, गुडीवाडा में यात्री आरक्षण के कंप्यूटरीकरण और प्लेटफार्म सायबान की मरम्मत और मछलीपटनम में यात्री आरक्षण के कंप्यूटरीकरण की व्यवस्था के कार्य 1998-99 के दौरान पूरे कर लिए गए थे। 1999-2000 के दौरान, गुडीवाडा में प्लेटफार्म सं. 1 पर मास्टिक असफाल्ट की व्यवस्था; प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म और शौचालयों में फ्लोरिंग के बदलाव और प्लेटफार्म सं. 2 और 3 पर शौचालयों की व्यवस्था के कार्य शुरू किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान मछलीपटनम में लम्बी गाड़ियों के लिए प्लेटफार्म के विस्तार का कार्य शुरू किया गया है।

सिलचर-महिषासन मार्ग से आयात और निर्यात व्यापार

3638. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर-महिषासन मार्ग से होने वाले सारे आयात और निर्यात व्यापार को पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत रेल से करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जानने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि सड़क परिवहन द्वारा रुपयों में कितना व्यापार होता है और इससे रेलवे के राजकोष को कितना लाभ होगा; और

(ग) इस मार्ग पर रेल यातायात कब तक शुरू हो जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ग) भारत और बंगला देश के बीच रेलवे यातायात के लिए सिलचर-महिषासन (भारतीय रेल) से शाहबाजपुर (बंगलादेश रेलवे) तक मीटर लाइन का मार्ग पहले ही खोल दिया गया है। बहरहाल, इस समय इस मार्ग पर कोई निर्यात यातायात उपलब्ध नहीं है।

(ख) रेलवे द्वारा अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

हैदराबाद से जेद्दाह को सीधी उड़ान

3639. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे की धावन-पट्टी (रन-वे) का विस्तार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकार से आभ्यासित अवरोधों को हटाए जाने के संबंध में अनुरोध किया है।

सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करना

3640. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) ये कारण हैं (1) वैश्विक औसत की तुलना में प्रतिकूल कर्मचारी-विमान अनुपात; (2) कर्मचारियों पर अप्रेरणामूलक प्रभाव; (3) कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की आवश्यकता से साथ-साथ भारत सरकार की नीति सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से यह अपेक्षा करती है कि वे अपने-अपने संस्थापन में वर्ष 1992 में अपने कर्मचारियों की संख्या को आधार बनाकर 10 प्रतिशत कटौती करने पर विचार करे; (4) विभिन्न यूनियनों/एसोसिएशनों/गिल्डस आदि की ओर से अनुकूल समर्थन।

अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलना

3641. श्री दिन्शा पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद हवाई अड्डे के नाम को बदलकर सरदार वल्लभभाई पटेल अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही दिनांक 7.12.96 को अहमदाबाद विमानपत्तन का नाम बदलकर सरदार वल्लभभाई पटेल अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कर दिया है।

[हिन्दी]

रेल पटरियों के दोनों ओर बाड़ लगाना

3642. श्री रामपाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-पाकिस्तान सीमा के करीब वाली रेल पटरियों पर बढ़ रहे आतंकवादी हमलों को ध्यान में रखते हुए जम्मू से पठानकोट तक रेल पटरियों के दोनों ओर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने जम्मू से घागवाल तक रेलपथ के दोनों ओर सुरक्षा की दृष्टि से बाड़े की व्यवस्था करने की संभावना की जांच करने के लिए अनुरोध किया था। 12.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इस बाड़े की व्यवस्था करने का प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर सरकार को उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है।

(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा स्वीकृति देने और आवश्यक निधियों की व्यवस्था करने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

हैदराबाद विमानपत्तन को निगमित निकाय बनाया जाना

3643. श्री बी. वी. एन. रेड्डी :
श्री मोहन रावले :
श्री सुनील खां :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कतिपय विमानपत्तनों को निगमित निकाय बनाये जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तथा चेन्नई विमानपत्तनों के निगमीकरण के विषय में निर्णय लिया है। यह निर्णय रीतियों के संबंध में समीक्षाधीन है।

[हिन्दी]

देश में चीनी मिलें

3644. श्री रतन लाल कटारिया :
श्री कांतिलाल भूरिया :
श्री रघुनाथ झा :
योगी आदित्यनाथ :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितनी निजी, सहकारी तथा सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी चीनी मिलें बंद हुई और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन मिलों के पुनरुद्धार हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) देश में राज्य-वार, क्षेत्र-वार अधिष्ठापित चीनी मिलें दर्शानेवाला ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) चीनी मौसमों 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान राज्य-वार बन्द पड़ी चीनी मिलों की संख्या दर्शानेवाला ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

चीनी मिलों के बन्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे—गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, अलाभकर आकार, पुराने संयंत्र व मशीनरी, तकनीकी व प्रबंधकीय अक्षमता, अत्यधिक गन्ना मूल्य जो बिक्री से प्राप्त वसूली के अनुकूल न हो आदि।

(ग) चीनी मिलों को स्वयं ही पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाएं तैयार करनी होती है तथा संबंधित संस्थानों से उन्हें स्वीकृत कराना होता है। ऐसी पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से ब्याज की रियायती दर पर ऋण भी उपलब्ध है, बशर्ते वे निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।

गत तीन वर्षों यथा 1996-97, 1997-98, 1998-99 के दौरान चीनी मिलों को अपने आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए एवं गन्ना विकास के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

विवरण-I

(30.9.1999 की स्थितिनुसार) देश में अधिष्ठापित चीनी मिलों का राज्यवार, क्षेत्रवार दर्शानेवाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	अधिष्ठापित चीनी मिलें की संख्या			
		सार्वजनिक	निजी	सहकारी	कुल
1.	पंजाब	—	6	16	22
2.	हरियाणा	—	3	10	13
3.	राजस्थान	1	1	1	3
4.	उत्तर प्रदेश	35	58	32	125
5.	मध्य प्रदेश	2	4	3	9
6.	गुजरात	—	—	20	20
7.	महाराष्ट्र	—	5	123	128
8.	बिहार	15	13	—	28
9.	असम	—	1	2	3
10.	उड़ीसा	—	4	4	8
11.	प. बंगाल	1	1	—	2
12.	नागालैण्ड	1	—	—	1
13.	आन्ध्र प्रदेश	6	17	18	41
14.	कर्नाटक	3	14	19	36
15.	तमिलनाडु	3	18	15	36
16.	पांडिचेरी	—	1	1	2
17.	केरल	—	1	1	2
18.	गोवा	—	—	1	1
19.	दादर व नागर हवेली	—	—	—	—
20.	मणिपुर	—	—	—	—
21.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
22.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—
	कुल	67	147	266	480

विवरण-II

चीनी मौसम 1996-97 से 1998-99 के दौरान बंद पड़ी चीनी मिलों की राज्यवार संख्या

क्रम सं	राज्य	बंद चीनी मिलों की संख्या		
		चीनी मौसम 1996-97	चीनी मौसम 1997-98	चीनी मौसम 1998-99
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	2	1	1
2.	उत्तर प्रदेश	2	2	10
3.	मध्य प्रदेश	2	2	2
4.	गुजरात	3	2	3
5.	महाराष्ट्र	12	25	10
6.	बिहार	10	17	17
7.	असम	1	1	1
8.	उड़ीसा	1	1	1
9.	प. बंगाल	—	1	—
10.	नागालैण्ड	1	1	1
11.	आन्ध्र प्रदेश	4	5	5
12.	कर्नाटक	4	4	2
13.	केरल	1	1	1
	कुल	43	63	54

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों यथा 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान चीनी मिलों को उनके आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन और गन्ना विकास योजनाओं के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

एस डी एफ से स्वीकृत और वितरित धनराशि की वर्षवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

वर्ष	गन्ना विकास			आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन			कुल	
	मामलों की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	मामलों की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1996-97	13	28.03	13.71	10	83.98	54.29	112.01	68.00
1997-98	128	109.04	14.8	19	157.70	76.84	266.74	93.64
1998-99	136	81.66	99.9	16	154.19	153.55	235.85	253.45

[अनुवाद]

लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापाट) के पास लम्बित परियोजनाएं

3645. श्रीमती रानी नरह :
श्री राजो सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापाट) द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में असामान्य विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कापार्ट के पास विभिन्न राज्यों के राज्य-वार कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आवेदन आगे बढ़ाये जाते हैं।

(ग) दिनांक 30.11.1999 तक कापार्ट में लम्बित परियोजना प्रस्तावों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) डेस्क अनुमान तथा वित्त-पोषण पूर्व अनुमान कार्य के बाद राष्ट्रीय स्थायी समिति/क्षेत्रीय समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

विवरण

30.11.1999 को राज्य-वार लम्बित पड़ी योजनाएं

क्रम सं.	राज्य	लम्बित परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	49
2.	असम	08
3.	बिहार	15
4.	गुजरात	13
5.	हरियाणा	09
6.	हिमाचल प्रदेश	42
7.	जम्मू व कश्मीर	22
	कर्नाटक	18
9.	केरल	14
10.	पंजाब	09
11.	मध्य प्रदेश	05
12.	महाराष्ट्र	18
13.	मणिपुर	18
14.	नागालैंड	02
15.	उड़ीसा	179
16.	राजस्थान	05
17.	त्रिपुरा	02
18.	तमिलनाडु	10
19.	उत्तर प्रदेश	82
20.	पश्चिम बंगाल	210
	कुल	730

[हिन्दी]

समूह 'घ' के आरक्षित पद

3646. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य लेखापरीक्षा महानिदेशालय, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नयी दिल्ली के कार्यालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित समूह 'घ' के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या रोजगार केन्द्र द्वारा प्रयोजित किये गये उम्मीदवार लम्बे समय से अपने साक्षात्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो चयन से संबंधित ये सभी औपचारिकताएं किस तिथि तक पूरी कर दी जायेंगी; और

(ङ) सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित परीक्षा और साक्षात्कार का स्वरूप क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब

3647. श्री अशोक प्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्लाइंग क्लबों/ग्लाइडिंग क्लबों का राज्य-वार उनकी स्थापना की तिथि सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी;

(ग) नागर विमानन निदेशालय द्वारा इनमें से प्रत्येक क्लब को क्या दर्जा दिया गया है; और

(घ) इन फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण I में दी गयी है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उड़ान/ग्लाइडिंग क्लबों की कोई रेटिंग के बारे में कोई प्रणाली नहीं है।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित विमानचालकों की विभिन्न श्रेणियों तथा जारी किए गए लाइसेंस को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण II में दी गयी है।

विवरण-I

स्थापना की तारीख/वर्ष सहित मौजूदा उड़ान/ग्लाइडिंग क्लबों के नाम - राज्य वार	नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दी गई राजसहायता की राशि (लाख रुपयों में)		
	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
(क) सरकार के आर्थिक सहायता प्राप्त उड़ान क्लब/विद्यालय/संस्थान			
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह			
अण्डमान और निकोबार उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, पोर्ट ब्लेयर—अक्टूबर, 1988	शून्य	शून्य	शून्य
आंध्र प्रदेश			
आंध्र प्रदेश उड़ान क्लब, हैदराबाद —08.09.1958	2.95	5.33	4.98
असम			
आसाम उड़ान क्लब, गुवाहाटी —28.02.1967	शून्य	शून्य	शून्य
बिहार			
बिहार उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, पटना —1940	2.65	शून्य	शून्य
जमशेदपुर सहकारी उड़ान क्लब, जमशेदपुर —1966	7.11	6.49	1.65
दिल्ली			
दिल्ली उड़ान क्लब, दिल्ली —28.05.1923	शून्य	शून्य	19.79
गुजरात			
गुजरात उड़ान क्लब, बड़ौदा —20.12.1958	10.18	8.13	3.66
हरियाणा			
हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, करनाल—1967	2.00	4.37	2.70
हिसार विमानन क्लब, हिसार —1965	2.37	0.37	1.51
पिंजौर विमानन क्लब, पिंजौर —01.04.1991	3.99	3.84	3.14
कर्नाटक			
गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर —1948	20.56	1.76	1.57
केरल			
केरल विमानन प्रशिक्षण संस्थान, तिरुवनन्तपुरम—14.07.1959	3.64	1.84	1.51
मध्य प्रदेश			
मध्य प्रदेश उड़ान क्लब, इन्दौर भोपाल में एक शाखा सहित —1951	21.65	10.37	18.87
महाराष्ट्र			
अजन्ता उड़ान क्लब, औरंगाबाद	शून्य	शून्य	शून्य
बम्बई उड़ान क्लब, मुम्बई —09.05.1928	2.06	2.14	2.08
नागपुर, उड़ान क्लब, नागपुर —1948	शून्य	शून्य	शून्य
उड़ीसा			
गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर—1946	शून्य	शून्य	शून्य
पंजाब			
अमृतसर विमानन क्लब, अमृतसर —1962	3.91	1.49	0.70
लुधियाना विमानन क्लब —01.01.1968	8.94	4.59	3.91
नार्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालन्धर छावनी	6.83	10.39	2.83
पटियाला विमानन क्लब, पटियाला —अक्तूबर, 1962	4.79	4.65	1.82
राजस्थान			
बनस्थली विद्यापीठ उड़ान क्लब, —11.08.1961	शून्य	शून्य	शून्य
राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर —31.01.1975	6.77	3.24	2.12
तमिलनाडु			
कोयम्बतूर विमानन प्रशिक्षण अकादमी, कोयम्बतूर —1960	शून्य	शून्य	शून्य
मद्रास उड़ान क्लब, चैन्ने —04.03.1930	शून्य	1.33	2.47

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
कानपुर, फैजाबाद, और वाराणसी में इसकी 3 शाखाओं तहित गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग सैन्टर, लखनऊ —01.08.1980	11.01	13.73	14.57
पश्चिम बंगाल			
गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कलकत्ता—7.8.1963	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) निजी उड़ान क्लब/विद्यालय/संस्थान			
आंध्र प्रदेश			
फ्लाइटैक एविएशन अकादमी, हैदराबाद —01.11.1996	शून्य	शून्य	शून्य
विंग्स एविएशन प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद —09.10.1998	शून्य	शून्य	शून्य
बिहार			
टाटा नगर एविएशन, जमशेदपुर —22.07.1996	शून्य	शून्य	शून्य
गुजरात			
अहमदाबाद एविएशन अकादमी, —01.05.1994	शून्य	शून्य	शून्य
कर्नाटक			
अकादमी ऑफ कारवर एविएशन (प्रा.) लिमिटेड, बेलगाँम	शून्य	शून्य	शून्य
बंगलौर एयरोनॉटिक्स टैक्नीकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, (बी एटी एस) —12.01.1994	शून्य	शून्य	शून्य
तनेजा एयरोस्पेस एण्ड एविएशस लिमिटेड, बंगलौर—16.04.1996	शून्य	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश			
फ्रैंक एयरवेज़ प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर —06.11.1992	शून्य	शून्य	शून्य
पाण्डिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)			
ओरियण्ट फ्लाइट स्कूल, पाण्डिचेरी —26.12.1994	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4
राजस्थान			
राजपूताना एविएशन अकादमी, कोटा —22.07.1996	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु			
टेटरा एविएशन अकादमी, सलेम —04.02.1997	शून्य	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश			
गर्ग एविएशन लिमिटेड, कानुपर —11.10.1996	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन			
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज, (उत्तर प्रदेश) —21.03.1985	सरकार द्वारा निधियां जुटाई गई		
ग्लाइडिंग क्लब			
बिहार			
बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, ग्लाइडिंग, विंग, रांची—1966	शून्य	शून्य	शून्य
जमशेदपुर ग्लाइडिंग क्लब, —1988	2.33	1.09	शून्य
दिल्ली			
दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब —10.11.1964	2.96	2.30	0.56
गुजरात			
अहमदाबाद ग्लाइडिंग एण्ड फ्लाइंग क्लब —19.10.1961	0.77	0.58	0.26
हरियाणा			
हिसार एविएशन क्लब —1968	0.19	0.90	0.53
पिंजौर एविएशन क्लब —फरवरी, 1982	1.80	1.20	0.98
महाराष्ट्र			
देवलासी ग्लाइडिंग क्लब, नासिक —10.08.1962	3.36	3.47	1.07
पंजाब			
लुधियाना एविएशन क्लब (ग्लाइडिंग विंग) —01.03.1977	0.49	शून्य	0.61

1	2	3	4
राजस्थान			
बिरला ग्लाइडिंग क्लब, पिलानी —1957	1.72	0.76	0.44
राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, (ग्लाइडिंग विंग), जयपुर —19.06.1998	शून्य	शून्य	0.13
उत्तर प्रदेश			
ग्लाइडिंग एण्ड सोरिंग सैन्टर, आई. आई. टी., कानपुर —27.11.1968	0.54	1.11	0.66

विवरण-II

नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान प्रशिक्षित विमान चालकों की विभिन्न श्रेणियों तथा जारी किये गये लाइसैंस दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम संख्या	लाइसेंस का प्रकार	लाइसेंस की संख्या		
		1996-97	1997-98	1998-99
1.	एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पाइलट्स लाइसेंस (क)	115	73	79
2.	वरिष्ठ वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस	48	09	26
3.	वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस	182	120	167
4.	निजी विमान चालक लाइसेंस (क)	190	113	193
5.	विमान चालक लाइसेंस (ग्लाइडर)	08	15	05
6.	उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक लाइसेंस	337	237	308
7.	उपकरण रेटिंग (क)	192	111	155
8.	उड़ान अनुदेशक रेटिंग (क)	17	12	13
9.	उड़ान अनुदेशक रेटिंग (जी)	01	02	01
10.	सहायक उड़ान अनुदेशक रेटिंग (क)	28	29	35

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

3648. श्री पी. आर. खूंटे :
श्री राजो सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में 'कापार्ट' द्वारा अनुमोदित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं द्वारा हासिल सफलता के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई और प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित, संकलित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

रेल गुप्तचर प्रकोष्ठ द्वारा तोड़-फोड़ को रोका जाना

3649. श्री अधीर चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सम्पत्ति की तोड़-फोड़ और उसकी चोरी की रोकथाम के लिए रेल गुप्तचर प्रकोष्ठ बनाये जाने की योजना पूरी तरह असफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके कार्यकरण में क्या सुधार, यदि कोई हो, किये जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं, बहरहाल, बढ़ती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए रेलवे की आसूचना नेटवर्क के सुधार की निरंतर आवश्यकता महसूस की गई है। इसे देखते हुए माल भाड़ा और सवारी गाड़ियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करने, विशेषकर जो देश के आशांत क्षेत्रों के संबंधित हैं, के लिए हाल ही में रेलवे ने यात्री संरक्षा नेटवर्क (पी एस एन) शुरू की है।

सैल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार

3650. डा. अशोक पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल लाइनों के निरीक्षण हेतु 'सैल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार' की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च गति की 2 अदद स्वनोदित पराश्रव्य पटरी जांच कारों, वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के प्रत्येक निर्माण कार्यक्रम में एक की खरीद करने के लिए स्वीकृति प्राप्त की गई है।

(ग) इन दो स्वनोदित पराश्रव्य पटरी जांच कारों की खरीद पर लगभग 34.5 करोड़ रु. लागत आने की संभावना है।

[अनुवाद]

सी. बर्ड नेवेल केस

3651. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के करवार क्षेत्र में "सी-बर्ड" नेवेल केस बनाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) परियोजना "सी बर्ड" का प्रथम चरण वर्ष 2005 तक पूरा किया जाना निश्चित है। 18 अगस्त, 1999 को संविदाकार के साथ समुद्री निर्माण कार्य की संविदा की गई है। निर्माण-स्थल पर प्रारंभिक कार्य जैसे कि कार्यालय की स्थापना, खदान कार्य, पोताश्रय आदि के संचालन के वास्ते सड़क का निर्माण-कार्य पहले से ही प्रारंभ किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बाजार शेयरों में गिरावट

3652. श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बाजार शेयरों में भारी गिरावट आने के कारणों के बारे में कोई अध्ययन अथवा जांच की गई है जिससे पिछले एक दशक के दौरान इनके नेटवर्क में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ; और

(ग) इनके नेटवर्क को विस्तारित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जबकि विशेष रूप से कोई अध्ययन कार्य नहीं किया गया है, तो भी सरकार नियमित रूप से इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा करती है। विमानन मार्किट की संवृद्धि, व्यापार व पर्यटन संबंधी अपेक्षाओं तथा उदारीकरण की वजह से घरेलू मार्किट में निजी विमान कंपिनयों के प्रवेश को तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्किट में अपेक्षाकृत बृहद क्षमता संबंधी व्यवस्था को प्रेरणा मिली है। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस मुख्यतः निधियों के अभाव की वजह से विमानन मार्किट की संवृद्धि दर के अनुरूप अपने विमान-बेड़े में वृद्धि तथा आवर्धन करने के योग्य नहीं रही है।

(ग) दोनों विमान कंपनियां अपने-अपने नेटवर्क में वृद्धि करने की दिशा में कदम उठाती रही हैं जिनमें विमानों का संवर्धित उपयोग, नेटवर्क का युक्तिकरण, आर्थिक व यातायात मांग संबंधी मानदंडों पर क्षमता की तैनाती, विपणन प्रोत्साहन, ग्राहक सेवाओं में सुधार आदि शामिल हैं।

जबकि विनिवेश आयोग ने एअर इंडिया के विनिवेश/पुनर्संरचना के संबंध में सिफारिशें की हैं। इंडियन एयरलाइन्स के संबंध में, सरकार द्वारा केलकर समिति का गठन किया गया जिसने वित्तीय पुनर्संरचना, विमान-बेड़े की आयोजना, मार्ग-युक्तिकरण आदि से संबंधित सिफारिशें की हैं।

आशा है कि प्रस्तावित पुनर्संरचना/विनिवेश प्रक्रिया के बाद दोनों विमान कंपनियां अपने-अपने इक्विटी आधार को बढ़ाने लायक हो जाएंगी ताकि वे अपने विमान-बेड़े का विस्तार, आधुनिकीकरण और बदल संबंधी अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अन्तर्देशीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने शेयर में वृद्धि कर सके।

[अनुवाद]

मिलियन कुआं योजना

3653. श्री अर्जुन सेठी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री 9 जुलाई, 1998 तथा 10 दिसम्बर, 1998 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1899 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में जवाहर रोजगार योजना की मिलियन कुआं योजना के अंतर्गत सरकारी जमीन पर बनी समुदाय सिंचाई परियोजनाओं तथा वाटर हारवैस्टिंग ढांचों आदि की मलकियत गरीब, छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिशा निर्देशों के अनुसार हस्तांतरित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बालासोर और भद्रक जिलों में तत्कालीन दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत समुदाय सिंचाई परियोजनाओं (सीआईपीज), क्रीक्स और वाटर हारवैस्टिंग ढांचों का निर्माण सरकारी भूमि पर किया गया था। चूंकि निर्मित ढांचे सरकारी भूमि पर थे, अतः उनके अधिग्रहण और इस स्रोत से सिंचाई के लिए मालिकाना हकों का हस्तांतरण उपभोक्ता समूह/लाभार्थियों को नहीं किया जा सका। तथापि, राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए गए थे कि इन ढांचों से होने वाले लाभ असली

लाभार्थियों अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे के लोगों, लघु और सीमांत किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि को मिलें। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों को गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों, लघु और सीमान्त किसानों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि जैसे लाभार्थियों की स्थिति को दर्शाते हुए प्रत्येक समुदाय सिंचाई परियोजना के संबंध में लाभार्थियों की सूची का रख-रखाव करने के लिए समुचित अनुदेश जारी कर दिए थे।

राज्य सरकार ने जनवरी, 99 में यह भी निर्णय लिया था कि दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत एक समुदाय सिंचाई परियोजना अथवा कोई लघु सिंचाई परियोजना निम्न शर्तों पर शुरू की जा सकती है :

(1) एक आयाकट में भूमि का कम से कम 75 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे के किसानों से संबंधित हो;

(2) आयाकटदारों का कम से कम 75 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की उस सूची से बाहर हो जो दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत सहायता के लिए अन्य तरह से पात्र थे;

(3) केवल उन परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा जिनमें 1 लाख रुपये के निवेश से कम से कम 5 एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की जा सके।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बालनगीर-खुर्दा रेल लाइन

3654. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में महाचक्रवात को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिकता के आधार पर बालनगीर-खुर्दा रेल लाइन बिछाने तथा सम्बलपुर-खुर्दा लाइन का दोहरीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं। खोरधा-बोलंगीर लाइन के कार्य को उसकी सामान्य प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। तलचेर-रायगढ़ और बरंग-खोरधा रोड पहले ही दोहरी लाइन के खंड हैं। राजयगढ़ बरंग के दोहरीकरण के कार्य को पहले ही बजट में शामिल कर लिया गया है और अपेक्षित स्वीकृतियां, जिसके लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है, प्राप्त होने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा। संबलपुर-तलचेर-तलचेर एक स्वीकृत परियोजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गोबर बायोगैस संयंत्र-सह-विद्युत उत्पादन

3655. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर जिले के परियत गांव में गोबर बायोगैस संयंत्र-सह-विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हरित सहायता योजना (ग्रीन एड प्लान स्कीम) के तहत इस संयंत्र को स्थापित करने हेतु कोई प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है;

(ङ) क्या जापान सरकार इस परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि पहले इस प्रकार का एक प्रस्ताव यू. एन. डी. पी./जी. ई. एफ. सहायता प्राप्त बायोमिथेनिशन परियोजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान प्राप्त हुआ था, लेकिन इस प्रस्ताव पर बजटीय प्रतिबंधों की वजह से विचार नहीं किया जा सका।

(ग) मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमि. राज्य नोडल एजेंसी ने सूचित किया है कि इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस प्रकार इसे हरित सहायता योजना (ग्रीन एड प्लान) से संबंधित किसी भी एजेंसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(घ) से (च) उपयुक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एफ. सी. आई. के गोदामों में ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त किया जाना

3657. प्रो. ए. के. प्रेमाजम : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों में ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उन गोदामों के नाम क्या हैं जहां विभागीय भुगतान प्रणाली अभी शुरू नहीं की गई है; और

(ग) विभागीय भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) विभागीय प्रणाली के अधीन कार्य कर रहे डिपुओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के कार्य के विरल और मौसमी स्वरूप को देखते हुए, भारतीय खाद्य निगम के प्रत्येक डिपु/गोदाम में विभागीय प्रणाली को शुरू करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। ऐसा इसलिए भी है कि ठेका प्रणाली के अधीन श्रमिकों को लगाना विधि के अधीन अनुमेय है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के उन डिपुओं के नाम जहां विभागीय श्रम प्रणाली प्रचलन में है

क्रम सं.	डिपु का नाम	क्रम सं.	डिपु का नाम
1	2	1	2
1.	मायापुरी (नारायणा)	21.	रोहतक
2.	घेवरा	22.	नरवाना
3.	नरेला	23.	सफीडोन
4.	सी.टी.ओ. (न्यू पूसा)	24.	ए.आर.डी.सी. जिंद
5.	शक्ति नगर	25.	हिसार
6.	पानीपत	26.	भिवानी
7.	जगाधरी	27.	सिरसा
8.	करनाल	28.	फरीदाबाद
9.	तारोआरी	29.	ए.आर.डी.सी. तरोआरी
10.	अम्बाला कैंट	30.	ए.आर.डी.सी. करनाल
11.	अम्बाला सिटी	31.	ए.आर.डी.सी..कुरुक्षेत्र-I
12.	जुंडला	32.	ए.आर.डी.सी. कुरुक्षेत्र-II
13.	इन्द्री (केंद्रीय भंडारण निगम)	33.	ए.आर.डी.सी. कैथल
14.	निसिंग	34.	ए.आर.डी.सी. चीका
15.	कुरुक्षेत्र	35.	ए.आर.डी.सी. सफीडोन
16.	कैथल	36.	ए.आर.डी.सी. पीहोवा
17.	पीहोआ	37.	ए.आर.डी.सी. धुलकोट (अम्बाला)
18.	चीका		
19.	सोनीपत	38.	रामपुरफुल (2 संख्या)
20.	गोहाना	39.	नवांशहर

1	2	1	2
40.	नकोदर (2 संख्या)	77.	राजनंदगांव
41.	बंगा (2 संख्या)	78.	जमदलपुर
42.	भगतनवाला	79.	रायपुर
43.	वल्लाह	80.	धनतरी
44.	भरारीवाल	81.	न्यौरा
45.	संगराना साहिब	82.	बेतुल
46.	परवानो	83.	सतना
47.	अजमेर	84.	बीना
48.	बांसवाड़ा	85.	विदिशा
49.	बाड्मेर	86.	सागर (राज्य भंडारण निगम)
50.	भीलवाड़ा	87.	गदरवाड़ा
51.	गांधीनगर	88.	कटनी
52.	जोधपुर	89.	नेला
53.	हनुमानगढ़ टाऊन	90.	खरसिया
54.	बी.सी. सवाईमाधोपुर	91.	रायगढ़
55.	श्रीविजय नगर	92.	बिसरामपुर
56.	उदयपुर	93.	शहडोल
57.	एच.जी. डूंगरपुर	94.	इंदौर
58.	तालकटोरा (लखनऊ)	95.	डी.ओ. दुर्ग
59.	चंडारी (कानपुर)	96.	ए.आर.डी.सी. सतना
60.	नैनी (इलाहाबाद)	97.	धनतरी (राज्य भंडारण निगम)
61.	वाराणसी	98.	बॉम्बे गोदाम
62.	हापुड़		(i) सिवरी(सिटी गोदाम)
63.	हरदुआगंज		(ii) वडाला
64.	आगरा कैण्ट		(iii) जनरल मोटर्स
65.	हाथरस		(iv) बोरीविली
66.	रामपुर	99.	मनमाड
67.	गोरखपुर	100.	पनवेल
68.	बस्ती	101.	पुणे
69.	आजमगढ़	102.	वर्धा
70.	लखनऊ सिलो	103.	नागपुर
71.	पीलीभीत (2 संख्या)	104.	गोडिया
72.	सीतापुर (2 संख्या)	105.	अकोला
73.	हरदोई (2 संख्या)	106.	साबरमती
74.	लखीमपुर खीरी	107.	ऋगड
75.	ऋषिकेश	108.	अदलाज
76.	ग्वालियर	109.	वीरमग्राम

1	2	1	2
110.	पालनपुर	147.	फुलवारी शरीफ
111.	बड़ौदा	148.	मोकामा
112.	रानीतल	149.	ब्रम्पुरा
113.	बारबिल	150.	एनआरपीए मुजफ्फरपुर
114.	क्योंझार	151.	चनपटिया
115.	रूपसा	152.	डाल्टनगंज
116.	जलेश्वर	153.	रांची
117.	जगन्नाथपुर	154.	जमशेदपुर
118.	भुवनेश्वर	155.	कटिहार
119.	खुर्दा रोड	156.	बेलोरी
120.	कटक	157.	एआरडीसी भागलपुर फेज-I
121.	धनकनाल		
122.	राऊरकेला	158.	जासिडीह
123.	हीराकुंड	159.	मुंगेर
124.	अताबिरा	160.	कटारी हिल
125.	जरसुगुडा	161.	दरभंगा
126.	बारगढ़	162.	जयनगर
127.	डूंगरीपली	163.	धनबाद
128.	केसिंगा	164.	कोडरमा
129.	बेहाला	165.	समस्तीपुर
130.	हावड़ा-1 (नंदीबागान)	166.	सहरसा
131.	हावड़ा-2 (धरमतोला)	167.	फारबीसगंज
132.	कोसीकोड	168.	राधोपुर
133.	चिनसुराह	169.	मधेपुरा
134.	धनकुनी	170.	छपरा
135.	खरदाह	171.	न्यू गुवाहाटी
136.	अशोकनगर	172.	सिटी डिपु
137.	ओरिएण्ड जूट मिल बज-बज	173.	सेनचोबा
		174.	इटाचली
138.	दुर्गापुर	175.	डिब्रूगढ़ काम्पलैक्स
139.	सुरी	176.	तिनसुकिया
140.	आसनसोल (गोपालपुर)	177.	टांगला
141.	सिलो प्लाण्ट	178.	बोंगई गांव
142.	जे.जे.पी.	179.	गोआलपाड़ा
143.	ब्रूकलीन	180.	नरयानपुर
144.	कल्याणी	181.	सिनेमारा
145.	श्री रामपुर	182.	होजई
146.	दीघाघाट	183.	धुबरी

1	2	1	2
184.	नलबाड़ी	189.	तुरा
185.	सिवसागर	190.	दीमादपुर काम्पलैक्स
186.	रामनगर	191.	धरम नगर
187.	करीमगंज	192.	ए.डी. नगर
188.	शिलांग	193.	चुराईबाड़ी

इंडियन एयरलाइन्स के किरायों में कमी

3658. डा. वी. सरोजा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी वायु-मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स के किरायों में कमी करने का प्रस्ताव है जिससे कि मध्यम वर्ग के लोग भी हवाई-जहाज से यात्रा कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय आयुध भंडार डिपो, कानपुर में भर्ती

3659. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय आयुध भंडार डिपो, कानपुर में वर्ष 1998 के दौरान समूह 'घ' के कुछ कर्मचारियों की भर्ती की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों की भर्ती और नियुक्ति की गई थी; और

(ग) कब तक सभी उम्मीदवारों को नियुक्त किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) समूह 'घ' कर्मचारियों के 78 पदों पर भर्ती करने के लिए वर्ष 1998 में केंद्रीय आयुध डिपो, कानपुर में एक बोर्ड बिठाया गया था। परंतु कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी क्योंकि उक्त मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद में न्यायाधीन हो गया था।

वेतनमानों का पुनरीक्षण

3660. श्री महबूब जहेदी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों के वेतनमान 1.1.1997 से संशोधित किए जाने अपेक्षित हैं। सरकार ने इन वेतनमानों में संशोधन करने के लिए उनके साथ बातचीत करने के लिए कुछ पेरामीटर निर्धारित करते हुए भारतीय खाद्य निगम को पहले से ही इस आशय के निदेश दिए हैं कि निगम मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ बातचीत करे और सरकार के विचारार्थ प्रस्ताव भेजे। भारतीय खाद्य निगम वेतनमान संशोधित करने के लिए संबंधित कर्मचारियों की यूनियनों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया में है। भारतीय खाद्य निगम ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सरकार के विचारार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो बोर्ड-स्तर से नीचे के अधिकारी-वर्ग और ऐसे पर्यवेक्षकों के बारे में है, जो यूनियन में शामिल नहीं हैं।

वैगन इंडिया लिमिटेड को बंद करना

3661. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैगन इंडिया लिमिटेड को बंद करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, तीन निजी क्षेत्र सदस्य इकाइयों ने 2.8.99 को आयोजित वैगन इंडिया लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में वैगन इंडिया लिमिटेड की प्रासंगिकता के बारे में मामला उठाया था और इसे समाप्त करने का सुझाव दिया था।

(ग) वैगन इंडिया लिमिटेड उद्योग मंत्रालय के तहत एक संयुक्त क्षेत्र की इकाई है। वैगन इंडिया लिमिटेड को बनाए रखना अथवा अन्यथा के बारे में अभी विचार किया जाना है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का चयन

3662. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 और 1998 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की इंजीनियरी सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया था, उन्हें मूल विभाग रेलवे द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयनित किया दिखाया गया और परिणामी रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए रिक्त रख दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए आरक्षण नीति का कड़ाई से क्रियान्वयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करने के लिए कॉयर जियो-टेक्सटाइल का उपयोग

3663. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सीमावर्ती सड़कों के निर्माण, विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए 'कॉयर जियो-टेक्सटाइल' का उपयोग करने के लिए केरल सरकार/कॉयर बोर्ड से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। सीमावर्ती सड़कों के निर्माण, विकास और उनको और मजबूत बनाने के लिए कॉयर जियो-टेक्सटाइल का उपयोग किए जाने की संभावना तथा उसका उपयोग किए जाने के बारे में केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) सीमा सड़क संगठन ने सड़क निर्माण में कॉयर जियो-टेक्सटाइल का उपयोग करने पर विचार किया है। कॉयर बोर्ड के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सीमा सड़क संगठन, कॉयर बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से सड़क की एक पट्टी पर ओवन कॉयर जियो-टेक्सटाइल बिछाकर इसकी कारगरता और मितव्ययिता का पता लगाएगी।

स्वर्ण सिंह संस्थान की स्थापना

3664. श्री बलबीर सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालंधर और कपूरथला में स्वर्ण सिंह अपारंपरिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना से संबंधित क्या प्रगति की गई है;

(ख) इस पर कुल कितना खर्च आएगा और अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) संस्थान स्थापित करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान की स्थापना तथा उसके कार्यों के प्रबंधन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, पंजाब के कार्यालय में संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक

संस्था का पंजीकरण किया गया है। एक शासी परिषद का गठन किया गया है और इसकी दो बैठकें की जा चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा जालंधर-कपूरथला रोड पर इस संस्थान के लिए लगभग 75 एकड़ जमीन तय की जा चुकी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से संस्थान की स्थापना के लिए अन्य प्रारंभिक कार्यकलाप आरंभ किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, संस्थान की स्थापना के लिए लगभग 37.69 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। इस संस्थान के खाते में 7.70 करोड़ रुपये रिलीज किए जा चुके हैं। इस संस्थान की स्थापना और इसे चार वर्षों की अवधि तक पूरी तरह क्रियाशील बनाए जाने की परिकल्पना है।

तौल और माप अधिनियम, 1976

3665. डा. मो. कृष्णन : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल पेशेवरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली माप-तौल मशीनें और थर्मामीटर तौल और माप अधिनियम, 1976 के मानकों के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डॉक्टर लोग उक्त उपकरणों का उपयोग मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो अन्य विक्रेताओं के समतुल्य ही डाक्टरों को भी मानने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि चिकित्सा पेशेवरों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली माप तौल मशीनें और थर्मामीटर अनिवार्य विनियमन के अधीन आते हैं, अतः डाक्टरों को अन्य विक्रेताओं के समतुल्य मानने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्याज पर राजसहायता की प्रतिपूर्ति

3666. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने प्याज के वितरण पर दी गई राजसहायता के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने यह आग्रह किया है कि प्याज के वितरण पर दी जाने वाली राजसहायता योजना का लाभ मुम्बई, पुणे और नागपुर जैसे तीन अन्य महानगरों में भी दिया जाए; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ग) जी, हां।

(ख) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने 31 अक्तूबर, 1998 से 15 नवम्बर, 1998 के दौरान मुम्बई और थाणे के इलाकों में प्याज के संबंध में की गई बाजार दखल कार्रवाई के लिए 50 प्रतिशत राजसहायता की राशि की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया था। शीघ्र नष्ट हो जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने की स्थिति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई बाजार दखल कार्रवाई के लिए समनुरूप सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय 27.11.98 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया था और यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होना था। चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने यह बाजार दखल कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा समनुरूप केंद्रीय सहायता प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिए जाने से पूर्व की थी, अतः 50 प्रतिशत राजसहायता की राशि की प्रतिपूर्ति करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

लद्दाख स्काउट्स की नई कंपनियां तैयार किया जाना

3667. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लद्दाख स्काउट्स की चार और अधिक कंपनियां तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) लद्दाख स्काउट्स की प्रस्तावित चार नई कंपनियों में से दो कंपनियां खड़ी किए जाने की कार्रवाई 31 अक्तूबर, 1999 को पूरी कर ली गई है। शेष दो कंपनियों को खड़ा किए जाने की कार्रवाई 31 मई, 2000 तक पूरी कर लिए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

कोयला वैगनों की सप्लाई

3668. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में ताप विद्युत संयंत्रों को कितने कोयला वैगनों की सप्लाई की गई;

(ख) क्या कोयला वैगनों की सप्लाई पर्याप्त संख्या में की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(चौपहिए के हिसाब से)

1997	-	22948
1998	-	39350
1999 (नवंबर तक)	-	35133

(ख) जी हाँ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

[अनुवाद]

गेहूँ एवं चावल का आयात

3669. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैंड/वियतनाम से भारी मात्रा में गेहूँ तथा चावल का आयात किया जा रहा है जो समुद्र भाड़ा, निर्यात तथा आयात पत्तनों में संभलाई प्रभारों के बावजूद 60-70 डालर प्रति टन सस्ता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई तथा हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) थाइलैंड और वियतनाम से गेहूँ का कोई आयात नहीं हुआ है। तथापि, वर्ष 1998-99 के दौरान थाईलैंड से केवल 33,000 रुपये मूल्य के चावल का आयात हुआ था।

उड़ीसा के चक्रवात पीड़ितों को राज-सहायता प्राप्त चावल

3670. श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्री अनन्त नायक :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में चक्रवात से पीड़ित लोगों को राज-सहायता प्राप्त चावल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें अनियमितताओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को सच का पता लगाने के लिए जाँच करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सीमावर्ती गाँवों से नागरिकों को हटाया जाना

3671. श्री आर. एल. भाटिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी गोलीबारी का अक्सर निशाना बनने वाले अति संवेदनशील सीमावर्ती गाँवों से नागरिकों को सेना द्वारा हटाए जाने संबंधी कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में पूर्ण राशि लौटाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में पूर्ण तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना तथा राज्य सरकार ने नियंत्रण रेखा के समीप 33 गाँवों को पुनः अवस्थित करने की सिफारिश की थी क्योंकि इन गाँवों में अन्य बातों के साथ-साथ पाकिस्तान की ओर से अकारण गोलाबारी होती थी।

इस प्रयोजन के लिए धन की व्यवस्था पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने यह सलाह दी कि गाँवों की प्राथमिकता निर्धारित करने तथा विस्थापित व्यक्तियों तथा उनके समुचित पुनर्वास की जरूरतों की विधिवत योजना बनाने के बाद इस स्कीम को एक चरणबद्ध वर्ष-वार कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किया जाए।

उच्च अधिकारियों के परिवारों के लिए रियायत

3672. डॉ. रमेश चन्द तोमर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर 1999 के 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'ए. आई. डिस्काउंट फॉर फैमिलीज ऑफ टॉप गवर्नमेन्ट आफिसीयल्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) एयर इंडियार पर इस रियायत के परिणामस्वरूप कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ)सरकारी कर्मचारियों के लिए परिवार यात्रा योजना एयर इंडिया द्वारा 15 सितम्बर, 1999 से 30 नवम्बर, 1999 के दौरान कुछ

मार्गों के लिए कार्यान्वित की गई थी जबकि इन मार्गों पर सीट क्षमता उच्च नहीं थी। चूँकि इसे व्यापार संवर्धन के मानक के रूप में किया गया था, इससे कोई घाटा नहीं हो सकता है।

चीनी का भंडारण

3673. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने व्यापारियों को जुलाई, 1999 के बाद से अपनी भंडारण स्थिति का पाक्षिक विवरण देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो भंडारण स्थिति की जानकारी देने वाले चीनी आयातकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आयातकों को और अधिक चीनी आयात न करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने सभी चीनी आयातकों से कहा है कि वे अपनी आयातित चीनी के भंडारण को जुलाई, 1999 से प्रत्येक पखवाड़े में घोषित करें। आयातित चीनी के भंडार की घोषणा करने वाले चीनी आयातकों की संख्या पखवाड़ा दर पखवाड़ा बदलती रहती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आटा मिलों द्वारा गेहूँ का आयात

3674. श्री नवल किशोर राय :
श्री अजित सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आटा मिल मालिक खुले बाजार में गेहूँ की बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम से प्रस्ताव के बावजूद विदेशों से गेहूँ का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 1999 के दौरान उनके द्वारा कितना गेहूँ आयात किया गया; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) गेहूँ की मौजूदा निर्यात-आयात नीति के अनुसार गेहूँ का आयात भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरणीबद्ध है। तथापि, गेहूँ की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 31.12.1996 से रोलर फ्लोर मिलों को अनुमति दी गई थी कि वे अपने ठेके कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपडा) के पास पंजीकृत कराने के पश्चात् मिलिंग के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपभोग की शर्त के अधीन अपनी जरूरतों को पूरा करने और इस आयातित गेहूँ से तैयार आटे को घरेलू बाजार में बेचने के लिए मुक्त रूप से गेहूँ का आयात कर सकते हैं। 5.10.1998 से अब रोलर फ्लोर मिलें आयातित गेहूँ से प्राप्त आटे का निर्यात कर सकती है और आयातकों के लिए केवल आयात और निर्यात के ब्यौरे के बारे में अपडा को सूचित करना अपेक्षित होगा। राज्य व्यापार निगम/भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम/प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कारपोरेशन को भी रोलर फ्लोर मिलों की ओर से गेहूँ का आयात करने की अनुमति दी गई है। 1999-2000 के दौरान रोलर फ्लोर मिलों द्वारा आयात किए गए गेहूँ की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गये हैं :

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1999-2000 (अनंतिम) (अप्रैल-अगस्त, 1999)	2.31	152.84

हवाई सुरक्षा

3675. डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को भारतीय नभक्षेत्र और विमानपत्तनों की सुरक्षा हेतु 'डी' श्रेणी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सुरक्षा मानक के संबंध में देश की छवि सुधारने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विमानों की दुर्घटना/घटना की जाँच से प्रोद्युत सिफारिशों का कार्यान्वयन, फ्लाइट रिकार्डर की मानीटरिंग, विमान क्षेत्रों की आवधिक निरीक्षण, प्रचालकों की संरक्षा लेखा परीक्षा जैसे संरक्षात्मक कदम सक्रियतापूर्वक उठाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के एक दल ने भी अक्तूबर, 1999 में नागर विमानन महानिदेशालय की सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट किया था और पाया कि यहाँ इकाओ मानकों के अनुरूप विमान परिवहन क्रियाकलापों के प्रमाणन तथा निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए विस्तीर्ण/व्यापक विनियामक ढाँचा तथा बिल्कुल संतोषजनक प्रणाली है।

यात्री निवासों का निर्माण

3676. श्री श्रीपद येसो नाईक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा से इन राज्यों में यात्री निवासों का निर्माण करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान इन राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं को, सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके स्वीकृति के लिए प्राथमिकता दी जाती है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान, यात्री निवासों के लिए किसी भी परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी गई है। कनार्टक राज्य के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान, यात्री निवासों हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है :

(1) सागर सिमोगा में यात्री निवास के लिए 50.00 लाख रुपये की राशि।

(2) सिर्सी में यात्री निवास के लिए 50.00 लाख रुपये की राशि।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों का मूल्य

3677. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती करने के परिणामस्वरूप देश में पिछले छः माह के दौरान खाद्य तेलों के मूल्यों में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो खाद्य तेलों में मूल्यों में कितनी गिरावट आई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोया उद्योग कठिनाई के दौर से गुजर रहा है और सोयाबीन-उत्पादकों को अपने उत्पाद का समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है जिसके परिणामस्वरूप खाद्य तेलों के मूल्यों में उक्त कमी आई है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कोई कमी नहीं हुई है। फिर भी, पिछले छः महीनों में सरसों का तेल, मूँगफली का तेल और नारियल का तेल जिन्होंने मामूली वृद्धि दर्शाई है को छोड़कर खाद्य तेलों के थोक मूल्यों में कुछ गिरावट आई है।

(ग) और (घ) सोयाबीन उद्योग में मुख्य रूप से आने वाली कठिनाइयों का कारण सोयाबीन खली के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक गिरावट है जिसका सोयाबीन उद्योग के कुल उत्पादन में लगभग 82 प्रतिशत का योगदान है। कुछ केन्द्रों में सोयाबीन के बीज की न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम मूल्य पर बिक्री होने की सूचनाएँ मिली हैं। नेफेड को सोयाबीन के लिए बाजार समर्थन परिचालन बढ़ाने की सलाह दी गई है।

महाराष्ट्र की रेल परियोजनाएँ

3678. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को अनेक रेल परियोजनाएँ प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितनी परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी रेल परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण किया गया है और उनका विस्तार तथा सुधारात्मक कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ङ) क्या कुछ परियोजनाएँ अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) महराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाएँ प्रस्तुत की हैं :

1. मिरज-लातूर परियोजना (आमान परिवर्तन)—यह पहले से ही स्वीकृत कार्य है। कार्य प्रगति पर है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

2. उमरेर-खापरकेडा-कोराडी-नागपुर (नई लाइन)—इस प्रस्ताव के लिए सर्वेक्षण बजट 1999-2000 में शामिल कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

3. अमरावती-नरखेड़ (नई लाइन)—यह एक स्वीकृत कार्य है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।

4. धुले-नरधाना नई लाइन—सर्वेक्षण अगस्त, 1995 में पूरा कर लिया गदा था। परियोजना को, उसकी प्रतिफल की ऋणात्मक दर, संसाधनों की गंभीर तंगी और नई लाइन परियोजनाओं के अत्यधिक थ्रू फारवर्ड के कारण शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।

5. वरोरा-उमरेर बरास्ता चिमूर नई लाइन—सर्वेक्षण अगस्त, 1995 में पूरा कर लिया गया था। परियोजना को उसकी प्रतिफल की ऋणात्मक दर, संसाधनों की गंभीर तंगी और नई लाइन परियोजनाओं के अत्यधिक थ्रू फारवर्ड के कारण शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।

6. अहमद नगर-बीड-पर्ली बैजनाथ नई लाइन—यह पहले से ही स्वीकृत कार्य है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।

7. कल्याण अहमदनगर बरास्ता मुरबाद नई लाइन—इस लाइन का सर्वेक्षण कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

8. पुलगाँव अर्वी नई लाइन—इस लाइन का सर्वेक्षण कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

उपरोक्त के अलावा, विगत तीन वर्षों के दौरान सिडको जो महाराष्ट्र सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, द्वारा निम्नलिखित तीन परियोजनाएँ प्रस्तावित की हैं :

1. सीवुड-उरान : विद्युतीकृत 5वीं लाइन

2. बेलापुर-पनवेल : दोहरी लाइन

3. थाणे-तुर्भे-नेरूल-वाशी लाइन

(घ) से (च) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में रेल परियोजनाओं के लिए 7 सर्वेक्षण किए गए हैं। इन परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में 26 चालू रेल परियोजनाएँ हैं। प्रत्येक चालू परियोजना की विस्तृत स्थिति, उनके निष्पादन में विलम्ब, यदि कोई हो, के कारणों सहित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	अनुमोदन का वर्ष	किलो मीटर	लागत (करोड़ रुपयों में)	कार्य की मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइन						
1.	अमरावती-नरखेड़	मध्य	1992-93	138	175.30	70% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। 27 खंडों में से 18 के लिए मिट्टी संबंधी कार्य के ठेकों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। 1999-2000 के लिए धन आबंटन के अनुसार कार्य को नियमित किया जाना है।
2.	अहमदनगर-बीडपर्ली बैजनाथ	मध्य	1995-96	250	353.08	अहमदनगर छोर से 15 किलोमीटर और बीड से तालेगाँव छोर से 11 किलोमीटर के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अहमदनगर छोर से 15 किलोमीटर और पर्ली बैजनाथ छोर से 11 किलोमीटर के लिए भूमि अधिग्रहण नक्शे और दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा। बीड में स्टेशन इमारत का कार्य प्रगति पर है।
3.	पणवेल-करजत	मध्य	1995-96	28	107.00	संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और 2.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का कार्य आरंभ किया गया है। 13 किलोमीटर में मिट्टी और बड़े पुलों संबंधी कार्य भी आरम्भ किया गया है।
4.	बारामती लोनद	मध्य	1997-98	54	75.00	अपेक्षित स्वीकृतियाँ प्राप्त हो गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण आरंभ किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
5.	कोयरगाँव शिरडी	मध्य	1997-98	16	32.00	अपेक्षित स्वीकृतियाँ प्राप्त हो गई हैं। बहरहाल, प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के आधार पर पनतम्बा से शिरडी तक वैकल्पिक संरेखण योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।
आमान परिवर्तन						
6.	मिरज-लातूर	मध्य	1993-94	359	339.02	इस कार्य की प्रगति चरणों में की जा रही है। प्रथम चरण में लातूर से लातूर रोड (42 किलोमीटर) और कुरडुवाडि से पंधारपुर का कार्य प्रगति कर रहा है। कुरडुवाडि-पंधारपुर को 1999-2000 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। कुरडुवाडि-लातूरा (119 किलोमीटर) पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
7.	मुदखेड़-अदिलाबाद	दक्षिण मध्य	1984-85	162	170.20	कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत प्रगति पर है। कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है और यह केवल 15% है। कार्य के 1998-99 के दौरान पूरा किए जाने की योजना थी परंतु ठेकेदार को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और धन जुटाने में समर्थ नहीं हो पाया है। सिंगापुर में स्थित फर्मों के साथ उसके प्रयास दक्षिण पूर्वी देशों में आर्थिक समस्याओं के कारण सफल नहीं हो सके। फर्म अब धन के लिए आई. सी. आई. सी. आई/डी. बी. आई के साथ समझौता करने का प्रयास कर रही है।
8.	सिंकदराबाद-मुदखेड़ और जनकमपेट-बोधान का भाग	दक्षिण मध्य	1997-98	256	276.28	मुदखेड़-निजामाबाद (96 किलोमीटर) तक प्रथम चरण में कार्य आरंभ किया गया है। मिट्टी और छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। यह चरण 2000-2001 में पूरा करने की योजना है बशर्ते धन उपलब्ध हो।
9.	सोलापुर-गदग	दक्षिण मध्य	1993-94	300	265.77	कार्य चरणों में किया जा रहा है। होतगी से बीजापुर तक का पहला चरण पूरा हो गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है जो आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार पूरे किए जाएँगे।
10.	गोंडिया-चांदाफोर्ट	दक्षिण पूर्व	1992-93	242	233.50	कार्य पूरा हो गया है।
11.	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर गोंडिया का भाग	दक्षिण पूर्व	1996-97	285	386.30	बड़े पुलों की भू-तकनीकी जाँच के साथ बालाघाट-कटंगी सहित गोंदिया से बालाघाट तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। गोंदिया और बालाघाट के बीच तल्प कार्य और गिट्टी आपूर्ति प्रगति पर है और इस दूरी में पुलों के लिए संविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
दोहरीकरण						
12.	सेवाग्राम (वर्धा ईस्ट) चिटौडा	मध्य	1996-97	3.97	12.58	मिट्टी और छोटे पुलों संबंधी कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी आपूर्ति, निर्माण कार्य और रेलपथ संपर्क प्रगति पर है। फरवरी, 2000 तक यह कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।
13.	दिवा-पणवेल	मध्य	1995-96	25.67	64.61	यह कार्य पूरा हो गया है।
14.	दिवा-पणवेल	मध्य	1995-96	42	94.86	कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। चरण I में बसई रोड़ से कामन तक 11 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और कामन से भिवंडी तक

1	2	3	4	5	6	7
						17 किलोमीटर मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भिवंडी से दीवा मार्च, 2001 में पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते अतिक्रमण हटा दिए जाएँ और धन उपलब्ध हो।
15.	पणवेल-रोहा-भूमि अधिग्रहण	मध्य	1996-97	75	4.10	भूमि अधिग्रहण 1999-2000 में पूरा होने की संभावना है।
16.	दौंड-बिगवान	मध्य	1995-96	27.68	32.43	यह कार्य मार्च, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।
17.	दिवा-कल्याण (5वीं और 6ठी लाइन)	मध्य	1999-2000	111	47.70	1999-2000 के बजट में शामिल नया कार्य है। विस्तृत नक्शे तैयार किए जा रहे हैं।
रेलवे विद्युतीकरण						
18.	उधना-जलगाँव	मध्य	1997-98	306	138.12	मार्च, 2002 का लक्ष्य है।
महानगर परिवहन परियोजना						
19.	भाण्डुप-ठाणे 5वीं और 6ठी लाइन	मध्य	1997-98	15	58.30	अनुमान स्वीकृत हैं। रेलवे भूमि से 450 झोंपड़ियों और दुकानों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास में विलंब के कारण चालू कार्य में विलंब होने की संभावना है।
20.	ठाणे-तुर्भे-नेकलवाशी	मध्य	1995-96	19	403.39	सिडको द्वारा देखी जा रह वित्तीय तंगी के कारण इसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में यह अनुसूची से पीछे चल रही है। यह परियोजना सीमित स्टेशन सुविधाओं के साथ लक्ष्य तिथि के भीतर चालू की जा सकती है लेकिन ठाणे (पूर्व) में भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण परियोजना में विलंब होने की संभावना है।
21.	बेलापुर-पणवेल दोहरीकरण	मध्य	1995-96	10.9	279.83	सिडको द्वारा देखी जा रही वित्तीय तंगी के कारण इसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में यह अनुसूची से पीछे चल रही है। यह परियोजना सीमित स्टेशन सुविधाओं के साथ लक्ष्य तिथि के भीतर चालू की जा सकती है।
22.	कुर्ला-ठाणे 5वीं और 6ठी लाइन	मध्य	1995-96	10	49.84	रेलवे भूमि पर अत्यधिक अतिक्रमण और निर्मित संरचनाओं के अधिग्रहण में विलंब के कारण कार्य की प्रगति बाधित हो रही है।
23.	सीवुड-उरान विद्युतीकरण	मध्य	1996-97	22.3	495.44	मौजूदा प्रगति 5% है। लक्ष्य मार्च, 2004 है। रेलवे का हिस्सा 163.49 करोड़ रुपये और सिडको का हिस्सा 331.49 करोड़ रुपये है। सिडको की वित्तीय तंगी के कारण परियोजना पर कार्य धीमा पड़ गया है। केवल दीर्घकालिक मदें निष्पादित की जा रही हैं।
24.	बोरीविली विरार चौहरीकरण	पश्चिम	1995-96	25.8	401.66	मूल रूप से बोल्ट योजना के अंतर्गत प्रस्तावित यह कार्य 1998 में बोल्ट से निष्कासित कर दिया गया था। विभिन्न कार्यों के लिए निविदिओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
25.	सांताक्रूज-बोरीविली 5वीं लाइन	पश्चिम	1995-96	15.8	81.17	अतिक्रमण हटाने में विलंब के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है।
26.	विरार-दहानू रोड स्वचल ब्लाक सिगनल प्रणाली	पश्चिम	1997-98	0	27.19	विस्तृत अनुमान सितंबर, 1998 में स्वीकृत कर दिए गए हैं। कार्य अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा है।
	जोड़				4604.67	

[अनुवाद]

पर्यटक सर्किट

3679. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित किए गए पर्यटक सर्किटों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन पर कितनी धनराशि ख़र्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और राष्ट्रीय पर्यटन सर्किटों का विकास करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) देश में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, असम और मेघालय राज्यों में 19 पर्यटक परिपथ अभिनिर्धारित किए गए हैं।

(ख) इन राज्यों में परिपथों सहित स्थानों के लिए प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता नीचे दिए गए अनुसार है :

	(लाख रुपयों में)	
1997-98	3132.45	
1998-99	7068.72	
1999-2000	13396.60	प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए राशि

(ग) से (ङ) पर्यटन का विकास करना मुख्य तथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, उनके प्रयासों की पूर्ति के लिए, पर्यटन मंत्रालय, उनसे विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष, प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं के लिए उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

भुज हवाई अड्डे पर सुविधाएँ

3680. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भुज हवाई अड्डे पर बड़े वायुयानों के वास्ते बुनियादी सुविधाओं, यथा इन्स्ट्रूमेन्ट लैण्डिग सिस्टम (आई. एल. एस.) राडार और अन्य आधुनिक संचार उपकरणों का अभाव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भुज हवाई अड्डे का स्तर उन्नत बनाने और उसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भुज स्थित विमानपत्तन भारतीय वायु सेना का है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा. वि. प्रा.) सिर्फ सिविल एनक्लेव का अनुरक्षण करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने प्राथमिकता के आधार पर मार्ग जन्य दिक्चालन के लिए विमानपत्तन पर अति अच्च सर्वपरास और दूरी मापक उपस्कर की व्यवस्था की है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 19.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक नये आधुनिक टर्मिनल भवन, सिविल एप्रन, टैक्सी मार्ग तथा चार दीवारी निर्मित करने की योजना है। भुज को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

3681. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) को किस तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) सहायता राशि की मंजूरी को अधिशासित करने के लिए क्या मापदंड रखे गए हैं;

(घ) क्या सरकार का बढ़ती कीमतों और जीवन यापन के खर्च में वृद्धि को देखते हुए सहायता राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अपने तीन घटकों सहित जिनका नाम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ. बी.एस.) तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एन.एम.बी.एस) ग्रामीण विकास मंत्रालय का शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इस योजना को पंचायतों तथा नगरपालिकों की सहायता से जिला स्तर पर नामित कार्यान्वयन प्राधिकरणों के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नामित विभाग के आयुक्त/सचिव को दी गई है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय समितियां होती हैं जिनका अध्यक्ष संबंधित राज्य का मुख्य सचिव होता है और जिलाधीश/आयुक्त अपने राज्यों/जिलों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण/निगरानी करते हैं।

(ख) तीन योजनाओं के अन्तर्गत अभी तक लाभान्वित लोगों/परिवारों की संख्या की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन निर्धारित मानदंड जैसे—कुल जनसंख्या, गरीबी अनुपात, कुल जनसंख्या में 65+आयु समूह का अनुपात, कुल जनसंख्या में 18-64 आयु का अनुपात, 18-64 आयु समूह में विशिष्ट मृत्यु दर की आयु तथा कुल जन्म लेने वालों में पहले दो जन्म लेने वालों का अनुपात, के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों की रिलीज एक वर्ष के दौरान दो किस्तों में की जाती है तथा जिला स्तर के प्राधिकारी को सीधे ही रुपए भेजे जाते हैं। प्रथम किस्त की रिलीज स्वयं ही होती है यदि पहले वर्ष के दौरान द्वितीय किस्त जिलों ने ले ली हो। उपलब्ध निधि के 60 प्रतिशत का उपयोग तथा संबद्ध वर्ष के लिए ए. आर/यू.सी के प्रस्तुत होने की सूचना पर ही द्वितीय किस्त की रिलीज की जाती है।

(घ) से (च) सरकार ने राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत पहले ही 01 अगस्त, 1998 से लाभ को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत शोक संतप्त परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु के कारण पर ध्यान दिए बगैर यह लाभ 01 अगस्त, 1998 से 10,000/- रुपये कर दिया गया है। आगे सहायता की धनराशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन. एस. ए. पी.)

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचित लाभान्वित लोगों/परिवारों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम					राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना					राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना				
		1995-96	96-97	97-98	98-99	99-2000	1995-96	96-97	97-98	98-99	99-2000	1995-96	96-97	97-98	98-99	99-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	466000	514946	42773	466001	466001	3916	28461	36760	38661	15305	203902	199399	378690	404039	152051
2.	अरुणाचल प्रदेश	एन.आर.	547	277	486	142	एन.आर.	10	21	41	26	एन.आर.	111	94	59	243
3.	असम	32264	48594	45853	100136	47710	1652	3837	3916	5545	1545	8888	18532	14253	18303	11442
4.	बिहार	439834	78947	705445	705471	534989	3191	11528	20654	23070	7996	79701	11941	211711	197322	50434
5.	गुजरात	447	1006	1758	2195	2195	17	169	123	123	141	एन.आर.	43	88	33	67
6.	गोवा	49011	103757	54071	66830	6010	एन.आर.	108	780	2144	287	एन.आर.	1413	1230	21460	5497
7.	हरियाणा	37700	37700	34212	37700	5801	एन.आर.	652	661	867	284	5566	9778	12907	14147	2635
8.	हिमाचल प्रदेश	4472	11530	11343	10688	10522	57	238	351	289	336	295	2943	2478	2011	1159
9.	जम्मू व कश्मीर	14765	21906	28580	35194	15139	292	627	583	478	101	5022	9301	7010	6508	2129
10.	कर्नाटक	एन. आर.	807847	765005	186825	172554	एन.आर.	1148	1412	2105	3644	एन.आर.	11730	16959	34670	244451
11.	केरल	45037	77169	96256	118974	96370	31	2711	5100	6501	2480	167	13389	27576	35438	5601
12.	मध्य प्रदेश	207219	515201	828769	731149	569407	4038	26252	47912	54353	19041	एन.आर.	92660	152907	167046	31513
13.	महाराष्ट्र	8232	124563	279660	304696	68394	155	4649	7172	20944	4428	831	37953	47004	129219	26889
14.	मणिपुर	3103	3003	7456	2720	एन.आर.	55	194	एन.आर.	66	एन.आर.	1277	355	2217	2510	26889
15.	मेघालय	641	4770	10068	8897	8761	10	39	एन.आर.	211	71	122	1397	1649	2959	1785
16.	मिजोरम	1400	1672	3596	3360	3440	24	89	14	91	64	500	1004	439	3022	2144
17.	नागालैंड	652	2708	2873	1421	एन.आर.	12	66	50	एन.आर.	एन.आर.	126	2811	831	673	एन.आर.
18.	उड़ीसा	182914	280760	279473	332290	339036	18	9765	16605	16328	11167	1524	101643	105642	151406	42541
19.	पंजाब	36500	35495	27571	36500	एन.आर.	437	1688	1364	949	96	2569	6038	8616	3742	1047
20.	राजस्थान	4059	36181	124194	240253	398195	एन.आर.	121	8001	9498	3419	एन.आर.	230	50360	48693	9005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21.	सिक्किम	एन.आर.	305	एन.आर.	2400	एन.आर.	एन.आर.	44	एन.आर.	13	एन.आर.	एन.आर.	198	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
22.	तमिलनाडु	306968	297636	400174	1539918	187602	14153	23170	26455	36184	2738	50487	177019	163189	26685	एन.आर.
23.	त्रिपुरा	4746	5987	15600	15503	15499	58	274	900	788	167	1671	19500	195000	10156	1833
24.	उत्तर प्रदेश	954437	817506	975527	981692	718953	48221	39081	31223	35624	14839	291690	470258	236820	186052	100321
25.	पश्चिम बंगाल	353900	282639	329365	346565	336941	2246	4123	7422	10827	3277	22285	57721	82839	84593	32241
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	एन.आर.	6	303	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	4	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	6	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
27.	चण्डीगढ़	एन.आर.	1368	1368	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	7	22	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
28.	दा. व न. हवेली	300	286	271	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	45	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	134	एन.आर.	5	एन.आर.
29.	दमन व दीव	86	138	95	203	262	24	55	30	9	1	24	57	7	5	एन. आर.
30.	दिल्ली	एन.आर.	10253	19814	24156	एन.आर.	एन.आर.	168	658	197	एन.आर.	एन.आर.	629	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31.	लक्षद्वीप	एन.आर.	126	112	2	एन.आर.	एन.आर.	21	54	3	एन.आर.	एन.आर.	14	32	एन.आर.	एन.आर.
32.	पांडिचेरी	एन.आर.	1500	1500	1500	1500	एन. आर.	33	25	24	1	एन.आर.	559	1444	473	365
	जोड़	3154687	4146052	5093362	6303725	4005423	78607	159377	218268	265933	91454	676647	1248766	1557292	1551233	505385

एन.आर. - असूचित

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

3682. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार हेतु रेलवे स्टेशनों के चुनाव के लिए क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं;

(ख) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले अधिकांश रेलवे स्टेशनों का चयन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों का उचित आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार सुनिश्चित करने हेतु सरकार का कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/नवीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और यह स्टेशन की कोटि और एक स्टेशन विशेष पर संभाले गए यात्री यातायात की मात्रा पर निर्भर करता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) ग्रामीण और शहरी स्टेशनों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। प्रत्येक वर्ष स्टेशनों के आधुनिकीकरण/नवीकरण का कार्य उन स्टेशनों पर आरंभ किया जाता है, जहां कहीं यातायात आवश्यकताओं के कारण यह अपेक्षित होता है। ऐसे कार्यों का एकमात्र मापदंड स्टेशन की कोटि और उस स्टेशन पर संभाले गए यात्रियों की संख्या है।

कोट्टावलासा-पलासा खंड का विद्युतीकरण

3683. श्री के. येरननायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के कोट्टावलासा-पलासा खंड का विद्युतीकरण करने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मार्ग पर मालगाड़ियाँ कब तक चलनी शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ग) दक्षिण-पूर्ण रेलवे के पलासा-भुवनेश्वर खंड पर कार्य को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) इस खंड पर मार्च, 2000 तक विद्युत कर्षण से माल गाड़ियों के चलाए जाने की संभावना है।

(ग) पलासा-भुवनेश्वर खंड पर विद्युतीकरण संबंधी कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते कि पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध हों।

सोलापुर-तुलजापुर-उसमानाबाद नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

3684. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोलापुर-तुलजापुर-उसमानाबाद नई रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य काफी पहले पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिकाओं द्वारा एकत्र किए गए ठोस अपशिष्ट से विद्युत

3685. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी. आई. डी. सी. ओ. चेन्नई द्वारा चेन्नई के नजदीक पेरूनगुडी में नगरपालिकाओं द्वारा एकत्र किए गए ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन हेतु एनर्जी डेवलपमेंट लि. आस्ट्रेलिया को निविदा प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नौवीं योजना में ऐसी और विद्युत परियोजनाओं को आरंभ किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) टी. आई. डी. सी. ओ. ने चेन्नई के नजदीक पेरूनगुडी में म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन हेतु मैसर्स ई. डी. एल. इंडिया प्रा. लिमि., नई दिल्ली, जो मैसर्स एनर्जी डेवलपमेंट लिमि., आस्ट्रेलिया की एक सम्बद्ध कम्पनी है, को एक परियोजना प्रदान की है। भाप गैसीकरण की प्रौद्योगिकी पर आधारित यह संयंत्र 600 टन म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से प्रतिदिन 14.85 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता होने का प्रस्ताव करता है और इस संयंत्र की लागत लगभग 160.00 करोड़ रुपये होगी।

(ग) और (घ) जी, हाँ। इस मंत्रालय द्वारा नवीं योजना की अवधि के लिए 42 मेगावाट की समग्र क्षमता के साथ 'शहरी, नगरीय और औद्योगिकी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति' पर परियोजनाएँ स्थापित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। तथापि कोई राज्यवार लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में चेयर कार की सुविधा

3686. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में चेयर कार सुविधा फिर से शुरू करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जबकि पहले इसी ट्रेन में यह सुविधा देना बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूल कुर्सीयान शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हुबली विमानपत्तन से चलने वाली विमान उड़ानें

3687. श्री एच. जी. रामुलू :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें हुबली से चल रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हुबली से बेल्लारी होकर बैंगलौर तक नियमित विमान उड़ानों हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवा संबंधी आवश्यकता की बेहतर सेवा की दृष्टि से मार्ग संवितरण मार्गदर्शी-सिद्धांत निर्धारित किए हैं। तथापि, यह विमान कंपनियों पर निर्भर करता है कि वे अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएँ मुहैया करे।

दिल्ली-कोचीन उड़ान

3688. श्री पी. सी. थामस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-गोवा-कोचीन उड़ान रद्द कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोचीन से दिल्ली आते हुए मुम्बई में विमान बदलने से कोचीन-दिल्ली वाया मुम्बई उड़ान में व्यवधान पड़ रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) बी-737 विमान से दिल्ली-गोवा-कोचीन तथा वापसी मार्ग पर प्रचालित मार्ग की 1.11.1999 से निम्न प्रकार से पुनः संरचना कर दी गई है :

दिल्ली-गोवा-दिल्ली	ए-320 दैनिक
दिल्ली-मुम्बई-कोचीन	ए-300 दैनिक तथा वापसी।

इस पुनःसंरचना से, दिल्ली-गोवा, दिल्ली/कोचीन तथा मुम्बई/कोचीन मार्गों पर वर्धित क्षमता उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) प्रचालनों की अनुसूची के अनुसार, मुम्बई में विमान परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी कभी-कभी कुछ सैक्टरों के लिए उपयुक्त विमानों की अनुपलब्धता के कारण, प्रचालनात्मक कारणों से मुम्बई में विमान परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है।

[हिन्दी]

जे. आर. वाई./ई. ए. एस. के तहत वित्तीय सहायता

3689. श्री अमीर आलम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रोजगार आश्वासन योजना तथा जवाहर रोजगार योजना के तहत अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा अतिरिक्त राशि को अब तक आबंटित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) चालू वर्ष में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियाँ प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, राज्य सरकार ने सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजना के लिए निधियाँ निर्धारित करने का अनुरोध किया है। वाटरशेड के अंतर्गत लम्बित कार्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 10.9.99 को 27.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 11 सूखा प्रभावित जिलों हेतु जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 24.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि का अनुरोध किया है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी अतिरिक्त निधियों का प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

रोगियों को स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए पोर्ट ब्लेयर से विमान किराया

3690. श्री विष्णु पद राय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पोर्ट ब्लेयर से इलाज के लिए चेन्नई/कलकत्ता रैफर किये गए मरीजों को 4-5 विमान टिकटों के स्थान पर केवल एक टिकट से यात्रा करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अनुकंपा आधार पर इंडियन एयरलाइंस अब दिनांक 26.11.1999 से पोर्ट ब्लेयर के लिए/वहाँ से अपनी उड़ानों पर स्ट्रेचर संबंधी मामलों के संबंध में केवल चार वयस्क यात्रियों के बराबर का किराया ही चार्ज कर रही है जबकि पहले यह किराया सात वयस्क यात्रियों के बराबर था। स्ट्रेचर संबंधी मामलों के लिए वर्तमान किराया उस छूट से भी कम बैठता है जो 26.11.1999 से पूर्व प्रचलन में था।

[हिन्दी]

दिल्ली से गया की सीधी उड़ान

3691. डॉ. संजय पासवान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से गया तक सीधी विमान सेवा आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गया के लिए उक्त विमान सेवा को कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एयरलाइन आपरेटर उन मार्ग-संवितरण मार्गदर्शी-सिद्धांतों जिनके अनुसार मार्गों की विशिष्ट श्रेणियों के अन्तर्गत कतिपय न्यूनतम प्रचालनों के संबंध में व्यवस्था है, का अनुपालन करते हुए अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर इन स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

पर्यटक ट्रांसपोर्टरों को नये प्रोत्साहन

3692. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने नये प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित कोई ज्ञापन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने केन्द्रीय बजट के उद्देश्य से—उत्पाद तथा सीमा शुल्क के ढांचे तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान ढांचा के संदर्भ में भारतीय पर्यटक परिवहन संघ के विचार एवं सुझाव जानने के लिए उन्हें एक पत्र लिखा है। इसके जवाब में संघ ने अपने प्रस्ताव/सुझाव प्रस्तुत कर दिए हैं।

चालकदल के बगैर डी. एम. यू. का चलना

3693. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन बोगियों वाली एक डीजल मल्टीपल यूनिट ट्रेन 15 नवंबर, 1999 को लुधियाना से जालंधर की ओर बगैर चालक दल और सवारियों के चल पड़ी थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त घटना के मामले में कोई जाँच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) चालक ने ड्राइवर केबिन छोड़ने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

(ग) जी हाँ।

(घ) चालक को निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

हीथ्रो विमानपत्तन (ब्रिटेन) पर विमानों के उतरने की समय अवधि

3694. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के विमानों को हीथ्रो विमानपत्तन (ब्रिटेन) पर उतरने के लिए प्राथमिकता प्राप्त समय अवधि नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि एयर इंडिया ने विमानों को प्राथमिकता प्राप्त समय अवधि पर उतरने के लिए लागू निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) एयर इंडिया इस समय हीथ्रो विमानपत्तन पर 20 आगमन तथा 20 प्रस्थान स्लॉट नियंत्रित करती है। जून, 1999 में शीतकाल 1999-2000 के लिए आयोजित आयटा स्लॉट समन्वय बैठक के दौरान, लंदन होकर अधिक मार्गस्थ आवृत्तियों की सुविधा देने हेतु अतिरिक्त स्लॉट के लिए तथा कुछ मौजूदा स्लॉट के समय में सुधार के एयर इंडिया के अनुरोध को हीथ्रो विमानपत्तन पर जमघट हो जाने की आशंका को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट कोआर्डिनेशन लिमिटेड, यू. के. के प्रतिनिधि इस पर सहमत नहीं हुए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा संयंत्र की संस्थापना

3695. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत मथानिया गाँव में सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापित किए जाने का कार्य कब से चल रहा है और अब तक इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संयंत्र को चालू वर्ष के दौरान शुरू करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो यह संयंत्र कब तक शुरू हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत मथानिया गाँव में स्थापित की जाने वाली 140 मेगावाट की एकीकृत सौर संयुक्त चक्र (आई. एस. सी. सी) विद्युत परियोजना का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तदनुसार इस परियोजना पर अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के लिए मथानिया गाँव में 100 हैक्टेयर की भूमि आवंटित की है। संबंधित प्राधिकरणों द्वारा फ्यूल लिंक, जल की उपलब्धता तथा विद्युत निकासी की सुविधाओं के लिए भी पुष्टि की गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक क्लियरेंस प्रदान कर दी गई है। विश्व बैंक और जर्मनी के, के. एफ. डब्लयू. द्वारा परियोजना का मूल्यांकन भी पूर्ण कर लिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, आवश्यक अनुमोदनों और कार्य शुरू किए जाने के पश्चात् परियोजना की कार्यान्वयन अवधि तीन वर्ष है।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने की प्रणाली

3696. श्री विजय गोयल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कोई ऐसी प्रणाली विकसित की है जिससे रेल दुर्घटनाओं को टाला जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किस प्रकार दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा;

(ग) क्या यह प्रणाली रेलवे के लिए उपयुक्त है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कितना खर्च आने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) जी नहीं। ऐसी कोई विश्वसनीय प्रणाली विकसित नहीं की गई है जिससे रेल दुर्घटनाएँ रोकी जा सके। बहरहाल, गाड़ी परिचालन में संरक्षा एक चालू एवं सतत् प्रक्रिया है। संलग्न विवरण में सूचीबद्ध संरक्षा संबंधी उपायों को उत्तरोत्तर कार्यान्वित करके दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय किए जाते हैं, जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

विवरण

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए उपायों का सार

(i) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(ii) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(iv) रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे के तुगलकाबाद-मथुरा खंड के लिए परीक्षण के आधार पर सहायक चेतावनी प्रणाली की पायलट परियोजना को स्वीकृति दे दी है।

(v) सभी सवारी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वाकी-टॉकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं। माल गाड़ी के ड्राइवरों और गार्डों को भी ये सप्लाई किए जा रहे हैं तथा 31 मार्च, 2000 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

(vi) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टेपिंग और मिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(vii) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(viii) पटरियों में दरारों और वैल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए 96 और दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की जा रही है।

(ix) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(x) धुरों के कोल्ड ब्रेकज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है।

(xi) चौकीदार सहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधों व सड़क चिन्ह मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(xii) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(xiii) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोक-थाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(xiv) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अन्तःअनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जाँच शुरू की गई है।

(xv) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी शामिल है।

(xvi) विनिर्दिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुरश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(xvii) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xviii) कर्मचारियों से संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा की संभाव्यता

3697. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसुलीपटनम के निकटवर्ती क्षेत्रों और इसके साथ लगे समुद्रतटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की संभाव्यता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सर्वेक्षण कब किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) पवन विद्युत उत्पादन के लिए संभाव्यता वाले स्थलों का पता लगाने के लिए अगस्त, 1997 से जून, 1999 के दौरान मसुलीपटनम के निकट यनम और पूर्वी तट पर अन्य स्थलों जैसे करईकल, वेदरानयम, पूमफुर, पांडिचेरी तथा इन्नौर पर पवन ऊर्जा सर्वेक्षण आरंभ किया गया था। इस सर्वेक्षण ने दर्शाया है कि पूर्वी तट पर पवन संसाधन विद्युत उत्पादन के लिए पवन का मितव्ययी दोहन करने के लिए यथेष्ट रूप से समुचित नहीं है।

(ग) इन स्थलों से प्राप्त पवन आँकड़े सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तथापि, कम पवन संसाधन के कारण, इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों व विकासकर्त्ताओं को आकर्षित नहीं किया गया है।

विशाखापत्तनम हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास

3698. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हाँ। तथापि, यह विमानपत्तन नौसेना का है जहाँ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल एन्क्लेव का रख-रखाव करता है। इस विमानपत्तन के तीन ओर नजदीक ही पहाड़ी क्षेत्र होने तथा एयरलाइन आरपेटरों की ओर से कोई माँग न होने की वजह से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस समय इस विमानपत्तन का एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में स्तरोन्नयन करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

अतिरिक्त भूमि

3699. श्री दिन्शा पटेल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार शुरू की गई योजना प्रक्रिया के अंतर्गत देश में कुल कितनी अतिरिक्त भूमि की पहचान की गई और उसे योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) सरकार के अधिकार के अंतर्गत वास्तविक भूमि का कुल मूल्य क्या है और 31 मार्च, 1999 तक तथा इस अवधि के दौरान राज्यवार पुनः वितरित की गई भूमि का मूल्य क्या है; और

(ग) राज्यवार असंतुलन, यदि कोई हो, के संदर्भ में उच्चतम सीमा से अधिक भूमि की पहचान, अधिग्रहण और पुनर्वितरण के कार्य में सरकार द्वारा क्या आकलन किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1999 तक राज्यवार अधिकार में लिए गए और वितरित किए गए उच्चतम सीमा से अधिक अनुमानित भूमि क्षेत्र (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 26वां चक्र, जुलाई 1971–सितम्बर, 1972) को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) राजस्व सचिवों/राजस्व मंत्रियों/मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों जैसे विभिन्न मंचों पर अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतम सीमा से अधिक भूमि के वितरण सहित, भूमि सुधार संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इस विषय में लिए गए निर्णयों को, इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

विवरण

31 मार्च, 1999 तक (क्षेत्र लाख एकड़ में)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	अनुमानित अतिरिक्त भूमि, 26वां चक्र, जुलाई 71–सितम्बर,72	अधिकार में लिया गया क्षेत्र	वितरित किया गया क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	20.98	6.40	5.79
2.	असम	—	5.75	4.84
3.	बिहार	2.82	3.89	3.08
4.	गुजरात	10.33	1.60	1.38
5.	हरियाणा	0.44	1.02	1.01
6.	हिमाचल प्रदेश	—	3.05	0.04
7.	जम्मू और कश्मीर	—	4.50	4.50
8.	कर्नाटक	12.15	1.62	1.19
9.	केरल	0.54	0.96	0.65
10.	मध्य प्रदेश	11.19	2.63	1.20
11.	महाराष्ट्र	13.96	5.53	5.35

1	2	3	4	5
12.	मणिपुर	—	0.02	0.02
13.	उड़ीसा	1.09	1.67	1.56
14.	पंजाब	0.47	1.06	1.04
15.	राजस्थान	38.08	5.66	4.60
16.	तमिलनाडु	4.03	1.85	1.73
17.	त्रिपुरा	—	0.02	0.02
18.	उत्तर प्रदेश	2.37	3.41	2.58
19.	पश्चिम बंगाल	0.34	12.70	10.33

पवन-विद्युत परियोजना

3700. श्री पी. कुमारासामी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी निवेशकों और डेवलपर्स ने 1991 में वाणिज्यिक पवन-विद्युत परियोजनाएँ लगाने में अग्रता हासिल की थी और फिर जून, 1999 के अंत तक देश के 1025 मेगावाट पवनशक्ति-स्थापन में से 700 मेगावाट से अधिक स्थापन करके तमिलनाडु सबसे आगे रहा;

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं में तीव्र ह्रास के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु में पवन-ऊर्जा के उपयोग के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) जी हाँ। 1077 मेगावाट की पवन विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता में से तमिलनाडु राज्य 757 मेगावाट की समग्र पवन विद्युत क्षमता के साथ देश में पवन विद्युत विकास में सबसे आगे है।

(ख) संस्थापनाओं की वर्तमान धीमी गति मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हो सकती है—सामान्य आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य; न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम. ए. टी) का शुरू किया जाना; तीव्र मूल्य ह्रास से लाभ की मात्रा पर निगम कर दर की कटौती का प्रभाव; प्रमुख संभाव्यता वाले क्षेत्रों में अपर्याप्त विद्युत निकासी सुविधाएँ और कतिपय राज्यों में, भूमि-आवंटन, वन संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा अन्य अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब का होना है।

(ग) तमिलनाडु राज्य में पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए 39 संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान की गई है। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए राजकोषीय एवं संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध है। पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की व्हीलिंग, बैंकिंग तथा खरीद-वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा आकर्षक नीति प्रस्तुत की गई है। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से उदार ऋण भी उपलब्ध है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का उत्पादन

3701. श्री रतनलाल कटारिया : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का उत्पादन करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हाँ। देश में पवन, बायोमास, लघु पनबिजली और सौर ऊर्जा जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से लगभग 1600 मेगावाट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है। इन परियोजनाओं को ज्यादातर निजी निवेशों के माध्यम से वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में प्रारंभ किया गया है। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए राजकोषीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के व्हीलिंग, बैंकिंग, खरीद-वापसी तथा तृतीय पक्ष को बिक्री के लिए अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में आकर्षक नीतियां घोषित की गई हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से उदार ऋण भी उपलब्ध हैं। संसाधन मूल्यांकन एवं अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त सरकार द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता के माध्यम से कुछ सीमित प्रदर्शन परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। गैर सरकारी संगठनों को भी, सौर प्रकाशवोल्टीय, बायोमास गैसीफायर और लघु पनबिजली पर आधारित मुख्यतः ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत बिजली उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं में शामिल किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मॉक ड्रिल्स

3702. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास असामान्य परिस्थितियों और दुर्घटनाओं के उत्पन्न होने पर रेलवे कर्मचारियों को शिक्षित करने हेतु छद्म कवायद (मॉक ड्रिल्स) की कोई पद्धति है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कवायदें दुर्घटना संभावित दक्षिण मध्य रेलवे में आम बात हो गई है;

(ग) टक्कर, पटरियों के टूटने और रेलगाड़ियों के पटरियों से उतरने की घटनाएं कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के कर्मचारियों को तत्काल कार्रवाई करने हेतु बोध कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां। रेलों पर, राहत उपकरणों को अच्छी हालत में रखने और दुर्घटना के बाद राहत कार्यों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए कर्मचारियों को सतर्क रखने के उद्देश्य से आवधिक मॉक ड्रिल करने की प्रणाली मौजूद है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी हां। दक्षिण मध्य रेलवे के कर्मचारियों के नियम संबंधी ज्ञान की जांच करने के लिए संरक्षा अधिकारियों/परामर्शदाताओं द्वारा उनका समय-समय पर निरीक्षण/उन्हें परामर्श दिया जाता है। इसके अलावा, गाड़ियों को सुरक्षित रूप से चलाने तथा आपातकालीन परिस्थितियों से कुशलता से निपटने के लिए कर्मचारियों के लिए समय-समय पर आवधिक बैठकें/सेमीनार भी आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रयोजन के लिए आवधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

विवरण

भारतीय रेलों पर संरक्षा उपाय

1. मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन कार्यों में तेजी लाई गई है।

2. मुख्य लाइन स्टार्टर सिगनल को 'आन' स्थिति में लाने के लिए स्वचल रिवर्सल व्यवस्था आरंभ की गई है और इसमें तेजी लाई गई है।

3. जब तक पूर्ववर्ती गाड़ी के लिए स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर सिगनल पुनः पहले वाली स्थिति में नहीं हो जाते तब तक स्लॉट न देने के लिए सिगनल परिपथन में उत्तरोत्तर परिवर्तन किया जा रहा है।

4. अंतिम लूप सिगनल पर स्टेशन मास्टर का स्लाइड नियंत्रण भी मुहैया कराया जा रहा है।

5. सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय के कार्यालय में होम, स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर सिगनल के संकेत दर्शाने के लिए रिपीटर की व्यवस्था भी शुरू की गई हैं।

6. दुर्घटना के मामले में विपरीत दिशा से आ रही गाड़ियों के ड्राइवरों को संकेत देने के लिए रेल इंजनों पर फ्लैशर लाइटें भी संस्थापित की गई है ताकि आगे और दुर्घटना न होने पाए।

7. स्वचल क्षेत्र में ड्राइवरों द्वारा नियमों का अनुपालन किए जाने की स्थिति पर घात लगाकर जांच करके निगरानी की जा रही है।

8. गार्डों के लिए धीरे-धीरे इलैक्ट्रॉनिक फ्लैशिंग टेल लैम्पों की व्यवस्था की जा रही है जिनमें मिट्टी के तेल के परम्परागत लैम्पों की तुलना में बेहतर दृश्यता होती है।

9. नौवीं पंचवर्षीय योजना (1.4.97) के शुरू में लगभग 9000 किलोमीटर रेलपथ का नवीकरण कार्य बकाया था। यह प्रस्ताव है कि नौवीं योजना में ट्रंक मार्गों और मुख्य लाइन खंडों पर रेलपथ नवीकरण के कार्य को तेज किया जाए।

10. संरक्षा, आरामदेह चालन तथा विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए 90 आर. की पूर्ववर्ती पटरियों को 52 किलोग्राम तथा 60 किलोग्राम की अपेक्षाकृत भारी अपग्रेडिड पटरियों से योजनाबद्ध तरीके से बदला जा रहा है।

11. ट्रंक मार्गों तथा मुख्य लाइनों में लकड़ी और इस्पात के स्लीपरों के बदले लचीले जुड़नारों वाले पीआरसी स्लीपरों का उपयोग करके उत्तरोत्तर रेलपथ संरचना को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

12. झलाई करके तथा फिश प्लेट के जोड़ों को हटा करके इकहरी पटरियों और छोटी झलाईयुक्त पटरी पैनलों को लंबे झलाईयुक्त और सतत् झलाईयुक्त पटरी पैनलों में उत्तरोत्तर रूप से परिवर्तित किया जा रहा है।

13. बेहतर और उन्नत रेलपथ अनुरक्षण के लिए परम्परागत मैनुअल अनुरक्षण के स्थान पर यंत्रीकृत रेलपथ अनुरक्षण उत्तरोत्तर रूप से शुरू किया जा रहा है।

14. रेलपथ ज्यामितीय और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर नजर रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी कार, दोलन कारों और पोर्टेबल एक्सिलरोमीटरों का उत्तरोत्तर रूप से उपयोग किया जा रहा है।

15. पटरी में छिपे दोषों, जो सहज ही दिखाई नहीं पड़ते, का पता लगाने के लिए पराश्रव्य दोष संसूचकों का उपयोग किया जाता है।

16. फैन शेप्ड टर्न आउटों और कर्व्ड स्विचों का उत्तरोत्तर रूप से उपयोग करके कांटों और पारणों पर पटरी से उतरने की घटनाएं कम की जा रही हैं जिससे इस समय उपलब्ध सेफ्टी मार्जिन में बढ़ोत्तरी हुई है।

17. इस भेद्य क्षेत्र में अनुरक्षण मानकों में सुधार करने के लिए रेलपथ और सिगनल निरीक्षकों द्वारा कांटों और पारणों पर संयुक्त निरीक्षण पर बल दिया जा रहा है।

18. आवधिक ओवरहाल/नेमी ओवरहाल के दौरान ब्रेक गियर, रोलर बेयरिंग और बोगी फ्रेम की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

19. यह सुनिश्चित करने के लिए अचानक जांच की जा रही है कि सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में पर्याप्त ब्रेक पावर उपलब्ध है।

20. कारखानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्हें रोलर बेयरिंग, लेमिनेटेंड स्प्रिंग और स्लैक एडजस्टर बैरल सेक्शन, जिनका संरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, के लिए आईएसओ 9002 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

21. चार मीटर लाइन वाले कारखानों को बड़ी लाइन वाले कारखानों में परिवर्तित करके सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहाल क्षमता बढ़ाई गई है।

22. रनिंग कर्मचारी और स्टेशन कर्मचारी के बीच सही संकेत का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने तथा खतरनाक और असुरक्षित मालडिब्बों पर नजर रखने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

23. इसी प्रकार, गाड़ी के गुजरने के दौरान हॉट बाक्स का पता लगाने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में विमान चालक

3703. श्री पी. आर. खूंटे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विमान चालकों की संख्या कितनी है;

(ख) इस समय अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संसबंधित कितने विमान चालक प्रशिक्षण ले रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को अधिक रोजगार प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में इस समय कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विमान चालकों की संख्या क्रमशः 33 तथा 28 है।

(ख) एअर इंडिया में प्रशिक्षणाधीन अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विमान चालकों की संख्या 6 है। इंडियन एयरलाइंस में इस समय इन वर्गों का कोई विमान चालक प्रशिक्षणाधीन नहीं है।

(ग) और (घ) एअर इंडिया में इस समय 5 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति तथा 6 अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार नियोजन-पूर्व चिकित्सा जांच के लिए गए हुए हैं तथा चिकित्सा जांच में उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें प्रशिक्षु विमान चालकों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इंडियन एयरलाइंस ने हाल ही में, प्रशिक्षु विमान चालकों की भर्ती के लिए 24 पदों (4 अनुसूचित जाति, 5 अनुसूचित जनजाति, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 12 सामान्य) को अधिसूचित करते हुए एक विज्ञापन दिया है। उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता के आधार पर आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए नियमित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइन के बीच सौदा

3704. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइन के बीच एक-दूसरे की सवारियों को ढोने हेतु कोई सौदा विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एअर इंडिया तथा सिंगापुर एयरलाइंस के बीच एक कोड-शेयर करार के संबंध में जनवरी, 1998 में एक गठबंधन करार हुआ है जिसके अंतर्गत सिंगापुर एयरलाइंस एअर इंडिया को सहमत मूल्य पर अमेरिका के पश्चिम तट, केनेडा, न्यूजीलैंड तथा आस्ट्रेलिया में सिंगापुर के परे स्थलों के लिए अपनी उड़ानों पर सीटों का एक ब्लॉक मुहैया करेगी।

पश्चिमी उड़ीसा में हवाई अड्डे का निर्माण

3705. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी उड़ीसा में एक हवाई अड्डा बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर मुक्त रेल बांड

3706. डा. वी. सरोजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न लंबित और नई रेल परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु कर मुक्त रेल बांड जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय रेल वित्त निगम (आई आर एफ सी) को वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान 200 करोड़ रुपये के मूल्य के कर मुक्त बाण्ड जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस राशि का उपयोग रेलों के लिए चल स्टॉक की खरीद का वित्तपोषण करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवा

3707. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर रहे रेलवे कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1999-2000 के दौरान और अस्पताल चिकित्सालय इत्यादि स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पूरे देश में फैले 124 रेलवे अस्पतालों और 657 स्वास्थ्य इकाइयों के जरिए रेल कार्मिकों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की एक सुविकसित प्रणाली मौजूद है। इसके अलावा, रेलकार्मिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दिलाने के उद्देश्य से कुछ मशहूर गैर रेलवे चिकित्सालयों को भी मान्यता दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय शस्त्रागार को रक्षा-सामग्री की आपूर्ति के लिए परिवहन

3708. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शस्त्रागार, कानपुर में रक्षा-सामग्री की आपूर्ति के लिए रेल-वैगनों के स्थान पर असैनिक भारी ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच भी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) रक्षा-सामग्री के वहन के लिए रेल-वैगन प्रणाली को पूर्णरूपेण कब तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा सामान की आपूर्ति के वास्ते रेलवे वैगनों और किराए के सिविल परिवहन दोनों को ही लाया जा रहा है।

(ख) रेलवे द्वारा केवल पूरे रैक ही स्वीकार किए जाते हैं जिससे सामान को थोड़ा-थोड़ा करके किराए के सिविल परिवहन से भेजा जाना जरूरी हो जाता है। तात्कालिक जरूरत के सामान को भी किराए के सिविल परिवहन से भेजा जाता है।

(ग) और (घ) कुछ शिकायत मिलने की वजह से एक जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच-कार्य अभी पूरा होना है।

(ङ) रेलवे वैगनों की उपलब्धता की कमी होने, स्थलों का रेलों से सीधे न जुड़े होने आदि की वजह से विभिन्न यूनिटों द्वारा मंगाए गए तत्काल जरूरत के सामान को भेजने के मामले में रक्षा सामान पूरी तरह से रेल द्वारा परिवहन करना संभव नहीं होगा।

ग्लेशियर पर तैनात सैनिकों हेतु कपड़े

3709. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रामसागर रावत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1999 के 'इंडिया टुडे' में 'हाफ आफ द फ्रंटलाइन ट्रुप्स डोन्ट हैव ग्लेशियर क्लोदिंग-प्राईस आफ आस्टेरिटी—ए डिकेड आफ कास्ट कटिंग एण्ड डिल्ली डेलियिंग आन परचेस कम्स बैक टू हाऊन्ट द फोरसेंस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के संबंध में इसकी घटिया व्यवस्था के क्या कारण हैं; और

(घ) सशस्त्र बलों की कपड़ों तथा हथियारों की कमी को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष ग्लेशियर वस्त्र केवल ग्लेशियर क्षेत्र के लिए ही प्राधिकृत हैं। अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों सहित सभी अन्य अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों जैसे कारगिल में अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पहनने योग्य वस्त्र प्राधिकृत हैं। ग्लेशियर वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि ग्लेशियर क्षेत्र में भेजी गई सैन्य टुकड़ियों के लिए प्राधिकृत किए गए वस्त्रों के सैटों के अतिरिक्त उतनी ही संख्या में सेट सेना मुख्यालय के पास रिजर्व के रूप में रखे जाने के लिए प्राधिकृत हैं। 'ऑपरेशन विजय' की अप्रत्याशित आवश्यकताओं की पूर्णरूपेण पूर्ति कमान मुख्यालय/सेना मुख्यालय में रिजर्व के रूप में रखे गए वस्त्रों से की गई है।

(ग) और (घ) सेना मुख्यालयों द्वारा संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए सेनाओं की वस्त्र और हथियार संबंधी आवश्यकता की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर खरीद योजना के अनुसार इसे पूरा किया जाता है।

महाराष्ट्र में हवाई पट्टी के निर्माण को मंजूरी

3710. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कुछ चुनिंदा स्थानों पर हवाई पट्टियों के निर्माण की मंजूरी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार के एक उपक्रम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने शिरडी, महाड, मल्कापुर, पारूला, म्हापन, पर्ली तथा परभनी में हवाई पट्टियों के निर्माण के लिए अनुमति मांगी थी। शिरडी, महाड, मल्कापुर तथा पारूला में प्रस्तावित हवाई पट्टियों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम से यह अनुरोध किया गया है कि वह पर्ली तथा परभनी के बारे में अपने प्रस्तावों पर पुनः विचार करें क्योंकि इन स्थानों की हवाई पट्टियों की वजह से इस क्षेत्र में वायु सेना की उड़ान संचालन व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने म्हापन से संबंधित शेष एक प्रस्ताव वापस ले लिया है।

निजी पर्यटन रेलें

3711. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार निजी पर्यटन रेलगाड़ियों को चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल मार्गों पर निजी पर्यटन रेलगाड़ियों को कब तक चलाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दो पर्यटक रेल गाड़ियां, एक उत्तर भारत में तथा दूसरी दक्षिण भारत में चलाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) निजी स्वामित्व वाली रेल गाड़ियों के वर्ष 2001 तक शुरू हो जाने की संभावना है।

आयुध कारखानों में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

3712. डा. रमेश चंद तोमर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयुध कारखानों में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित कोई आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुध कारखानों में उनका वर्तमान नियोजन करते समय उनके द्वारा सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा शामिल नहीं की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त 'क' के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आयुध निर्माणियों में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देते समय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और अनुदेशों के अनुसार सशस्त्र सेनाओं में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि को भी ध्यान में रखा जाता है।

फ्रांसीसी गेहूं का आयात

3713. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 28 अगस्त, 1999 के 'द डेक्कन क्रॉनिकल' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार देश में भारी फसल के बावजूद भारतीय गैर सरकारी आयातकों ने फ्रांसीसी गेहूं का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गैर सरकारी व्यापारियों द्वारा इस प्रकार के गेहूं के आयात को रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से निवारक उपाय किये जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) गेहूं की मौजूदा निर्यात-आयात नीति के अनुसार गेहूं का आयात भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरणीबद्ध है। तथापि, गेहूं की घेरलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 13.12.1996 से रोलर फ्लोर मिलों को अनुमति दी गई थी कि वे अपने ठेके कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपडा) के पास पंजीकृत कराने के पश्चात् मिलिंग के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपभोग की शर्त के अधीन अपनी जरूरतों को पूरा करने और इस आयातित गेहूं से प्राप्त आटे को घरेलू बाजार में बेचने के लिए मुक्त रूप से गेहूं का आयात कर सकते हैं। 5.10.1998 से अब रोलर फ्लोर मिलें आयातित गेहूं से तैयार आटे का निर्यात कर सकती हैं और आयातकों के लिए केवल आयात और निर्यात के ब्यौरे के बारे में अपडा को सूचित करना अपेक्षित होगा। राज्य व्यापार निगम/भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम/प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कारपोरेशन को भी रोलर फ्लोर मिलों की ओर से गेहूं का आयात करने की अनुमति दी गई है। 1999-2000 के दौरान रोलर फ्लोर मिलों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम द्वारा 24,640 टन फ्रेंच गेहूं का आयात किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) 1.12.1999 से गेहूं के आयात पर 50 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया गया है।

समखियाली-पालनपुर एम. जी. रेलगाड़ी चलाना

3714. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की विशेष प्रयोजन संबंधी समिति (एस. पी. सी.) ने समखियाली-पालनपुर एम. जी. रेलगाड़ी चलाने के लिए सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रेलवे में 'विशेष प्रयोजन समिति' नाम से कोई समिति नहीं है। इस समय समखियाली-पालनपुर मीटर लाइन खंड 2 जोड़ी गाड़ियों से सेवित है।

समखियाली जं. और पालनपुर जं. के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.)

3715. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से राज्यवार कितनी परियोजनाएँ शुरू की गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र से कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ है तथा केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों ने कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ग्लोबल एन्वायरमेन्ट फेसीलिटी हिली हाइड्रो के अंतर्गत 1994 में आरंभ की गई परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, यू. एन. डी. पी. सहायता प्राप्त निम्नलिखित दो परियोजनाएँ आरंभ की गई हैं :

(i) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) ग्लोबल एन्वायरमेंट फेसीलिटी (जी. ई. एफ.) ने 2,97,000 अमेरिकी डॉलर के संयुक्त राष्ट्र के अनुदान से परियोजना की तैयारी व विकास सुविधा के लिए 'भारत में ईंधन सैल बस विकास' (फ्यूल सैल बस डेवलपमेंट) नामक परियोजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इस परियोजना में कोई राज्यवार श्रेणीकरण नहीं है तथा इसे हैदराबाद के भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने इस परियोजना को सम्भार तंत्र की सहायता उपलब्ध कराई है और इस प्रकार अभी तक संघ सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ii) भारत सरकार/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम को 11 अगस्त, 1998 को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल यू. एन. डी. पी. सहायता से अनुमोदित किया गया था। अब तक 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की यू. एन. डी. पी. सहायता प्राप्त तीन उप-कार्यक्रमों को इस ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित व अनुमोदित किया गया है। इन उप-कार्यक्रमों का कार्यान्वयन उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम व सिक्किम राज्यों में किया जाएगा। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है। तथापि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले अक्षय ऊर्जा उपकरणों के लिए, आर्थिक राज सहायता उपकरणों की स्थापना के समय लागू प्रचलित आर्थिक राज सहायता के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगीं।

(ग) नहीं, यू. एन. डी. पी/जी. ई. एफ. सहायता प्राप्त हिली हाइड्रो परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार के शीर्षस्थ अधिकारियों को हटाना

3716. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अक्तूबर, 1999 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'डेस्पाइट सी. वी. सी. प्रोब, टाप सुपर बाजार ऑफिसियल्स रीहेबिलीटेटेड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुपर बाजार का उच्च प्रबन्ध वर्ग व्यापक पैमाने पर कदाचारों और भ्रष्टाचारों में लिप्त है जिसमें नियमों का पूरी तरह उल्लंघन करके लोंगोवाल टावर कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का ठेका वी. वी. कंस्ट्रक्शन को देने का मामला भी शामिल है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से इस परियोजना की निविदा तथा सुपर बाजार में मदों की खरीद में बरती गई अन्य अनियमितताओं की जाँच करने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने सुपर बाजार के कामकाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (छ) सरकार को प्रश्न में उल्लिखित समाचार की जानकारी है। सुपर बाजार में एक सतर्कता विभाग है, जिनका मुखिया एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है और जब भी ऐसे आरोप प्राप्त होते हैं उनको मामले की जाँच के लिए सतर्कता विभाग को भेज दिया जाता है। मुख्य सतर्कता आयोग में लौंगोवाल टावर का ठेका देने में कथित अनियमितताओं का मामला सरकार के पास भेजा था और सरकार ने जुलाई, 1999 में सुपर बाजार के प्रबंधकों को निदेश दिया था कि परियोजना के संबंध में आगे की सभी कार्यवाहियों को आस्थगित रखा जाए। सरकार को सूचित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और सरकार के निर्देशों का पालन किया गया है। सरकार ने नवम्बर, 1999 में सुपर बाजार के प्रबंधकों से यही भी कहा था कि सुपर बाजार के निदेशक मंडल की 19.11.99 को होने वाली बैठक में अनियमितताओं आदि के विभिन्न मामलों पर विचार किया जाए। सुपर बाजार के निदेशक मंडल ने 19.11.99 को हुई बैठक में इस मामले पर विचार किया था और यह निर्णय किया कि इसे, विशेषकर राजेन्द्र प्लेस स्थित लौंगोवाल टावर का ठेका देने से संबंधित मामले को बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाए। जहां तक सुपर बाजार के कार्यकरण में भ्रष्टाचार को रोकने का संबंध है, ऐसे सभी मामलों पर भ्रष्टाचार निवारण तथा सतर्कता मैनुअल से संबंधित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

एन. सी. सी. योजना की समीक्षा

3717. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में देश में विशेषकर महाराष्ट्र कैडेट कोर योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बदलते परिप्रेक्ष्य में एन. सी. सी. योजना को पुनर्गठित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो चालू वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य रूप से और विशेषकर महाराष्ट्र के लिए तैयार कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) जिस सिद्धांत और अवधारणा पर राष्ट्रीय कैडेट कोर योजना की संकल्पना की गई है, वह किसी राज्य-विशेष के लिए न होकर सम्पूर्ण देश के लिए है। कार्य-निष्पादन और आवश्यकता के आधार पर राष्ट्रीय कैडेट कोर योजना की समय-समय पर सतत् पुनरीक्षा की जा रही है। हाल ही में, एक समिति द्वारा इस प्रकार की एक पुनरीक्षा की गई है। समिति की रिपोर्ट इस समय सरकार के समक्ष विचाराधीन है। समिति की सिफारिशें योजना से सम्बद्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

वैगनों की माँग

3718. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे देवास, इंदौर, उज्जैन, नागदा और रतलाम स्टेशनों की वैगनों की माँग को पूरा करने में सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलों ने अप्रैल से नवंबर 1999 तक की अवधि के दौरान देवास, इंदौर, उज्जैन, नागदा और रतलाम स्टेशनों से 17339 माल डिब्बों का संचलन किया जबकि अप्रैल-नवंबर 1993 के दौरान 127517 माल डिब्बों का संचलन किया गया जो 36% की वृद्धि का द्योतक है। रेलें भविष्य में होने वाली माँग को पर्याप्त रूप से पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3719. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र संगठनों से वित्तीय सहायता माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में क्रियान्वयन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो परियोजनाओं, माँगी गई धनराशि और विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक कन्ट्री को आपरेशन फ्रेमवर्क-1 (सी. सी. एफ-1) (1999-2000) पर हस्ताक्षर किए हैं। कन्ट्री को आपरेशन फ्रेमवर्क-1 के अंतर्गत समुदाय आधारित गरीब उन्मुख पहल कार्यक्रम (सी. बी. पी. पी. आई) एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इस कार्यक्रम के लिए 13 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता का वचन दिया है। समुदाय आधारित गरीब उन्मुख पहल कार्यक्रम में गरीबी उपशमन हेतु सामाजिक गतिशीलता और लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाने पर बल दिया गया है। इसमें क्षेत्र आधारित व्यापक और मुद्दों पर आधारित दृष्टिकोण दोनों ही सम्मिलित हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) तमिलनाडु सरकार ने 'ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना' नामक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसकी अनुमानित लागत 500.00 करोड़ रुपये है और इससे करूर, तिरूचिरापल्लि, तन्जावुर, तिरूवरूर और नागपट्टिनम के पाँच जिलों के लोगों के लाभान्वित होने की आशा है और इस प्रस्ताव को विश्व बैंक के समक्ष उनकी यथाशक्ति सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। तमिलनाडु सरकार के प्राप्त 'होगेनक्कल जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना' नामक एक परियोजना प्रस्ताव को भी विश्व बैंक के समक्ष उनकी यथाशक्ति सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत 788.00 करोड़ रुपये है और इससे धर्मापुरी और कृष्णगिरि क्षेत्रों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम, धर्मापुरी, तिरुचिरापल्ली और ईरोड़ जिलों के 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 242 करोड़ रुपये की कुल लागत से 'तमिलनाड़ में भू-आधारित गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उपशमन' के संबंध में विदेशी सहायतार्थ भी एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना

3720. श्री रामदास आठवले : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर आदिवासी और अनुसूचित जातियों वाले क्षेत्रों में राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय/मंच स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो देश के ऐसे जिलों विशेषकर आदिवासी और अनुसूचित जातियों वाले जिलों, जहाँ अब तक ऐसे न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं, का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों/मंचों को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) आज की तिथि तक राज्य और जिला स्तर पर विशेषकर आदिवासी और अनुसूचित जाति-बहुल जिलों में उपभोक्ता न्यायालयों/मंचों में कितने मामले लंबित पड़े हैं और लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा राज्यवार कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार राज्य आयोगों और जिला मंचों को स्थापित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रमुख जिम्मेवारी है। अतः राज्य आयोग और जिला मंचों की अवस्थिति के बारे में निर्णय लेना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विशेषाधिकार है। लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य आयोग की स्थापना राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में और जिला मंचों की स्थापना जिला मुख्यालयों में अथवा अतिरिक्त जिला मंच की स्थापना किसी ऐसे अन्य स्थान पर की है जहाँ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार उचित समझती है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सबल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता अदालतों के आधार ढाँचे को मजबूत बनाने हेतु 61.80 करोड़ रुपये की एक-बारगी वित्तीय सहायता दी है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(घ) जिला मंच-वार सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, राज्य आयोगों और जिला मंचों में अनिर्णीत पड़े मामलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण II में दर्शाई गई है। उपभोक्ता अदालतों द्वारा अनिर्णीत मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(i) उपभोक्ता अदालतों के आधार ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1995-99 के दौरान इकसठ करोड़ अस्सी लाख रु. की एक-बारगी अनुदान राशि दी है।

(ii) केन्द्र/राज्य सरकारें और राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता अदालतों के कार्यकरण पर नियमित रूप से निगरानी रखते हैं।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में सदस्यों/अध्यक्षों के खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का अनुरोध किया गया है।

(iv) केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इन अदालतों के कार्यकरण को सामान्य बनाया जाए और उसकी नियमित रूप से निगरानी की जाए।

(v) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में वर्ष 1991 और 1993 में संशोधन किए गए हैं। उपभोक्ता अदालतों में मामलों के शीघ्र निपटान की सुविधा प्रदान करने और अधिनियम को अधिक प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उक्त अधिनियम में आगे और संशोधन करने की कार्रवाई चल रही है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज की गई राशि (लाख रु. में)
1	2
आंध्र प्रदेश	270.00
अरुणाचल प्रदेश	170.00
असम	280.00
बिहार	440.00
गोवा	70.00
गुजरात	250.00
हरियाणा	210.00
हिमाचल प्रदेश	170.00
जम्मू व कश्मीर	70.00

1	2
कर्नाटक	250.00
केरल	190.00
मध्य प्रदेश	500.00
महाराष्ट्र	360.00
मणिपुर	130.00
मेघालय	120.00
मिजोरम	80.00
नागालैंड	120.00
उड़ीसा	180.00
पंजाब	180.00
राजस्थान	350.00
सिक्किम	90.00
तमिलनाडु	270.00
त्रिपुरा	80.00
उत्तर प्रदेश	680.00
पश्चिम बंगाल	220.00
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70.00
चंडीगढ़	60.00
दादरा व नगर हवेली	60.00
दमण व दीव	70.00
दिल्ली	70.00
लक्षद्वीप	60.00
पाण्डिचेरी	60.00
योग	6180.00

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोगों में अनिर्णीत मामले	जिला मंचों में अनिर्णीत मामले
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5	17
2.	आन्ध्र प्रदेश	2096	20593
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	31
4.	असम	683	1043
5.	बिहार	3194	13469
6.	चंडीगढ़ प्रशासन	197	4080
7.	दादरा व नगर हवेली	0	9
8.	दमण व दीव	1	34
9.	दिल्ली	3728	17951
10.	गोवा	91	600
11.	गुजरात	2764	18553
12.	हरियाणा	2517	15410
13.	हिमाचल प्रदेश	107	1956
14.	जम्मू व कश्मीर	622	2189
15.	कर्नाटक	2496	7245
16.	केरल	887	5828
17.	लक्षद्वीप	0	5
18.	मध्य प्रदेश	2677	8733
19.	महाराष्ट्र	5684	19708
20.	मणिपुर	3	55
21.	मेघालय	27	39
22.	मिजोरम	12	228
23.	नागालैंड	0	4
24.	उड़ीसा	3449	1902
25.	पांडिचेरी	70	58
26.	पंजाब	1666	3059
27.	राजस्थान	11924	16232
28.	सिक्किम	0	9
29.	तमिलनाडु	2237	6795
30.	त्रिपुरा	57	171
31.	उत्तर प्रदेश	17841	59988
32.	पश्चिम बंगाल	1363	5056
	योग	66404	231050

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना

3721. श्री नरेश पुगलिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना' के अंतर्गत विभिन्न स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की खर्च न की गई सभी शेष राशि की एक सामूहिक निधि बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा एकमात्र स्वरोजगार कार्यक्रम था। गत वर्षों से अनेक सम्बद्ध कार्यक्रम इसमें जोड़ दिए गए थे जैसे ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (ड्वाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति (सिट्रा) और गंगा कल्याण योजना (जी. के. वाई.)। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के लिए तैयार करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को सहायता देना था तथापि समग्र उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका जिसका मुख्य कारण यह है कि कार्यक्रमों की संख्या अधिक थी जिससे उनको अलग कार्यक्रमों के रूप में देखा जा रहा था और स्थायी आय सृजन के वास्तविक मामले पर बल देने के बजाय अलग-अलग कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनको कार्यान्वित किया जा रहा था।

स्थिति को सुधारने के लिए स्वरोजगार कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था। उपर्युक्त कार्यक्रम और दस लाख कुओं की योजना को 'स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना' नामक एक व्यापक कार्यक्रम में मिला दिया गया था। 1.4.99 से शुरू किये गये इस कार्यक्रम में स्वरोजगार के सभी पहलू आते हैं जैसे स्व-सहायता समूहों में गरीबों को संगठित करना, प्रशिक्षण ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी सुविधाएं और विपणन।

1.4.99 तक उपर्युक्त कार्यक्रमों की खर्च न की गई राशियों को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रखा गया है।

[हिन्दी]

जम्मू हवाई-अड्डे का आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन

3722. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू हवाई-अड्डे के आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जम्मू विमानपत्तन भारतीय वायुसेना का है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल एन्क्लेव का रख-रखाव करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की श्रेणी-II की उपकरण अवतरण प्रणाली से युक्त इस विमानपत्तन का ए-320 किस्म के विमानों के प्रचालन हेतु स्तरोन्नयन करने संबंधी योजनाएं हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जम्मू व कश्मीर सरकार से इस प्रयोजनार्थ 54.68 एकड़ भूमि अधिग्रहण करके सौंपने के विषय में अनुरोध किया है। एक समय में 4 बड़े आकार के विमान खड़े करने के लिए एप्रन के विस्तार तथा टर्मिनल भवन के विस्तार संबंधी निर्माण कार्यों को हाथ में ले लिया गया है।

[अनुवाद]

केरल में रेल स्टेशनों का विकास

3723. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुछ रेल स्टेशनों को नया रूप देने संबंधी कोई कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों के नाम क्या हैं;

(ग) इन स्टेशनों को नया रूप देने का काम पूरा हो जाने के बाद दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्टेशनों को नया रूप देने का काम करने के लिए प्रत्येक स्टेशन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) त्रिचूर, कायनकुलम, कालीकट, बडगरा, पीराबांग रोड, तिरूवनंतपुरम सेंट्रल, अलेप्पी, कान्हागड, शोरूवण्णूर, कासरगोड, कोल्लम, तेल्लीचेरी, चेंगन्नूर और चेंगनयेरी।

(ग) स्टेशन इमारत के सौन्दर्यीकरण, सुविधाओं यथा वी आई पी लॉज, प्रतीक्षालय और कक्ष, डारमिटरी, विश्राम कक्ष और निरामिष/सामिष अल्पाहार गृहों में सुधार की व्यवस्था/जीर्णोद्धार/वृद्धि, रोशनी और बैठने की व्यवस्था, स्टेशनों की आवश्यकता के आधार पर की गई है और भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर उपलब्ध होगी।

(घ) प्रत्येक स्टेशनों की निर्माण कार्यों की लागत इस प्रकार है :

	स्टेशन	लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	त्रिचूर	116.65
2.	कायनकुलम	34.97
3.	कालीकट	49.20
4.	बडगरा	14.50
5.	पीरावाम रोड	30.00
6.	तिरूवनंतपुरम सैंट्रल	14.50
7.	अलेप्पी	113.85
8.	कान्हागड	5.87
9.	शोरूवण्णूर	10.95

1	2	3
10.	कासरगोड	5.87
11.	कोल्लम	7.39
12.	तेल्लीचेरी	14.00
13.	चेंगन्नूर	28.00
14.	चेंगनचेरी	23.00
	जोड़	468.75

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन

3724. श्री विजय गोयल : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी चिकित्सकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार चिकित्सकों द्वारा किसी प्रतिफल के लिए प्रदान की गई चिकित्सा सेवाएं भी इस अधिनियम के तहत आती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 1993 की 688 के संबंध में अपने निर्णय में अधिनियम के उपबंधों की पुष्टि की है।

सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान

3725. श्री नवल किशोर राय : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन के माध्यम से वर्ष 2010 तक 6.6 प्रतिशत का योगदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो 1998-99 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन के योगदान का प्रतिशत कितना रहा और वर्ष 1999-2000 में इसके कितना हो जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, नहीं।

(ख) क्रमशः 1.47 प्रतिशत और 1.48 प्रतिशत।

[अनुवाद]

पंचायतों को पर्याप्त धनराशि

3726. श्री पी. कुमारासामी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को अपने कार्य निष्पादन हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तमिलनाडु में पंचायत यूनियनों या जिलों को जोड़ने हेतु पुलों का निर्माण करने और दो से अधिक ऐसी यूनियनों और जिलों के संपर्क हेतु महत्वपूर्ण सड़कों को सुधारने के लिए जिला पंचायतों को करीब 150 करोड़ रु. का आवंटन करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) पंचायतों को पर्याप्त निधियों का शीघ्रता से हस्तांतरण, ताकि वे अपना कार्य कर सकें, केन्द्रीय सरकार के लिए चिन्ता का विषय रहा है। पंचायती राज राज्य का विषय है तथा पंचायतों को निधियों का हस्तांतरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्र सरकार ने विभिन्न मंचों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि पंचायती राज संस्थाओं को निधियों के हस्तांतरण में तेजी लायें ताकि वे अपना कार्य कर सकें।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रेल के डिब्बों का निर्माण

3727. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत रेल नेटवर्क के लिए डिब्बों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग विशेषरूप से भूमिगत रेल हेतु डिब्बे बनाने के लिए कोई नया एकक स्थापित कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेल विभाग ने हैदराबाद जैसे नए क्षेत्रों में और अधिक भूमिगत रेल परियोजनाएं कार्यान्वित करने की संभावना पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो हैदराबाद के इस क्षेत्र में कार्य शुरू करने के लिए समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1986 में कार्य आबंटन नियमों में परिवर्तन होने से रेल आधारित परिवहन सहित शहरी परिवहन का नियोजन और समन्वयन का विषय शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय जो अब शहरी विकास मंत्रालय है, को अंतरित कर दिया गया है। तदनुसार, शहरी परिवहन नियोजन और समन्वयन के लिए नोडल मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय है। बहरहाल, रेलवे प्रणाली के नियोजन में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। रेल मंत्रालय में फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डों के विकास पर खर्च की गई राशि

3728. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेनाओं के नियंत्रणाधीन कौन-कौन से हवाई अड्डे हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ख) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा इन हवाई अड्डों पर विकास कार्यों हेतु अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) उन रक्षा विमानपत्तनों के नाम जहां सिविल एन्क्लेवों का रख-रखाव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, वे हैं—आगरा, इलाहाबाद, एलोंग, बागडोगरा, बंगलौर (एचएएल), भुज, चण्डीगढ़, कोचीन, उपारिजो, गोवा (नौसेना) (डबोलिम), गोरखपुर, ग्वालियर, जैसलमेर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, जोरहाट, कानपुर (चकेरी), लेह, नाल (बीकानेर), पोर्ट ब्लेयर, पुणे, सिलचर, श्रीनगर, तेजपुर, तेजु, विजाग और जेरो।

(ख) इनके आरंभ होने से लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अब तक इन सिविल एन्क्लेवों के विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर 228.62 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

निजी विमान कंपनियों के कारण घाटा

3729. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा कारगो और यात्री किराए के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को निजी विमान कंपनियों के कारण कोई घाटा वहन करना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया द्वारा माल और यात्री भाड़े के रूप में अर्जित राजस्व निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	इंडियन एयरलाइंस	एयर इंडिया
यात्री भाड़ा	1556.85	2917.52
माल भाड़ा	157.55	368.60

(ख) और (ग) अंतर्देशीय मार्केट में निजी विमान वाहकों के प्रवेश तथा अतिरिक्त क्षमता लगाने के साथ, इंडियन एयरलाइंस में प्रतिदिन के औसत अंतर्देशीय वहन में गिरावट आई है जो वर्ष 1992-93 में 19914 से गिरकर 1998-99 में 18758 हो गई है।

[हिन्दी]

रेल-स्टेशनों का नवीकरण/स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण

3730. श्री पी. आर. खूंटे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने रेल-स्टेशनों का विस्तार, स्तरोन्नयन, नवीकरण, आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) इस पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) उन रेल-स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां नवीकरण/आधुनिकीकरण कार्य चल रहा है; और

(घ) आगामी वर्ष में किन रेल-स्टेशनों को नवीकृत/आधुनिकीकृत किए जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) इस समय भारतीय रेलों पर 7000 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इनकी दशा के आधार पर आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष यह किया जाता है। 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान इस मद पर 87.96 करोड़ रुपये 89.36 करोड़ रुपये और 90.72 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। नियमित रूप से स्टेशनों के आधुनिकीकरण, उन्नयन कार्य के ब्यौरे राज्यवार नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, प्रमुख आधुनिकीकरण कार्यों की प्रगति चालू वर्ष के लिए अनुमोदित विभिन्न रेलवे स्टेशनों में नए कार्यों के बारे में सूचना संसद में प्रस्तुत रेल बजट के दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत निर्माण, मशीन और चल स्टॉक कार्यक्रम भाग-II में शामिल की जाती है। चालू वर्ष के दौरान रेलवे स्टेशनों के उन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए 120 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में एफ.सी.आई. के गोदामों की स्थापना

3731. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में चक्रवात के बाद प्रत्येक जिले के सब-डिवीजन और ब्लॉक मुख्यालय में एफ.सी.आई. के गोदामों की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों पर बकाया धनराशि

3732. श्री प्रभुनाथ सिंह :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों ने भारत पर्यटन विकास निगम से ऋण लिया था और आज ही स्थिति के अनुसार कितनी धनराशि वसूल की जानी है;

(ख) उनसे उक्त धनराशि कब से वसूल की जानी है और उनके द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम को भुगतान न करने का क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त धनराशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए किए गए उपायों में, अनुस्मारक जारी करके अनुवर्ती कार्रवाई करना और जहां कहीं आवश्यक समझा जाये, कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करना सम्मिलित है।

विवरण

क्र. सं.	राजनीतिज्ञ/राजनीतिक दल का नाम	दिनांक 15.12.99 को बकाया (रुपयों में)	कब से बकाया है
1	2	3	4
क.	*राजनीतिज्ञ*		
1.	श्री चन्द्र शेखर, पूर्व प्रधानमंत्री	39638.00	दिसम्बर, 91
2.	श्री साहिबसिंह वर्मा, सांसद	60540.00	मई, 96
3.	श्री भीमसिंह, जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी	109617.50	अप्रैल, 94 से अप्रैल, 96
4.	श्री आर.एस. छिब, पूर्वमंत्री, जम्मू कश्मीर	14962.00	जून, 89
5.	श्री दलीपसिंह जूदेव, सांसद	31345.00	मार्च, 97
6.	श्री पी.वी. रंगैया नायडू	17263.65	जुलाई, 91
7.	श्री एम.ए. बेबी, सांसद	15155.80	
8.	श्री सीताराम वागमोड़े महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस, पुणे	26708.80	जनवरी, 98
9.	श्री सीताराम वागमोड़े महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस, पुणे	5638.55	जनवरी, 98
10.	श्री प्रभुदयाल कथूरिया	953.00	
11.	श्री मोहनसिंह	4050.85	जुलाई, 79 तथा सितम्बर, 79
12.	श्री चन्द्रजीत यादव, पूर्व सांसद	3538.00	जुलाई, 79 तथा सितम्बर, 79
13.	श्रीमती सुभद्रा जोशी, पूर्व सांसद	992.00	"
14.	श्री डी.आर. गोयल तथा पी. बहाल	1033.10	"
15.	श्री रामलखनसिंह यादव	1397.50	"
16.	श्री बलराम आडवानी, पूर्व सांसद	1525.10	"
17.	श्री डी.के. बरूआ	395.85	"
18.	श्रीमती अमरजीत कौर	515.50	"
19.	श्री शंकर लाल गुप्ता	1203.70	"
20.	श्री एस.सी. शुक्ला, पूर्व सांसद	1110.40	"
21.	श्री सत्यपाल सिंह, पूर्व सांसद	1227.30	"
22.	श्री एच.के. ठाकरे, पूर्व सांसद	1260.50	"
23.	श्री मधुकर चन्द्रन, पूर्व सांसद	1052.50	"
24.	श्री सत्यनारायण सिंह, पूर्व सांसद	1722.25	"
25.	श्री एस. रमेश, पूर्व मंत्री, कर्नाटक	147682.45	दिसम्बर, 94, मार्च 93 फरवरी 97
26.	श्री रामनाथ चन्डेलिया, पूर्व विधायक	1359969.70	अक्तूबर 97 से जुलाई, 98 अप्रैल 96 से सितम्बर, 97
27.	श्री भीमसिंह, जम्मू और कश्मीर पैंथर पार्टी	14050.40	मई, 96, जुलाई, 96, दिसम्बर, 96
28.	श्री मुनी लाल, पूर्व सांसद	96579.00	अक्तूबर, 96

1	2	3	4
29.	श्री सुब्रमणियम स्वामी, पूर्व सांसद	9834.00	अगस्त, 95
30.	श्री पालिनियाडे, पूर्व अध्यक्ष तमिलनाडु कांग्रेस	3000.00	सितम्बर, 97
31.	श्री रामनरेश सिंह, पूर्व विधायक	53086.00	1982 से 1989
32.	श्री रोशनबेग, पूर्व मंत्री कर्नाटक	5112.75	जुलाई, 98
33.	श्री नटवर सिंह, पूर्व सांसद	2618.00	सितम्बर, 99
34.	श्री कामेश्वर पासवान, पूर्व सांसद	3115.55	अक्तूबर, 1999
35.	श्री श्यामनंदा महापात्रा कोषाध्यक्ष, भा.ज.पा. कार्यालय भुवनेश्वर	1789.00	जून, 99
	जोड़	2039683.60	
ख.	राजनैतिक पार्टियां		
1.	कांग्रेस पार्टी (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) कांग्रेस महासमिति	787839.20	मार्च, 89 से फरवरी, 96
2.	भारतीय युवक कांग्रेस	897678.63	नवम्बर, 85 से सितम्बर, 89
3.	भारतीय युवक कांग्रेस	123940.80	नवम्बर, 85 से नवम्बर, 89
4.	भारतीय युवक कांग्रेस	5145.85	
5.	शहर कांग्रेस समिति उदयपुर मार्फत डा. (श्रीमती) गिरिजा व्यास, सांसद	4308.00	जून, 97
6.	भारतीय युवक कांग्रेस	291958.97	जून, 87
7.	दिल्ली राज्य (इनटक) आई.एन.टी.यू.सी	2620.00	अगस्त, 97
8.	भारतीय युवक कांग्रेस	32000.00	दिसम्बर, 97
9.	एनएसयूआई	1397.60	
10.	पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस	15555.16	
11.	एनएसयूआई	9846.00	दिसम्बर, 88
12.	भारतीय युवक कांग्रेस	150270.00	जनवरी, 87
13.	कांग्रेस पार्टी (अ.भा.कां. कमेटी)	439626.90	सितम्बर, 1982
14.	कांग्रेस पार्टी (अ.भा.कां. कमेटी)	134111.25	नवम्बर, 94 तक
15.	दिल्ली प्रदेश कांग्रेस	641.00	
	जोड़	2896939.36	
	(क)-(ख) का जोड़ :	4936622.96	

विद्युतीकृत रेल लाइनों पर डीजल इंजनों का चलना

3733. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ क्षेत्रों में विद्युतीकृत रेल मार्गों पर डीजल इंजनों को चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा किया जाना कम खर्चीला है; और

(घ) यदि नहीं, तो विद्युतीकृत रेल मार्गों पर केवल विद्युत इंजन को चलाये जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विद्युतीकृत क्षेत्र में कतिपय डीजल रेल इंजनों का संचलन बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि राज्य बिजली बोर्डों से और आंतरिक बिजली की आपूर्ति में विफलता से बिजली के इंजन परिचालित नहीं किये जा सकते हैं। ऐसे मामलों में मध्यवर्ती खंडों से डीजल इंजनों को यात्री गाड़ियां खीचने के लिए जाना पड़ता है अन्यथा यात्री फंस जाएंगे। चूंकि समूची भारतीय रेल प्रणाली विद्युतीकृत नहीं की गई है और लंबी दूरी की गाड़ियां डीजल कर्षण और बिजली कर्षण दोनों पर ही चलती हैं। इंजन बदलने से प्रत्येक दशा में लगभग 30 मिनट अतिरिक्त समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों के यात्रा समय में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इन बदलावों से शंटिंग परिचालन के कारण थ्रू संचलन भी प्रभावित होता है। उपरोक्त के दृष्टिगत परिचालनिक अपेक्षाओं के दृष्टिगत विद्युतीकृत क्षेत्र में कतिपय डीजल रेल इंजन चलाए जाते हैं।

जम्मू और कश्मीर में अशांति

3734. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के एक प्रकाशन में यह इंगित किया गया है कि 1990 और दिसंबर 1998 के बीच जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा सहायता प्राप्त और उकसाये गए छाया युद्ध में 13 देशों के 1073 भाड़े के सैनिक मारे गये और 136 गिरफ्तार किये गये;

(ख) यदि हां, तो ये भाड़े के सैनिक किन-किन देशों से संबंधित हैं;

(ग) इन भाड़े के सैनिकों के खतरे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सम्बद्ध देशों से कोई विरोध जताया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर उन देशों की क्या प्रतिक्रिया रही?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) वर्ष 1991 तथा दिसंबर 1998 के बीच जम्मू-कश्मीर में परोक्ष युद्ध में 13 देशों के 1121 भाड़े के विदेशी सैनिक मारे गए थे तथा 136 भाड़े के विदेशी सैनिक गिरफ्तार किए गए थे। जिन देशों के ये रहने वाले थे उन देशों के नामों का उल्लेख करना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) से (ङ) भाड़े के विदेशी सिपाहियों की घुसपैठ रोकने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद से संबंधित मामले को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों का विशेष उल्लेख करते हुए कई देशों तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर सघन वार्ता के द्वारा उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियों के सहयोग के प्रति विशेष ध्यान आकृष्ट किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) में अधिक वस्तुएं शामिल किया जाना

3735. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ और वस्तुएं शामिल की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत न तो पूरा कोटा मिल रहा है और न ही उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की होती है। वसूली और सब्सिडी बाधाओं के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों हेतु राज्यों की सम्पूर्ण मांग को सदैव पूरा करना केन्द्र सरकार के लिए संभव नहीं होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों के आवंटन के मानदण्डों के अनुसार राज्य सरकारों को अग्रिम में पूर्ण आवंटन किया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित की गई खाद्य की मदें भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक समान विनिर्दिष्टयों के अनुरूप कड़ाई से वसूल की जाती हैं। भंडारण के दौरान इन मदों की गुणवत्ता की निरंतर मानीटरिंग की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप और कीट जन्तुबाधा से मुक्त खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। राज्य एजेंसियों को जारी करने से पहले प्रेषण का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई है।

संसाधनों का अभाव

3736. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
डा. एस. वेणुगोपाल :
श्री रतनलाल कटारिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को स्वीकृत/चल रही परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यक धनराशि तथा उपलब्ध संसाधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) संसाधनों के अभाव के कारण महाराष्ट्र में जिन परियोजनाओं के प्रभावित होने की संभावना है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वीकृत, चल रही/नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में वित्तीय समर्थन या अन्य कारणों से किन-किन परियोजनाओं को समाप्त करने/रोक देने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 11,791 करोड़ रुपये (1996-97) की लागत पर के बजटीय समर्थन सहित रेलों का नौवीं योजना का परिव्यय 45,413 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए 1996-97 की कीमतों के आधार पर योजना व्यय कुल योजना परिव्यय के लगभग 51 प्रतिशत के बराबर होने की संभावना है। चालू वर्ष में बजट अनुमानों में 700 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना निर्धारित की गई थी। आंतरिक संसाधनों में कमी के कारण इसे घटाकर 8,965 करोड़ रुपये किया गया है।

(ग) और (ङ) महाराष्ट्र में किसी भी चालू रेल परियोजना को लंबित/छोड़ा नहीं गया है। सभी परियोजनाएं अपनी सापेक्ष प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही हैं।

(घ) चल रहे प्रयासों के अलावा, अतिरिक्त यातायात हासिल करने तथा रेलों के बकायों जो कि बहुत अधिक मात्रा में हैं, वसूल करने के लिए रेलवे भूमि और नभ क्षेत्र का उपयोग करना, आप्टिक फाइबर केबल दूरसंचार के लिए मार्गाधिकार को पट्टे पर देना, रेलवे स्टेशनों और चल स्टॉकों इत्यादि पर विज्ञापन का अधिकार पट्टे पर देना इत्यादि जैसे विभिन्न नवीन प्रणालियों के जरिए संसाधन जुटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। बजटीय सहायता से संसाधनों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

दालों का आयात

3737. श्री नरेश पुगलिया : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन किस्मों की दालों का आयात किया गया है तथा इसके लिए क्या-क्या नियम तथा शर्तें थीं;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में दालों का आयात किए जाने के संबंध में की गई कतिपय अनियमितताएं आयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) निर्यात-आयात नीति के अनुसार दालों का आयात मुक्त है। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात की गई दालों की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1996-97	654908	890.34
1997-98	1008161	1194.64
1998-99 (अनंतिम)	312744	404.52
1999-2000 (अनंतिम) (अप्रैल-अगस्त, 99)	62847	89.30

घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए आयात की गई दालों की कुछ किस्मों में शामिल हैं—मटर (पीजम सेटीवम), सूखी और छिलकेदार, चिकपीज (गारबेंजोस) सूखी और छिलकेदार, एस.एस.पी. विगना और मूंगों के सेम, छोटे लाल सेम सूखी और छिलकेदार सफेद मटर सेम सहित किडनी सेम सूखी और छिलकेदार लेंटिल्स (मसूर) सूखी और छिलकेदार बाकला और हार्स सेम सूखी और छिलकेदार चना (स्प्लिट के अलावा), सूखी और छिलकेदार चना दाल (चना, स्प्लिट), मूंग, तुर और उड़द और दून मटर (तुर का प्रतिस्थानी)।

आयात के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेशी व्यापार सांख्यिकी के मासिक बुलेटिन/वार्षिकांक में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर्मी लिम्ब सेन्टर, पुणे

3738. श्री रमेश चेन्नितला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी लिम्ब सेन्टर, पुणे उन सैनिकों के शरीर में अब भी कृत्रिम अंगों को भरने की पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जिन्होंने करगिल संघर्ष में अपने हाथ और पांव गंवा दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विकलांग सैनिकों के शरीर में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा केवल हल्के एवं सुविधाजनक परिष्कृत अंग ही डाले जायें, क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) करगिल संघर्ष में जिनके अंग विच्छेद हुए हैं उन सभी घायलों को आधुनिकतम कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के भण्डारण पर खर्च

3739. श्री नवल किशोर राय :
श्री अजित सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों के भण्डारण और रख-रखाव पर बढ़ते खर्च के बोझ को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को कोई वित्तीय सहायता मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता मुहैया करायी गई है;

(ग) क्या इस संबंध में खर्च के बोझ को कम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के बिक्री मूल्य में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई और कितनी बार वृद्धि की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) उपभोक्ता राजसहायता के अलावा, भारतीय खाद्य निगम को भारत सरकार के खाद्य राजसहायता बजट से बफर स्टाक की रखरखाव लागत भी दी जा रही है। 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान रखरखाव लागत के रूप में भारतीय खाद्य निगम को रिलीज की गई राशि निम्नानुसार हैं :

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
1996-97	763.15
1997-98	936.69
1998-99	1595.95

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :

(रुपए प्रति क्विंटल)

निम्न तारीख से प्रभावी	साधारण	बढ़िया	उत्तम
चावल			
1.6.97	—	650	750 (गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए)
350	350 ग्रेड 'ए'##	—	(गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए)
1.12.97	550*	700	(गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए)
—	350	350	(गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए)
29.01.99	700*	905	(गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए)
गेहूं			
1.6.97	450/250 (गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए)		
29.1.99	650 (गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए)		
1.04.99	682 (गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए)		

1.12.97 से प्रभावी चावल को केवल साधारण और ग्रेड 'ए' में वर्गीकृत किया गया है।

* केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू।

[अनुवाद]

पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोत

3740. श्री पी. कुमारासामी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन से उत्पादित प्रति किलोवाट बिजली से कार्बनडाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक किलो तक कम हो जाता है और 50 टन के पवन टरबाइन इंजन के प्रचालन से 500 टन कोयले के जलाने की वार्षिक बचत होती है;

(ख) क्या पवन टरबाइन बनाने में प्रयुक्त मूलभूत ऊर्जा लगभग एक वर्ष में प्राप्त हो जाती है और इसकी उत्पादन अवधि भी कम है तथा दिन-रात पवन उपलब्ध होने के कारण विद्युत का शीघ्र उत्पादन संभव हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की पवन ऊर्जा का दोहन करने के लिए क्या सरकार का कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) देश में, पवन विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत 1077 मेगावाट क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है जिसमें 55 मेगावाट क्षमता की प्रदर्शन परियोजनाएं और निजी निवेशों के माध्यम से स्थापित 1022 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 5 बिलियन यूनिट बिजली संबंधित राज्य ग्रिडों को दी जा चुकी है। 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए 177 संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान की गई है। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए राजकोषीय तथा संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के व्हीलिंग, बैंकिंग तथा खरीद-वापसी के लिए राज्य सरकारों द्वारा आकर्षक नीतियां घोषित की गई हैं। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से उदार ऋण भी उपलब्ध हैं।

कर्नाटक में चल रही रेल परियोजनाएं

3741. श्री एच. जी. रामुलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कौन-कौन सी रेल परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) आज की तारीख के अनुसार चल रही प्रत्येक परियोजना में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) कर्नाटक में चल रही रेल परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं :

(लागत/व्यय/परिव्यय के आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	परियोजना	रेलवे	राज्य	लम्बाई कि.मी. में	लागत	31.3.99 तक व्यय	परिव्यय 99 2000	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गडवल-रायचूर (नई लाइन)	दक्षिण-मध्य	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	60	100.41	0.5	5	आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
2.	हुबली-अंकोला (नई लाइन)	दक्षिण-मध्य	कर्नाटक	164	610.52	10.16	4	132 कि. मी. के लिए अंतिम स्थान, निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और 50 कि. मी. लंबी लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
3.	गुलबर्गा-बीदर (नई लाइन)	दक्षिण-मध्य	कर्नाटक	116	242.42	0.001	1.99	आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद ही कार्य आरंभ किया जाएगा।
4.	मुनिराबाद-महबूब नगर (नई लाइन)	दक्षिण-मध्य (नई लाइन)	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	222	438.96	4.53	4	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
5.	कोटटूर-हरिहर (नई लाइन)	दक्षिण	कर्नाटक	65	120.29	0.66	0.001	अंतिम स्थान निर्धारण का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए नक्शे एवं कागजात तैयार करने संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
6.	काडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर (नई लाइन)	दक्षिण	कर्नाटक	100	157	7.09	5	काडूर-चिकमंगलूर के बीच मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
7.	हासन-बेंगलूरू (नई लाइन)	दक्षिण	कर्नाटक	166	295.77	32.63	10	हासन और श्रवणबेलगोला तथा बेंगलूरू से नीलमंगला के बीच मिट्टी तथा पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है।
8.	बेंगलूरू-सत्यमंगलम (नई लाइन)	दक्षिण	कर्नाटक, तमिलनाडु	200	225	0.01	2	आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
9.	सोलापुर-गदग (आमान परिवर्तन)	दक्षिण-मध्य	महाराष्ट्र, कर्नाटक	300	265.77	127.16	7	इस कार्य को चरणों में निष्पादित किया जा रहा है। सोलापुर-होतगी और होतगी से बीजापुर तक कार्य पूरा कर लिया गया है शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है और इसे आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
10.	हास्पेट-हुबली-गोवा (आमान परिवर्तन)	दक्षिण-मध्य	कर्नाटक	489	613.1	571.1	5	कार्य पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	मैसूर-चामराजनगर (आमान परिवर्तन)	दक्षिण	कर्नाटक	210	175	0.0001	0.001	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह कार्य शुरू किया जाएगा।
12.	बेंगलूरू-हुबली-बिरूर-शिमोगा (आमान परिवर्तन)	दक्षिण	कर्नाटक	469	450.9	394.26	3	बेंगलूरू-हुबली एवं बिरूर-सिमोगा के बीच लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सिमोगा-तलगुप्पा लाइन का कार्य प्रगति पर है और आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप यह कार्य पूरा किया जाएगा।
13.	मैसूर-हासन (आमान परिवर्तन)	दक्षिण	कर्नाटक	119	212.11	183.4	10	लक्ष्मण तीर्थ पुल जिसे मोड़ पर बनाया जा रहा है, को छोड़कर शेष कार्य पूरा किया जा चुका है। इस पुल के कार्य को 2000-2001 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।
14.	येलहंका-चिकबालापुर और कोलर-बांगरपेठ (आमान परिवर्तन)	दक्षिण	कर्नाटक	61.9	64.69	58.92	2	यथा स्वीकृत कार्य पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
15.	यशवंतपुर-सेलम (आमान परिवर्तन)	दक्षिण	तमिलनाडु, कर्नाटक	197	183.38	176.87	2.99	कार्य पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
16.	अरसीकेरे-हसन-मंगलौर (आमान परिवर्तन)	दक्षिण	कर्नाटक	236	217.82	100.17	28	अरसीकेरे-हसन-सकलेशपुर लाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे चालू कर दिया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शेष भाग का कार्य 2000-2002 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
17.	हॉस्पेट-गुंतकल (आमान परिवर्तन)	दक्षिण-मध्य	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	115	159.1	10.12	20	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा आकलन स्वीकृत कर दिए गए हैं। मिट्टी संबंधी छोटे पुलों एवं मिट्टी संबंधी कार्य की निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।
18.	विकासबाद-तांदूर (वाडी सिकंदराबाद खंड) (दोहरीकरण)	दक्षिण-मध्य	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	41.4	93.72	92.72	1	कार्य पूरा कर लिया गया है और चालू कर दिया गया है।
19.	बेंगलूरू-केंगेरी विद्युतीकरण सहित (दोहरीकरण)	दक्षिण	कर्नाटक	12.5	20.73	0.68	0.0001	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता होने के कारण इस कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।
20.	केंगेरी-रामनगरम (दोहरीकरण)	दक्षिण	कर्नाटक	32	45	0.06	0.0001	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता होने के कारण इस कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	यशवंतपुर-तुमकूर (दोहरीकरण)	दक्षिण	कर्नाटक	64	80	0.01	2	आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई है। कार्य आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएँ की जा रही हैं।
22.	बैंगलूरू सिटी-कृष्णराजपुरम (दोहरीकरण)	दक्षिण	कर्नाटक	23	85	0.01	0.01	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही यह कार्य शुरू किया जाएगा।
23.	व्हाइट फील्ड-कुप्पम (दोहरीकरण)	दक्षिण	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	81	105	57.33	18	कार्य प्रगति पर है और व्हाइट फील्ड से बांगरापेट तक प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल भी दिया गया है।
24.	रेणिगुंटा-गुंतकल-हॉसपेट (रेल विद्युतीकरण)	दक्षिण मध्य	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	448	231.39	4.33	0.0001	पहले बंद किया गया कार्य नवंबर, 1998 में पुनः चालू कर दिया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए है। लक्ष्य तिथि मार्च, 2004.

आई. एस. आई. मार्क का दुरुपयोग

3742. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आई. एस. आई. मार्क के दुरुपयोग के लिए कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई;

(ख) इनमें से कितने लोगों को दंडित किया गया है;

(ग) आई. एस. आई. मार्क के दुरुपयोग में कितने सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ थी; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) गत दो वर्षों अर्थात् 16 दिसम्बर, 1997 से 15 दिसम्बर, 1999 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने आई. एस. आई. चिह्न के दुरुपयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, अधिनियम, 1986 के तहत 64 मामलों में अभियोजन की कार्यवाही शुरू की है।

(ख) ऊपर उल्लिखित 64 मामलों में से 4 मामलों में न्यायालयों द्वारा दंड दिया गया है। शेष 60 मामले न्यायालयों में अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं। उक्त अवधि के दौरान, न्यायालयों ने अवधि से पहले के 9 अन्य मामलों में दंड की सजा सुनाई है।

(ग) से (घ) आई. एस. आई. चिह्न के दुरुपयोग में सरकारी अधिकारियों की मिली भगत की कोई रिपोर्ट नहीं है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा रियायती विमान यात्रा

3743. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का रात्रि 8 बजे के बाद रियायती विमान यात्रा सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उड़ानों सहित इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकलांगों को रियायतें

3744. श्री पी.आर. खूंटे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस का विचार भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही रियायतों के समान विकलांग/नेत्रहीन नागरिकों को विमान किराए में रियायतें देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) घरेलू यात्रा के लिए, इंडियन एयरलाइंस ने सामान्य सेक्टर किराए में 50 प्रतिशत की छूट तथा दोनों आँखों से पूर्ण अंधे व्यक्तियों को तथा कम-से-कम 80 प्रतिशत चलने-फिरने संबंधी विकलांगता से ग्रस्त विकलांग व्यक्तियों को इकॉनॉमी क्लास में यात्रा हेतु प्वाइंट-टू-प्वाइंट किरायों की पेशकश की है।

[अनुवाद]

हवाई पट्टियों का निर्माण

3745. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पारूले शिर्डी पाटली, परभनी, गोनडी, कदचीरोली में हवाई पट्टियों के निर्माण हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केवल सिंधुदुर्ग जिले के पारूले तथा अहमदनगर जिले के शिर्डी स्थित विमानपत्तनों के निर्माण संबंधी तकनीकी साध्यता अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए साध्यता अध्ययन के अनुसार दोनों स्थानों पर विमानपत्तन तकनीकी दृष्टि से साध्य हैं लेकिन वे आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य हैं। अतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इन स्थानों पर विमानपत्तन बनाने की कोई योजना नहीं है।

सशस्त्र बलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन

3746. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सेना, नौसेना और वायु सेना अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट मार्शल के विरुद्ध अपील करने के लिए एक सशस्त्र बल अपील न्यायाधिकरण के गठन की जरूरत पर बल दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है और इस समय मामला कहाँ तक पहुँचा है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके एक सशस्त्र सेना अधिकरण की स्थापना करने की रूपात्मकता की जाँच की जा रही है।

खुदरा विक्रेताओं द्वारा मुनाफा

3747. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुदरा विक्रेता सामान्य वस्तुओं और विशेषकर मूँगफली और सूरजमुखी के तेल पर इनके थोक मूल्यों की तुलना में 50 से 60 प्रतिशत मुनाफा कमा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो मुनाफे को 10 प्रतिशत तक लाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) 20.12.99 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में मूँगफली के तेल, सरसों के तेल और सूरजमुखी के तेल के थोक और खुदरा मूल्य नीचे दिए गए हैं :

मद	# थोक मूल्य	* खुदरा मूल्य
मूँगफली का तेल	3550	61-62
सरसों का तेल	3100	58-60
सूरजमुखी का तेल	2450	52-54

मूल्यः रुपये प्रति क्विंटल

* मूल्यः प्रीमियम ब्रांडों का रुपया प्रति लीटर

(ख) थोक और खुदरा मूल्य माँग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सरकार द्वारा थोक और खुदरा मूल्यों के बीच अनुमत अधिकतम अन्तर के लिए कोई विशेष दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त मूल्य मानीटरिंग बोर्ड खाद्य तेलों के मूल्यों की साप्ताहिक आधार पर मानीटरिंग कर रहा है और मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपाय कर रहा है।

[हिन्दी]

हवाई अड्डा सलाहकार समिति

3748. श्री पी. आर. खूंटे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हवाई अड्डा सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समितियों को क्या कार्य सौंपे गए हैं और वे क्या कार्य कर रही हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हाँ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानपत्तन परामर्शदात्री समितियाँ गठित की हैं जिनमें स्थानीय जन-प्रतिनिधियों समेत ख्यातिप्राप्त नागरिक शामिल हैं और इनका उद्देश्य प्रमुख विमानपत्तनों पर यात्री सुविधा और सेवाओं में सुधार लाना है। सुविधाओं और सेवाओं में सुधार लाने के विषय में सुझाव प्रार्थित करने की दृष्टि से इन समितियों की बैठकें समय-समय पर की जाती हैं।

[अनुवाद]

रक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन

3749. श्री राम नायडू दग्गुबटि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय समिति ने हाल ही में हथियारों के उत्पादन एवं खरीद में अत्यधिक विलंब से बचने के लिए रक्षा यंत्रों का तत्काल पुनर्गठन करने तथा एकल निर्णय लेने वाले समेकित अनुमोदन बोर्ड गठित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

घोर वित्तीय संकट

3750. श्री प्रियरंजन दास मुंशी :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल को यात्री सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के बावजूद 1999-2000 के दौरान घोर वित्तीय संकट की आशंका है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे ने यह घोषणा की है कि चालू वर्ष के दौरान 1000 करोड़ रुपये और लेने पड़ेंगे ;

(ग) यदि हाँ, तो रेलवे के वित्तीय संकट झेलने के क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे अपने कार्यकरण में किस सीमा तक सुधार कर पाया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) 1998-99 में लक्षित/मालभाड़ा/लदान में गिरावट के कारण रेलवे की राजस्व क्षमता में ह्रास और पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण 1996-97 के बाद रेलवे की निधि में गिरावट आयी है। 1999-2000 के दौरान उच्चगति डीजल तेल की लेवी और मूल्यों में वृद्धि, परिवार नियोजन भत्ते की दरों में वृद्धि और कारखाना कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस, कुछ राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली की दरों में आदि के कारण 900 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न बजटोत्तर वृद्धि के कारण भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति अत्यधिक तंग हो गई है। चक्रवात के पश्चात् उड़ीसा में कार्य को पुनः चालू करने की लागत से भी अतिरिक्त भार पड़ा है। चालू वर्ष में पेंशनदायिता में 700 करोड़ रुपये की और वृद्धि होने की भी संभावना है। इसके अतिरिक्त माल तथा यात्री दोनों यातायात की प्राप्तियों में मामूली कमी होने की भी संभावना है, यातायात बकाया का लक्षित क्लिरेंस भी निश्चित नहीं है। खर्च में उपरोक्त बजटोत्तर वृद्धि को मौजूदा अनुदानों में समाहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध दोनों खर्चों में कटौती की गई है, इसके अलावा रेलें कई क्षेत्रों तथा ईंधन और पावर उपभोग, संविदागत भुगतानों, सामग्री की खरीद, समयोपरि भत्ते आदि में अपने खर्च पर कड़ा नियंत्रण कर रही है। आवभगत, विज्ञापन, उद्‌घाटन समारोह, सेमिनारों और कारखानों आदि में सादगी और मितव्ययिता उपाय भी किए जा रहे हैं। कार्य प्रणाली के विभिन्न अन्य पहलुओं जिन पर नियमित तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, में जनशक्ति का उत्पादक उपयोग, परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग, वस्तु सूची प्रबंधन, ग्राहक सेवा, विपणन आदि में सुधार करना शामिल है।

बी. आर. ओ. द्वारा बिहार में सड़कों का निर्माण

3751. श्री राजो सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन को बिहार के कुछ क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण कार्यों का दायित्व सौंपा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो 1999-2000 के दौरान इस हेतु कितनी बजट राशि नियत की गयी है;

(ग) चालू प्रमुख निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस तरह की सड़कों के रख-रखाव और मरम्मत हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग को विशेष निधियाँ उपलब्ध करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) सीमा सड़क संगठन को भारत सरकार की जनरल स्टाफ निधियों से बिहार के किसी भी क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य नहीं सौंपा गया है। तथापि, सीमा सड़क संगठन कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों जैसे बी. सी. सी. एल., ई. सी. एल. तथा सी. एल. एल. की सीमा के तहत आने वाले क्षेत्रों में कतिपय कोयला ढुलान सड़क बनाता आ रहा है। सीमा सड़क संगठन द्वारा ये कार्य इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से भुगतान कार्य के रूप में किए जा रहे हैं। वर्ष 1999-2000 के लिए बी. सी. सी. एल. तथा सी. सी. एल. के नियोजित निर्माण कार्यों की लागत 13.00 करोड़ रुपये है।

2. इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित कोयला ढुलाई सड़कों पर कार्य चल रहा है:

   (क) अमलाबाद महाप्रबंधक कार्यालय के महुलबनीघाट

   (ख) गेमिया-भंडारीडीह

   (ग) ललपनिया-गोमिया

   (घ) चैनपुर-ललपनिया

   (ङ) बीजूपाड़ा-खलाड़ी

   (च) आरा-नं. 4 पेट्रोल पंप से सी एच पी केडला

3. रक्षा मंत्रालय को इन सड़कों के रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग को विशेष धनराशि मुहैया कराए जाने संबंधी किसी प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है।

अमेरिका-स्थित फर्म के साथ इंडियन एयरलाइंस का कारगो-समझौता

3752. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने सिंगापुर से चेन्नई तथा उसके आगे कारगो ले जाने के लिए एमरी वर्ल्डवाइड भाड़ा-एजेंटों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते से भारत को कहां तक सहायता मिलेगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) इस समझौते में मैसर्स एमरी वर्ल्डवाइड के लिए एक गारंटीशुदा कार्गो स्थान, सहमत उड़ानों पर यान, सीमाशुल्क-स्वीकृति व यानान्तरण के दौरान निर्विघ्न हैंडलिंग संबंधी सहायता तथा इंटरनेट पर एमरी वेबसाइट के जरिए परेक्षण की ट्रेकिंग संबंधी प्रावधान है।

(ग) इस समझौते से छह मास की समयावधि के दौरान इंडियन एयरलाइंस को लगभग 1.00 करोड़ रुपए की वृद्धिमूलक आय प्राप्त होने की संभावना है।

सरकारी वाहनों के दुरुपयोग

3753. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम और पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्टाफ गाड़ी के रूप में प्रयोग किये गये सरकारी वाहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिकारियों द्वारा इन वाहनों का दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) पर्यटन मंत्रालय और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रयोग की गई स्टाफ कारों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	स्टाफ कारों की संख्या	
	भा.प.वि. निगम	पर्यटन मंत्रालय
1996-97	27	10
1997-98	22	8
1998-99	28	10

(ख) और (ग) जहां तक पर्यटन मंत्रालय का संबंध है, इस मंत्रालय में स्टाफ कारों का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम के एक मामले में निगम-प्रबन्धन ने स्टाफ कार को निजी प्रयोग में जाने के लिए पुनः अदायगी/वसूली का आदेश दिया है।

मानक निगरानी संकेतक योजना

3754. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998-99 और चालू वित्त वर्ष के लिए चालू योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के लिए मानक निगरानी संकेतकों के वित्तीय और वास्तविक कार्यनिष्पादन का योजनावार और परियोजना ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त/स्वीकृत अथवा विचाराधीन विदेशी सहायता एवं वस्तुतः उपयोग में लाई गई विदेशी सहायता का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी हां। बायोगैस, उन्नत चूल्हा और सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान योजनावार राज्यवार वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां और जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं। इसी अवधि के लिए, शेष मुख्य अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के संबंध में संचयी उपलब्धि विवरण-III में दी गई है।

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान, विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के अंतर्गत, प्राप्त और उपयोग में लाए गए विदेशी ऋण व अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-1

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 (30.11.99 के अनुसार) के दौरान बायोगैस और उन्नत चूल्हा कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियाँ

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	बायोगैस (संयंत्रों की सं.)				उन्नत चूल्हों (सं.)			
		1998-99		1999-2000		1998-99		1999-2000	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	14000	21123	22000	4220	100000	223567	100000	35000
2.	अरुणाचल प्रदेश	100	30	250	0	10000	0	2500	875
3.	असम	500	223	500	21	12000	1413	12000	4200
4.	बिहार	500	708	750	203	20000	1905	40000	14000
5.	गोवा	75	174	200	44	5000	4021	5000	1750
6.	गुजरात	10200	10282	12000	1046	60000	65334	100000	35000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हरियाणा	1500	2343	3000	1087	40000	42400	55000	19250
8.	हिमाचल प्रदेश	750	794	750	318	15000	14150	1000	350
9.	जम्मू व कश्मीर	50	0	200	0	43000	34200	27500	9625
10.	कर्नाटक	12500	12556	9800	3237	40000	40093	65000	22750
11.	केरल	1000	993	1500	335	80000	19797	100000	35000
12.	मध्य प्रदेश	13000	13017	15000	1508	100000	100000	250000	87500
13.	महाराष्ट्र	12000	13474	12000	3915	100000	100548	140000	49000
14.	मणिपुर	200	190	600	0	10000	400	5000	1750
15.	मेघालय	100	75	300	75	8500	0	10000	3500
16.	मिजोरम	200	200	400	135	10000	5000	10000	3500
17.	नागालैंड	200	104	800	73	8500	2565	10000	3500
18.	उड़ीसा	6000	6046	10000	2106	100000	101565	150000	52500
19.	पंजाब	8000	5818	5500	2816	75000	65000	75000	26250
20.	राजस्थान	1000	1319	1000	72	75000	93849	80000	28000
21.	सिक्किम	200	200	600	93	5000	5896	5000	1750
22.	तमिलनाडु	1500	1500	1500	424	60000	85000	60000	21000
23.	त्रिपुरा	100	92	180	25	15000	9555	5000	1750
24.	उत्तर प्रदेश	8500	8645	8500	2866	100000	100000	250000	87500
25.	पश्चिम बंगाल	8510	10010	15000	6140	100000	171370	275000	96250
26.	अंडमान व निकोबार	5	5	5	2	1500	1465	1200	420
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0				
28.	दादर व नागर हवेली	5	0	5	0	1200	736	1000	350
29.	दमन व दीव	0	0	0	0				
30.	दिल्ली	0	0	0	0	2000	0	5000	1750
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	300	100	300	105
32.	पांडिचेरी	5	0	10	0	3000	3760	4500	1575
33.	अन्य*	32800	39684	45650	13843	400000	385979	555000	194250

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 (30.11.99 के अनुसार) के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियाँ

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सौर प्रकाशवोल्टीय															
		1998-99								1999-2000							
		सौर लालटेन		सौर घ. प्र		स. रो. प्र.		वि. सं.		सौर लालटेन		सौर घ. प्र.		स. रो. प्र.		वि. सं.	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	5000	2015	500	91	200	82	0	0	5000	5011	200	100	100	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	1000	1028	400	152	0	0	0	0	750	972	200	241	0	0	0	0
3.	असम	111	125	757	450	11	0	15	0	150	175	600	252	40	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	बिहार	10000	10095	1000	249	300	0	0	0	10000	0	1400	1	150	0	0	0
5.	गोवा	100	0	0	0	0	0	0	0	100	6	0	0	10	1	0	0
6.	गुजरात	5000	4037	200	188	0	0	0	0	3000	1848	300	12	50	0	0	0
7.	हरियाणा	6000	2523	2000	667	200	117	0	0	4000	4026	2500	130	100	71	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	4000	0	1000	0	200	0	0	0	2000	0	2000	0	200	0	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	2250	1800	4500	2484	0	0	20	0	2500	450	3500	3239	0	30	0	0
10.	कर्नाटक	1000	0	500	0	100	0	0	0	1100	0	100	0	50	0	0	0
11.	केरल	6000	4000	500	33	30	4	0	0	3000	5210	500	1064	50	26	0	0
12.	मध्य प्रदेश	2000	513	2000	0	200	0	0	0	2100	740	50	49	100	77	0	0
13.	महाराष्ट्र	650	537	100	62	100	44	0	0	600	257	225	34	100	15	0	0
14.	मणिपुर	1000	500	200	50	0	0	0	0	1000	0	700	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	600	500	50	0	0	0	0	0	620	0	70	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	850	1088	100	249	0	33	0	0	1200	0	50	86	50	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	50	0	20	0	0	0	30	0	125	0	50	0	0	0
18.	उड़ीसा	3000	1034	1800	579	3000	1014	0	0	3000	236	1800	79	1000	2331	0	0
19.	पंजाब	5000	5000	1500	1400	500	600	15	21	5000	2000	1500	600	800	45	0	15
20.	राजस्थान	1000	261	3600	3964	150	426	0	0	300	17	3800	936	300	40	26	0
21.	सिक्किम	50	0	50	4	0	0	0	0	50	0	70	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1000	861	200	0	50	0	10	10	1000	1442	200	15	80	46	0	0
23.	त्रिपुरा	2500	2224	100	115	30	5	0	0	4775	0	100	0	60	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	10000	3168	8000	6944	0	238	0	0	8000	0	9000	0	200	0	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	300	354	2700	3585	120	99	75	26	200	39	2700	807	50	0	0	75
26.	अंडमान व निकोबार	0	33	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	300	575	50	100	0	0	0	0	300	0	50	0	0	0	0	0
28.	दादर व नागर हवेली																
29.	दमन व दीव																
30.	दिल्ली	500	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	3000	1000	0	0	0	55	0	0	1400	3000	0	0	0	8	0	0
32.	पांडिचेरी	200	312	0	0	0	0	0	0	200	57	10	0	10	0	0	0
33.	अन्य*									4000	0	0	0	0	0	0	0

सौर घ. प्र. - सौर घरेलू प्रणालियों, स. रो. प्र. - सड़क रोशनी प्रणालियों, वि. सं. - विद्युत संयंत्र कि. वा. पा. में।

विवरण-II

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 (30.11.99 के अनुसार) के दौरान प्रमुख कार्यक्रमों जैसे बायोगैस उन्नत चूल्हा और सौर प्रकाशवोल्टीय के अंतर्गत निर्मुक्त की गई राज्यवार निधियां (करोड़ रु. में)

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	बायोगैस 1998-99	बायोगैस 1999-2000	उन्नत चूल्हा 1998-99	उन्नत चूल्हा 1999-2000	सौर प्रकाशवोल्टीय 1998-99	सौर प्रकाशवोल्टीय 1999-2000
1.	आंध्र प्रदेश	6.13	4.3	0.93	0.49	1.65	1.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.1	0.05	0.76	0	0.31	0.31
3.	असम	0.15	0.1	0.06	0	0.7	0.7
4.	बिहार	0.08	0.11	0.06	0	2.46	2.46
5.	गोवा	0.2	0.03	0.45	0.02	0.01	0.01
6.	गुजरात	3.88	1.8	0.3	0.3	1.04	1.05
7.	हरियाणा	0.45	0.45	0.38	0.31	1.76	1.76
8.	हिमाचल प्रदेश	0.3	0.38	0.17	0.12	1.67	1.67
9.	जम्मू व कश्मीर	0.02	0.04	0.22	0	1.63	1.63
10.	कर्नाटक	3.5	1.47	0.25	0.19	0.46	0.46
11.	केरल	0.3	1.48	0.45	0.3	1.03	1.03
12.	मध्य प्रदेश	3.74	3.41	0.82	0.75	0.93	0.93
13.	महाराष्ट्र	4.63	1.9	0.59	0.42	0.21	0.21
14.	मणिपुर	0.24	0.12	0	0	0.3	0.31
15.	मेघालय	0.05	0.06	0.04	0	0.19	0.19
16.	मिजोरम	0.14	0.08	0.09	0.02	0.24	0.24
17.	नागालैंड	0.18	0.16	0.05	0.05	0.05	0.05
18.	उड़ीसा	3.08	2.79	1.13	0.53	2.72	2.72
19.	पंजाब	2.4	1.13	0.52	0.23	2.74	2.74
20.	राजस्थान	0.25	0.15	0.45	0.24	4.81	4.81
21.	सिक्किम	0.17	0.19	0.04	0.05	0.07	0.07
22.	तमिलनाडु	0.31	0.52	0.53	0.52	0.49	0.5
23.	त्रिपुरा	0.07	0.04	0.12	0	0.83	0.83
24.	उत्तर प्रदेश	4.61	1.28	0.6	0.75	8.67	8.67
25.	पश्चिम बंगाल	3.23	4.6	1.16	2.05	1.73	1.73
26.	अंडमान व निकोबार	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.21	0.21
28.	दादर व नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0.06	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.04	0.04
32.	पांडिचेरी	0	0	0.01	0.01	0.02	0.02
33.	अन्य	0	8.36	5.76	7.24	0	0

विवरण-III

मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों, जिनमें राज्यवार कोई लक्ष्य आबंटित नहीं है, के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान (30.11.1999 के अनुसार) संचयी वास्तविक उपलब्धियों के विवरण

क्रम सं.	कार्यक्रम	30.11.1999 के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान वास्तविक उपलब्धियां
1.	लघु जल विद्युत	19.00 मेगावाट
2.	बायोमास गैसीफायर प्रणालियां	2.54 मेगावाट की संचयी क्षमता वाली 25 प्रणालियां
3.	खोई आधारित सह-उत्पादन	4.1 मेगावाट
4.	अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं	2.7 मेगावाट
5.	पवन विद्युत	53.02 मेगावाट
6.	एसपीवी जल पंपन प्रणालियां	248 संख्या
7.	जल पंपिंग पवन मिल	68 संख्या
8.	एरोजनरेटर/हाइब्रिड प्रणालियां	12 किलोवाट
9.	ऊर्जा पार्क	30 संख्या

विवरण-IV

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान प्राप्त किए गये विदेशी ऋणों व अनुदानों के ब्यौरे .

1. "ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से उच्च दर बायोमिथेनीकरण प्रक्रिया के विकास" पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/ग्लोबल एनवायरमेंटल फेसीसिलटी (यू एन डी पी/जी ई एफ) सहायता प्राप्त परियोजना।

वर्ष	अमेरिकी डॉलर में प्राप्त सहायता	अमेरिकी डॉलर में उपयोग की गई सहायता	अनुमोदित अनुदान
1996-97	427470.59	480252.27	सितम्बर, 1994 से 5 वर्षों की कुल अवधि के लिए 5.5 मिलियन अमेरिकी डालर का अनुदान अनुमोदित किया गया
1997-98	774718.31	614927.63	
1998-99	477298.00	385986.04	
कुल	16799486.90	1481165.95	

II. यून एन डी पी--जी ई एफ पर्वतीय पन बिजली परियोजना

वर्ष	अमेरिकी डॉलर में प्राप्त सहायता	अमेरिकी डॉलर में उपयोग की गई सहायता	अनुमोदित अनुदान
1997	2.00 मिलियन	1.95 मिलियन	पांच वर्षों के लिए 7.5
1998	1.50 मिलियन	1.51 मिलियन	मिलियन अमेरिकी
1999	1.40 मिलियन	0.40 मिलियन	डॉलर का अनुदान

III. यून एन डी पी ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

अगस्त, 1998 के दौरान 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल यू एन डी पी सहायता अनुमोदित की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की यू एन डी पी सहायता वाले तीन उप-कार्यक्रमों को विकसित व अनुमोदित किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत यू एन डी पी द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई है।

IV. पवन ऊर्जा, खोई आधारित सहउत्पादन तथा सौर प्रकाशवोल्टीय क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनाओं को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के लिए के एफ डब्लयू जर्मनी ने 120 मिलियन डी. एम. का ऋण उपलब्ध कराया था। 15 जुलाई, 1999 को इरेडा और केएफडब्लयू के बीच एक ऋण समझौते और भारत सरकार तथा केएफडब्लयू के लिए एक-एक गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

V. विश्व बैंक (प्रथम श्रृंखला)

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा विश्व बैंक (प्रथम श्रृंखला) के अंतर्गत प्राप्त किया गया अनुदान।

वर्ष	प्राप्त अनुदान	उपयोग में लाया गया अनुदान	अनुमोदित अनुदान
1996-97	9.597 करोड़ रु.	9.597 करोड़ रु.	30 मिलियन अमेरिकी
1997-98	1.61 करोड़ रु.	1.61 करोड़ रु.	डॉलर तथा 0.8
1998-99	3.777 करोड़ रु.	3.777 करोड़ रु.	मिलियन डीएलएफ की कुल राशि

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा विश्व बैंक (प्रथम श्रृंखला) के अंतर्गत प्राप्त ऋण

वर्ष	प्राप्त ऋण	उपयोग किया गया ऋण	अनुमोदित ऋण
1996-97	52.186 करोड़ रु.	52.186 करोड़ रु.	115 मिलियन अमेरिकी
1997-98	25.946 करोड़ रु.	25.946 करोड़ रु.	डॉलर की कुल राशि
1998-99	41.141 करोड़ रु.	41.141 करोड़ रु.	

VI. विश्व बैंक की 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर (130 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान) की द्वितीय ऋण श्रृंखला पर विचार किया जा रहा है।

VII. एशियाई विकास बैंक द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर कर दिया गया है।

VIII. ओ ई सी एफ जापान से 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला विचाराधीन है।

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती

3755. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेनाओं के तीनों विंगों में अर्ध-सैन्य बलों में भर्ती करने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और वर्तमान में रक्षा सेनाओं के प्रत्येक विंग में भर्ती किए गए अर्ध-सैन्य कार्मिकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अर्ध-सैन्य बलों के कार्मिकों का राज्यवार अनुपात भारत की जनसंख्या के अनुपात से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें बराबरी लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना के पैरा-मिलिटरी सैन्य बल में केवल राष्ट्रीय राइफल है और इसका संघटन पूर्णतः सेना के कार्मिकों से किया गया है।

[हिन्दी]

जल परीक्षण संबंधी 'किट'

3756. श्री सुरेश चन्देल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इंडस्ट्रियल टोक्सोनामी रिसर्च सेंटर, लखनऊ द्वारा पेयजल की जांच हेतु एक आसान परीक्षण 'किट' विकसित किया गया है जिससे पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जीवाणु तथा रासायनिक परीक्षण किए जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन किटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किए जाने की कोई योजना तैयार की है ताकि इन्हें ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पेय जल की शुद्धता जांच करने हेतु उपलब्ध कराया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इंडस्ट्रियल टोक्सोनामी रिसर्च सेंटर के किट की प्रौद्योगिकी को पहले ही पेटेन्ट कर लिया गया है और वाणिज्यिक स्तर पर निर्माण और विपणन के लिए इस प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण विभिन्न निजी निकायों को कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल टोक्सोनामी रिसर्च सेन्टर,

लखनऊ को इंडस्ट्रियल टोक्सोनामी रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किटों सहित देश में जल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सभी उपलब्ध क्षेत्र किटों के मूल्यांकन और मानकीकरण के उद्देश्य से क्षेत्र किटों पर एक आधार पत्र प्रकाशित करने की सलाह भी दी गई है।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस का निजीकरण

3757. श्री विजय गोयल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितना विनिवेश किया जाएगा और इसे किस सीमा तक करने का विचार है;

(ग) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को इस विनिवेश योजना के तहत बिना वेतन के छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने एअर इंडिया में पुनःसंरचना/विनिवेश की सिफारिश की है। आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

(i) 1000 करोड़ रुपए की सरकारी इक्विटी लगाना तथा अन्ततः एअर इंडिया में सरकारी हिस्सेदारी को कम करते हुए इसे 40 प्रतिशत तक लाना;

(ii) विश्वव्यापी बोलियों के आधार पर उपयोगी भागीदार की 40 प्रतिशत धारिता शुरू करना;

(iii) 10 प्रतिशत इक्विटी की पेशकश अंतर्देशीय संस्थागत निवेशकों को किया जाना तथा 10 प्रतिशत की पेशकश फुटकर निवेशकों तथा कर्मचारियों को किया जाना।

आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

इंडियन एयरलाइंस के विनिवेश से संबंधित मामला भी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बोर्ड ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड

3758. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोर्ड ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड का सलाहकार परिषद के रूप में पुनर्गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हाईस्पीड रेल कॉरीडोर

3759. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राइट्स (रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानामिक सर्विसेज) ने हाईस्पीड रेल कॉरीडोर का विचार प्रतिपादित किया है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाये गये ऐसे कॉरीडोरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाईस्पीड रेल कॉरीडोरों के लिये विकसित पथों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां। 25.10.1999 को नई दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राइट्स द्वारा एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। राइट्स ने एक शहर से दूसरे शहर तक यात्री यातायात को द्रुतगामी बनाने के लिए देश में उच्चगति वाली गाड़ियां चलाने का विचार प्रस्तुत किया। राइट्स का सुझाव था कि दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-कलकत्ता, मुंबई-चेन्नै या मुंबई-कलकत्ता के बीच के गलियारों को उच्चगति वाली गाड़ियों को चलाने के अनुरूप बनाया जा सकता है।

(ग) प्रस्ताव अभी वैचारिक स्तर पर है। विशिष्ट गलियारों का पता लगाने के लिए विस्तृत अध्ययन जरूरी है।

जोतों की चकबंदी

3760. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोतों की चकबन्दी हेतु राज्यों की सहायता करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं शुरू होने वाली हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने चकबंदी कानून क्रियान्वित कर दिए हैं तथा इनके अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ग) अन्य राज्यों द्वारा उक्त कानूनों को क्रियान्वित नहीं किए जाने के कारण/त्रुटियां क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ समय पूर्व इस प्रयोजनार्थ विशेष सहायता देने की पेशकश की थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य-वार चकबंदी किये गये क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) भूमि जोतों की चकबंदी संबंधी कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ अवरोधक कारण निम्नानुसार हैं :

(i) काश्तकारों और बटाईदारों में बेदखल होने का भय।

(ii) छोटे/सीमान्त किसानों में यह भय होना कि बड़े/प्रभावशाली किसानों को इस कार्य में अधिक फायदा होगा, विशेषरूप से तब जब भूमि का स्वरूप एक जैसा न हो।

(iii) अनिवार्य चकबंदी के लिए विधिक व्यवस्था न होना।

(iv) राज्य सरकारों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयां।

(घ) से (च) वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण, 1999-2000 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया था कि कृषि भूमि जोतों के विखण्डन से भूमि के उत्पादनकारी उपयोग में कमी आती है और उन राज्यों को, जिन्होंने चकबंदी का कार्य शुरू किया है, विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था। इसके अनुसरण में भूमि जोतों की चकबंदी के कार्य में राज्यों की सहायता करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा भूमि जोतों की चकबंदी के संबंध में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय समिति ने एक उप समिति भी गठित की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ भूमि जोतों की चकबंदी संबंधी कार्यक्रमों के बारे में किसानों के लिए गहन शैक्षिक और जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव देगी और इस प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की मुख्य विशेषताओं का पता लगायेगी।

विवरण

(क्षेत्र लाख एकड़ में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चकबंदी क्रिया गया क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8.18
2.	बिहार	96.05
3.	गुजरात	69.88
4.	हरियाणा	104.38
5.	हिमाचल प्रदेश	29.91
6.	जम्मू और कश्मीर	1.37
7.	कर्नाटक	26.76
8.	मध्य प्रदेश	95.53
9.	महाराष्ट्र	526.50
10.	उड़ीसा	26.74
11.	पंजाब	103.74
12.	राजस्थान	42.30
13.	उत्तर प्रदेश	461.63
14.	दिल्ली	2.33
	योग	1615.30

जून, 1984 में सिख सैनिकों के कृत्य

3761. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1984 में कितने सिख सैनिक मिलिट्री बैरकों से भाग गए थे;

(ख) इनमें से कितने मारे गये, गिरफ्तार किये गये, हिरासत में रखे गये और जेल भेजे गये;

(ग) इनमें से कितने अभी भी जेलों में सजा काट रहे हैं; और

(घ) ऐसे कितने सैनिकों का अभी तक पुनर्वास किया गया और क्या सरकार का विचार, जो लोग अभी भी जेल में बंद हैं उनके मामले एमनेस्टी को सौंपने का है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जून, 1984 में सेना की सेवा छोड़कर भागने जैसी अनुशासनहीनता की विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त सेना के 2802 सिख कार्मिकों में से 49 कार्मिक गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में मारे गए थे तथा 22 लापता हो गए थे। शेष 2731 कार्मिकों पर मुकदमा चलाया गया था और इनमें से 22 कार्मिक आरोप-मुक्त कर दिए गए तथा 2709 कार्मिकों को विभिन्न सजाएं देकर दंडित किया गया था।

(ग) केवल एक व्यक्ति हत्या के आरोप में अभी तक आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।

(घ) जिन 2709 कार्मिकों पर आरोप सिद्ध हुए थे उनमें से 2297 कार्मिकों को सेवा में रहने दिया गया था तथा 344 अन्य कार्मिकों को केंद्रीय/राज्य सरकारों की सेवाओं में नौकरियां देकर उनका पुनर्वास किया गया; जिन 90 व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाना अभी बाकी है उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक भरण-पोषण अनुदान दिया जा रहा है और मारे गए/लापता सेना कार्मिकों के 52 आश्रितों/विधवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक भरण-पोषण अनुदान दिया जा रहा है। हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे एक मात्र कैदी को क्षमादान दिए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

भारत और जापान के बीच समझौता

3762. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र के संबंध में जापान के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बकाया राशि

3763. श्री मोहन रावले :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार राजकीय रेलवे पुलिस पर खर्च किये जाने के कारण रेलवे द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कितनी बकाया राशि दी जानी है;

(ख) अब तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक पूरा भुगतान कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राजकीय रेल पुलिस पर किए गए खर्च के कारण आज तक स्वीकृत पदों के लिए स्वीकार किए गए दावों के संबंध में रेलों द्वारा महाराष्ट्र सरकार को देय बकाया राशि 16.73 करोड़ रुपए है।

(ख) यह बकाया, राज्य सरकार द्वारा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र, 0.07 करोड़ रु. के संबंध में छोड़कर जिसकी आंतरिक जांच की जा रही है, प्रस्तुत न किए जाने के कारण है।

(ग) 0.07 करोड़ रु. के जिन बिलों की जांच की जा रही है उनका भुगतान माह दिसंबर, 1999 में कर दिया जाएगा और 16.66 करोड़ रुपए की शेष राशि का भुगतान लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

सलावास हवाई अड्डे का विकास

3764. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर के समीप गुडा विश्नोइन में स्वाधीनता के पूर्वनिर्मित सलावास नामक हवाई अड्डा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कई वर्षों से बंद पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे को क्रियाशील बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस काम के कब तक होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जोधपुर के निकट सलावास स्थित हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना की है।

(ग) से (ङ) चूंकि यहां पहले से ही जोधपुर में एक प्रचालनात्मक विमानपत्तन मौजूद है, अतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सलावास हवाई पट्टी को प्रचालनात्मक बनाने संबंधी कोई योजना नहीं है।

मैहर नगर में सड़क पर ऊपरी पुल का निर्माण

3765. श्री रामानन्द सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत मैहर नगर में सड़क पर ऊपरी रेल पुल के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा किए गए बजटीय आवंटन के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपना हिस्सा न दिए जाने के परिणामस्वरूप उक्त ऊपरी पुल के निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया जा सका;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त ऊपरी पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) यह कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग के आग्रह पर निक्षेप शर्तों पर शुरू किए जाने का प्रस्ताव था और आम व्यवस्था संरेखण अनुमोदित थे। बहरहाल, राज्य सरकार ने आगे जवाब नहीं दिया। बाद में यह समझा गया है कि राज्य लोक निर्माण विभाग का इरादा इस कार्य को निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण के आधार पर करवाने का है जिसके लिए मसौदा समझौता तैयार करने के लिए मांगे गए ब्यौरे उन्हें प्रस्तुत कर दिए गए हैं। कार्य के निष्पादन के लिए आगे कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

[अनुवाद]

सेक्यूरिटी आफ क्लाइन्ट्स इन आई.टी.डी.सी. होटल्स

3766. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1998 के 'इवनिंग न्यूज' में 'सेक्यूरिटी ऑफ क्लाइन्ट्स इन आई.टी.डी.सी. होटल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, हां।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की सुरक्षा-व्यवस्था की पुररीक्षा प्रबन्धन द्वारा समय-समय पर की जाती है तथा किसी भी घटना की बिगरानी निगम-प्रबंधन द्वारा की जाती है और उपभोक्ता की सुरक्षा के उपाय भी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

रेलवे के यार्डों में चोरी

3767. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे के यार्डों में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष चोरी किए गए माल का जोन-वार मूल्य कितना है;

(ग) इसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेवार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) चोरी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (नवंबर, 1999 तक) रेलवे यार्डों में चोरी के मामलों की संख्या, चुराई गई संपत्ति का मूल्य, बरामद की गई संपत्ति का मूल्य तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की जोनवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (नवंबर, 1999 तक) जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों की संख्या तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) रेलवे यार्डों में चोरी पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

1. यार्डों तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंडों में गहन गश्त लगाना।
2. परेषणों की दुलाई करने वाले मालडिब्बों/शीलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए अंतर्बदल स्थानों पर संयुक्त रूप से जांच।
3. जहां तक संभव होता है यार्डों में रेल सुरक्षा बल की सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की जाती हैं।
4. अपराधियों की धर-पकड़ करने की दृष्टि से अपराध संबंधी आसूचना इकट्ठी करने के लिए सादी वर्दी में रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों की तैनाती भी की जाती है।
5. अपराध संबंधी आसूचना के आधार पर अपराधियों/चुराई गई संपत्ति के प्राप्तकर्ताओं से इन्हें वापस लेने के उद्देश्य से उनके ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और उनकी तलाशी ली जाती है।
6. यार्डों में गश्त करने के लिए श्वान दस्ते तैनात किए जाते हैं।
7. अपराधियों तथा चुराई गई संपत्ति के प्राप्तकर्ताओं को पकड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेल पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के बीच निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

विवरण-I

वित्त वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (नवंबर तक) के दौरान भारतीय रेलों पर बुक किए गए परेषणों की चोरी/उठाईगिरी के मामलों को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

रेलवे	अवधि	मामलों की संख्या		संपत्ति का मूल्य		की गई गिरफ्तारियां			
		दर्ज	पकड़े गए	चुराई गई	बरामद की गई	ब./व्य	रे/क	रे. सु.ब.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
म. रे.	1996-97	46	40	522215	479625	111	0	1	112
	1997-98	33	28	394288	351551	83	1	0	84
	1998-99	26	20	93857	63818	88	0	0	88
	1999-2000 नवंबर तक	12	8	196663	187972	23	1	3	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पू. रे.	1996-97	28	23	441496	114535	37	0	0	37
	1997-98	14	11	726428	45600	8	3	0	11
	1998-99	10	10	162268	36768	3	0	0	3
	1999-2000 नवंबर तक	4	2	21897	97	0	4	0	0
उ. रे.	1996-97	21	17	108750	93650	43	1	0	44
	1997-98	29	25	150360	107310	54	4	0	58
	1998-99	36	30	166760	132885	58	6	0	64
	1999-2000 नवंबर तक	37	33	260225	213825	63	8	0	71
पूर्वो. रे.	1996-97	21	18	122176	122350	27	0	0	27
	1997-98	21	15	367620	344140	29	0	0	29
	1998-99	19	16	135628	37535	21	0	0	21
	1999-2000 नवंबर तक	17	17	50400	60700	21	0	0	21
पू.सी.रे.	191996-97	68	45	559515	54115	59	3	0	62
	1997-98	48	26	34566	47162	38	1	0	39
	1998-99	56	45	321834	118779	47	0	0	47
	1999-2000 नवंबर तक	22	11	59701	8040	13	1	3	17
द. रे.	1996-97	5	5	16650	16650	18	0	0	19
	1997-98	7	7	95810	81670	13	0	0	13
	1998-99	5	5	76625	50519	21	3	4	28
	1999-2000 नवंबर तक	1	1	1300	1300	3	0	0	3
द.म.रे.	1996-97	11	11	23294	15901	26	4	0	30
	1997-98	9	8	82336	89347	53	3	0	56
	1998-99	6	6	27710	31220	22	0	0	22
	1999-2000 नवंबर तक	11	10	35398	35155	55	0	0	55
द. पू. रे.	1996-97	25	19	435659	77835	59	1	0	60
	1997-98	14	14	96030	49930	47	1	0	48
	1998-99	13	13	65175	53075	52	0	0	52
	1999-2000 नवंबर तक	6	5	422845	325327	29	2	0	31
प. रे.	1996-97	52	38	534510	79188	82	2	0	84
	1997-98	37	26	91925	33210	44	2	0	46
	1998-99	36	29	74051	62981	36	6	0	42
	1999-2000 नवंबर तक	20	17	33290	26620	45	1	0	46
जोड़	1996-97	277	216	2764265	1053849	362	11	1	374
	1997-98	212	161	2039363	1149920	369	15	0	384
	1998-99	207	174	1123908	587590	348	15	4	367
	1999-2000 नवंबर तक	130	104	1081719	859036	252	17	6	275

ब/व्य : बाह्य व्यक्ति   रे/क. : रेलवे कर्मचारी

विवरण-II

रेलवे	अवधि	व्यक्तियों की संख्या														
		गिरफ्तार			जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई			सजा माफ्ता			बरी किए किए			विभागीय कार्रवाई		
		ब/व्य	रे/क	रेसुब	ब/व्य	रे/क	रेसुब	ब/व्य	रे/क	रेसुब	ब/व्य	रे/क	रेसुब	ब/व्य	रे/क	रेसुब
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
म. रे.	1996-97	111	0	1	111	0	1	14	0	0	10	0	0	0	0	1
	1997-98	83	1	0	83	1	0	10	0	0	7	1	0	0	0	0
	1998-99	86	0	0	88	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999-2000 नवंबर तक	23	1	3	23	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	3
पू. रे.	1996-97	37	0	0	34	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	7
	1997-98	8	3	0	6	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
	1998-99	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7
	1999-2000 नवंबर तक	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
उ. रे.	1996-97	43	1	0	43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997-98	54	4	0	54	4	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0
	1998-99	58	6	0	58	6	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999-2000 नवंबर तक	63	8	0	63	8	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वो. रे.	1996-97	27	0	0	27	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997-98	29	0	0	29	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998-99	21	0	0	21	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999-2000 नवंबर तक	21	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
पू. सी. रे.	1996-97	59	3	0	59	3	0	16	2	0	0	0	0	0	3	0
	1997-98	38	1	0	38	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	1998-99	47	0	0	47	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999-2000 नवंबर तक	13	1	3	13	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	3
द.रे.	1996-97	18	0	0	18	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997-98	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998-99	21	3	4	21	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4
	1999-2000 नवंबर तक	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
द. म. रे.	1996-97	26	4	0	26	2	0	16	0	0	2	0	0	0	2	0
	1997-98	53	3	0	53	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998-99	22	0	0	22	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999-2000 नवंबर तक	55	0	0	28	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
द. पू. रे.	1996-97	59	1	0	59	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997-98	47	1	0	47	0	0	7	0	0	2	0	0	0	1	0
	1998-99	52	0	0	52	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	7
	1999-2000 नवंबर तक	29	2	0	29	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
प. रे.	1996-97	82	2	0	82	2	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997-98	44	2	0	42	2	0	29	1	0	0	0	0	0	0	0
	1998-99	36	6	0	36	5	0	24	0	0	0	0	0	0	1	0
	1999-2000 नवंबर तक	45	1	0	16	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़	1996-97	362	11	1	360	9	1	125	2	0	4	0	0	0	5	8
	1997-98	369	15	0	365	14	0	76	1	0	11	1	0	0	4	3
	1998-99	348	15	4	348	14	4	81	0	0	0	0	0	0	1	18
	1999-2000 नवंबर तक	252	17	6	196	16	6	20	4	0	0	0	0	0	1	15

ब/व्यं : वाह्य व्यक्ति रे/क : रेलवे कर्मचारी

[अनुवाद]

ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा

3768. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बिजली की कमी से निपटने के लिए समुद्री ज्वारीय तरंगों और जल-धाराओं के माध्यम से पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। समुद्री ज्वारीय तरंग ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावना को खोजने के उद्देश्य से, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने दुर्गादुआनी ग्रीक, सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल में एक लघु-ज्वारीय विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन किया था। आवश्यक फील्ड अध्ययनों और कम्प्यूटर मॉडलिंग अभ्यासों पर आधारित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से तैयार की जा रही है। दुर्गादुआनी ज्वारीय विद्युत परियोजना से प्राप्त अनुभवों से देश में ज्वारीय विद्युत उत्पादन के विकास में मदद मिलेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में सड़क उपरि-पुल का निर्माण

3769. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में विशेषकर सहरसा-मांसी सैक्शन में, रेल फाटक पर उपरि-पुलों के निर्माण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उपरि-पुलों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सहरसा में वर्ष 1997-98 में ऊपरी सड़क पुल का कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था। इस कार्य के लिए सामान्य प्रबंध आरेख पहले ही तैयार कर लिए गये थे। लेकिन पहुंच मार्गों के अधिक तीव्र ढलान के कारण संशोधन करने की आवश्यकता है। मामला राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(ग) इस स्तर पर कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू करने के बाद पुल खास पर रेलवे कार्य शुरू करेगी।

मध्याह्न 12.02 बजे

...*(व्यवधान)*

इस समय, श्री रामसागर रावत और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए। कुमारी ममता बनर्जी।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंगारू लक्ष्मण) : महोदय, कुमारी ममता बनर्जी की ओर से मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल. टी. 1185/99]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत, मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (1999 का संख्यांक 7) (वाणिज्यिक)—(इरकॉन लिमिटेड) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल. टी. 1186/99]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल. टी. 1187/99]

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल. टी. 1188/99]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ माउनटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल. टी. 1189/99]

(2) (एक) एयरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेन्सी, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल. टी. 1190/99]

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल. टी. 1191/99]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल कमीशन फार वुमैन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कमीशन फार वुमैन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नेशनल कमीशन फार वुमैन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल. टी. 1192/99]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल. टी. 1193/99]

(4) (एक) कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सैंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल. टी. 1194/99]

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : श्री शांता कुमार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 2 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1999 जो 14 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 436 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा. का. नि. 782(अ) जो 22 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि चीनी का कोई भी आयातक आयातित चीनी को बेचता है अथवा बेचने पर सहमत होता है अथवा अन्यथा निपटान करता है अथवा सुपुर्दगी करता है अथवा सुपुर्दगी के लिए सहमत होता है अथवा भण्डारण किए गए गोदामों से आयातित चीनी को हटाता है।

(तीन) सा.का.नि. 1197(अ) जो 30 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी (मान्यता प्राप्त डीलरों द्वारा प्रतिधारण और बिक्री) आदेश, 1979 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल. टी. 1195/99]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इंडियन एअरलाइन्स लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल. टी. 1196/99]

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1197/99]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सत्यजीत राय फिल्म एण्ड टेलीविजन इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत राय फिल्म एण्ड टेलीविजन इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1198/99]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल. टी. 1199/99]

(2) इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल. टी. 1200/99]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : श्री दिलीप राय की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल. टी. 1201/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : श्रीमती वसुंधरा राजे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेन्टर फार दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इन्डस्ट्रीज, फिरोजाबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इन्डस्ट्रीज, फिरोजाबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1202/99]

(2) (एक) इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल. टी. 1203/99]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1204/99]

(3) (एक) आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर सेन्टर, कटक के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर सेन्टर, कटक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1205/99]

(5) (एक) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1206/99]

(7) (एक) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर इन्सटीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1207/99]

(9) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हॉस्पिटल सर्विसिज कन्सलटैंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हॉस्पिटल सर्विसिज कन्सलटैंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1208/99]

(10) हॉस्पिटल सर्विसिज कंसलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल. टी. 1209/99]

(11) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (10वां संशोधन) नियम, 1998 जो 9 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 380(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी शुद्धिपत्र जो 28 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 648(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1210/99]

(13) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरक्लोसिज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1211/99]

(दो) नई दिल्ली ट्यूबरक्लोसिज सैंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) पास्च्योर इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पास्च्योर इस्टीट्यूट आफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पास्च्योर इस्टीट्यूट आफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1212/99]

(15) यूनानी दवाओं की खरीद में अनियमितताओं के बारे में श्री भीम दोहाल, संसद सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 2169 का 14 दिसम्बर, 1999 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल. टी. 1213/99]

[हिन्दी]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (क) (एक) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1214/99]

(दो) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, भोपाल के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1215/99]

(तीन) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1216/99]

(चार) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1217/99]

(पांच) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1218/99]

(छह) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, गोवा के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1219/99]

(सात) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, गुरदासपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1220/99]

(आठ) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1221/99]

(नौ) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, ग्वालियर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1222/99]

(दस) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1223/99]

(ग्यारह) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, जयपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1224/99]

(बारह) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, अलीगढ़ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1225/99]

(तेरह) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1226/99]

(चौदह) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1227/99]

(पन्द्रह) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, पटना के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1228/99]

(सोलह) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, शिमला के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1229/99]

(सतरह) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, श्रीनगर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1230/99]

(अठारह) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1231/99]

(उन्नीस) डा. अम्बेडकर, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, चण्डीगढ़ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1232/99]

(बीस) नैशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 1233/99]

(ख) बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, चेन्नई, गोवा, गुरदासपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुम्बई, नई दिल्ली, पटना, श्रीनगर, शिमला, तिरुवनन्तपुरम में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशन तथा नेशनल काउंसिल फार दि होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नॉलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1234/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : श्री रमेश बैस की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1235/99]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : अध्यक्ष महोदय, अंतर्राज्यीय माल वहन पर प्रतिबंध के बारे में श्री अशोक एन, मोहोल, संसद सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 744 का 2 दिसम्बर, 1999 को दिए गये उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल. टी. 1236/99]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊंटी का वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊंटी का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1237/99]

(2) (एक) फ्ल्यूड नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पालघाट के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्ल्यूड नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पालघाट के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1238/99]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) बिनियम, 1998 जो 6 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/15 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1998 जो 27 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या शून्य में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कारपोरेशन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1998 जो 27 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडीः आईआरः सीओबीईपीआर अमेंडमेंटः 755ः 1998-99 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कारपोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1998 जो 27 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडीः आईआरः ओएसआरः अमेंडमेंटः 755ः 1998-99 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया आफिसर्स सर्विस (संशोधन) विनियम, 1998 जो 27 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओः पीआरएसः आईआरपीः 1998-99/2212 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1998 जो 6 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 336/0089/पीडी. आईआरडी (ओ)/आरईजी-38 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) बिनियम, 1999 जो 10 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या शून्य में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1998 जो 1 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआरएसः जी-228ः9348 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 22 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीः आईआरः एसएसचः 031 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 10 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एल.: एमआर पीओएल, 91 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 17 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1842/0089/पीडी/आईआरडी (ओ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 24 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/ओएसआर/स्टाफ/1999 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 31 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1999 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 7 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/99 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 14 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीक्यूः पीआरएसः आईआरपीः 1999-2000 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1999 जो 28 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6173/0012/पीडी/एसडब्ल्यूडी में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) पंजाब एंड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1998 जो 9 सितंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/पीईएन/अमेंडमेंट/1/99 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) कारपोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 18 सितंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडीः आईआरः ओएसआर/अमेंडः 191:1999-2000 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 16 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/ईएसटी/5025/99 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 16 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी/एसयूपी/177 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र।

(इक्कीस) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया अधिकारी, कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 1 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/पीआरएस/लीगल/विविध 2869/97-98/534 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) बैंक आफ़ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 जो 25 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएलः 96-97 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1998 जो 12 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी/एसयूपी/177 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 21 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/97 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 जो 20 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या शून्य में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1239/99]

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1999 जो 1 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 2 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1999 जो 1 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 3 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधन नियम, 1999 जो 1 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 5 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बचत बैंक सामान्य (संशोधन) नियम, 1999 जो 6 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1999 जो 4 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 748(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1240/99]

(3) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1999 जो 1 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 4(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंदिरा विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1999 जो 1 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 6(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 1999 जो 1 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 7(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 1999 जो 6 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 491(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1999 जो 6 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 492(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1999 जो 23 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 660(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) किसान विकास पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1999 जो 11 नवंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 765(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1241/99]

(4) डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के नियम 6 के अनुसरण में जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 1 (अ) जो 1 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें डाकघर बचत खते पर ब्याज की संशोधित दरों को दर्शाया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1242/99]

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 18/4/98-98-एनएस-II जो 5 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 जुलाई, 1999 से इंदिरा विकास पत्रों की बिक्री बंद की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1243/99]

(6) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 659(अ) जो 23 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 492(अ) को निरस्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1244/99]

(7) लोक भविष्य निधि योजना, 1968 के पैराग्राफ-2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 348(अ) जो 17 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय स्थिति डाकघर को उक्त योजना के अन्तर्गत अंशदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1245/99]

(8) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1999 जो 6 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 4890(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1246/99]

(9) लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत लोक ऋण (संशोधन) नियम, 1999 जो 29 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 296(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1247/99]

(10) वर्ष 1998-99 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त बाजार ऋण के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1248/99]

(11) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 10 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 806(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1249/99]

(12) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत कूरियर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टस् (क्लियरेंस) तीसरा संशोधन विनियम, 1999 जो 25 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 785(अ) में प्रकाशित हुए थे की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1250/99]

(13) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1251/99]

(15) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1252/99]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : महोदय, श्री उमर अब्दुल्ला की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जनरल फंड एकाउन्ट्स ऑफ दि काफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1997 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1253/99]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : महोदय, डा. देवेन्द्र प्रधान की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) महापत्तन अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 680(अ) जो 28 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन (लाईसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल आफ पायलटस्) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 85(अ) जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (आर.एस.पी.) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.काा.नि. 121 (अ) जो 18 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन-न्यास कर्मचारी (एलॉटमेंट एण्ड अक्यूपेंसी ऑफ रेसिडेंसेज) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1254/99]

(3) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1255/99]

(4) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1256/99]

(5) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1257/99]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1258/99]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : मैं गिनगी एन. रामाचन्द्रन की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कॉटन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1259/99]

(2) (एक) टैक्सटाइल कमेटी, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टैक्सटाइल कमेटी, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1260/99]

(3) (एक) आल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1261/99]

(4) (एक) अहमदाबाद टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एशोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1262/99]

(दो) बॉम्बे टैक्सटाइल रिसर्च एशोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1263/99]

(तीन) साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एशोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1264/99]

(चार) नार्दन इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एशोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदम की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1265/99]

(ख) अहमदाबाद टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एशोसिएशन, अहमदाबाद; बाम्बे टैक्सटाइल रिसर्च एशोसिएशन, मुम्बई; साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एशोसिएशन, कोयम्बटूर तथा नार्दन इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एशोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1266/99]

(6) वस्त्रों के निर्यात के बारे में डा. सुशील कुमार इन्दौरा और श्री नवल किशोर राय, संसद सदस्यों के अतारांकित प्रश्न संख्या 2900 का 17 दिसम्बर, 1999 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाले विवरण की एक प्रति (अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1267/99]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बडारू दत्तात्रेय) : महोदय, श्री एस. बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल. टी. 1268/99]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : महोदय, मैं मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इस्पात और खान मंत्रालय, खान विभाग के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1269/99]

अपराह्न 12.07 बजे

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1999 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 13 दिसम्बर, 1999 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.08 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं, 30 नवम्बर, 1999 को सभा को सूचित करने के पश्चात् वर्तमान सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक, 1999

(2) महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 1999

(3) विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 1999

(4) नौटरी (संशोधन) विधेयक, 1999

(5) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1999।

अपराह्न 12.09 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, मैं श्री सुरेन्द्र प्रसाद राय, श्री प्रशान्त कुमार मिश्र और ढेंकानाल के अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं जिसमें दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत श्यामचरणपुर पैसेंजर हाल्ट के विकास और सुधार का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेगी। श्री किरीट सोमैया।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी लोगों से अपने-अपने स्थान पर जाने की अपील करता हूं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण मद है। इस तथ्य को समझें कि आप सदस्यों को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का कैसे रोक सकते हैं। यह ठीक नहीं हैं। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने-अपने स्थान पर जाएँगे तो मैं आप लोगों की बात सुनूँगा।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों की बात तभी सुन सकता हूँ जब आप लोग अपने-अपने स्थानों पर जाएँ। यह कोई तरीका नहीं है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए तभी मैं आप लोगों की बात सुनूँगा।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 1. 15 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.15 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अपराह्न 1.15 बजे

इस समय श्री रामसागर रावत और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.16 बजे

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बड़े पैमाने पर बंद किया जाना

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का बड़े पैमाने पर बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को हानि हुई और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

....*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, आपकी अनुमति से ....*(व्यवधान)* मैं श्री किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण के उत्तर में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ....*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा* : भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के क्रियाकलापों को विनियमित करने तथा उनका पर्यवेक्षण करने के लिए व्यापक विनियामक और पर्यवेक्षी तंत्र तैयार किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत वापसी अदायगी करने के लिए चूककर्ता कम्पनियों को निदेश देने के विशेष अधिकार के साथ कम्पनी विधि (सी. एल. बी.) को जमाकर्ताओं के दावों का न्याय निर्णय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कम्पनी विधि बोर्ड के क्षेत्रीय पीठ, जमाकर्ताओं की राशियों की अदायगी करने के लिए चूककर्ता कम्पनियों को निदेश देते रहे हैं। यदि कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी, कम्पनी विधि बोर्ड के आदेशों का पालन करने में असफल रहती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक इसके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही शुरू कर सकता है। ऐसे मामलों में अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड के आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए चार महानगरीय केन्द्रों में भारतीय रिजर्व बैंक ने समन्वय समितियाँ भी गठित की हैं। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्णकालिक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विभिन्न चूकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबन्धों तथा इसके अधीन जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए चूककर्ता गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई में अतिरिक्त जमाराशियां स्वीकार करने, आस्तियों के स्वत्वाधिकार अंतरण करने से कम्पनियों को रोकने वाले निषेधादेश जारी करना, समापन याचिकाएं दायर करना, गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों तथा उनके प्रबंधन के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आदि के

---

*ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मंत्री द्वारा अपने वक्तव्य का पाठ सभा पटल पर रखा गया।

[श्री यशवंत सिन्हा]

गम्भीर उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करना शामिल है। सार्वजनिक जमाराशि के अनधिकृत संग्रहण को रोकने के लिए बैंक भी राज्य पुलिस प्राधिकरण की आर्थिक अपराध शाखा (ई. ओ. डब्ल्यू) में शिकायत दर्ज करता है। कई मामलों में न्यायालयों ने अस्थायी परिसमापक नियुक्त किए हैं तथा गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों पर प्रतिबंध भी लगाया है ताकि वे अपनी आस्तियों का किसी भी प्रकार से निपटान न करें।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने 73 कम्पनियों को निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं, 12 गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध सम्बन्धित उच्च न्यायालयों में समापन याचिकाएँ दायर की हैं, 17 गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें दर्ज की हैं, 6 गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध पुलिस शिकायतें दर्ज की हैं तथा 4 संदिग्ध गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों में जमाराशि की वापसी अदायगी की निगरानी करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए हैं।

गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के पर्यवेक्षण पर विशेष ध्यान देने के लिए, विनियमों की प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक में एक स्वतंत्र विभाग अर्थात् गैर-बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग का सृजन किया गया है। गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों की गहन तथा सतत् निगरानी करने के लिए गैर-बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग ने 16 क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं जो उन गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों का पर्यवेक्षण करेंगे जिनके पंजीकृत कार्यालय उनके संबद्ध क्षेत्राधिकार में आते हैं।

गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए 14 सितम्बर, 1998 को मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा (वित्तीय संस्थाओं में) अधिनियम, 1997 की तरह ही एक विधान अधिनियमित करें। आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में उपयुक्त कदम उठाए हैं।

विद्यमान विनियामक अवसंरचना का पुनरीक्षण करने और निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने में होने वाली त्रुटियों को दूर करने के लिए, अगस्त, 1998 में एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्यदल ने अपनी सिफारिशें अक्तूबर 1998 में पेश कर दी थी। कार्यदल द्वारा की गई कई सिफारिशों का कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1998 में निर्देश जारी करके कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि की अनिवार्यता को 21.4.1999 से 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 200 लाख रुपये कर दिया है। गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों पर कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों को कानूनी रूप देने और विद्यमान विधान को कार्यरूप देने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों पर एक नया अधिनियम विचाराधीन है। इसके साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत कतिपय अपराधों को संज्ञेय अपराध के रूप में, नए अधिनियम में, प्रावधान रखने का प्रस्ताव है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भावी जमाकर्ताओं को शिक्षित करने हेतु व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया है।

जबकि कठोर विनियमों के होते हुए भी, कुछेक गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों की असफलता से इंकार नहीं किया जा सकता है तथापि, सरकार का यह प्रयास होगा कि वह एन. बी. एफ. सी. के क्षेत्र को स्वास्थ्यकर बनाए जिसमें पर्याप्त प्रकटीकरण मानदंड और सख्त विवेकपूर्ण शर्तें हों ताकि भावी जमाकर्ता एन. बी. एफ. सी. के पास जमाराशियां जमा करने के विकल्प पर विचार करते समय जागरूक होकर निर्णय ले सकें।

अध्यक्ष महोदय : मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रमाकान्त एस. आंग्ले

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीपाद वाई. नाईक

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.17 बजे

संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 239 कक, 331 और 333 का संशोधन और नए अनुच्छेद 330क, 332क और 334क का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 30 — श्री राम जेठमलानी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, इस विधेयक की पुरःस्थापना के प्रस्ताव के विरोध में मैंने आपको नोटिस दिया था। .... *(व्यवधान)*

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.12.99 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विधेयक का विरोध करने वालों को मौका दूँगा।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूँगा। अपने स्थानों पर जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह।

....*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला : मुझे अभी बोलना है, महोदय।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामसागर रावत।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। मंत्री महोदय अब विधेयक की पुरःस्थापना करेंगे।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 पुरःस्थापित हुआ।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 3 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*]

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अभी प्राइवेट मैम्बर बिजनैस लिया जायेगा।

....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : महिला आरक्षण विधेयक पेश नहीं हुआ है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने की सारी की सारी कार्यवाही अवैध है। इस समस्त कार्यवाही को निरस्त किया जाये। इस बिल को पेश करने से पूर्व सदन में मत विभाजन की मांग की थी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले आज की कार्यसूची के अनुसार किया जाना चाहिए था परन्तु बिना सदन की सहमति से इस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। सदन की नियमावली के विरुद्ध सरकार मनमाने तरीके से काम कराएगी तो संसद की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। इसलिए पहले हमारी बात सुन ली जाए और डिवीजन करा लिया जाये। हम कहना चाहते हैं कि पूरी की पूरी कार्यवाही को निरस्त किया जाए। ....*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : महोदय, मुलायम सिंह जी ने जो बातें कहीं हैं, उनसे पूर्व सहमत होते हुए, हम यह जानना चाहते हैं, यह कहा गया है कि यह एन. डी. ए. के मेनीफेस्टो के अंदर है, क्या मेनीफेस्टो में सबसे पहले यही आइटम है या इसके अलावा और भी कुछ है? इस देश में बेरोजगारी है, बेकारी कुछ है या नहीं? अगर है, तो मेनीफेस्टो में पहले उसको लाया जाए। यह कार्यवाही अवैध है और इस पर वोट कराया जाए। ....*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, नियम 72 के अधीन हमने सूचना दी थी कि हम 85वां संविधान संशोधन जो महिलाओं के लिए आरक्षण से सम्बन्धित है, उसमें हम नियमानुसार प्रतिवाद करना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं। मैं प्रतीक्षा में था कि वह आइटम आएगा। दो-तीन आइटम को छोड़कर अचानक इसको ले लिया गया। हमारा नाम भी पुकारा गया, हम बोल रहे थे। उस समय जब सदन के अन्दर घोर अव्यवस्था होती है, तो आसन का कर्तव्य हो जाता है कि घोर अव्यवस्था की स्थिति में नियम 375 के अधीन सदन एडजार्न कर दिया जाए और फिर परामर्श किया जाए। पहले नियम 375 की अवहेलना, फिर नियम 367 के अधीन, घोर अव्यवस्था की स्थिति में भी, मैं 'न के पक्ष में बहुमत, न के पक्ष में बहुमत' चुनौती करता रहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। सारी जगहों पर घोर अफवाह है और लोग कहते हैं कि बिल इन्ट्रोड्यूस हो गया। उधर बिल की धज्जियाँ उड़ा दी गई। संसदीय प्रणाली और नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी गई तथा जो बिल प्रस्तुत है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। उस हालत में गरम अफवाह है कि बिल इन्ट्रोड्यूस हो गया, इसलिए इस बात की सफाई

होनी चाहिए। संसदीय परम्परा, नियम और सदन की गरिमा की रक्षा करते हुए, स्पष्ट किया जाए की बिल इन्ट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इस बात को दुनिया नहीं मानेगी। इसलिए नियम 375 और 367 के अधीन यह घोषणा की जाए कि बिल इन्ट्रोड्यूस नहीं हुआ है और लोकमत में भी है। सदन भी उस बिल के इन्ट्रोडक्शन के पक्ष में नहीं है। संविधान संशोधन है, इसके लिए दो-तिहाई बहुमत संविधान में लिखा है। इसके अलावा बार-बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कन्सैंसस से करेंगे।

इस तरह से धम धकेल, जबरदस्ती और उपद्रव करके बिल इंट्रोड्यूस होने की जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, हम उसका खंडन करने के लिए आसन से प्रार्थना करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम 3 बजे गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यसूची लेंगे।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या मैं कुछ बता सकती हूँ?

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्राइवेट मेम्बर बिजनेस तीन बजे से है।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, सदन की राय तो ले लें।

अपराह्न 3.06 बजे

इस समय श्रीमती रीना चौधरी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.07 बजे

इस समय श्रीमती कान्ति सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें सभा की राय लेनी चाहिए कि क्या गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य स्थगित किया जा सकता है।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा को निर्णय लेने दीजिए क्या वे गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यसूची को लेना चाहते हैं या नहीं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अपने स्थान पर वापस जाइए।

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.08 बजे

इस समय, श्री सानखुमाखुंगुर बैसीमुथियारी आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अगर प्राइवेट मेम्बर बिजनेस एडजार्न करना है तो पहले हाउस की राय ले लीजिए।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पहले अपनी-अपनी सीटों पर जाइए, फिर आपकी बात सुनेंगे।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यहाँ से आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा सकती।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सभा के बीच में आकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप हाउस में चर्चा करिए, आपको बोलने से कौन रोक रहा है।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पहले अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

....*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट से बोलिए।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान से बोलिए।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। कृपया बैठ जाइए। यह स्थान चिल्लाने के लिए नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 3.12 बजे

इस समय श्री सानछुमाखुंगुर बैसीमुथियारी वापस अपने स्थान पर चले गए

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप यहाँ से बोलेंगे तो कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा, आप अपनी सीट पर जाकर बोलेंगे तो आपकी बात रिकार्ड में भी जायेगी। आप अपनी सीट पर जाइये। आप लोग जो कर रहे हैं वह ठीक है क्या? आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 5.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 3.13 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 5 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.31 बजे

लोक सभा अपराहन 5.31 बजे पुनः समवेत हुई।

*[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

अपराह्न 5.31 बजे

इस समय श्री देवेन्द्र सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श कर खड़े हो गए।

.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.32 बजे

इस समय श्री रामदास आठवले तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूड़ी के अनुरोध पर आज की कार्यसूची के लिए निर्धारित आधे घंटे की चर्चा को दूसरे सत्र तक स्थगित कर दिया गया है। मुझे लगता है इस पर सभी सहमत हैं।

नियम 377 के अंतर्गत मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

अपराह्न 5.32½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : महोदय, भारतीय किसान, धरती पुत्र, धरती का भगवान, धरती का देवता आज मुसीबत में है। वह डब्लू. टी. ओ., उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण, बिजली, पानी, आवागमन की सुविधाओं के अभाव एवं कृषि उपज का लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण घाटे की खेती करने के कारण कर्जे में जकड़ गया है एवं खुदकुशी करने को मजबूर हो गया है। आधुनिक युग की अनुसंधान एवं नई तकनीक कृषि विश्वविद्यालय तक सिमट कर रह गई है तथा किसान आज भी प्राचीन खेती करने को मजबूर है।

हम इस विश्वास के साथ अगली शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं कि आधुनिक अनुसंधान का आलोक ग्राम-ग्राम में पहुँचेगा। किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य एवं कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग स्थापित होंगे। पलायन रुकेगा, कृषि को उद्योग जैसा दर्जा मिलेगा तथा सुविधाएँ प्राप्त होंगी। बिजली, पानी की सुविधाएँ प्राप्त होंगी एवं किसान को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। देश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलेगा, इसी श्रृंखला में पिछड़े गरीब उद्योग विहीन जिले दमोह में कृषि विज्ञान केन्द्र की मंजूरी मिलेगी।

(दो) उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले के कपास उत्पादकों के लिए उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : उड़ीसा राज्य के सूखाप्रवल पिछड़े नुआपाड़ा जिले के किसानों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा रहा है क्योंकि भारतीय कपास निगम और भारतीय कपास परिसंघ इनसे कपास नहीं खरीद रहा है जबकि निजी व्यापारी उनसे 1000 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से कपास खरीद रहे हैं जो कि निर्धारित निम्नतम समर्थन मूल्य जो कि 2,600 रु. है से बहुत कम है, जिससे धनाभाव के कारण अभूतपूर्व बिक्री हो रही है। अनुकूल काली मिट्टी में 'सविता' नामक कपास की जाति की उपज अच्छी हुई थी। लेकिन, सरकारी ऐजन्सियों द्वारा इसे खरीदे न जाने के कारण असाधारण सामाजिक और

---

* सभा पटल पर रखे हुए माने गए।

आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि वे कपास की खरीद की स्थाई और व्यवस्थित प्रणाली तत्काल अपनाएँ ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके।

(तीन) जोधपुर जिले में अकाल से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : मान्यवर, राजस्थान के जोधपुर जिले में भयंकर अकाल की समस्या है। गाँवों में किसानों ने चारे व पानी के अभाव के कारण अपने जानवरों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। चारा 2-3 रुपये किलो बिक रहा है। किसानों की ऐसी माली हालत नहीं है कि इतने महंगे भाव से चारा खरीद सकें। पिछले तीन चार माह से विद्युत व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इस कारण किसान 20 प्रतिशत भी खेती नहीं कर सके व न ही पशुधन के लिए चारा पैदा कर सके। किसान जगह-जगह तहसील स्तर पर विद्युत की समस्या को लेकर धरने पर बैठे। राज्य सरकार चारे व पानी की व्यवस्था करने में असफल रही है, पानी का टैंकर भी 300 से 400 रुपये प्रति टैंकर ले रहा है। ऐसी अवस्था में मैं केन्द्र सरकार से माँग करता हूँ कि उपरोक्त परिस्थितियों में जोधपुर जिले के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था करे।

(चार) देश में तीव्र विकास हेतु लोक सभा संसद-सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला विकास परिषद स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : भारत के नागरिकों को विभिन्न जिलों में पानी, सड़कें, बिजली, दवाइयाँ, स्कूल, सिंचाई जैसी मुलभूत सुविधाएँ भी प्राप्त नहीं हैं मेरा मत है कि इस पर पर्याप्त समय और पैसा खर्च किया जा चुका है लेकिन जब तक निम्नलिखित कदम नहीं उठाए जाते परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी :

(1) प्रत्येक जिले में जिला विकास परिषद् की स्थापना लोक सभा के सदस्य की अध्यक्षता में की जाए। जिसमें विधायक और पंचायत समिति के अध्यक्ष इत्यादि भी शामिल हों। प्रस्तावित जिला विकास परिषद् जिले के लोगों की मुलभूत आवश्यकताओं के लिए योजना बनाएगा और उन पर निगरानी रखेगा।

(2) जिले के अधिकारी तंत्र जिसकी अध्यक्षता जिला-मजिस्ट्रेट और कलक्टर करेंगे, जिला विकास परिषद् के विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) लोक सभा सदस्यों का उनके जिला मुख्यालयों में साधारण सुविधाओं सहित कार्यालय तथा निवास भी हो।

महोदय, मैं वर्तमान सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि ऊपर दिए गए प्रस्तावों को भारत की जनता के हित में लागू किया जाए।

(पाँच) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए इन राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सागर, दमोह, पन्ना, झाँसी, हमीरपुर, बांदा तथा ललितपुर जिलों में गत तीन वर्षों से लगातार अतिवृष्टि, सूखा तथा ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी क्षति होने के कारण भयानक अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र पूर्णतया कृषि पर आधारित है तथा उद्योगविहीन है। इस साल भी खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण लाखों किसान, मजदूर, कारीगर रोजगार की तलाश में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और देश के अन्य भागों को पलायन कर रहे हैं। राज्य सरकारें स्वयं आर्थिक संकट में फँसे होने के कारण इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही है। स्थिति का लाभ उठा कर असामाजिक तत्व स्थानीय जनता को आपराधिक गतिविधियों की ओर उकसा रहे हैं। जन सामान्य में भीषण रोष और आक्रोश व्याप्त है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल आवश्यक कदम उठाए और राज्य सरकार को राहत कार्यों हेतु समुचित धन उपलब्ध कराए।

(छह) पेड़ काटने और इमारती लकड़ी की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध से प्रभावित मेघालय विशेषकर खासी और जयन्तियां पहाड़ियों के लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. आर. किन्डिया (शिलांग) : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण मेघालय राज्य में पेड़ काटने और इसे राज्य के बाहर ढुलाई पर लगे प्रतिबंध के कारण, जनजातीय लोग, विशेषकर खासी और जयन्तियाँ के पहाड़ियों में बसने वाले लोग, जिनकी आजीविका पूर्णतः वन और उसके उत्पादों पर निर्भर है, बेरोजगार हो गये हैं और उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अनुमानतः दो लाख लोग, जिनकी आजीविका वनों पर निर्भर हैं, वे रोज़गार से वंचित होने के कारण कठिनाइयों को झेल रहे हैं। भारत सरकार का उत्तरदायित्व है कि वे इन गरीब जनजातीय लोगों की सहायता करे और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करें। विशेष आर्थिक कार्यक्रमों जिससे लाभकारी रोजगार के अवसर बढ़ सकें, शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इस बीच, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे बिना देरी के इन पीड़ित लोगों को लाभदायक आर्थिक योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं। मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह इमारती लकड़ी की साथ ही पर्यावरण को बनाए रखने की आवश्यकता को सामने रखते हुए योजनाबद्ध वनीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा दें जिससे यह लोग इस इमारती लकड़ी का आर्थिक और व्यावसायिक पद्धति से दोहन कर सकें।

(सात) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निधियों को सीधे ग्राम पंचायतों को दिए जाने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके अनुसार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों को सीधे ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा।

हाल ही में स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में एक समाचार छपा था। इस समाचार के अनुसार मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायतों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। यद्यपि मंत्री जी यह दावा करते हैं कि इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा चर्चा की गई है फिर भी इस दावे के पक्ष में साक्ष्य नहीं है। अगर केन्द्रीय मंत्री ग्राम पंचायत को सीधे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निधि देने के इस निर्णय को कार्यान्वित करती है तो इससे राज्य सरकारों की उपेक्षा होगी। केन्द्र सरकार के इस निर्णय से राज्य सरकार में काफी अविश्वास की भावना पैदा होगी।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ऐसे प्रस्ताव को वापस लिया जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों को गहरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय नदी आयोग का ध्यान आपके माध्यम से जलेसर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में ईसन नदी, करौं नदी और सिरसा नदी के उथलेपन के कारण आई बाढ़ एवं जल भराव से पिछले कई वर्षों से फिरोजाबाद तथा एटा जनपद के ब्लाक टूंडला, नारखी तथा जलेसर एवं अवागढ़ के सैंकड़ों गाँव तथा निधोली एवं भारहरा के सैंकडों गाँव प्रभावित हैं। यदि केन्द्रीय सरकार के अधीन केन्द्रीय जल आयोग या केन्द्रीय नदी आयोग द्वारा इन नदियों की खुदाई करवा दी जाये तो पानी का ठहराव एवं भराव नहीं होगा तथा पानी सुगमतापूर्वक बह जायेगा। जल भराव के कारण सभी सम्पर्क मार्ग टूट जाते हैं तथा फसल हानि, पशु हानि एवं जन हानि होती है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक तंगी होने के कारण तथा जिला योजनाओं में भी पैसे की कमी के कारण इन नदियों की खुदाई करना संभव नहीं है।

अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार अपने अधीन विभागों द्वारा जलेसर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की सिरसा, करौं तथा ईसन नदी जो कि मिट्टी के भराव के कारण उथली हो गई है, की खुदाई करवा दें जिससे संबंधित क्षेत्र के किसानों को बाढ़ से होने वाली हर प्रकार की हानि से बचाया जा सके। इसके लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को उचित धनराशि प्रदान करे।

(नौ) उत्तरी बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ के स्थायी हल के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : महोदय, उत्तर बिहार का 76 प्रतिशत भाग बाढ़ की समस्या के कारण प्रायः प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में गाँवों में फसल की बर्बादी, जमीन का कटाव, जान-माल की क्षति होती है, जिसके कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उत्तर बिहार की नदियाँ कोशी, गंडक, बागमती, कमला, बलान, महानन्दा एवं अधबारा समूह का उद्गम भारतीय सीमा के उस पार हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र का 61 प्रतिशत भाग नेपाल एवं तिब्बत में पड़ता है। वर्ष 1987 की बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए उत्तर बिहार की बाढ़ और जल जमाव की समस्या के स्थाई निदान हेतु केन्द्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की गई थी लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बिहार सरकार के सीमित संसाधन से बाढ़ पर नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस समस्या का स्थाई समाधान राष्ट्रीय स्तर पर ही संभव है। उत्तर बिहार की नदियों पर नियंत्रण पाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि नेपाल में नदियों पर चैक डेम/फोर्स डैम का निर्माण नहीं होता है और नेपाल सरकार द्वारा सुरक्षा की कार्रवाई नहीं की जाती है। भारत सरकार नेपाल सरकार से डैम के निर्माण तथा भू संरक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में जल्द-से-जल्द पूर्व में हुई विस्तृत वार्ता के आलोक में सहमति प्राप्त कर इन कार्यों को पूरा कराये, ताकि उत्तर बिहार की जनता को बाढ़ से सुरक्षा दी जा सके एवं बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिल सके।

[अनुवाद]

(दस) कोल्हापुर, महाराष्ट्र में मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे महाराष्ट्र राज्य में मेरे निर्वाचन क्षेत्र, कोल्हापुर में पिछले कई वर्षों से छः जिलों अर्थात् कोल्हापुर, सांगली, शोलापुर, सतारा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की पीठ का गठन करने के लिए पिछले कई वर्षों से माँग लंबित पड़ी हुई है।

कोल्हापुर सड़क, रेल और हवाई मार्ग की बेहतर सुविधाओं वाला केन्द्र में स्थित शहर है। इन जिलों से आने वाले मुकदमे बाज कोल्हापुर में अपना काम समाप्त करके आने और जाने के लिए यातायात की सुविधा उठा सकते हैं। इससे लोग अधिक खर्च मूल्यवान समय नष्ट होने, असुविधा और अपने काम में अनुपस्थित रहने से बचेंगे, जो मुम्बई उच्च न्यायालय में जाने के कारण असंभव है। इसके अलावा, मुम्बई के मुकाबले कोल्हापुर में पर्याप्त रहने की सुविधाएँ हैं और जो मुम्बई के मुकाबले सस्ते भी हैं। कोल्हापुर में मुम्बई उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के कारण मुकद्दमों की शीघ्र सुनवाई की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि सिर्फ कोल्हापुर जिले में वर्ष 1989 के अंत तक 2492 सिविल और आपराधिक मामले और इसके अलावा तीन से चार

हजार रिट याचिकाएँ भी लंबित पड़ी हैं। इसलिए, यह परिस्थिति की माँग है कि कोल्हापुर में मुम्बई उच्च न्यायालय खंडपीठ की तत्काल स्थापना की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध माँग करता हूँ कि मुम्बई उच्च न्यायालय के खंडपीठ की कोल्हापुर में शीघ्र स्थापना की जाए चाहे इसके लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) की धारा 51 की उपधारा (2) को इसके अनुसार संशोधित करना पड़े।

(ग्यारह) बिहार के गंडक और कोसी परियोजना चरण-II को शीघ्र प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, बिहार राज्य में गंडक और कोशी परियोजना को यह कहकर बंद कर दिया गया था कि अवशेष कार्य फेज-2 के अन्तर्गत पूरा किया जाएगा। लेकिन मुझे खेद है कि किसानों की जमीन नहर निर्माण में चली गई और जल जमाव की समस्या बनी हुई है। नौ लाख हैक्टेयर जमीन में जल जमाव है और गंडक एवम् कोशी परियोजनाओं को पूर्ण नहीं होने के कारण इसके उद्देश्यों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

अतः अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने, सिंचाई एवम् जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए उपरोक्त योजनाओं के फेज-2 का कार्यारंभ करने हेतु सरकार प्रयत्न करे।

(बारह) तमिलनाडु के त्रिची और मनमदुरई के बीच मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री तिरूनावकरसू (पुडुक्कोट्टई) : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान त्रिची से मनमदुरई के बीच मीटरगेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूँ जिस पर कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। यह लाइन त्रिची से पुडुक्कोट्टई, शिव गंगा और रामानंद जिलों से होकर गुजरती है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिले हैं, जिनके विकास के लिए केन्द्रीय सरकार के ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है इस लाइन से मदुरई से रामेश्वरम के बीच की दूरी भी बड़ी लाइन से जुड़ जाएगी। रामेश्वरम एक धार्मिक स्थल है जो हमारे देश के विभिन्न भागों और विदेशों से भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों, धर्म अनुयायियों और पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस लाइन को यदि बड़ी लाइन में बदल दिया जाए तो इससे पर्याप्त धन, समय की बचत होगी और इससे दूरी भी कम हो जाएगी।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह त्रिची मनमदुरई के बीच मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने के लिए तुरन्त कदम उठाए।

(तेरह) बोडोलैंड नामक पृथक राज्य बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : मैं तीन नये राज्यों नामतः उत्तराखंड, वनांचल और छत्तीसगढ़ बनाने में सरकार के सकारात्मक नीतिगत निर्णय का स्वागत करता हूँ।

इसी समय मैं सरकार का ध्यान असम में विशेषकर संघर्षरत स्वदेशी लाखों बोडो लोगों के ज्वलंत जातीय राजनीति से जुड़े बोडोलैंड मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। वर्तमान असम राज्य में से काटकर अलग बोडो राज्य बनाने की अत्यन्त उचित और तर्कसंगत माँग दशकों से की जा रही है।

इसलिए मेरी राय है कि सभी उपयुक्त और समुचित क्षेत्रों, लोगों और मामलों के प्रति बिना किसी भेदभाव के समान राजनीतिक न्याय, हैसियत, गौरवपूर्ण और उदार राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि भारत में नए छोटे राज्यों के सृजन की अवधारणा के पीछे मुख्य प्रयोजन और उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूँ कि वह संसद में अपेक्षित संवैधानिक (संशोधन) विधेयक को पारित करके पृथक बोडोलैण्ड राज्य का सृजन करने के लिए ठोस और सकारात्मक नीतिगत निर्णय ले और आवश्यक राजनीतिक पहल करें।

(चौदह) महाराष्ट्र में नासिक जिले के बादली भूई गाँव में मुम्बई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमिगत पार पथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगाँव) : महोदय, बडालीभुई तहसील चांदवाडा, जिला नासिक महाराष्ट्र के गाँव के बीच में मुम्बई आगरा नेशनल रोड़ जाता है जिस पर बहुत यातायात होता है। गाँव के दक्षिण दिशा में प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल, सहकारी संस्थाएँ, स्वास्थ्य केन्द्र अन्य दफ्तर हैं रास्ता पार करके जाना पड़ता है। रास्ता पार करना बहुत मुश्किल होता है। हर साल एक दो बच्चे अपघात से गुजर जाते हैं। आपके माध्यम से भारत सरकार को निवेदन है कि जल्दी-से-जल्दी 15 फुट चौड़ाई का और 30 फुट लम्बाई भूतल पथ बनाये ताकि लोगों की कठिनाई दूर हो जाये।

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल में 'वेस्ट दिनाजपुर स्पिनिंग मिल' को अर्थक्षम बनाए जाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय रायगंज के पश्चिम बंगाल सरकार का उपक्रम 'वेस्ट दिनाजपुर स्पिनिंग मिल' है जो अपने धागे (यार्न) के विपणन और कच्चे माल की नियमित आपूर्ति के अभाव से ग्रस्त है। जबकि धागा बाजार अत्यन्त विस्तृत है। राष्ट्रीय हथकरघा निगम धागे की खरीद के लिए और इस इकाई के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए इससे बातचीत कर सकता है। कई मशीनें पूरी उत्पादन क्षमता के प्रयोग न किये जाने के कारण अनुपयोगी पड़ी रहती हैं। श्रमिकों के हित में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय को पश्चिम बंगाल की सरकार के उद्योग विभाग (कुटीर उद्योग) के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि इस इकाई को सुदृढ़ करने और अधिक अर्थक्षम बनाने और उत्तरी बंगाल की एक सशक्त धागा उत्पादन इकाई बनाने के बारे में एक उपयुक्त नीतिगत पत्र तैयार किया जा सके।

उत्तर दिनाजपुर जिला, एक पिछड़ा हुआ जिला है। पंचायत स्तर पर जहाँ धागा की आपूर्ति ने लिए इस औद्योगिक इकाई का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हथकरघा सहकारिता और अन्य हथकरघा गतिविधियों के लिए वस्त्र मंत्रालय का ध्यान आकर्षित कर सकता है। उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के पास विशेषकर रायगंज, हेमन्तावाद कलियागंज और गंगा रामपुर में हथकरघा साड़ियाँ और अन्य वस्त्र बनाने वाले पर्यान्त कुशल बनुकर हैं। यह औद्योगिक इकाई हथकरघा उद्योग की आवश्यकताओं को विभिन्न धागों की आपूर्ति के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगी। वस्त्र मंत्री को पश्चिम बंगाल के लघु उद्योग मंत्री के साथ यथाशीघ्र इस इकाई का दौरा करना चाहिए और उत्तर दिनाजपुर के पिछड़े जिले को सहकारिता और उद्योग पर आधारित हथकरघा के विकास के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयकों को पुरःस्थापित करेंगे।

अपराह्न 5.32 बजे

विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं श्री पी. आर. कुमारमंगलम की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 में संशोधन करने वाले विधयेक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 में संशोधन करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रमोद महाजन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ। ..... *(व्यवधान)*

अपराह्न 5.32½ बजे

कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं श्री राम जेठमलानी की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि कम्पनी अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधयेक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रमोद महाजन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब वन्देमातरम् की धुन बजाई जाएगी। कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप आज सुबह से ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं आपकी पीड़ा को भी समझता हूँ। कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाएं। अब वन्देमारतम् की धुन बजाई जाएगी।

....*(व्यवधान)*

अपराहन् 5.33 बजे

इस समय श्री देवेन्द्र सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

....*(व्यवधान)*

अपराहन् 5.33 बजे

इस समय श्री रामदास आठवले तथा कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश का पूरी तरह पालन किया जाएगा लेकिन एक प्रार्थना है कि नई सदी आ रही है। यह सदी का आखिरी सत्र है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाउस में नए रूप में आना है।

श्री मुलायम सिंह यादव : सदन के नेता की भी यही भावना होगी। हमारी भावना विपरीत नहीं है। मैं प्रधान मंत्री जी से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नई सदी में दिल बड़ा और छाती चौड़ी करके आएं। जो देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित जनजाति और बहुत से गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके हितों को आप कुठाराघात से बचाये रखें। इस बिल के खिलाफ पूरे सदन की भावना है। वह अब की बार जब सदन में आएं तो दिल बड़ा और छाती चौड़ी करके आएं और सदन की भावनाओं

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.12.99 में प्रकाशित।

का आदर करें। माननीय प्रधान मंत्री जी जब विरोधी दल के नेता थे, मैंने तब से लेकर अभी तक उनकी बातों को बहुत सुना है। वह कभी जिद नहीं करते थे। परन्तु अब आप जिद्दी हो गए हैं। अब जब वह संसद सत्र में आएं तो जिद छोड़ कर पूरे हाउस के माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करें और अवैध रूप से प्रस्तुत किए गए महिला आरक्षण विधेयक को वापस लें।

अध्यक्ष महोदय, हमने आपके हुकम का पूरा-पूरा पालन किया है। मैं आपके निर्देश का पालन करता हूं और इसीलिए आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आपने इस सदन को अच्छा चलाया है लेकिन सत्ता में बैठे इन लोगों ने ठीक से चलने नहीं दिया, इस बात को इन लोगों को समझाइये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्पूर्ण सदन की यही राय है कि उससे यथा संशोधित बिल रहना चाहिए जिसमें ओ.बी.सी., अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और माइनीरटीज की सभी महिलाओं को पूरा हक मिलना चाहिए। मैं नहीं समझता कि क्यों सत्ता पक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज तो सब लोग खुल गये हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर भी एक संशोधन होना चाहिए...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि ओ.बी.सी. को उसमें शामिल किया जाये।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : स्पीकर सर, मैंने बाकायदा नोटिस देकर आपको भेजा था...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके नोटिस के बारे में आपका नाम बुलाया था।

श्री जी.एम. बनातवाला : हम बाकायदा नोटिस देकर आपके सामने आते हैं और अपनी बात रखनी चाही लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती। इस वक्त भी मैंने नोटिस दिया हुआ है कि यह मोशन जो इंट्रोड्यूस किया गया है, सही नहीं, इसलिये इग्नोर किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपका भी नाम पुकारा है। कृपया इसे समझिए।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : आप हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जायें।

अपराह्न 5.37 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, हम एक संक्षिप्त लेकिन अति महत्वपूर्ण सत्र के अंत में आ पहुंचे हैं। सभा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। देश और लोगों के हितों को अपने दिल और दिमाग में सर्वोपरि रखते हुए हमने कुछ कानूनों को पारित करने में सरकार को समर्थन दिया। साथ ही, जब हमें लगा कि कुछ प्रस्ताव कमजोर हैं तो हम उनके विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहे। जहां प्रस्ताव कमजोर थे, हमने कुछ संशोधनों के लिए सुझाव दिया जिसे विधेयक में समाविष्ट किया गया।

अध्यक्ष महोदय, आपका कार्य सबसे कठिन और जिम्मेदारी का कार्य है। हमारा लोकतंत्र सर्वाधिक जीवंत है जिसका प्रदर्शन कई अवसरों पर सभा में हो चुका है। ऐसे कई अवसर आए हैं, विशेषकर पिछले दो दिनों में, जब कुछ सदस्यों ने लक्ष्मण रेखा को पार किया। तथापि, आपने सदस्यों के साथ सहनशीलता और दयालुता के साथ बर्ताव किया। इस प्रकार का व्यवहार हम सब के साथ करने के लिए हम आपके आभारी हैं।

हम नई सहस्राब्दी में लगभग प्रवेश करने ही वाले हैं। आइए हम अपनी शपथ दोहराएं कि, जिन्होंने हमारा समर्थन किया, जिन्होंने हमें वोट दिया, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं हम उनकी सुरक्षा, उत्थान, भलाई और कल्याण के लिए पुनः सच्चे दिल से कार्य करें।

महोदय, मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री को, उनकी सरकार को और सभा में प्रत्येक व्यक्ति को, सभा के प्रत्येक सदस्य को मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की मुबारकबाद और नई सहस्राब्दी की शुभकामनाएं देना चाहती हूं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सत्र समाप्ति पर है। यदि पूरे सत्र पर नजर डालकर देखें तो जहां तक कानूनों का सवाल है, इस सत्र में हमने काफी कानून बनाये हैं। विधायी कार्य में शायद पहली बार इतना योगदान मिला है। यह सबके सहयोग से संभव हुआ है। विशेषकर प्रतिपक्ष के सहयोग से। दूसरे सदन में हमारा बहुमत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित हुए हैं वह प्रतिपक्ष के सहयोग से हुए हैं, इसके लिए सरकार आभारी है। सचमुच में जब हम प्रतिपक्ष में थे तो इसी तरह का रचनात्मक रवैया अपनाते रहते थे। दो दिन जो कुछ हुआ है अगर वह टाला जा सकता था और अच्छे ढंग से बात कहने का तरीका निकाला जा सकता, तो मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा बढ़ती, भारतीय लोकतंत्र अधिक बलशाली होकर निकलता। जब सत्र आरम्भ हुआ था तो मैंने आश्वासन दिया था कि इस सत्र में हम महिला आरक्षण विधेयक लायेंगे, उसे इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर विचार के लिए वह

विधेयक प्रसारित होगा। विधेयक का शब्द अंतिम शब्द नहीं है। लेकिन लोगों के साथ किये गये आश्वासन को पूरा करने की भी एक जिम्मेदारी थी। विधेयक पेश हो गया...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : कहां हुआ...*(व्यवधान)* नहीं हुआ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं हुआ, नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अच्छा होता अगर और अच्छे वातावरण में विधेयक पेश होता।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : प्रधान मंत्री जी वातावरण ठीक करिये, अब ऐसा सवाल मत उठाइये। बिल पेश नहीं हुआ है। अब आप जो कर रहे हैं, अब इस तरह से मत आइए। आप अच्छा वातावरण बनाइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब आप भी ऐसा...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सत्तापक्ष की तरफ से अफवाह है कि किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आर.एस.एस. के रयूमर्स स्प्रैडिंग सोसाइटी के लोग ऐसा कह रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बीच में टोका-टाकी न तो यह चौड़े दिल और न चौड़ी छाती की परिचायक है।

श्री मुलायम सिंह यादव : प्रधान मंत्री जी, आप तो टिप्पणी करने लगे, हम समझते थे कि सदन का वातावरण ठीक करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :अध्यक्ष महोदय, विधेयकों पर विवाद होते हैं और उन विवादों में से रास्ता निकाला जा सकता है। मैंने सर्वानुमति की बात कही थी, कान्सेन्सस की और कान्सेन्सस स्थापित करने का प्रयास हुआ। अभी मुझ पर जिद्दी होने का आरोप लगाया जा रहा था। यह दो दिन में पता लग गया कि कौन जिद्दी है, कौन सबके साथ चलने को तैयार नहीं है...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इस सिद्धांत का कोई विरोधी नहीं है कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। मतभेद इस बात पर है कि 33 प्रतिशत हो, 15 प्रतिशत हो या 20 प्रतिशत हो।

श्री मुलायम सिंह यादव : दस पर नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मतभेद इस बात पर है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या हो। क्या सीटों की अदला-बदली हो या रोटेशन हो। हमारे पुरुष सदस्यों को यह चिन्ता है कि जिन सीटों पर वे जीत कर आये हैं वे कहीं उनके लड़ने लायक भी न रहे, जहां से वे खड़े न हो सकें। कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा न हो जाए, इसका हल निकाला जा सकता है। अभी चुनाव कमीशन एक और हल लेकर आया है। मुलायम सिंह जी अच्छे-अच्छे सुझाव देते रहे हैं और अगर वह कोशिश करेंगे तो उनके अच्छे सुझाव अभी थोड़े लोग मानते हैं, ज्यादा लोग मानने लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय, और अगर नहीं मानेंगे तो दूसरों के जो सुझाव होंगे वे मुलायम सिंह जी मानने लगेंगे। कोई न कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा और सब मिलकर रास्ता निकाल सकते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अध्यक्ष महोदय, मैं 40 साल से यहां हूं। जो घटनाएं पिछले दो दिनों में हुई हैं, ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई थी और न कभी आगे होनी चाहिए। धक्का-मुक्की की नौबत आ जाए, बाहर जाकर हम अपना क्या मुंह दिखाएंगे, बड़े दुख की बात है, लेकिन अब समाप्ति हो रही है। अन्त भला तो सब भला।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। इतनी हठधर्मिता सरकार की तरफ से दिखाया जाना कि जो बिल तैयार है, उसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। पंचायत की मानेंगे, लेकिन खूंटा वहीं गाड़ेंगे। इसमें कसूर किसका है, सरकार की जिम्मेदारी है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : खाली सरकार नहीं, सरकार के साथ पूरा प्रतिपक्ष भी शामिल है, आपको छोड़कर।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, इतनी जोर से क्यों बोलते हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपको हम सचमुच में धन्यवाद देना चाहते हैं। 'बालयोगी' के रूप में आपने जिस गंभीरता का प्रदर्शन किया है, वह प्रशंसनीय है। हमें तो यह सोचते हुए चिन्ता होती है कि अगर आप 'बालयोगी' की जगह 'पूर्णयोगी' हो गए, तो फिर साधारण जन का क्या बनेगा। आपने पूर्ण कुशलता से सदन का संचालन किया। सदन अच्छे वातावरण में समाप्त हो रहा है। मैं प्रतिपक्ष को धन्यवाद दे चुका हूं। प्रतिपक्ष की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी को, अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। लोक सभा सचिवालय को अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है। उसके सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप तो हमारे सबके धन्यवाद और आभार के पात्र हैं ही, मैं आपको और पूरे सदन को अपनी ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और नए मिलेनियम की भी शुभ कामनाएं देता हूं। जब हम मिलेंगे, तो अच्छे वातावरण में मिलेंगे और दो दिन जो कुछ हुआ, उसकी याद भुलाकर मिलेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम 5, 221, 243, 245 को देखिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। रघुवंश प्रसाद जी, इस समय कुछ कहनें की जरूरत नहीं है। कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : श्री राजेश रंजन, पप्पू यादव, जेल में रहकर जीते, लेकिन अभी तक सदन को सूचना नहीं दी गई, यह अच्छा नहीं है और इस सरकार में तीन-तीन मंत्री चार्जशीटेड हैं, तो पप्पू यादव जी को क्यों जेल में रखा गया है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए मेरा आग्रह है कि इन सभी नियमों पर विचार किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं सभी को क्रिस्मस की शुभकामनाएं देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, 13वीं लोक सभा दूसरा सत्र 29 नवम्बर 1999 से प्रारंभ हुआ था। आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र में, हमारी 19 बैठकें हुई जिसकी कुल अवधि 127 घंटे और 41 मिनट थी।

इस सत्र के दौरान, अन्य कार्य के साथ-साथ सभा ने कई महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य किए। वर्ष 1999-2000 के अनुपूरक रेलवे बजट और आम बजट सभा द्वारा पारित किए गए।

लोक सभा ने 21 विधेयकों को, जिनमें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999; धन-शोधन निवारण विधेयक, 1999; विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक, 1999 को पारित किया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999; केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999; और पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1999 को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को भेजा गया था।

नियम 193 के अंतर्गत सभा में पांच सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक विषयों पर उपयोगी वाद-विवाद हुआ। इनमें हैं : महा-चक्रवात के कारण उड़ीसा में जान-माल की हानि और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता; देश के विभिन्न भागों में किसानों की समस्याएं; राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला और देश के विभिन्न भागों में बढ़ता आतंकवाद, विशेषकर पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर में, सरकार की विनिवेश नीति और प्रसार भारती का कार्य करना।

ध्यानाकर्षण द्वारा पांच महत्वपूर्ण मामले उठाए गये जिस पर संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर मंत्रियों ने लगभग सात वक्तव्य दिए। सभा में छः बार आधे घंटे की चर्चा हुई। सभा की कार्यसूची में शामिल 380 तारांकित प्रश्नों में से, 70 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गये।

इस सत्र में, 48 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक प्रस्तुत हुए जिनमें से एक पर बहस निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। गैर-सरकारी सदस्यों के दो संकल्पों पर बहस हुई।

माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत 162 मामले उठाए। इसके अलावा, 'शून्य काल' में 259 अत्यावश्यक लोक हित के मामले सदस्यों द्वारा उठाए गए।

मैं इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय और सभापति की तालिका में शामिल मेरे सहयोगियों को सभा के कार्य के निर्वहन में अच्छा सहयोग दिया। मैं, सभा के माननीय नेता का, माननीय विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं साथ में मुख्य सचेतक और सचेतकों द्वारा मुझे दिए गए सहयोग और मेरे प्रति दिखाए गए शिष्टाचार के लिए अत्यंत आभारी हूं। कार्यसूची की संपूर्ण कार्यवाही सभी सदस्यों द्वारा खुशी से दिए गए सहयोग द्वारा पूर्ण की जा सकी जबकि उन्हें 19 दिनों में से 12 दिन देर तक बैठना पड़ा।

सत्र के दौरान, लोक सभा सचिवालय के संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो ने वर्तमान लोक सभा के सदस्यों के लिए एक हफ्ते का परिचायन कार्यक्रम का आयोजन किया। नए सदस्यों की ओर से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। मैं सभी सहभागियों का और साथ ही संकाय घटक के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके कार्यक्रम में सहयोग और रुचि दर्शाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों, यह लोक सभा का इस शताब्दी का अंतिम सत्र है और थोड़े ही दिनों में हम नई सहस्त्राब्दी में प्रवेश करने वाले हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हमें करोड़ों लोगों की आशा और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के महान् उत्तरदायित्व को वहन करना है और एक मजबूत, संपन्न और जीवंत भारत का निर्माण करना है। हमें आने वाली शताब्दी में अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का संकल्प करना चाहिए जिन्हें हम वर्तमान शताब्दी में प्राप्त नहीं कर पाए।

मैं सभी को क्रिस्मस और संपन्न और हर्षपूर्ण सहस्त्राब्दि वर्ष की बधाई देता हूं।

अपराह्न 5.52 बजे

राष्ट्रगीत

(राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.53 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरुवार, 23 दिसम्बर, 1999/ 2 पौष, 1921 (शक)
का
शुद्धि पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
6	3	सप्टीमेंटरी	सप्लीमेंटरी
6	16	सकार वर्तमा भर्ती पुणाली	सरकार वर्तमान भर्ती पुणाली
15	29	अंयंत्र	अन्यत्र
33	टिप्पणी, नीचे से पंक्ति 2	औपारिकताओं	औपचारिकताओं

पी॰एल॰एस॰–48/3/19/1999 (एन॰)
280

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 द्वारा मुद्रित।